ग्रामीण विकास में महिलाओं की भागीदारी
एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

(हमीरपुर जनपद के मौदहा विकास खण्ड के स्वयं सहायता समूह के विशेष संदर्भ में)

A Sociological Study of Women's Participation in Rural Development

(With Special reference to Self Help Group of Maudaha Block in Hamirpur District)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी (उ०प्र०)

समाजशास्त्र विषय के अन्तर्गत
डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधि हेतु प्रस्तुत

2008

शोध-निर्देशक
डॉ० जे०पी० नाग
प्राचार्य-जिला परिषद कृषि महाविद्यालय, बाँदा
पूर्व रीडर एवं विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग
पं०जे०एन०पी०जी० कालेज, बाँदा

शोधार्थिनी
मैत्रेयि सिंह

शोध-केन्द्र
पं० जे०एन०पी०जी० कालेज, बाँदा
सम्बद्ध : बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

मुझे खड़ा होने
की जगह दो,
मैं संसार को
हिला दूँगी

ग्रामीण विकास

"यह अवश्यंभावी है कि भारत उदीयमान विश्व अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख शक्ति बनकर उभरेगा और इस प्रक्रिया में हमारे समाज के बड़े भाग को भी प्रभावित करने वाली अत्यधिक गरीबी, अज्ञानता और बीमारी से छुटकारा मिल सकेगा।"
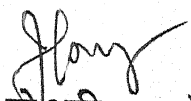
–डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **श्रीमती मैत्रेयि सिंह** द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबन्ध **"ग्रामीण विकास में महिलाओं की भागीदारी एक समाजशास्त्रीय अध्ययन" (हमीरपुर जनपद के मौदहा विकास खण्ड के स्वयं सहायता समूह के विशेष संदर्भ में)** मेरे निर्देशन में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के पत्रांक-बु0वि0/प्रशा0/शोध I/2006/1680-82 दिनांक 15.04.2006 के द्वारा समाजशास्त्र विषय में वे शोध कार्य के लिए पंजीकृत हुई हैं।

इन्होंने मेरे निर्देशन में आर्डीनेन्स की धारा 7 द्वारा वांछित अवधि तक कार्य किया तथा इस अवधि में इस शोध केन्द्र में उपस्थित रही हैं। यह इनकी मौलिक कृति है। इन्होंने इस शोध के सभी चरणों को अत्यन्त संतोषजनक रूप में परिश्रम पूर्वक सम्पन्न किया है।

मैं इस शोध प्रबन्ध को प्रस्तुत करने की संस्तुति करता हूँ।

(डॉ0 जे0पी0नाग)
प्राचार्य
जिला परिषद कृषि महाविद्यालय,बाँदा
पूर्व रीडर एवं विभागाध्यक्ष-समाजशास्त्र विभाग
पं0जे0एन0पी0जी0 कालेज, बाँदा (उ0प्र0)
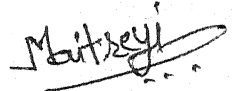
घोषणा-पत्र

मैं **मैत्रेयि सिंह** घोषणा करती हूँ कि समाजशास्त्र विषय के अन्तर्गत **"ग्रामीण विकास में महिलाओं की भागीदारी एक समाजशास्त्रीय अध्ययन" (हमीरपुर जनपद के मौदहा विकास खण्ड के स्वयं सहायता समूह के विशेष संदर्भ में)** डॉक्टर ऑफ फिलासफी (पी-एच0डी0) उपाधि हेतु प्रस्तुत, यह शोध प्रबन्ध मेरी स्वयं की मौलिक रचना है। इसके पूर्व यह शोध कार्य किसी अन्य के द्वारा कहीं भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अपना यह शोधकार्य मैंने अपने सुयोग्य वरिष्ठ गुरु डॉ0 जे0पी0 नाग, प्राचार्य, जिला परिषद कृषि महाविद्यालय, बाँदा व पूर्व रीडर एवं विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, पं0जे0एन0पी0जी0 कालेज, बाँदा के मार्ग-दर्शन में किया है।

Maitreyi

(मैत्रेयि सिंह)

शोधार्थिनी

आभार

शोध ज्ञान संवर्धन के क्षेत्र में अद्वितीय महत्व रखता है। किसी भी स्तर या परिस्थितियों पर किया जाने वाला शोध उस विषय वस्तु की वास्तविकता को जानने-समझने का एक वैज्ञानिक साधन है।

प्रत्येक शोध कार्य सामूहिक सहयोग पर आधारित होता है, प्रस्तुत शोध प्रबन्ध भी एक सामूहिक प्रयत्न का प्रतिफल है। इस शोध प्रबन्ध को मूर्त रूप देने में अनेक महानुभावों, विद्वतजनों एवं शुभचिन्तकों का सहयोग मुझे प्राप्त हुआ है, उनके प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करना मेरा प्रथम कर्तव्य है।

सर्वप्रथम मैं इस शोध प्रबन्ध को पूर्ण कराने का श्रेय अपने निर्देशक श्रद्धेय गुरुदेव डॉ० जे०पी० नाग जी को देती हूँ, जिन्होंने ग्रामीण महिलाओं का परिवेश एवं उनकी ग्रामीण विकास में भागीदारी से सम्बन्धित विषय के प्रति मेरा ध्यान आकर्षित कर शोध करने हेतु साहस एवं प्रेरणा प्रदान की। शोध कार्य के गूढ़ तथ्यों की सहज विवेचना करके गहनता से विषय-वस्तु को परिणामपरक ध्येय तक ले जाने में गुरु जी से अत्यन्त विद्वतापूर्ण मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप मैं गुरु की कृपा-दृष्टि का ही परिणाम है। मैं श्रद्धेय गुरु जी को हृदय से आभार करते हुए श्रद्धापूर्वक नमन करती हूँ।

साथ ही मैं गुरु समतुल्य डॉ० एस०एस० गुप्ता जी विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग पं०जे०एन०पी०जी० कालेज, बाँदा के प्रति हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य विशिष्ट समय, सहयोग एवं स्नेह प्रदान किया एवं मेरे मनोबल को अक्षुण रखने में विशेष सहयोग दिया, जिनके प्रति मैं आजीवन कृतज्ञ रहूँगी। इसी क्रम में मैं डॉ नन्दलाल शुक्ल जी प्राचार्य, पं०जे०एन०पी०जी० कालेज, बाँदा के प्रति विशेष आभारी हूँ जिन्होंने मुझे शोध कार्य के लिए अनुमति एवं प्रोत्साहन दिया।

मैं पं०जे०एन०पी०जी० कालेज, बांदा के पुस्तकालायाध्यक्ष आर०सी० पाण्डेय जी की भी

आभारी हूँ जिन्होंने मुझे शोध कार्य से सम्बन्धित पुस्तकें उपलब्ध कराके अमूल्य सहयोग दिया है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध इस रूप में नहीं दिखाई पड़ता यदि डॉ० रामभरत तोमर जी प्राचार्य राजीव गाँधी वाणिज्य महाविद्यालय, बाँदा एवं डॉ० राजेश पाल जी, प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बाँदा का सहयोग व सुझाव प्राप्त न हुआ होता। मैं इनके प्रति हृदय से आभारी हूँ।

मैं 'ग्रामीण विकास मंत्रालय' भारत सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके प्रकाशन विभाग एवं पुस्तकालय से प्रस्तुत शोध के लिए तथ्य एवं सूचनाएँ प्राप्त हुईं। साथ ही महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराने में 'महिला एवं बाल विकास मंत्रालय', भारत सरकार के प्रति भी विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। इसी क्रम में मैं 'जिला ग्राम्य विकास अभिकरण' हमीरपुर एवं ग्राम्य विकास संस्थान, मौदहा एवं विकास खण्ड कार्यालय, मौदहा की विशेष आभारी हूँ जिन्होंने 'स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस०जी०एस०वाई०) से सम्बन्धित सूचनाएं एकत्र करवाई।

मैं विशेष आभारी हूँ उन समस्त ग्रामीण माताओं-बहिनों की, जिन्होंने बड़े ही सहजता एवं सरलता के साथ शोध कार्य की साक्षात्कार अनुसूची के प्रश्नों का उत्तर देकर इस शोध को प्रमाणिक व तथ्यपरक बनाने में मेरी भरपूर सहायता की।

पारिवारिक पृष्ठभूमि में मैं अपने प्रातःस्मरणीय पूज्य पिता जी श्री ब्रजमोहन सिंह एवं श्रद्धेय माता जी श्रीमती उमा सिंह व पूज्य चाचा जी श्री रामदेव सिंह की ऋणी हूँ, जिनके वात्सल्य एवं आज्ञानुसार इस शोध प्रबन्ध का सातत्य एवं सुगठित नियोजन बनाये रखने का अवसर प्राप्त हुआ। इन्होंने मेरा न केवल आत्मबल बढ़ाया बल्कि प्रत्येक प्रकार से भरपूर सहयोग प्रदान किया जिससे मैं इस चुनौतीपूर्ण कार्य को सम्पन्न कर सकी। जिनका आभार मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। साथ ही मैं श्री राजेश सिंह सेंगर 'भाई साहब' की विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण विचारों व सुझावों से मेरा अनवरत पथ प्रदर्शन किया।

मैं अपने अनुज 'आत्मेन्द्र' के स्नेह एवं दुलार को हर पल अपने साथ संजोए इस शोध प्रबन्ध को पूर्ण करने के प्रयास में लगी रही।

मैं अपनी ममेरी बहन श्रीमती चित्रा सिंह, कटरा-बाँदा व उनके ससुराल के सभी सदस्यों की विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे शोध कार्य में बाँदा प्रवास के समय प्रत्येक प्रकार की सुख-सुविधायें उपलब्ध कराई।

मैं अपने सभी शुभ चिन्तकों व मित्रों की आभारी हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मुझे सहयोग दिया।

मैं 'श्री प्रिन्टर्स' पद्‌माकर चौराहा, बाँदा की विशेष आभारी हूँ एवं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस शोध कार्य की पाण्डुलिपियों को टंकण कला के जादू से शोध प्रबन्ध का रूप दिया।

अन्त में एक बार पुनश्च उक्त सभी श्रेष्ठजनों को हृदय से श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए आभार व्यक्त करती हूँ।

मैत्रेयि सिंह

अनुक्रमणिका

सारणी-सूची

प्रथम अध्याय

प्रस्तावना-

महिला सशक्तीकरण-

- ❖ महिलाओं की विभिन्न परिस्थिति
- ❖ महिला सशक्तीकरण का अर्थ, आवश्यकता, उद्देश्य
- ❖ महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया बाधायें
- ❖ महिला सशक्तीकरण के लिये शिक्षा की आवश्यकता
- ❖ महिला साक्षरता की स्थिति, और लैंगिक अंतर
- ❖ उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर, सशक्तीकरण के सरकारी प्रयत्न

पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण

- ❖ पंचायती राज संगठन तथा कार्य प्रणाली (73वें संशोधन पंचायतों में महिलाओं की परिस्थिति के पश्चात)

स्वयं सहायता समूह-

- ❖ स्वयं सहायता समूह की अवधारणा, उद्देश्य, आवश्यकता
- ❖ पंचायती राज और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिला सशक्तीकरण

अध्याय-प्रथम

प्रस्तावना

खण्ड- क

महिला सशक्तीकरण

देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में ग्रामीण विकास एक आधारभूत अभिन्न अंग है। यह भी कहा जा सकता है कि ग्रामीण विकास ही राष्ट्रीय विकास है। यह सर्वविदित है कि हमारे देश की जनसंख्या का आधा हिस्सा महिलाएं हैं। जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को स्वीकार किया गया है क्योंकि महिला एवं पुरुष विकासरूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। महिलाएं राष्ट्र के विकास में उतना ही महत्व रखती हैं जितना पुरुषों का है। अतः देश का समग्र विकास महिलाओं की भागीदारी के बगैर संभव नहीं है।

'या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता' तथा 'या देवी सर्व भूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता' आदि उक्तियाँ दुर्गा सप्तशती में एक आदर्श वाक्य के रूप में उल्लिखित है। इन उक्तियों के द्वारा महिलाओं को पुरुषों से ऊपर रखा गया है अर्थात् नारी सत्ता को सर्वोच्च्य शिखर प्रदान किया गया हैं नारी शक्ति स्वरूपा है, सृजन करती है, संसार चक्र को चलाने का मुख्य आधार होती है। भारतीय समाज में नारी का स्थान पूजनीय रहा है। समाज तथा सभ्यता के विकास में महिलाओं का योगदान सर्वोपरि रहा है कभी वह बेटी बनकर परिवार की शोभा बढ़ाती है तो बहन बनकर भाइयों से दुलार करती है। वहीं माँ बनकर संतान का लालन-पालन करती है। बड़ी होने पर भी उसका सम्मान कम नही हेाता और वह दादी-नानी बनकर गौरवमय जीवन जीती है। अतः नारी की सहभागिता के बिना हम किसी उच्च्य शिखर को प्राप्त नहीं कर सकते है। जहाँ भी स्त्री के सम्मान को चोट पहुँचती है वहाँ विकास नहीं विनाश हुआ है।

हमारे देश में 70% लोग गाँवों में बसते हैं। गांवों के विकास तथा प्रगति में महिलाओं में सबल हॉथ इसके प्रतीक हैं। समाज विकास में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका

न केवल घर-परिवार के विकास के लिए उत्तरदायी है बल्कि वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, भौगोलिक और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आज समाज के प्रत्येक क्षेत्र में महिलायें उत्कृष्ट भूमिका निभा रही हैं। चाहे परिवार हो, खेत-खलिहान का काम हो, सबमें महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। अधिकांश ग्रामीण महिलाएं पुरुषों से अधिक काम करती हैं। सुबह उठकर चक्की चलाती हैं, मवेशियों का दूध निकालती हैं, गोबर उठाकर साफ-सफाई करती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं, खेतों में खाना पहुँचाती है तथा पशुओं के लिए चारा लेकर आती है। इतना कठिन परिश्रम करने के बाद भी उनके चेहरे पर मुस्कान झलकती रहती है।

देश की ग्रामीण जनसंख्या में आधा भाग महिलाओं का है, अतः ग्रामीण विकास में महिलाओं की अनदेखी नहीं की जा सकती है। किसी भी देश की सामाजिक-आर्थिक प्रगति को जानने के लिए वहाँ की महिलाओं की स्थिति एवं स्तर का आंकलन करना अति आवश्यक है। समाज में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। महिलाओं की शक्ति का समुचित उपयोग करने एवं सम्माननीय स्थान देने पर वे राष्ट्र के विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित कर सकती हैं। यह सच है कि ग्रामीण महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़े बिना किसी समाज, राज्य एवं देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार धीमी गति से हुआ है, जिसका मुख्य कारण ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का सीमित प्रभाव रहा है। इन कार्यक्रमों का लाभ दूर-दराज के इलाको तक नहीं पहुँच पाया है। इसलिए योजना के प्रारूप में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि ''विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लाभ से महिलाओं को वंचित नहीं रखा जाए और सामान्य विकास कार्यक्रमों के साथ-साथ महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम भी चलाए जाएं। सामान्य विकास कार्यक्रमों में आर्थिक जैंडर संवेदनशीलता परिलक्षित की जानी चाहिए।'' परन्तु सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों एवं परम्पराओं के कारण ग्रामीण महिलाओं

के योगदान को न तो महत्व दिया गया ओर न ही अवसर प्रदान किये गये। पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों ने महिलाओं को अपना अनुगामी बनाये रखा तथा उन्हें अनेक प्रकार के रुढ़िगत सामाजिक और आर्थिक बन्धनों में जकड़े रखने में अपना महत्व प्रतिपादित किया। इस कारण सम्पूर्ण देश तथा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सामाजिक परिस्थितियां अत्यन्त शोचनीय रही है।

विश्व इतिहास इस बात का साक्षी है कि महिला पुरुष की तुलना में अपने अधिकारों के संदर्भ में सदैव उपेक्षित रही है, इसीलिए प्रत्येक समाज में महिलाओं के साथ शोषण, अन्याय और अत्याचार होता रहा है। इस शोषण के पीछे उनमें व्याप्त अशिक्षा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जागरूकता की कमी, पुरुष प्रधान मानसिकता, रुढ़िवादिता तथा आर्थिक आधार पर पुरुषों पर निर्भर रहना आदि कारण उत्तरदायी रहे हैं। विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक विद्वानों ने अपने देश एवं समाज की परिस्थितियों के अनुरूप महिलाओं की स्थिति के सम्बन्ध में अनेक विचार प्रस्तुत किये तथा सुधार सम्बन्धी कार्यक्रमों में भी सक्रियता दिखाई परन्तु एक ओर जहाँ महिलाओं की स्वाधीनता के सम्बन्ध में विचार दिये वहीं दूसरी ओर उनकी पराधीनता की भी बात की।

प्राचीन यूनानी दार्शनिकों में प्लेटों ने संरक्षक वर्ग के अन्तर्गत महिला-पुरुष समानता स्वीकार की थी परन्तु उसी जगह अरस्तु ने पुरुषों की तुलना में महिलाओं की हीनता पर बल देते हुए उन्हें दासों के समकक्ष रखा था। वहीं प्राचीन भारतीय गौरव-ग्रंथ 'मनुस्मृति' के अन्तर्गत एक ओर यह कहा गया कि 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' (जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता विराजमान होते हैं) तो दूसरी ओर यह भी कहा गया 'न नारी स्वतन्त्रयर्मतति' अर्थात् नारी स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है।

प्राचीन काल से मध्य युग तक महिलाओं के त्रिस्तरीय स्थिति के विरुद्ध किसी आन्दोलन का संकेत नहीं मिलता है। महिलावादी आन्दोलन के आरम्भिक संकेत अट्ठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी के यूरोपीय चिंतन में ढूंढे जा सकते हैं। उदारवादी परम्परा के

अन्तर्गत 'मेरी वॉल्स्टन क्राफ्ट' की कृति 'द राइट्स ऑफ वूमेन विंडोकेशन-1975' (महिला अधिकारों की प्रमाणिकता) में महिलाओं को कानूनी, राजनीतिक और शैक्षिक क्षेत्रों में समानता प्रदान करने की पैरवी की थी। वॉल्सटन क्राफ्ट ने मुख्य रूप से महिला-पुरुष के लिए पृथक-पृथक सद्गुणों की प्रचलित धारणाओं को चुनौती देते हुए सामाजिक जीवन में महिलाओं-पुरुषों की एक जैसी स्थिति और भूमिका की मांग की। इसके बाद जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी महत्वपूर्ण कृति 'सब्जेक्शन ऑफ वूमेन-1869' के अन्तर्गत यह तर्क दिया कि महिलाओं-पुरुषों का सम्बन्ध मित्रता पर आधारित होना चाहिए, प्रभुत्व पर नहीं। उन्होंने विशेष रूप से विवाह, कानून के सुधार और महिला-मताधिकार पर बल देते हुए सुयोग्य एवं प्रतिभाशाली महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने की बात की है। फिर उन्नीसवीं शताब्दी में मार्क्सवाद के प्रवर्तकों ने महिलाओं और पुरुषों के परस्पर सम्बन्धों में गहरी रुचि प्रकट की। उन्होंने लिखा कि परिवार संस्था श्रम-विभाजन का सामान्य स्रोत है जिसमें महिला-पुरुष का सम्बन्ध प्रभुत्व एवं निजी सम्पत्ति की धारणाओं को मूर्त रूप प्रदान करता है। मार्क्सवादियों ने तर्क दिया कि जब पूंजीवादी प्रणाली का अंत हो जायेगा तब निजी गृह-कार्य सार्वजनिक उद्योग को सौंप दिया जायेगा और तभी महिलायें सार्वजनिक जीवन में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकेंगीं।

1970 से शुरु होने वाले दशक में यूरोप और अमेरिका की अनेक जागरूक महिलाओं ने अनुभव किया कि महिलाओं में मताधिकार आन्दोलनों और उनकी स्थिति के प्रति उदारवादी एवं समाजवादी दोनों विचार पम्पराओं में इतनी सजगता के बावजूद स्थिति पश्चिमी संस्कृति के भीतर महिलाओं की पराधीनता का अंत करने की दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हो पायी तभी महिला-अधिकारों के लिए एक नये आन्दोलन का सूत्रपात हुआ। यूरोपीय समाज में इस आन्दोलन का प्रत्यक्ष प्रभाव तीव्र रूप से हुआ और महिलायें अपनी स्वायत्ता एवं स्वतन्त्रता हेतु सजग हुई। पश्चिमी नारी मुक्ति आन्दोलन में फ्रांस की सिमोन द व्यूवा की पुस्तक 'द सेकण्ड सेक्स' तथा 1963 में प्रकाशित वेट्टी फ्राइडेन की पुस्तक 'द फेमिनिन मिस्टिक' का विशेष योगदान है। इन पुस्तकों के अध्ययन के परिणामस्वरूप

वहां की स्त्रियों ने पहली बार अपने अस्तित्व के बारे में गम्भीरतापूर्वक सोचना शुरु किया। विदेशों में जो महिला आन्दोलन चल रहा है उसके पीछे कुछ पुख्ता कारण है वहाँ आधुनिकता, तार्किकता, प्रजातंत्र, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं तकनीकी शिक्षा का प्रभाव है। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं ने अपने अधिकारों की मांग की है। सन् 1960 के दशक में यूरोप में क्रान्तिकारी नारीवाद का जन्म हुआ। यह नया नारीवाद केवल कानूनी समानता नहीं चाहता और न यह वर्ग के मुद्दे को उठाता है। उसका यह कहना है कि महिलाओं का दमन जैविकीय आधार पर किया जाता है। महिलाओं की जननेन्द्रियां पुरुषों से भिन्न है और यही उनकी कमजोरी है। इससे वे मुक्ति चाहती हैं उनके ऊपर प्रजनन और मातृत्व का बोझ होता है और इसी कारण पुरुष उनका शोषण करते हैं। विदेशों में उत्तर आधुनिकता ने नारीवाद को एक नई हवा दी है।

भारतीय आधुनिक महिला आन्दोलन को पश्चिम के महिला आन्दोलन से पृथक करके नहीं देखा जा सकता। भारत तथा अन्य देशों में पुरुष प्रधान समाज ने स्त्रियों को एक वस्तु मानकर उनके साथ व्यवहार किया। भारतीय महिलाओं की स्थिति काफी सोंचनीय थी। यहाँ 17वीं शताब्दी से महिला जागरण आन्दोलन की बयार चलना प्रारम्भ हुई और उसे गति देने में उच्च्य वर्ग, मध्यम वर्ग और शहर की पढ़ी-लिखी महिलाओं का विशेष योगदान रहा है। भारत में नारी मुक्ति आन्दोलन का प्रारम्भ नवजागरण काल में ही हो गया था जिसके उन्नायक राजाराममोहनराय तथा अन्य सुधारक थे। इनके अलावा गांधी जी ने सन् 1921 के बाद चलने वाले असहयोग आन्दोलन में महिलाओं की भागीदारी को पक्का किया और स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद कुछ महिलायें राष्ट्रीय जीवन की प्रत्येक धारा में कानूनन रूप से पुरुषों के बराबर हो गयी।

भारत में वेदकालीन समाज से लेकर 18वीं सदी के अंत तक स्त्रियों के प्रति काफी परिवर्तन हुआ। स्त्रियों को अलग व्यक्त्त्व के रूप में देखा जाने लगा। नारी के कार्यो में भले ही मतभेद हों किन्तु समाज में स्त्री उच्च्य स्थान की अधिकारिणी है। ऐसी विचारधारा

19वीं सदी के परिवर्तनों को विशेषता है। भारत में सदियों से होते आ रहे शोषण और अत्याचार के खिलाफ समाज सुधारकों ने प्रथम प्रहार समाज की दोहरी नीति पर किया। तत्पश्चात स्त्रियों के उत्थान के लिए अनेक संस्थाओं की स्थापना की गयी। कितनी संस्थाओं का ध्येय मात्र स्त्री विकास न होकर समस्त जनकल्याण था। किन्तु नारियों की समस्याओं को प्राथमिकता एवं प्रधानता दी गयी। 1960 और 70 के दशक में हमारे यहाँ नारी आन्दोलन ने एक नया स्वरूप धारण किया। कुछ नये मंच हमारे सामने आये। 'अखिल भारतीय महिला परिषद' की स्थापना ने नारी मुक्ति आन्दोलन को एक कारगर मोड़ दिया। इस मंच की नींव एक अंग्रेज महिला 'मारग्रेट ई० कंजिन्स' ने 1926 ई० में डाली थी। नारी-मुक्ति आन्दोलन की अन्य पुरानी नेत्रियों में सिस्टर निवेदिता, बेगम भोपाल, लेडी अब्दुल कादिर, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पण्डित, कमला देवी चट्टोपाध्याय, राजकुमारी अमृत कौर, महारानी सेतु पार्वती बाई आदि के नाम उल्लेखनीय है। आजादी के पूर्व के नारी-आन्दोलन का कमजोर पक्ष था कि वह समाज में महिलाओं की बेहतर स्थिति की प्राप्ति के लिए चलने वाला एक सुधारवादी आन्दोलन था तथा उसका नेतृत्व गिनी-चुनी, पढ़ी-लिखी राजघरानों या सुविधा सम्पन्न घरों की महिलाओं के हॉथ में था। आम नारी उनसे प्रायः अछूती रही।

भारत में आजादी के बाद शिक्षा का तेजी से प्रचार हुआ और देश में महिलाओं का एक ऐसा वर्ग उभरा जिसने अपने अधिकारों की मांग की सामाजिक सुधार के लिए जीवोत्सर्ग करने वाले प्रतिभाशाली समाज सुधारकों के कार्य के कारण अंग्रेजी शासन के सम्पर्क से आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति में बुनियादी परिवर्तन तथा राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा स्वाभिमान पैदा होने के कारण, भारतीय नारी बीसवीं सदी में अपने अधिकारों के प्रति सजग हो उठी और समाज में अपना स्थान ऊँचा उठाने के लिए विविध सामाजिक संगठनों की स्थापना की। स्त्री वर्ग में जैसे-जैसे शिक्षा का प्रभाव बढ़ता गया और बाह्य गतिविधियों में उनकी रुचि बढ़ने लगी वैसे-वैसे स्त्रियों में आर्थिक-सामाजिक तथा कानूनी बंधन काटने की इच्छा तीब्र होती चली गई। पिछले चालीस-पचास वर्षो में स्त्री संगठनों का काफी

विस्तार होता जा रहा है। भारत के विभिन्न भागों में अलग-अलग नारी संगठन तो प्रायः बीसवीं सदी के शुरु में अस्तित्व में आ गये थे। अखिल भारतीय स्तर पर कार्य करने वाले दो उल्लेखनीय संगठन 'वूमेन्स इण्डियन एशोसिएशन' जिसका मुख्य कार्यालय मद्रास (चेन्नई) में था तथा 'नेशनल काउंसिल ऑफ विमेन' महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। भारत के सभी नारी संगठनों का विश्लेषण तो प्रायः असंभव है पर कुछ प्रमुख संगठनों की चर्चा करना आवश्यक प्रतीत होता है। देश भर में 60 और 70 के दशक में हमारे यहाँ नारी आन्दोलन ने एक नया स्वरूप धारण किया। कुछ नये मंच हमारे सामने आये इनमें मानुषी, सहेली, अंकुर, संकल्प, सबला महिला संघ, दहेज विरोधी महिला समिति, नारी अत्याचार विरोधी मंच, स्त्री मुक्ति संगठन, सेवा, नारी समता मंच, विमोचन, बुन्देलखण्ड में बनांगना एवं चिनगारी महिला संगठन एवं गुलाबी गैंग आदि सम्मिलित हैं इन संगठनों का विरोध महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, बलात्कार, शोषण, हिंसा, दहेज हत्या, परिवार में मारपीट, कामकाजी महिलाओं की समस्याओं, वेश्यावृत्ति, निम्न जाति की महिलाओं का शोषण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं से है।

स्वाधीनता आन्दोलन से उत्साहित और समाज सुधारकों के समर्पित प्रयासों द्वारा विगत सौ वर्षो ने पिछली कई शताब्दियों से महिलाओं के विरुद्ध की गई गलतियों के सुधार हेतु प्रयत्नशील पुनरुत्थानशील भारत को देखा है। स्वतन्त्रता आन्दोलन में अनेक उच्च्य मेधावी महिलाओं के साथ-साथ सामान्य महिलाओं ने भी भाग लिया और आन्दोलन की अगली कतार में रहीं। भारतीय इतिहास के इस दौर के अनुभवों से पश्चिमी शिक्षा और उदार आदर्शो की बढ़ती जानकारी महिलाओं के भेदभाव के सभी रूपों को समाप्त करने की जरूरत पर अन्तर्राष्ट्रीय ध्यान से देश के भीतर सामाजिक चेतना में वृद्धि हुई।

इतिहास के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि 19वीं शताब्दी के अंत तक महिला अधिकार सभी देशों में किसी न किसी रूप से बाधित होते रहे हैं। उसके बाद नव-जागरण काल से धीरे-धीरे अधिकारों की पुनः प्राप्ति के लिए प्रयत्न आरम्भ हुए। सभी देशों में

स्थिति में सुधार के लिए दो मुख्य कारण रहे। एक महिलाओं में सामाजिक अन्याय के प्रति विरोध और मानवीय आधार पर बराबरी के अधिकारों के प्रति उनकी जागृति-चेतना। दूसरा विभिन्न सरकारों व समाज सुधारकों का ध्यान भी इस समस्या की ओर आकर्षित होना है।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना से स्पष्ट है कि इतिहास के किसी भी काल में महिलाओं की स्थिति कभी भी एक जैसी नहीं दिखी। पुरुष प्रधान समाज में नारी का शोषण आरम्भ काल से ही होता आया है। पौराणिक कथाओं, राजा-रानियों की कहानियों में भी हम पढ़ते-सुनते आये हैं और आज भी महिलाओं का शोषण अनेक क्षेत्रों में जारी है। यद्यपि हमारे देश के संविधान में पुरुषों एवं महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त है। किन्तु समाज में व्याप्त रीति-रिवाजों, धार्मिक संस्कारों एवं रुढ़िवादी परम्पराओं से ग्रस्त समाज में महिलायें अपमान, कष्ट तथा शोषण सहन करने को मजबूर है। घर की चारदीवारी हो अथवा काम करने के विभिन्न क्षेत्र महिलायें आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक शोषण की शिकार होती आयी है। आये दिन महिला शोषण की घटनायें अखबारों एवं टी०वी० समाचारों के शीर्षक बनती है। ये वो घटनायें हैं जो प्रकाश में आती है। इनका प्रतिशत बहुत कम होता है, इससे ज्यादा संख्या में शोषण की घटनायें ऐसे क्षेत्रों की होती है जहाँ मीडिया पहुँच नहीं पाती एवं वहाँ की घटनायें प्रकाश में आ ही नहीं पाती।

नारी शोषण या नारी समस्या मूलतः पुरुष प्रधान समाज और समाज की दोहरी मानसिकता से जनित है। पुरुष समाज में सदैव से एक बुर्जुवा की तरह शोषक और महिलाएं सदैव से ही सर्वहारा की तरह शोषित रही है। समाज की दोहरी मानसिकता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई देती है। परिवार में जब एक बालक माँ से बाहर खेलने जाने की अनुमति मांगता है तो माँ सहर्ष अनुमति प्रदान कर देती है। लेकिन जब एक बालिका ऐसा करती है तब माँ उसे खेलने के बजाय घर-गृहस्थी के काम में अपने आप को व्यस्त रखने की सलाह देती हैं इसी प्रकार जब समाज बालकों को इंजीनियरिंग अथवा चिकित्सा शास्त्र पढ़ने के लिए प्रेरित करता है और बालिकाओं को गृह विज्ञान अथवा सिलाई-कढ़ाई

जैसे विषय पढ़ाने के लिए जोर देता है तब पुरुष समाज की दोहरी मानिसकता ज्यादा मुखर हो जाती है।

किसी भी सभ्य समाज की स्थिति उस समाज में महिलाओं की दशा देखकर ज्ञात की जा सकती है। महिलाओं की स्थिति ही वह सपना है जो समाज की दशा और दिशा को स्पष्ट कर देता है। महिलाएं ही संतति की परम्परा के निर्वाह में मुख्य भूमिका रही है। फिर भी प्राचीन समय से लेकर आज आधुनिक कहे जाने वाले समाज तक में महिलायें उपेक्षित ही रही है। सन् 2001 जनगणना का वर्ष रहा। भारत की कुल जनसंख्या मार्च 2001 को 1,02,70,15,247 हो गई, इसमें 53,12,77,078 पुरुष तथा 49,57,38,169 महिलाएं है। जो कुल आबादी का 48.27% है। देश के इतने बडे भाग का जीवन यदि शोषित, उपेक्षित और दोयम दर्जे का हो तो स्पष्ट है कि ऐसे समाज के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार, शोषण और बलात्कार के आंकड़ों में पिछले 25-30 वर्षो में चार सौ फीसदी से ज्यादा बढ़ोत्तरी हुई है। 1974 के 2,692 मामलों की तुलना में 1997 में कुल 14,215 मामले बलात्कार के दर्ज हुए। वास्तविकता कहीं ज्यादा भयावह है क्योंकि सामाजिक मर्यादा, छींटाकशी और तानों के चलते कितनी पीड़िताएं न्याय का दरवाजा खटखटाती है? यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है। एक अनुमान के अनुसार 76 प्रतिशत भारतीय लड़कियां किसी न किसी प्रकार से शारीरिक शोषण का शिकार होती है। न्याय की शरण लेने वाली स्त्रियां भी न्याय के नाम पर अपमान ही भोगती है। सन् 1996 में किए गये एक व्यक्तिगत अध्ययन के अनुसार बलात्कार, छेड़छाड़ के जुर्म में गिरफ्तार कुल 1,95,436 व्यक्तियों में से मात्र 32,362 को ही कानूनन दोषी पाया गया। शेष 1,13,074 आरोपी सबूतों के अभाव और संदेह का लाभ लेकर बेदाग बरी हो गए।

निश्चित रूप से जहां स्त्री सदियों से शोषित होती रही हो, उसका अपना कोई स्वतन्त्र अस्तित्व न रहा हो, माँ बेटी, पत्नी हर रूप में अभावों को सहते हुए पुरुष की

सेवा ही जिसके लिए अभीष्ठ हो और पारिवारिक व सामाजिक क्षेत्र में उसकी निर्णायक भूमिका न रही हो। ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम आवश्यकता है कि स्त्री को सशक्त करने की उसे आत्म निर्भर बनाने की। जिससे उसमें नेतृत्व की क्षमता विकसित हो सके और समाज के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके।

महिलाओं के विकास के आधारभूत मानदंडों में अब सरकारी दृष्टिकोणों में भी काफी बदलाव आया है। जहाँ स्वतन्त्रता प्राप्ति से वह कल्याण और विकास के सवालों में उलझी थी। आज वहीं महिलाओं के सशक्तीकरण के प्रयासों को तेजी देने के लिए तैयार है। आठवीं पंचवर्षीय योजना विकास प्रक्रिया में समान साझेदार एवं प्रतिभागी के रूप में महिलाओं पर विशेष बल देते हुए महिला सशक्तीकरण की दिशा में और आगे बढ़ी है।

महिला सशक्तीकरण का नाम आते ही मानस पटल पर उभरा प्रश्नवाचक चिन्ह मस्तिष्क से यह प्रश्न करने लगता है कि यह 'महिला सशक्तीकरण' है क्या? महिला सशक्तीकरण की समग्र अवधारणा क्या है, क्यों महिलाओं को आज सशक्त बनाने की जरूरत है, महिला सशक्तीकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया क्या है, किन सामाजिक कारकों ने महिलाओं को अशक्त बना रखा है आदि बिन्दुओं पर विश्लेषण करना महत्वपूर्ण हो जाता है। अतः सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि सशक्तीकरण क्या है?

सशक्तीकरण का अर्थ -

सशक्तीकरण का अर्थ किसी कार्य को करने या रोकने की क्षमता से है। सशक्तीकरण का अभिप्राय सत्ता प्रतिष्ठानों में महिलाओं की साझेदारी से भी है। क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता सशक्तीकरण का एक बड़ा मानक है।

महिला सशक्तीकरण की पहल संयुक्त राष्ट्रसंघ ने वर्ष 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष और 1975-85 के दशक को महिला दशक के रूप में घोषित करके की। महिला सशक्तीकरण की शुरुआत 1985 में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 'नैरोबी' में की गयी और भारत

में वर्ष 2001 महिला सशक्तीकरण वर्ष के रूप में मनाया गया। संयुक्त राष्ट्रसंघ की पहल के चलते 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में सर्वत्र मनाया जाता है।

महिला सशक्तीकरण -

महिला सशक्तीकरण का आशय नारी के अपने अधिकार, सम्मान एवं योग्यता में संवर्धन की ओर अग्रसर करना है। महिला सशक्तीकरण का अर्थ है महिलाओं को शक्ति सम्पन्न बनाना। महिला सशक्तीकरण से तात्पर्य महिलाओं को पुरुषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्ता से है।

महिला सशक्तीकरण की आवश्यकता -

संतान को जन्म देने व उसका लालन-पोषण करने, अपने अस्तित्व की रक्षा करने जैसे कुछ कारणों ने उसे पुरुषों पर निर्भर बना दिया। परिणामस्वरूप साधनों पर पुरुषों का अधिकार हो गया और महिला पिछड़ गई। घर-बाहर के ज्यादातर मामलों में निर्णय पुरुषों द्वारा लिये जाते हैं और प्रायः दोहरे मापदण्ड अपनाये जाते हैं। उनकी शक्ति पर संदेह करके उन्हें ऐसे अवसरों से वंचित किया जाता है। जिसमें कि वे अपनी क्षमता का पूर्ण प्रदर्शन कर सकती है। आंकड़े भी पुरुषों की तुलना में उन्हें पीछे बताते हैं। इसलिए संतुलन को बनाए रखने के लिए महिला 'सशक्तीकरण'' आवश्यक हो गया है। महिलाओं में व्याप्त अशिक्षा, अधिकारों के प्रति उदासीनता, आर्थिक, निर्भरता, तकनीकी अज्ञानता, स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता, सामाजिक कुरीतियों एवं पुरुषों का महिलाओं पर प्रभुत्व आदि समस्याओं को दूर करना आवश्यक है। महिला सशक्तीकरण द्वारा समाज में नारी की अस्मिता के विकास में आने वाले अवरोधों के खिलाफ एक सामाजिक चेतना को जागृत करना है।

महिला सशक्तीकरण का उद्देश्य -

महिला सशक्तीकरण का उद्देश्य है महिलाओं को सामाजिक सुविधाओं की उपलब्धता कराना, राजनैतिक और आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी सुनिश्चित कराना, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के तहत सुरक्षा एवं प्रजनन अधिकारों आदि को इसमें सम्मिलित किया जाता है। महिला सशक्तीकरण की राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य महिलाओं की प्रगति, विकास एवं आत्मशक्ति को सुनिश्चित करना है। महिलाओं द्वारा स्वयं के शरीर पर प्रजनन के क्षेत्र पर, सामुदायिक संसाधनों पर नियंत्रण कर पाना ही उनका सबलीकरण है, और यही सशक्तीकरण का उद्देश्य है। भारत में महिला सशक्तीकरण का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक दशा को सुधारना है।

महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया -

महिलाओं का सामाजिक, राजनैतिक और सार्वजनिक जीवन में प्रतिनिधित्व, दक्षता में अभिवृद्धि, सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति को हासिल करके उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है। महिलाओं का सशक्तीकरण उन्हें नये क्षितिज दिखाने का प्रयास हैं जिसमें वे नई क्षमताओं को प्राप्त कर स्वयं को नये तरीके से देखेंगी, घरेलू शक्ति संबंधों का बेहतर समायोजन करेंगी और घर एवं पर्यावरण में स्वायत्तता की अनुभूति करेंगी। लैंगिग असमानता, दहेज, सामाजिक मान्यता, समुचित शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कुछ पहलुओं की दिशा में प्रयास करके ही महिला सशक्तीकरण किया जा सकता है। सशक्तीकरण की गतिविधियों के द्वारा नारी समाज के नव जागरण और कल्याण की ठोस शुरुआत की जानी है। महिला सशक्तीकरण आधुनिक जीवन में सामाजिक न्याय की जड़ों को मजबूत करता है। समाज के रवैये में बुनियादी परिवर्तन लाकर महिलाओं के विवेक, सामर्थ्य एवं योग्यताओं को मिलने वाली चुनौतियों के बीच उन्हें प्रोत्साहित करना है। अपनी क्षमताओं को पहचानकर और उन्हें काम में लाकर व्यवहार में परिणित करना जिससे वे समाज के उत्थान में योगदान कर सकती है। महिलाओं का सशक्तीकरण एक लगातार चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है, इसका

मूल उद्देश्य यह है कि हाशिये के लोगों को मुख्यधारा में लाया जा सके और सत्ता-संरचना में भागीदार बनाया जा सके।

महिला सशक्तीकरण की बाधाये -

महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में मुख्य बाधायें हैं - महिलाओं में व्याप्त अशिक्षा, अधिकारों के प्रति उदासीनता, आर्थिक, निर्भरता, तकनीकी अज्ञानता, स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता, सामाजिक कुरीतियां एवं विचार तथा पुरुषों का महिलाओं पर प्रभुत्व, ये कुछ ऐसे क्षेत्र है जो महिला सबलीकरण में अवरोधक का कार्य करते हैं। परन्तु महिला सशक्तीकरण के लिए विविध आयामों में शिक्षा वह आयाम है जो महिला सशक्तीकरण के सभी रास्ते खोलती है।

महिला सशक्तीकरण के लिए शिक्षा की आवश्यकता -

शिक्षा सामाजिक सशक्तीकरण के लिए पहला और मूलभूत साधन है। अब यह माना जाने लगा है कि शिक्षा ही वह उपकरण है जिससे महिला समाज में अपनी सशक्त, समान व उपयोगी भूमिका दर्ज करा सकती है। महिलाएं परिवार, समाज एवं सुदृढ़ राष्ट्र की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महिला मानव परिवार, सभ्यता एवं संस्कृति का आधारस्तंभ है। महिलाओं की स्थिति से व्यक्तिगत परिवार, समाज एवं राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। एक पुरानी कहावत है कि जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है और जब महिला शिक्षित होती है तो एक पूरा परिवार शिक्षित होता है। पं० जवाहर लाल नेहरू ने इस तथ्य का समर्थन करते हुए कहा था कि एक लड़के की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा है और एक लड़की की शिक्षा पूरे परिवार की शिक्षा है। एक शिक्षित लड़की एक ही नहीं वरन दो परिवारों, दो कुलों को शिक्षित एवं संस्कारित करती है।

महिला शिक्षा के प्राचीन इतिहास पर दृष्टि डाले तो पायेंगे कि वैदिक काल में नारी को शिक्षा देने का प्रावधान था। वे वेदपाठी होती थी, यज्ञ, कर्मकाण्ड में भाग लेती थीं। वैदिक काल में नारी को शिक्षा पाने का अधिकार था वे काव्य रचना भी करती थीं। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में कुल 2006 मंत्र है और इनमें से तीन मन्त्र नारियों द्वारा कहे गये हैं- लोपामुद्रा द्वारा दो और रोमशा द्वारा एक।[1] महर्षि याज्ञवलक्य जैसे ब्रह्मनिष्ठ से शास्त्रार्थ में प्रवृत्त होकर गार्गी जैसी भारतीय विदुषी ने समस्त नारी जाति को गौरवान्वित किया था। इसी प्रकार याज्ञवलक्य की विदुषी पत्नी मैत्रेयि का आख्यान भी वृहदारण्योपनिषद् (2/4) में वर्णित हुआ है।[2]

मुगलों के आक्रमण के बाद महिलाओं को शिक्षा देना बंद सा कर दिया गया, पर्दा-प्रथा, बाल विवाह आदि सामाजिक कुरीतयों को महिला के सतीत्व (गरिमा) की रक्षा के लिए अपनाना पड़ा। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात महिला शिक्षा की प्रगति में काफी सुधार हुआ। एनीबेसेंट, स्वामी विवेकानंद, राजाराममोहनराय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, महात्मा गाँधी, पं० जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, इंदिरा गाँधी, ईश्वरचंद विद्यासागर आदि व्यक्तियों ने स्त्री-शिक्षा को आगे बढ़ाने में अपना अमूल्य योगदान दिया।

महिलाओं में चेतना जागृत करने के लिए उन्हें शिक्षित करना अति आवश्यक है। विभिन्न संस्कृतियों, लोकाचारों, धर्मो, अर्थव्यवस्थाओं, पर्यावरणों, प्रशासन तंत्रों, परम्पराओं एवं बच्चों के लानन-पालन में महिलाओं की उचित भागीदारी आवश्यक है।

महिला साक्षरता की स्थिति -

देश में स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय साक्षरता की दर मात्र 18.3 प्रतिशत थी यदि इससे पहले की स्थिति पर गौर करें तो पता चलता है कि वर्ष-1901 में देश में साक्षरता की दर मात्र 4.40 प्रतिशत थी। वर्ष-1911 में यह दर 5.30 प्रतिशत, 1921 में 7.60

---

1. डॉ० अमरनाथ - नारी का मुक्ति संघर्ष, पृ०सं० 50।
2. शर्मा, ऋषभ देव- स्त्री सशक्तीकरण के विविध आयाम, पृ० 79।

प्रतिशत, 1931 में 9.40 प्रतिशत तथा 1941 में यह 16.50 प्रतिशत रही। इसके बाद 1961 में यह बढ़कर 28.31 प्रतिशत 1971 में 34.54 प्रतिशत, 1981 में 43.56 प्रतिशत तथा वर्ष 1991 में यह 52.21 प्रतिशत के स्तर पर पहुँच सकी। वर्ष-2001 में यह बढ़कर 65.38 प्रतिशत हो गई है, पिछली जनगणना के मुकाबले इसमें 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

देश में आज 75.85 प्रतिशत पुरुष तथा 54.16 प्रतिशत महिलाएं साक्षर है। वर्ष-2001 की जनगणना के आंकड़े बताते है। कि पिछले दशक में ग्रामीण साक्षरता में उल्लेखीय वृद्धि हुई है साथ ही इस अवधि में महिला साक्षरता ने भी अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है। विगत दशकों में साक्षरता के आंकड़ो से पता चलता है कि वर्ष 1951 में 8.86 प्रतिशत महिलाएं ही साक्षर थी। 2001 में साक्षरता दर 54.16 प्रतिशत तक पहुंच गयी। लेकिन पुरुषों की तुलना में यह अभी भी 21.69 प्रतिशत कम है। खुशी का इजहार करने वाली बात यह है कि साक्षरता में लैंगिक अंतर 1981 से निरन्तर कम हो रहा है। 1981 में पुरुष तथा स्त्रियों की साक्षरता दर के मध्य 26.62 प्रतिशत का अंतर था जो 4.93 प्रतिशत कम होकर 2001 में 21.69 प्रतिशत ही रह गया। महिला साक्षरता दर और लैंगिक अंतर को तालिका-1 में दिखाया गया है।

तालिका-1

भारत में महिला साक्षरता दर की स्थिति और लैंगिक अंतर

(वर्ष 1951-2001)

वर्ष	व्यक्ति	पुरूष	महिला	साक्षरता दर में पुरूष-स्त्री अंतर कालम-3, कालम-4
1951	18.33	27.16	8.86	18.30
1961	28.30	40.40	15.35	25.05
1971	34.45	45.96	21.97	23.99
1981	43.57	56.38	29.96	26.62
1991	52.21	54.13	39.29	24.84
2001	65.38	75.85	54.16	21.69

स्रोत : भारत की जनगणना 2001

उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर-

यदि हम उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर के आँकड़े देखे तो वहाँ भी महिला साक्षरता की विकास दर पुरूषों की तुलना में तो अधिक परन्तु इसके साथ ही लैंगिक विषमता भी अधिक है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर को तालिका-2 में दिखाया गया है।

साक्षरता दर 1951-2001

उत्तर प्रदेश

वर्ष	व्यक्ति	स्त्री	पुरूष
1951	12.02	4.07	19.71
1961	20.87	8.36	32.08
1971	23.99	11.23	35.01
1981	32.65	16.74	46.65
1991	40.71	24.37	54.82
2001	57.36	42.98	70.23

स्रोतः भारत की जनगणना 2001

पिछले दस सालों में प्रदेश की महिला साक्षरता दर में 18.61 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई जो पुरूषों के 15.41 प्रतिशत अंक वृद्धि से अधिक है। परन्तु जब हम लैंगिक विषमता (जेंडर गैप) देखते हैं तो वह 2001 में 28.25 प्रतिशत अंक है।

विश्लेषणों से स्पष्ट होता है कि महिला शिक्षा की विकास दर पुरूषों की तुलना में अधिक है। इसका प्रमुख कारण यह भी है कि स्वतन्त्रता के समय महिला शिक्षा नाम मात्र ही थी। जहाँ 1901 में एक प्रतिशत से भी कम (0.6%) महिलाएं साक्षर थीं वहाँ 2005

में आधी से अधिक (54%) महिलाएं साक्षर है। जनगणना 2001 के अनुसार 7 वर्ष व उससे अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या की साक्षरता दर 65.38% है। पुरूषों की साक्षरता दर 54.16%। महिला साक्षरता दर में 14.87 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है तथा पुरूषों की साक्षरता दर में 11.87 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि महिला साक्षरता की विकास दर पुरूषों की तुलना में अधिक है।

महिलायें जनसंख्या का आधा भाग हैं इसलिये महिलाओं का विकास अत्यन्त आवश्यक है। हमारे देश की जनसंख्या का महत्वपूर्ण भाग होने के कारण देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं। अतः ग्रामीण महिलाओं का शिक्षित होना अनिवार्य है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में महिलाओं के उत्थान के लिये शिक्षा एवं रोजगार से संबंधित समान अवसर, समान आजीविका, समान कार्य के लिये समान भुगतान के अधिकार दिये गये हैं। किसी भी राष्ट्र की प्रगति की अनिवार्य शर्त के रूप में प्राथमिक शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि कि यह आने वाली पीढ़ियों का निर्माण करती है। प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकारों से सम्मिलित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर केंद्र सरकार द्वारा 86वें संविधान संशोधन-2002 को पास कर दिया गया है।

1957 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया। 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। 1978 में 'प्रौढ़ शिक्षा' शुरू की गयी। 1979 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 'पड़ोसी विद्यालय योजना' की गुणवत्ता पर जोर दिया गया। 1987-88 में 'आपरेशन ब्लैक बोर्ड' द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया गया। संपूर्ण साक्षरता प्राप्ति हेतु मई 1988 में 'राष्ट्रीय साक्षरता मिशन' चलाया गया। प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 15 अगस्त 1995 को 'मिड डे मील' (मध्याह्न भोजन) योजना प्रारंभ की गयी। वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। 'लोक जुंबिश', 'महिला समाख्या', 'जनशाला' जैसे अनेक कार्यक्रम साक्षरता हेतु निरंतर प्रयासरत है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गत 59 वर्षो में हुए संख्यात्मक विकास पर दृष्टिपात करने पर विदित होता है कि 1950-51 में देश में जहाँ मात्र 27 विश्वविद्यालय थे उनकी संख्या आज बढ़कर 306 हो गई है। राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थानों को मिलाकर वर्तमान में इनकी संख्या कुल 385 है। इनमें से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन 18 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं तथा 186 राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय हैं। इनके अतिरिक्त 5 संस्थान राज्य विधायी कानून के अंतर्गत, 89 डीम्ड विश्वविद्यालय एवं 13 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान भी इसमें सम्मिलित है। आज देश भर में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत स्थापित 5 महिला विश्वविद्यालयों की संख्या 11 हो गई है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले कुल विद्यार्थियों में महिलाओं की संख्या वर्तमान में 38.1 लाख तक पहुंच गई है जो उच्च शिक्षा में नामांकन का कुल 40 प्रतिशत के करीब है। इससे स्पष्ट होता है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं तेजी से आकर्षित हो रही हैं जिसे देश के समंवित विकास में शुभ संकेतों का सूचक कहा जा सकता है।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विशेष रूप से देश में प्राथमिक, माध्यमिक, प्रौढ़ तथा उच्च शिक्षा के साथ-साथ तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में पर्याप्त रुपेण अभिवृध्दि हुई है। उक्त सम्पूर्ण विवरण से स्पष्टतया हम कंह सकते हैं कि मानव विकास के इतिहास में महिलाओं ने श्रम विभाजन एवं शिक्षा के द्वारा प्रत्येक पायदान पर पुरुषों का साथ देकर आगे कदम बढ़ाया है। सामाजिक-आर्थिक-ज्ञान-विज्ञान कला संस्कृति आदि सभी क्षेत्रों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं ने यह सिध्द कर दिखाया है कि वे किसी भी तरह पुरूषों से कम नहीं है। वे हर क्षेत्र में आगे आई है बात चाहे चांद पर जाने की हो अथवा समुद्री गोताखोरी की, घर में दायित्व निभाने की हो या सीमा पर सुरक्षा की। इंदिरा गांधी से लेकर तीजनबाई तक अरूधती राय, कल्पना चावला, शुभा मुद्रगल, पी०टी० ऊषा, बरखा दत्त, किरण बेदी, करणम मल्लेश्वरी, एवं देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जैसी लाखों महिलायें हैं जिनकी पहचान

उनकेपति या पिता से नहीं बल्कि उनसे उनके पिता या पति की पहचान है। गांव की मुखिया तथा सरपंच के पद से लेकर देश की बागडोर तक शिक्षित महिलाओं ने बखूबी संभाली है। आज शिक्षा के बल पर ही महिलाएं पुरुषों के साथ सरकारी तथा निजी क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। विकास के सभी वाद-विवाद नारी शिक्षा पर जाकर स्थिर हो जाते है क्योंकि जिस समाज में नारी शिक्षित हों वहाँ विकास की गंगा बहती है अतः नारी शिक्षा ही समाज के विकास का आधार है।

21वीं सदी की चुनौतियों को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र तथा तीन-चौथाई ग्रामीण आबादी को समेटे हुए भारत जैसे विकासशील देश के लिए अत्यन्त ही अपरिहार्य हो जाता है कि वह ग्रामीण क्षेत्र को केन्द्र में रखते हुए शिक्षा जैसे अति महत्वपूर्ण विषय पर व्यापक परिचर्चा करें।

महिला सशक्तिकरण के लिये किये गये सरकारी प्रयत्न-

सरकार ने महिलाओं को सही मायने में सशक्त बनाने की दृष्टि से महिलाओं के लिये विशिष्ट कानून बनाये हैं, जिनका उद्देश्य तमाम बातों के साथ-साथ सामाजिक भेद-भाव से उन्हें संरक्षण प्रदान करना और समान अवसर प्रदान कराना है। कुछ महिला विशिष्ट कानूनों में महिलाओं को न्याय दिलाने के लिये वर्तमान कानूनों में समीक्षा आधारित संशोधन किये जा रहे है। इसमें सतीप्रथा (निवारण) अधिनियम 1987, स्त्री अशिष्टरूपण (निषेध) अधिनियम, 1986 दहजे निषेध अधिनियम, 1961 अनैतिक व्यापार निवारण, 1956 और नये कानूनों जैसे-घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, 2005 जिसे 14.09.005 को अधिसूचित किया गया है। यौन उत्पीड़न संरक्षण विधेयक, 2005 जैसे कानूनों का प्रारूप राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रतिक्रियाओं के आधर पुनः तैयार किया जा रहा है।

इसके अलावा पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान महिला विकास के क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार आदि की पहचान की गई। महिलाओं के विकास के लिये महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों के समुचित संचालन हेतु वर्ष 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग

की स्थापना की गई। इसी अवधि के दौरान महिला समृद्धि योजना व इंदिरा महिला योजना लागू की गई। इस योजना दौरान महिला विकास हेतु कुछ ऐसे भी कदम उठाये गये जो महिला विकास के इतिहास में मील का पत्थर माने जा सकते है। यह ऐतिहासिक कार्य इस प्रकार थे :

1. महिलाओं हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन।

2. राष्ट्रीय महिलाकोष की स्थापना।

3. संविधान का तिहत्तरवां और चौहत्तरवां संशोधन जिसके द्वारा महिलाओं के लिये पंचायतों व नगर निकायों के चुनावों में सभी श्रेणियों में सभी स्तरों पर एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया।

इसके अतिरिक्त महिला सशक्तीकरण हेतु निम्नांकित पैमाने निर्धारित किये गए।

1. नेतृत्व विकास।

2. निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी।

   (परिवार से लेकर सामुदायिक स्तर तक)

3. मुखरता

4. गतिशीलता-(घर की चारदीवारी से बाहर निकल सकने की क्षमता के संदर्भ में)

5. संगठन

6. संसाधनों विशेषकर आर्थिक संधाधनों तक पहुँच।

7. सेवा प्रदाय संस्थानों (बैंक, डाकघर, अस्पताल) तक पहुंच व सेवा प्राप्ति।

8. प्रशिक्षण के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता विकास।

सरकार ने महिला सशक्तीकरण के अतिरिक्त महिला समाख्या, प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा, राष्ट्रीय महिला कोष जैसे कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया है। एक सशक्त महिला में जिन गुणों का समावेश होना चाहिये वे निम्न प्रकार हैं-

1. स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता।

2. अधिकारों के साथ कर्तव्यों के प्रति जागरूकता।

3. सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना।

4. कौशल विकास से क्षमता बढ़ाना।

5. आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता।

6. स्वरोजगार के लिये स्वयं सहायता समूह का गठन।

इक्कीसवीं शताब्दी के आगमन ने देश के नियोजित विकास को रेखांकित किया है। इस अवधि में महिला केन्द्रित योजनाये आई और महिलाओं के विकास संबंधी मुद्दों को अधिक गम्भीरतापूर्वक लिया गया। पिछले दो दशकों में विशेषकर नौंवी और दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान प्रयासों को तीव्र किया गया और राष्ट्र के विकास में महिला अधिकारिता को विशिष्ट लक्ष्य के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। बालिकाओं/महिलाओं की शिक्षा हेतु योजनाओं के अलावा स्वास्थ्य एवं पोषण योजनाएं, महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार योजनाएं, मजदूरी तथा स्वरोजगार सहायता योजनाएं, गरीब महिलाओं के समूह की आर्थिक गतिविधियों के लिये लघु ऋण जैसे निवेश कार्य प्रारंभ किए गए हैं। अधिकारिता के माध्यम से महिलाओं के विकास का ताजा उदाहरण हैं। महिलाओं को संगठित करने की यह प्रक्रिया असंगठित महिलाओं की सामाजिक लामबंदी को पूर्वापेक्षित तथा साथ ही आर्थिक एवं राजनैकि अधिकारिता का पूरक माना जाता है। महिला संगठनों की गतिविधियों तथा दबाव के द्वारा न केवल उन्हें आर्थिक और सामाजिक लाभ प्राप्त हुए हैं बल्कि बड़े पैमाने पर महिलाओं की अधिकारिता तथा लिंग समानता की दिशा में बढ़ने

तथा उनकी स्थिति बेहतर करने पर केन्द्रित राष्ट्रीय विधानों और नीतियों को आकार प्रदान किया है। परिणाम स्वरूप आज महिलाओं के संवैधानिक एवं अन्य अधिकारों के प्रति जागरूकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सामाजिक और आर्थिक विकास तथा राजनैतिक निर्णय लेने आदि कई क्षेत्रों में लिंग भेद कम हुआ है।

(खण्ड ख)

पंचायतीराज : लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण -

भारत प्रमुखता गांवों का देश है। इसकी अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती है। गांवों की प्रगति तथा विकास पर ही भारत का सामाजिक एवं आर्थिक विकास निर्भर है। प्राचीन काल से ही भारतीय ग्रामीण समुदाय की सामाजिक संरचना के तीन महत्वपूर्ण आधार-जाति प्रथा, संयुक्त परिवार और ग्रामीण पंचायत रहे हैं। स्वशासन की इकाई के रूप में ग्रामीण पंचायतों का यहाँ विशेष महत्व रहा है। महात्मा गांधी जी की मान्यता थी कि "सच्चे लोकतन्त्र को केन्द्र में बैठे व्यक्ति नहीं चला सकते इसे प्रत्येक गाँव के विचले स्तर के लोगों द्वारा ही चलाया जा सकता है।" गांधी जी कहते थे कि 'सच्चा लोकतंत्र वही है जो निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी पर आधारित हो।'

पंचायती राज व्यवस्था के मूल में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्र शासित संस्थाओं का निर्माण हो जिसे विकास से संबंधित विशिष्ट कार्य सौंपे जायें। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का अभिप्राय यह है कि लोकतंत्र के सिद्धान्तों के आधार पर विभिन्न संस्थाओं का निर्माण किया जाय और उनमें प्रशासनिक सत्ता का इस प्रकार से वितरण किया जाय कि जनता को उसकी अनुभूति हो सके। ग्रामीण समाज में परिवर्तन लाने के व्यापक लक्ष्य को ध्यान में रखकर पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से एक गतिशील नेतृत्व के विकास पर जोर दिया गया आशा यह की गई कि नवीन प्रकार का नेतृत्व ग्रामीण समाज में विकास कार्यो को गति प्रदान करने और उसे आधुनिकीकरण की दिशा में आगे बढ़ाने में सक्रिय योगदान कर सके। पंचायती राज के अन्तर्गत सत्ता को ग्रामीण स्तर, खण्ड स्तर और जिला स्तर पर विभिन्न जन प्रतिनिधियों को सौंपने और उन्हें ही विकास कार्यो का दायित्व संभालने की दृष्टि से ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों का गठन किया गया। पंचायती राज के अन्तर्गत इसी तीन स्तरीय व्यवस्था के माध्यम से सत्ता का निचले स्तरों पर हस्तातंरण किया गया। इसी को लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के नाम से पुकारा गया।

पंचायती राज : संगठन तथा कार्य प्रणाली (73 वें संशोधन के पश्चात)

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और विकास कार्यक्रमों में जनता का सहयोग प्राप्त करने के उद्‌देश्य से 'पंचायती राज' की शुरूआत की गई। 'पंचायती राज' व्यवस्था की तीन सीढ़िया रही है : ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खण्ड स्तर पर पंचायत समिति या क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद या जिला पंचायत।

पंचायती राज की उक्त योजना का उद्‌घाटन सर्वप्रथम 2 अक्टूबर, 1959 को प्रधानमंत्री श्री नेहरू द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में किया गया। इसके तुरन्त बाद इसके आन्ध्र प्रदेश में तथा क्रमशः अन्य राज्यों में अपनाया गया। 1963 तक भारतीय संघ के सभी राज्यों में 'पंचायत राज' की स्थापना हो गई। लगभग एक दशक तक पंचायत राज की यह व्यवस्था उचित रूप से चली, लेकिन इसके बाद स्थिति संतोषजनक नहीं रही।

जनता की भागीदारी पंचायत राज की समस्त व्यवस्था का मूल तत्व है और पंचायत राज को लोकतंत्र का मूल आधार तभी कहा जा सकता है, जबकि इन संस्थाओं का गठन तथा समस्त कार्य संचालन लोकतन्त्रीय आधार पर हो। भारतीय संघ के अधिकांश राज्यों, विशेषतया उत्तर भारत के राज्यों में, इस व्यवस्था में अनेक समस्याओं ने घर कर लिया। कुछ राज्यों में तो व्यवहार में एक दशक से भी अधिक समय तक पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव ही नहीं हुए।

ऐसी स्थिति में केन्द्रीय स्तर पर यह सोचा गया कि पंचायत राज की व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि पंचायत राज की व्यवस्था उचित रूप में कार्य कर सके और राज्य सरकारें इन संस्थानों के चुनाव नियमित रूप से करवाने के लिए बाध्य हो जाएं। इस प्रसंग में 1993 ई0 में पंचायत राज या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन के सम्बन्ध में 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग, 9 तथा एक नयी अनुसूची, ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई और 'पंचायत राज व्यवस्था' को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस संवैधानिक संशोधन के

आधार पर पंचायत राज के सम्बन्ध में प्रमुख रूप से निम्न व्यवस्थाएं की गई है :-

संरचना

गांव सभा : इस अधिनियम में प्राथमिक स्तर पर गांव सभा की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक गांव के सभी वयस्क नागरिकों से मिलकर बनने वाली सभा को गांव सभा का नाम दिया गया है। इस प्रकार यह ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की प्रत्यक्ष लोकतन्त्रीय संस्था है। यह गांव सभा गांव के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्यो को करेगी, जो राज्य विधानमण्डल विधि बनाकर निश्चित करें।

त्रिस्तरीय ढांचा : इस अधिनियम में गांव सभा के अतिरिक्त 'त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं' की व्यवस्था की गई है। पंचायत विकास खण्ड मध्यवर्ती स्तर पर खण्ड समिति, क्षेत्र समिति या पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद या जिला पंचायत, लेकिन जिन राज्यों या संघीय राज्य क्षेत्रों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, उन्हें स्वयं अपने सम्बन्ध में इस बात का निर्णय लेना होगा कि मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत राज संस्था रखी जाए या नहीं।

चुनाव की विधि : पंचायत स्तर पर सभी ग्राम पंचायतों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा और जिला परिषद् के स्तर पर अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। मध्यवर्ती स्तर की संस्था के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, यह बात सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जायेगी। ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए गए है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की जो संख्या होगी उनमें भी 30 प्रतिशत स्थान उन जातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित हों।

सदस्यों की योग्यताएं : पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के लिए निम्न योग्यताएं आवश्यक होंगी :

(i) नागरिक ने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो,

(ii) वह व्यक्ति प्रवृत्त विधि के अधीन राज्य विधानमण्डल के लिए निर्वाचित होने की योग्यता (आयु के अतिरिक्त अन्य योग्यताएं) रखता हो।

(iii) यदि वह सम्बन्धित राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्मित विधि के अधीन पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो।

कार्यकाल :

पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। इसके पूर्व भी उनका विघटन किया जा सकता है। यदि उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसा उपलब्ध हो। किसी पंचायत के गठन के लिए चुनाव (क) पांच वर्ष की अवधि के पूर्व और (ख) विघटन की तिथि से 6 माह की अवधि समाप्त होने के पूर्व करा लिया जाएगा।

पंचायत के निर्वाचन :

पंचायतों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और पंचायतों के सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। इस कार्य के लिए राज्य में एक 'राज्य निर्वाचन आयुक्त' की नियुक्ति की जा सकती है।

शक्तियां, प्राधिकार और दायित्व :

संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य का विधानमण्डल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकता है जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बना सकें। ग्यारहवीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख है, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। कुछ प्रमुख विषय : कृषि एवं कृषि विस्तार, भूमि सुधार, चकबन्दी, लघु सिंचाई, पशुपालन, पेयजल, ईंधन, चारा, प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालय परिवार कल्याण, स्त्री और बाल विकास आदि।

वित्त आयोग की नियुक्ति :

इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अब प्रत्येक पांच वर्ष बाद राज्य स्तर पर एक 'वित्त आयोग' का गठन होगा। यह वित्त आयोग राज्य सरकार और पंचायती राज संस्थाओं के बीच धन के बंटवारें के सम्बन्ध में सिफारिशें करेगा। आयोग यह भी तय करेगा कि राज्य के संचित कोष से पंचायतों को कितना धन दिया जाये।

प्रशिक्षण की व्यवस्था :

सभी राज्यों में पंचायतों के चुनावों के परिणामस्वरूप पंचायतों के सभी स्तरों पर चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या करीब 34 लाख है। इनमें से अधिकतर प्रतिनिधि प्रथम बार चुनकर गये हैं, विशेषकर अनुसूचित जातियों, जनजातियों, तथा महिलाओं (33 प्रतिशत) में से। चूंकि संविधान ने ग्राम पंचायतों पर आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को बनाने एवं क्रियान्वित करने का दायित्व डाला है, अतः चुने हुए प्रतिनिधियों को विशेष दक्षता प्राप्त करनी होगी, प्रशिक्षण लेना होगा। पंचायती राज व्यवस्था की सफलता प्रमुखतः इस पर निर्भर करती है कि दायित्वों के निर्वाह के लिए चुने हुए प्रतिनिधियों में कितनी क्षमताएं विकसित की जाती है। इसके लिए समयबद्ध एवं व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था की गयी है। विकास कार्य में लगे कर्मचारियों के लिए सर्टिफिकेट कोर्स करना भी आवश्यक कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था

1993 में भारतीय संविधान में जो 73वां संवैधानिक संशोधन किया गया, मूलभूत रूप में से दृष्टि में रखते हुए राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्य के लिए पंचायती राज की व्यवस्था करना है। उत्तर प्रदेश राज्य में यह व्यवस्था 'उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम 1994' के आधार पर की गई है। इस अधिनियम द्वारा पंचायत राज के सम्बन्ध में जो व्यवस्था की गई है, उसका एक संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :

ग्राम सभा की रचना :

ग्राम सभा पंचायत राज व्यवस्था की मूलभूत इकाई है। 'पंचायत विधि अधिनियम, 1994' के अनुसार एक पंचायत क्षेत्र के लिए एक ग्राम सभा होगी। राज्य सरकार यथासम्भव एक हजार की जनसंख्या पर एक 'पंचायत क्षेत्र' का गठन करेगी। यदि किसी ग्राम की जनसंख्या एक हजार से कम है, तब ग्रामों के एक समूह में सबसे अधिक जनंसख्याक वाले ग्राम का नाम ही उस पंचायत क्षेत्र तथा उस ग्रामसभा का नाम घोषित किया जायेगा।

ग्राम सभा, ग्राम के स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतन्त्र की स्थिति है। ग्राम में उसे वही स्थिति प्राप्त है, जो स्थिति राज्य की समस्त व्यवस्था में व्यवस्थापिका को प्राप्त होती है। ग्राम के सभी वयस्क व्यक्ति, जिनका नाम ग्राम की निर्वाचक सूची में सम्मिलित है, ग्राम सभा के सदस्य होंगे।

प्रधान और उप-प्रधान :

ग्राम सभा अपने सदस्यों में से एक प्रधान और एक उप-प्रधान चुनती है। प्रधान का कार्यकाल 5 वर्ष व उप-प्रधान का एक वर्ष होता है, परन्तु नव निर्वाचित प्रधान और उपप्रधान के कार्य भांर सम्भालने तक ये अपने पदों पर कार्य करते रहेंगे। ग्राम सभा अपनी विशेष बैठक में उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से प्रधान या उप-प्रधान को हटा सकती है। विशेष बैठक की सूचना 15 दिन पहले देना आवश्क होता है। प्रधान या उप-प्रधान के रिक्त पद को नए चुनाव द्वारा भर दिया जाता है।

कार्य :

ग्राम सभा निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेगी : (क) सामुदासिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और अंशदान जुटाना, (ख) ग्राम से संबंधित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए हिताधिकारी की पहचान, (ग) ग्राम से संबंधित विकास

योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता पहुंचाना, (घ) ग्राम में समाज के सभी वर्गो के बीच एकता और समन्वय में अभिवृद्धि, (ङ) ग्राम के भीतर प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम, (च) ऐसे मामले, जैसे नियत किए जाएं। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की सिफारिशों और सुझावों पर सम्यक विचार करेगी।

त्रिस्तरीय ढांचा :

अधिनियम के आधार पर पंचायत राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय ढांचे को अपनाया गया है। ये तीन स्तर हैं : ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत, विकास खण्ड या मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत।

आरक्षण :

पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो तथा महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित होंगे। पंचायत के कुल पदों में से एक-तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए जो आरक्षित पद हैं, उनमें भी कम से कम एक-तिहाई पद इन जातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। आरक्षण की उपर्युक्त समस्त व्यवस्था ग्राम पंचायत के प्रधान, क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष एवं जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर भी लागू की गई है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए ग्राम पंचायतों के प्रधान, क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष एवं जिला पंचायत के अध्यक्ष के पद उतनी संख्या में आरक्षित हों, जो अनुपात समस्त राज्य की जनसंख्या में इन वर्गो का है।

पंचायती राज व्यवस्था का संगठन तीन स्तरों पर निर्मित है- ग्राम स्तर, ब्लाक स्तर तथा जिला स्तर पर। 73वें संविधान संशोधन 1993 के प्रावधानों के आधार पर उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था 'उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम 1994' के आधार पर की गई। जिसके आधार पर पंचायत राज के सम्बन्ध में पंचायती राज व्यवस्था को निम्न भागों

में विभक्त किया गया–

ग्राम पंचायत :-

ग्राम के दैनिक जीवन की आवश्यकता सम्बन्धी कार्यो के लिए निर्मित कार्यकारिणी को ग्राम पंचायत कहते है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक प्रधान तथा 9 से लेकर 15 तक सदस्य होते है। ग्राम पंचायत कुल पदों में से एक-तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिए जो पद आरक्षित है, उनमें से कम से कम एक तिहाई पद इन जातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित है। आरक्षण की यह व्यवस्था ग्राम पंचायत के प्रधान पद पर भी लागू की गयी है।

क्षेत्र पंचायत या क्षेत्र समिति :-

ग्राम पंचायत से ऊपर का स्तर क्षेत्र पंचायत या इसका निर्माण सभी क्षेत्र पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों, उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा व राज्य की विधान सभा के सदस्यों, राज्य सभा और राज्य की विधान परिषद के उन सदस्यों जो खण्ड के भीतर निर्वाचकों के रूप में पंजीकृत है, से होता है। क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित स्थानों की कुल संख्या से कम से कम एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित है।

जिला पंचायत :-

क्षेत्र पंचायत से ऊपर जिला पंचायत है। इसका निर्माण जिला पंचायत के एक अध्यक्ष जो पीठासीन होता है, के अतिरिक्त जिले के सभी क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख, निर्वाचित सदस्यों, उस जिले के लोक सभा, राज्य की विधान सभा, राज्य सभा व राज्य के जिले के लोक सभा, राज्य सभा व राज्य के विधान परिषद् के सदस्य होते हैं। यहाँ पर निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है।

उक्त विवेचन से यह तो स्पष्ट ही है कि संविधान में महिलाओं को एक तिहाई स्थान आरक्षित कर रखा है। इस स्थिति में इतनी महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में

होना आवश्यक ही है। सत्ता का विकेन्द्रीकरण करके उपयुक्त अर्थो में पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं को भागीदार बनाने का निश्चिय किया गया। 24 अप्रैल, 1993 में 73वां संविध ाान संशोधन विधेयक पारित करके पंचायतों में महिलाओं की एक तिहाई भागीदारी सुनिश्चित कर दी गई। सन् 1959 में जब पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी तभी से यह अनुभव किया जा रहा था कि देश का समग्र विकास महिलाओं को अनदेखा करके नहीं किया जा सकता। ग्रामीण विकास के लिये महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना आवश्यक हो गया। 1975 में विश्व महिला सम्मेलन में कहा गया था कि दुनियाँ की सारी आमदनी में 50 प्रतिशत आय महिलाओं की होती है। इसलिये महिलाओं को 33% आरक्षण देकर ग्रामीण विकास में उनकी भागीदारी सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया गया था।

संयुक्त राष्ट्र की एर्जेसी यू0एन0एफ0पी0ए0 ने अपनी ताजा रिपोर्ट में भारत में पंचायतों में आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं में उपजी नई चेतना की सराहना की है। आज सभी राज्यों में पंचायतों के माध्यम से महिलाएं नए उत्साह और स्फूर्ति के साथ विकास गतिविधियों में योगदान दे रही हैं। पिछले दशक के प्रारंभ में महिलाओं को आरक्षण मिलने के बाद करीब 25 हजार महिलाएं पंचायतों के लिये चुनी गई थीं।

आज देश भर में लगभग 10 लाख महिलाएं पंच, सरपंच तथा अन्य पदों पर चुनी जाकर ग्रामीण शासन को नई दिशा दे रही हैं। पंचायतों में कुल 28 लाख प्रतिनिधियों में से लगभग 10 लाख महिलाएं हैं। बिहार सरकार ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित कर दी हैं। पंचायती राज व्यवस्था की मध्यावधि समीक्षा के अनुसार एक दिसम्बर 2006 में तो पंचायतों में महिलाओं का कुल प्रतिनिधित्व 36.7 प्रतिशत था। राज्यों में बिहार 54.1 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर था। अकेला गोवा राज्य ऐसा है जहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व एक तिहाई से कम यानी 30.1 प्रतिशत है। बाकी सभी राज्यों में महिला प्रतिनिधित्व का प्रतिशत 33 को पार कर गया है।

पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका को लेकर पूर्व में काफी सर्वेक्षण किये जा चुके है जिनका बुनियादी निष्कर्ष यह है कि महिलाओं की राजनीतिक कार्य क्षमता के विषय में जो भ्रांतियां समाज में व्याप्त थी उन्हें महिला पंचायत अध्यक्षों ने अपनी कार्य कुशलता एवं कार्यशैली के आधार पर दूर कर दिया है। इससे पुरुष वर्ग उनकी महत्ता समझने लगें है और प्रारम्भ में महिलाओं को जिस प्रतिरोध का सामना करना पड़ता था अब वह कम होने लगा है। निर्वाचित महिलायें अन्य महिलाओं तथा लड़कियों के लिए आदर्श बन गई है। अब अधिकांश ग्रामीण महिलाएं अपनी समस्याओं को समुचित निर्वाचित पंचायत अध्यक्षों एवं सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुत करती है तथा महिला पंचायत अध्यक्ष अपने राजनीतिक अधिकारों तथा अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर उन समस्याओं का समुचित समाधान प्रस्तुत कर रही हैं। ये पंचायत अध्यक्ष ग्रामीण समस्याओं पर तो नियन्त्रण कर ही रही हैं, इसके साथ इन्होनें कई क्षेत्रों में सामाजिक बुराइयों के विरूद्ध भी अपना अभियान चला रखा है। पंचायतों के माध्यम से अनेक महिलाएं, जैसे-फातिमा बी (आन्ध्र प्रदेश) सविता बेन (गुजरात) सुधा पटेल (गुजरात) दुजीअम्मा (उत्तर प्रदेश), गुड़िया बाई (मध्य प्रदेश) आदि ऐसी हजारों महिलायें हैं जिन्होनें पंचायतों का नेतृत्व सम्हालने के पश्चात ग्रामीण विकास के अनेक सामाजिक एवं आर्थिक कार्यो को आगे बढ़ाया हैं।

जब हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पंचायती राज व्यवस्थां के तहत पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी पर दृष्टिपात करते हैं तो बुन्देलखण्ड जैसे अति पिछड़े क्षेत्र के हमीरपुर जनपद (जो प्रस्तुत शोध के अध्ययन क्षेत्र का जनपद भी है) के अन्तर्गत आने वाली 'राठ' विकासखण्ड की 'मलेहटा' ग्राम पंचायत जो राठ मुख्यालय से 15 कि0मी0 दूर सुदूर बीहड़ी क्षेत्र में जनपद झाँसी की सीमा से लगा हुआ धसान नदी के किनारे अवस्थित है जहाँ पेयजल, यातायात, बिजली आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। परन्तु पंचायतों में महिला आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत जब श्रीमती कलावती (राजादेवी) मलेहटा ग्राम पंचायत की प्रधान चुनी गई तो उन्होनें अपने एकल प्रयासों के द्वारा अपने पंचवर्षीय कार्यकाल में पेयजल के लिये जल संस्थान द्वारा पानी की टंकी का निर्माण कराया, गांव

तक पक्की सड़क बनवाई जिसके फलस्वरूप वहाँ से बस यातायात सुचारू रूप से चलने लगा एवं पूरे ग्राम का विद्युतीकरण कराया। यह सम्पूर्ण विकास का कार्य एक जागरूक महिला ग्राम प्रधान के द्वारा सम्भव हो सका, जो कार्य आजादी से अबतक नहीं हो पाया था। यह बुन्देलखण्ड जैसे अति पिछड़े क्षेत्र में ग्रामीण विकास में महिलाओं की भागीदारी का एक जीता-जागता उदाहरण है।

उपरोक्त उदाहरण बुन्देलखण्ड जैसे पिछड़े क्षेत्र में कतिपय और भी होंगे जिन्हें अपवाद स्वरूप ही कहा जा सकता है, परन्तु वास्तविकता इसके विपरीत ही देखने में आती रही है। बुन्देलखण्ड में महिला प्रतिनिधि अंधविश्वास, पर्दाप्रथा तथा रूढ़िवादी विचाराधाओं के कारण सक्रिय नहीं हो पाती थीं। जिसके मूल में मुख्यतः अशिक्षा एवं जागरूकता का अभाव ही रहा है। यद्यपि धीरे-धीरे शिक्षा के बढ़ते हुये स्तर एवं जागरूकता के कारण इस स्थिति में परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है जो महिलाओं के लिये विकास में अपनी सशक्त भागीदारी सुनिश्चित कराने में महत्वपूर्ण होगा। आज महिलाएं पंचायतों में आरक्षण के तहत समाज विकास में प्रत्येक स्तर पर अपनी भागीदारी करके समाज का सर्वांगीण विकास कर रही है।

(खण्ड ग)

स्वयं सहायता समूह

स्वयं सहायता समूहों की अवधारणा हमारे देश के लिये नई नहीं है। हमारे यहाँ मिल जुलकर स्वेच्छा से तरह-तरह के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्रिया-कलापों को सामूहिक रूप से सम्पन्न करने की लम्बी परम्परा रही है। ये समूह आपसी सहायता के सिद्धान्त पर ही कार्य करते है तथा जन सामान्य के स्वयं सेवी संघ हैं जिनका गठन कुछ सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये ही किया जाता है।

स्वयं सहायता समूह की अवधारणा का आज देश में नवीन प्रयोग किया जा रहा है लेकिन प्राचीन काल से ही लोग एक-दूसरे से मिलकर और आपसी भावनाओं को अच्छी तरह समझकर कार्य करने की विधि अपनाते रहे हैं स्वयं सहायता समूह की आधुनिक संरचना एकतरह से बांग्लादेश के प्रयोग और अनुभवों पर आधारित है जहां लोगों ने सामूहिक बचत करके अपने दिन प्रतिदिन के आर्थिक क्रियाकलपों को वित्तीय स्रोत प्रदान करने का साधन बनाया।

स्वयं सहायता समूहों का गठन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस०जी०एस०वाई०) के अन्तर्गत किया गया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण गरीबों के स्वरोजगार के लिए चल रहा एक मुख्य कार्यक्रम है। पूर्ववर्ती समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०) और इसके सहायक कार्यक्रमों अर्थात् स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण (ट्रायसेम), ग्रामीण क्षेत्रों में महिला बालविकास (ड्वाकरा), ग्रामीण क्षेत्रों में औजार-किटों की आपूर्ति (सिट्रा) और मिलियन वेल्स स्कीम (एम०डब्लू०एस०) के अलावा गंगा कल्याण योजना (जी०के०वाई०) की पुनः संरचना करने के बाद 01.04.1999 को यह 'स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना' के नाम से नया कार्यक्रम शुरू किया गया।[1]

---

1. वार्षिक रिपोर्ट 2006-07 ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

एस0जी0एस0वाई0 योजना का मूल उद्देश्य बैंक ऋण और सरकारी राज सहायता (सब्सिडी) के तालमेल से आयोपार्जक परिसम्पतियां उपलब्ध कराकर सहायता प्राप्त ग्रामीण परिवारों (स्वरोजगारियों) को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। यह एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें स्वरोजगार के सभी पहलू सम्मिलित हैं, जैसे-गरीबों के स्वयं सहायता समूहों का गठन, प्रशिक्षण, ऋण तकनीकी ढांचा तथा विपणन आदि। इस कार्यक्रम का लक्ष्य गरीबों के कौशल और प्रत्येक क्षेत्र की कार्यक्षमता के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लघु उद्योग की स्थापना करना है। एस0जी0एस0वाई0 को केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के अनुपात में वित्त पोषित किया जाता है।

इस योजना का मुख्य केन्द्र बिन्दु सामूहिक सोंच होती है इसके तहत गरीब लोगों के एक स्वयं सहायता समूह का गठन तथा उनकी क्षमता का निर्माण किया जाता है। सभी स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं को शामिल करने के प्रयास होते हैं। खण्ड स्तर पर समूहों के कम से कम आधे समूह महिला समूह होते है इस योजना के तहत ग्रामीण निर्धनों के सबसे कमजोर समूहों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। तदानुसार स्वरोजगारियों में कम से कम 50 प्रतिशत अनु0जाति/जनजाति के, 40 प्रतिशत महिलाओं तथा 3 प्रतिशत विकलांग होते हैं।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन पंचायत समितियों के माध्यम से जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों द्वारा किया जाता है। येाजना की प्रक्रिया, क्रियान्वयन व निगरानी की प्रक्रिया में जिले के बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थायें, पंचायती राज संस्थायें, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सेवी संस्थायें तथा तकनीकी संस्थायें शामिल होती है। जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों (डी0आर0डी0ए0) को इसके अनुरूप पुर्नजीवित तथा सुदृढ़ किया जाता है।

वर्तमान समय में भारत के सामाजिक तथा आर्थिक विकास की दिशा में स्वयं सहायता समूह को आम आदमी के विकास के माध्यम के रूप में देखा जा रहा है जिसमें

महिलायें सर्वोच्च वरीयता में है। इसके महत्व को अधिक से अधिक क्षेत्रों में एक सक्रिय प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। प्रत्येक क्षेत्र में सामूहिक प्रयास और जन सक्रियता का परिणाम ही विकास को सही दिशा दे पाया है। हम सभी जानते हैं कि व्यक्तिगत हितों की चिन्ता और सार्वजनिक मुद्दों पर उदासीनता और तटस्थता का भाव आज का संकट बन गया है। प्राचीन भारत के गांवों को यदि हम देखते है तो पता चलता है कि यह एक आत्मनिर्भर इकाई के रूप में संगठित था। आत्मनिर्भरता आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण थी और इसका आधार स्थानीय संसाधनों का विकास एवं बेहतर उपयोग था। इस सबके पीछे था एक सबसे महत्वपूर्ण प्रयास, समाज का समूह के रूपों में बंधा होना व संगठित होना। नयी पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से गांव की प्राकृतिक सम्पदा को स्थानीय स्तर पर लोगों की खुशहाली में बदलने के लिए भी सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। पिछले कई वर्षो से जहां एक ओर बहुत सारे ग्रामीण एंव स्वैच्छिक संगठनों ने 'स्वयं सहायता समूह'' के गठन, संचालन को एक प्रमुख गतिविधि एंव कार्यक्रम बनाया है और इसका क्रियान्वयन किया है, वहीं सरकार द्वारा भी इस कार्यक्रम को ग्रामीण विकास के संदर्भ में अपने ढंग से चलाने का प्रयास जारी है। इसी के साथ-साथ स्वयं सहायता समूह की विभिन्न सोंच एंव अवधारणाओं को समझने पर जोर दिया जा रहा है ताकि ग्रामीण आर्थिक एवं सामाजिक विकास के संदर्भ में स्वयं सहायता समूह की भूमिका तय हो सके।

यह देखने में आया है कि शिक्षा और मजबूत आर्थिक आधार ही किसी समाज की प्रगति का कारण हैं इस दृष्टि से महिलाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता एवं उसके लिए प्रयत्न तथा धनोपार्जन की दृष्टि से स्वावलम्बन बहुत ही आवश्यक है। इसलिए महिला सशक्तीकरण के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनायें चलाई जा रही हैं जिनका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को जागरूक तथा आत्मनिर्भर बनाना हैं इसके लिए प्रत्येक ग्राम को इकाई मानकर महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। जिसमें मुख्य भूमिका समूहों के सदस्यों की ही है। सरकारी सहायता तो उनके मार्गदर्शन आदि के लिए हैं, मुख्य लक्ष्य तो महिलाओं को आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी तथा

जागरूक एवं नेतृत्व क्षमता प्रदान करना है, जिससे ग्रामीण विकास में उनकी मजबूत भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

पंचायती राज और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिला सशक्तीकरण

वर्तमान भारतीय ग्रामीण विकास की परिधि में आने वाले तत्वों, साधनों व संगठनों में आजकल यदि पंचायती राज संस्थाओं को अलग रखा जाये तो साधारणतयः लगता है कि हम आधे-अधूरे विकास की बात कर रहे हैं। आदमी के विकास की प्रक्रिया में स्थानीय स्तर की स्वशासन की इकाइयां जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं शायद अन्य एजेन्सियों और संगठनों को कर पाना मुश्किल होगा। भारतीय परिप्रेक्ष्य में आने वाली पंचायतें (ग्राम, क्षेत्र एवं जिला) मात्र विकास की एजेन्सी नहीं है, बल्कि संस्थात्मक इकाई का रूप लेती जा रही है और इनकी संस्थात्मक वृद्धि हो ऐसा प्रयास स्वैच्छिक संस्थाओं व गैरसरकारी संगठनों द्वारा भी किया जा रहा है। इसलिए सीमान्त वर्ग या कमजोर वर्ग के साथ काम करके लोक शक्ति बढ़ाने अथवा जन सहभागिता बढ़ाकर संगठन निर्माण की प्रक्रिया से सशक्तीकरण लाने के साधन के रूप में वर्तमान समय में स्वयं सहायता समूह की अवधारणा भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वर्तमान संदर्भ में ग्रामीण विकास में एकीकृत विकास के साधन के रूप में स्वयं सहायता समूह कारगर सिद्ध हो सकते हैं।

स्वैच्छिक संस्थाओं तथा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा जो भागीदारी आधारित विकास के प्रयास किये जा रहे हैं उन सभी में लक्ष्य समूह में समाज का कमजोर वर्ग एवं विशेषकर महिलायें प्राथमिकता में है। इस वर्ग तथा महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये किये जाने वाले प्रयास भी संगठन निर्माण की प्रक्रिया से काफी मिलते-जुलते हैं। आवश्यकता है कि हम एक ही प्रयास से स्वयं सहायता समूह तथा पंचायत सशक्तीकरण की बात एक ही साथ करें तो महिला सशक्तीकरण अवश्यंभावी है।

द्वितीय अध्याय

पद्धतिशास्त्र-

- ❖ अध्ययन का प्रारूप
- ❖ अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्त्व
- ❖ अध्ययन का उद्देश्य
- ❖ अध्ययन की उपकल्पनाएं
- ❖ अध्ययन पद्धति एवं क्षेत्र

अध्याय-द्वितीय

पद्धतिशास्त्र

सम्बन्धित साहित्य का पुनरावलोकन :-

किसी अध्ययन से सम्बन्धित साहित्य उस आधारशिला के समान है जिस पर भविष्य का कार्य निर्धारित होता है। अतः शोध कार्य आरम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित विषय पर पूर्व में विद्वानों द्वारा किये गये शोध कार्यो की जानकारी करना आवश्यक हो जाता है।

महिलाओं में सामाजिक अन्याय एवं सामाजिक कुरीतियों एवं समस्याओं के संदर्भ में पर्दा-प्रथा, अशिक्षा, बहुपत्नी विवाह, बाल विवाह, विधवा विवाह प्रतिबन्ध, देवदासी प्रथा, दहेज प्रथा, हत्या, बलात्कार, वेश्यावृत्ति, महिलाओं के कुपोषण व स्वास्थ्य सम्बन्धी आदि शोधात्मक अध्ययन समय-समय पर अनेक समाज वैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तुत होते रहे हैं। सरकार भी महिलाओं की सशक्तीकरण एवं जागरूकता सम्बन्धी अध्ययनों एवं योजनाओं को समय-समय पर प्रतिपादित एवं क्रियान्वित कर रही है। गैर सरकारी संगठन (एन0जी0ओ0) व स्वैच्छिक संस्थाये भी महिला विकास व जागरूकता के लिए प्रयासरत है।

प्राचीन भारत में महिलाओं की प्रस्थिति सम्बन्धी अध्ययन अनेक विद्वानों द्वारा किये गये है जिसमें से डी0एन0 मित्तल (1913) द्वारा हिन्दू कानून में स्त्रियों की स्थिति, सी0 बादल (1925) ने अर्वाचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति का अध्ययन किया गया। ए0एस0 अल्टेकर (1938) ने हिन्दू सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति अध्ययन, एम0ए0 इन्द्रा (1940) ने सामान्य रूप से भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति का अवलोकन किया। दूसरी ओर कुछ विद्वानों ने महिलाओं की परिवर्तित होती हुई स्थिति का अध्ययन किया है, जिसमें ए0अप्पा दुराई (1954) ने दक्षिण एशिया में महिलाओं की स्थिति का एस0 श्री देवी (1965) ने भारतीय महिलाओं के एक शतक में मदिरापान का अध्ययन किया। जबकि सी0ए0 हाटे (1969) ने स्वतन्त्रता प्राप्ति का अध्ययन, पी0 मेहता (1975) ने चुनाव

प्रचार एवं सामूहिक प्रभाव में महिलाओं की स्थिति का माध्यम, एच0आर0 त्रिवेदी (1976) ने अनुसूचित जाति की महिलाओं के शोषण सम्बन्धित अध्ययन किया।

प्रमिला कपूर (1978) द्वारा कालगर्ल की जीवन शैली एवं व्यावसायिक व्यवहार सम्बन्धी अध्ययन, आशारानी व्होरा (1982) द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थिति सम्बन्धी अध्ययन तथा एन0ए0 देसाई एवं एम0 कृष्णाराज (1987) द्वारा भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति सम्बन्धी अध्ययन इसी श्रेणी के अन्तर्गत रखे जा सकते है।

एक विस्तृत रिपोर्ट महिलाओं के सम्बन्ध में यूनेस्को ने (1985-86) के मध्य भारतीय महिलाओं के सम्मुख उत्पन्न होने वाली चुनौतियाँ एवं उनमें होने वाले परिवर्तनों का सफल अध्ययन एन0ए0 देसाई एवं विभूति पटेल ने (1987) में प्रस्तुत किया है। महिलाओं के जीवन से सम्बन्धित अध्ययन में के0एम0 कपाड़िया (1958) द्वारा किया गया भारत में विवाह एवं परिवार, ए0डी0 रोज (1961) द्वारा शहरी क्षेत्रों में हिन्दू परिवारों का अध्ययन, एम0एस0 गौर (1968) द्वारा नगरीकरण एवं पारिवारिक परिवर्तन सम्बन्धी अध्ययन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि परिवार विवाह जैसी संस्थाओं में स्त्रियों की क्या स्थिति रही है। इसी प्रकार प्रमिला कपूर (1974) द्वारा कार्यरत महिलाओं एवं उनके समायोजन से सम्बन्धित अध्ययन किया गया जिसमें महिलाओं की बदलती हुई प्रस्थिति की चर्चा की गई। पी0 सेन गुप्ता (1960) ने भारत में कार्यरत समस्त महिलाओं का सर्वेक्षण किया। देविका जैन (1980) ने भोजन, कपड़ा और मकान के लिए अन्याय क्षेत्रों में संगठित महिलाओं का अध्ययन किया। महिलाओं के स्वास्थ्य विषयक समस्याओं का सफल अध्ययन पद्मा प्रकाश ने (1986) में किया गया।

महिलाओं की राजनीतिक प्रस्थिति एवं उनकी सहभागिता सम्बन्धी अध्ययन एम0 कौर (1968), के0 सिन्हा (1974), तथा वी0 मजूमदार (1979) ने बौद्धिक कार्य प्रकाशित किये।

भारतीय महिलाओं के आन्दोलनों से सम्बन्धित अध्ययन पी० अस्थाना एवरेट (1979) के०डी० चट्टोपाध्याय (1983) स्वतन्त्रता के लिए भारतीय महिलाओं का संघर्ष तथा कुमुद शर्मा (1984), नन्दिता गाँधी (1968), विभूति पटेल (1968), सुधा नाग (1989) के अध्ययनों से अन्याय एवं शोषण के खिलाफ संगठित होती महिलाओं के अध्ययनों को चिन्हित किया गया है।

महिलाओं का स्वयं के बारे में दृष्टिकोण सम्बन्धी पता करने के लिए मैत्रेयी कृष्णाराज (1978) ने महिला वैज्ञानिकों पर किये गये एक अध्ययन में यह पाया कि यद्यपि वे अपने काम पर तो बने रहना चाहती है किन्तु वे न तो बेहतर नौकरी की तलाश में रहती हैं और न उन्होंने कोई दीर्घावधि की वृत्तिक म्रातजी ही बनाई है। टी०एस० पपोला (1982) ने लखनऊ शहर के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पर्यवेक्षक के पदों पर कार्य कर रही महिलाओं का अध्ययन प्रस्तुत किया था।

ग्रामीण क्षेत्रों में पारम्परिक सत्ताधारी भूमिका को स्पष्ट करने के लिए लीला गुलाटी ने (1981) में केरल की पाँच कामकाजी महिलाओं का गहन अध्ययन करते हुए यह निष्कर्ष दिया कि यद्यपि तीन परिवारों में महिलाएं ही मुख्य उपार्जक थी परन्तु रोजगार के बावजूद उनके पास अपने आकलन या सामाजिक सोपान में उनकी हैसियत में कोई सुधार नहीं हुआ था। शहरी क्षेत्रों में पारम्परिक सत्ताधारी भूमिका को स्पष्ट करने के लिए लीला कस्तूरी (1990) द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार जब तमिलनाडु के बेरोजगार बुनकर काम की तलाश में दिल्ली आ गये तो उनकी औरतों को घरेलू नौकर के रूप में ही कार्य मिल सका परन्तु पुरुषों को बावर्ची या ड्राइवर आदि के काम मिल गये। लेकिन महिलाओं को अपने कार्य से फुरसत ही नहीं मिलती थी कि वे अपने चारों ओर किसी अन्य कार्य की खोज-खबर ले सकें। गोविन्द केलकर (1981) ने अपने अध्ययन के दौरान यह पाया कि हरित क्रान्ति वाले क्षेत्र पंजाब में महिलाओं को अपने दिनभर के कामकाज के बाद अपने पति की सेवा भी करनी पड़ती थी। मालविका कार्लेकर (1987) ने दिल्ली के मेहतर समुदाय की महिलाओं का अध्ययन किया, दीपा माथुर ने 1992-93 के जयपुर (राजस्थान)

में 225 कामकाजी महिलाओं का अध्ययन किया। हरियाणा के हिसार जिले में ऋप्ता अग्रवाल तथा सीमा (1999) द्वारा किये गये एक अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि चुनी गई महिलाओं में अधिकांशतः अधिक उम्र की अशिक्षित, कम भूमि की मालिक तथा ऐसे परिवारों से आई हुई जिनकी पृष्ठभूमि राजनैतिक है।

महिलाओं के विभिन्न स्वरूपों की परिस्थितियों के अध्ययनों की प्रचुरता के साथ-साथ महिलाओं को सशक्त एवं जागरूक बनाने सम्बन्धी समय-समय पर शोध परक अध्ययन विद्वानों के द्वारा होते रहे हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने सम्बन्धी विकास परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों के लक्ष्य को व्यापक स्वीकृति मिली। महिला विकास से सम्बन्धित अध्ययनों पर दृष्टिपात करने पर हम पाते हैं कि ग्रामीण महिलाओं को सशक्त एवं जागरूक करने सम्बन्धी अध्ययनों की प्रचुरता रही है। जो निम्न प्रकार से है :-

ललित लट्टा (2001) कुरुक्षेत्र, महिला विकास योजनाएं और उनका क्रियान्वयन ने महिला विकास पर निम्नांकित कृत्यों को सम्मिलित किया है :-

(1) जनसंख्या और लिंग अनुपात

(2) महिलाओं में साक्षरता दर

(3) शिशु जन्म एवं मृत्यु दर

(4) श्रम बल सहभागिता दर

(5) महिलाओं पर होने वाले अपराध

(6) विभिन्न विकास योजनायें

उपरोक्त आयामों के आधार पर आपने निष्कर्ष निकाला है कि समय-समय पर विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर निगरानी रखनी चाहिए।

1. महिला विकास हेतु जिन विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है, उनके संतोषप्रद परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे है।

2. अधिकांश महिलाओं के अशिक्षित होने के कारण इनका आर्थिक और शारीरिक शोषण होता है।

3. ग्रामीण महिलाओं के विकास हेतु स्वरोजगार योजना को प्रोत्साहित करना चाहिए।

रेणु अरोड़ा (2001) कुरुक्षेत्र 'सहकारिता और महिला सशक्तीकरण' ने अपने लेख में प्रतिपादित किया है महिला सशक्तीकरण के वर्ष में जहाँ एक वातावरण तैयार किया जा रहा है वहीं महिलायें भी हर क्षेत्र में आगे आकर अपनी प्रभावी भूमिका निभाने के लिए प्रयासरत है। सहकारिता विभाग द्वारा महिलाओं को मिनी बैंकों से आर्थिक गतिविधियों के संचालन के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें शक्ति प्रदान करना और गाँव में ही महिला मिनी बैंकों का विकास कर उनकी आवश्यकता के अनुरूप सरल और सुगम साख सुविधा उपलब्ध कराना है।

लीना मेहेंदले (2002) योजना 'राजस्थान में स्त्री-अधिकार जन्म लेने और पढ़ने का हक' ने स्त्री अधिकार की बातों को इस प्रकार बताया है –

1. पैदा होने का हक और साथ ही अच्छे पोषण तथा स्वास्थ्य का हक।

2. अच्छी शिक्षा का हक, जो एक चिंतनशील, कर्मठ जीवन की नींव बन सके।

3. अपराधों से सुरक्षा का हक।

4. देश एवं समाज के विकास में योगदान का हक।

5. संपत्ति जुटाने तथा संपत्ति पर स्वामित्व का हक।

इस प्रकार स्त्री अधिकारों के तहत राजस्थान की महिलाओं ने पिछले दो-तीन वर्षो में कई उपलब्धियाँ हासिल की हैं।

मधु श्री सिन्हा (2002) कुरुक्षेत्र 'सर्वांगीण विकास में महिलाओं की भूमिका : एक सामाजिक अध्ययन रिपोर्ट' ने विभिन्न तथ्यों के द्वारा महिला सहभागिता एवं नेतृत्व को वरीयता दी है।

नीरजा ललन (2002) कुरुक्षेत्र 'ग्रामीण महिलाओं के स्वरोजगार हेतु खाद्य प्रसंस्करण' ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण महिलाएं कृषि एवं कृषि से संबंधित हर कार्यों में अग्रणी रही हैं। वे प्रशिक्षण प्राप्त करके अच्छे तकनीकी मार्गदर्शन में गाँव में ही खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योगों की छोटी इकाइयों की स्थापना कर अपने लिए स्वरोजगार का निर्माण कर सकती है तथा अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान कर सकती हैं। महिलाएं घर पर ही रहकर अपना उद्यम चला सकती हैं जिससे उनके जीवन स्तर में भी सुधार आयेगा और उनकी आय भी बढ़ेगी।

सुनीता प्रसाद (2004) कुरुक्षेत्र "ग्रामीण महिलाएं भी कमा सकती है" ने महिलाओं के लिए कुछ ऐसे कुटीर उद्योगों से विधि सहित परिचय कराया जिसके लिए किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती और इन्हें कम लागत में अपने घर पर ही आसानी से स्थापित किया जा सकता है जो निम्नवत् है :-

1. कपड़े के ऊपर ब्लाक छपाई
2. टाई एंड डाई
3. एप्लीक वर्क
4. मधुबनी पेंटिग
5. मिट्टी के वर्तनों की रंगाई
6. मशरूम की खेती
7. मोम उद्योग
8. किचन गार्डनिंग

इस प्रकार इन उद्योगों के माध्यम से थोड़ी ही आर्थिक सहायता के द्वारा बड़ी ही आसानी से घर पर ही अच्छी आय प्राप्त की जा सकती है।

सुबोध अग्रवाल (2004) कुरुक्षेत्र 'महिला स्वयं सहायता समूहों की कारगर भूमिका' ने स्पष्ट किया है कि महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों ने समूह के रूप में ऐसे कार्य शुरु किये हैं जो अब तक पुरुषों के एकाधिकार के कार्य माने जाते थे। इनके द्वारा तैयार की गई सामग्री का भी स्थानीय स्तर पर विपणन भी किया जाता है।

इसी प्रकार जे० भाग्यलक्ष्मी (2004) ने महिला अधिकारिता, सुशील रंजन (2002) ने नारी चुनौतियाँ और संभावनायें, सुभाष सेतिया (2003) ने महिला सशक्तीकरण, ग्रामीण संदर्भ प्रदीप भंडारी (2004) ने उत्तरांचल के विकास में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका, सोना दीक्षित और अरुण कुमार दीक्षित (2005) ने महिलाओं के मानवाधिकारों का संरक्षण, शारदा सिंह (2005) ने ग्रामीण महिलाएं और आर्थिक विकास, चंचल कुमार शर्मा (2005) ने लघु उद्योग-क्षेत्र : संरक्षण से संवर्धन की ओर, इन्दु पाठक (2005) ने शिक्षा तथा महिला सशक्तीकरण, चन्द्रकला मित्तल (2005) ने शक्तिस्वरूपा नारी अब कानूनन शक्तिमान, नीलम मकोल और संदीप शर्मा (2006) ने सामाजिक विकास में शिक्षित महिलाओं का योगदान, इला आर० भट्ट (2006) ने गरीब महिलाओं को मिला नोबेल पुरस्कार, अभिजीत शर्मा (2006) ने गरीबों के लिए उम्मीद की किरण : लघु वित्त, बी० बाल कृष्णन (2007) ने दलित महिलाओं द्वारा संचालित सामुदायिक रेडियो, प्रदीप कुमार (2007) ने स्थानीय विकास में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग अध्ययनों पर अपने विचार एवं शोध प्रस्तुत किये हैं।

इसी प्रकार विजय लक्ष्मी कासोरिया (2007) ने महिला सशक्तीकरण व बजट प्रावधान, प्रियंका द्विवेदी (2007) ने महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ, सुरेश लाल श्रीवास्तव (2007) ने राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला डेयरी परियोजना, योगेन्द्र कुमार अलघ (2007) ने सिर्फ उधार नहीं, सी०एम० चौधरी (2007) ने केन्द्रीय बजट एवं ग्रामीण

विकास एक विश्लेषण, निर्मल कुमार आनंद (2007) ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाएं, इंदिरा राजारामण (2007) ने ग्यारहवीं योजना में महिलाएं, रहमान राही (2007) ने खेतिहर औरतों ने पत्रिका निकाली, बी० बाला कृष्णा (2007) ने आंध्र प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं की बीमा सुरक्षा, विषयक अध्ययनों पर अपनी विश्लेषणात्मक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्त्व :-

अध्ययन से सम्बन्धित साहित्य पर दृष्टिपात करने पर हम पाते हैं कि महिलाओं के विभिन्न पक्षों जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, पारिवारिक, राजनैतिक एवं सामाजिक बुराइयों व कुरीतियों से सम्बन्धित अध्ययनों की प्रचुरता रही है। चूंकि यह विषय सदैव समसामयिक एवं चिन्तन की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। अतः विद्वानों की दृष्टि ऐसे अध्ययनों पर सदैव केन्द्रित रही है परन्तु एक पक्ष महिलाओं की सशक्तीकरण एवं जागरूकता से भी सम्बन्धित है जिसमें भी अध्ययनों की प्रचुरता यह दर्शाती है कि वर्तमान में महिलाओं की भूमिका के बारे में शोध अध्ययनों के लिए विभिन्न समाज वैज्ञानिकों ने महिला सशक्तीकरण एवं महिला विकास की ओर अपने अध्ययनों को केन्द्रित किया है।

महिलाओं को सशक्त बनाने सम्बन्धी विकास परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों के लक्ष्य को व्यापक स्वीकृति मिल रही है। वस्तुतः सशक्तीकरण एक प्रक्रिया है जो शक्ति संतुलन में बदलाव लाती है। यह शक्ति जीवन के कई आयामों जैसे–सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं शैक्षिक आदि में कार्य करती है। सशक्तीकरण का आशय यह है कि महिलायें अपनी पुरानी परम्परागत और नई समस्याओं पर नये ढंग से विचार करें एवं अपनी ताकत को पहचाने व अपनी निर्बल छबि को बदलने का प्रयास करें।

केन्द्र सरकार द्वारा "स्वशक्ति परियोजना", "स्वयं सिद्धा परियोजनाओं" को चलाकर महिलाओं में जागरूकता के साथ आर्थिक कार्यक्रमों से जोड़कर हर प्रकार की क्षमताओं को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो सराहनीय एवं अनुकरणीय है। दूसरी ओर

सशक्तीकरण का नाम लेकर महिलाओं के लिए अनेक प्रकार के सहायता कार्यक्रम चलाये जा रहे है। जैसे-गर्भावस्था सहायता अनुदान देना, पोषण के नाम पर अन्य सामग्री वितरित करना, यह सशक्तीकरण की परिभाषा में नहीं आता ये सब सहायतायें महिला को बेबस या लाचार समझकर दी जाती है। इस विचार को त्यागना होगा। यद्यपि इन सहायताओं का लाभ आज भी महिलायें नहीं ले पाती है। अपनी मर्जी के अनुसार पुरुष खर्च करता है। इस दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है।

भारत सरकार ने महिला कृषकों की उत्पादकता में सुधार के लिए 1993-94 में सात राज्यों में एक 'पांयलेट प्रोजेक्ट' चलाया। ये सात राज्य है- पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमांचल प्रदेश, केरल तथा महाराष्ट्र। यह योजना प्रत्येक राज्य के एक जिले में 30 गांवों में 20 महिला कृषकों के समूह के साथ चलाई गई।

1975 में विश्व महिला सम्मेलन में कहा गया था कि दुनिया की सारी आमदनी में 50% आय महिलाओं की होती है जो महिलाओं के द्वारा किये गये कार्यो से प्राप्त होती है किन्तु यह सारी क्रियाकलाप असंगठित क्षेत्र में होने के कारण इसका श्रेय महिलाओं को नहीं प्राप्त होता जबकि पुरुष इनकी सहगामी क्रियाओं के परिणामस्वरूप ही अपनी आय एवं प्रस्थिति बढ़ाते रहते हैं। यह विडम्बना ही है कि इतनी रचनात्मक भूमिका के बावजूद महिलाएं उपेक्षित रही हैं। यह समाज में एक सार्वभौमिक भ्रम बना हुआ है कि आय प्राप्त करने में पुरुष की ही मुख्य भूमिका होती है। वर्तमान समय के अध्ययनों ने इस भ्रम को तोड़ने का प्रयास किया है।

उपरोक्त अध्ययन पर दृष्टिपात करने पर यह कहा जा सकता है कि भारत में प्राचीन काल से ही महिलाओं की प्रस्थिति सम्बन्धी शोध परक कार्य होते रहे है और वर्तमान में भी संचालित हो रहे हैं। परन्तु प्रस्तुत अध्ययन के लिए जो शोध केन्द्र चुना गया है वह अति पिछड़े क्षेत्र से सम्बन्धित है। वहाँ पर महिलाओं की प्रस्थिति एवं जागरूकता सम्बन्धी अभी तक कोई कार्य या अध्ययन नहीं हुए है। इसलिए केन्द्र सरकार

की योजना 'स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना' के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने के लिए और उनमें नेतृत्व की क्षमता विकसित हो, इस दृष्टि से अध्ययन करना नितान्त आवश्यक है। अध्ययन क्षेत्र बुन्देलखण्ड का अति पिछड़ा एवं अशिक्षित क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्रों की महिलाओं में क्या शिक्षा के प्रति जागरूकता व्याप्त हुई है। क्या उनके अन्दर सामाजिक चेतना आई है। पंचायत में महिलाओं को 33% आरक्षण प्राप्त है तो क्या इस क्षेत्र की महिलायें आरक्षण के विषय में जागरूक हैं, और आरक्षण का लाभ ले पा रही हैं, यह जानना भी आवश्यक है। ऐसे क्षेत्रों की महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन सुदृढ़ हो पाया है। ऐसी महिलाओं का अध्ययन करना अति महत्वपूर्ण है।

अध्ययन का उद्देश्य :-

कोई भी अध्ययन कार्य तब तक सफल एवं महत्वपूर्ण नहीं हो सकता जब तक वह केन्द्रित एवं उद्देश्यपूर्ण न हो। इस दृष्टि से प्रस्तुत अध्ययन को निम्नवत् कुछ सामान्य उद्देश्यों के अन्तर्गत निरुपित करने का प्रयास किया गया है –

1. प्रथम उद्देश्य यह है कि स्वयं सहायता समूह के द्वारा ग्रामीण अंचलों में महिला शिक्षा में वृद्धि का अध्ययन करना।

2. द्वितीय उद्देश्य यह है कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं में सशक्तीकरण सम्बन्धी जागरूकता का अध्ययन करना।

3. तृतीय उद्देश्य यह है कि स्वयं सहायता समूह के द्वारा महिलाओं में आत्म निर्भरता एवं आत्म विश्वास की वृद्धि का आंकलन करना।

4. चतुर्थ उद्देश्य यह है कि स्वयं सहायता समूह के द्वारा महिलाओं में आर्थिक रूप से आत्म निर्भरता सम्बन्धी दृष्टिकोण का मूल्यांकन करना।

5. पंचम उद्देश्य यह है कि स्वयं सहायता समूह के द्वारा महिलाओं के आर्थिक अधिकारों

एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूकता में वृद्धि का अध्ययन करनां

6. षष्टम उद्देश्य यह है कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता का विकास सम्बन्धी अध्ययन करना।

उपकल्पनायें :-

उपरोक्त उद्देश्यों के आधार पर प्रस्तुत अध्ययन की कुछ सामान्य उपकल्पनाओं का निर्माण किया गया है जो निम्नलिखित है :-

1. महिला सशक्तीकरण पर शिक्षा का स्पष्ट प्रभाव दिखलाई पड़ता है।
2. महिलाओं में सशक्तीकरण सम्बन्धी चेतना अपर्याप्त है।
3. महिला सशक्तीकरण की धारणा सदैव आत्म निर्भरता की वृद्धि का परिचायक नहीं होती।
4. आर्थिक समृद्धि आत्म निर्भरता एवं आत्म विश्वास की वृद्धि में सहायक सिद्ध होती है।
5. महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम, अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में सहायता करती है।
6. महिला सशक्तीकरण से महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है।

अध्ययन पद्धति :-

प्रस्तुत अध्ययन को सफल बनाने हेतु कुछ अनुसंधान प्रविधियों का सहारा लिया गया है। जिनका विवरण क्रमानुसार निम्न है :-

निरीक्षण या अवलोकन :-

सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर प्रत्यक्ष एवं वैज्ञानिक रूप से घटनाओं की जानकारी एवं तथ्यों के संकलन के लिए अवलोकन विधि का प्रयोग

सर्वाधिक उचित एवं संतोषजनक माना जाता है। ज्ञान संग्रह की यह एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। साधारण अर्थो में कार्य-कारक अथवा पारस्परिक सम्बन्धों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं को सूक्ष्म रूप से देखना ही अवलोकन है।

श्रीमती पी०वी० यंग ने लिखा है, "अवलोकन को नेत्रों द्वारा सामूहिक व्यवहार एवं जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ ही साथ सम्पूर्णता की रचना करने वाली प्रथक इकाइयों के अध्ययन की विचारपूर्ण पद्धति के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है।"[1] इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि अवलोकन प्राथमिक सूचनाओं या सामग्री संकलित करने की एक प्रत्यक्ष एवं महत्वपूर्ण प्रविधि है। इसमें अध्ययनकर्ता घटनाओं को चाहे वह मूर्त या अमूर्त कैसी भी हो, को सुनता है, समझता है, और सम्बन्धित सामग्री का संकलन प्रत्यक्ष तौर पर करता है। अवलोकन के लिए अवलोकनकर्ता समूह अथवा समुदाय के दैनिक जीवन में भाग ले भी सकता है और दूर बैठकर भी ऐसा कर सकता है। अवलोकन में मानव अपनी ज्ञानेन्द्रियों (विशेष रूप से आंखों का) प्रयोग करता है।

अवलोकन की विशेषताऐं :-

अवलोकन या निरीक्षण की परिभाषाओं से इस प्रविधि की निम्न विशेषतायें प्रकट होती है-

1. मानव ज्ञानेन्द्रियों का प्रयोग :-

इस विधि में मानव ज्ञानेन्द्रियों का पूर्ण एवं व्यवस्थित प्रयोग किया जाता है। इसमें अवलोकनकर्ता अपने कान एवं वाणी का प्रयोग भी करता है परन्तु नेत्रों का प्रयोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है।

2 सूक्ष्म, गहन एवं उद्देश्यपूर्ण अध्ययन :-

अवलोकन विधि में अवलोकनकर्ता स्वयं घटनास्थल पर उपस्थित होकर उस

---

1. यंग, पी०वी०, साइन्टिफिक सोशल सर्वे एण्ड रिसर्च, 1960, पेज-199.

वातावरण की प्रत्येक स्थिति को ढूँढ लेता है एवं घटनाओं का गहन व सूक्ष्म अध्ययन कर सकता है।

3. प्राथमिक सामग्री का संकलन :-

अवलोकन के द्वारा अवलोकनकर्ता स्वयं घटनाओं के बारे में प्राथमिक स्तर की सूचनाएं एकत्रित करता है।

4. कार्यकारण सम्बन्ध का पता लगाना :-

विज्ञान निरीक्षण से प्रारम्भ होता है अतः वैज्ञानिक अवलोकन में अवलोकनकर्ता घटनाओं को देखकर उनमें कारणों और परिणामों की भी खोज करता है। जिनके आधार पर सिद्धान्त निर्माण की ओर बढ़ा जा सके तथा वास्तविकता का पता लगाया जाता है।

5. निष्पक्षता :-

अवलोकन में अध्ययनकर्ता स्वयं उपस्थित होकर अपनी आँखों से घटनाओं को देखता है और उनको भली भॉति जॉच करता है अतः उसका निष्कर्ष निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक होता है।

6. व्यवहारपरक एवं अनुभावाश्रित अध्ययन :-

अवलोकन एक प्रयोगात्मक एवं अनुभावाश्रित अध्ययन पद्धति है जिसके द्वारा सामूहिक एवं वैयक्तिक दोनों ही प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जा सकता है।

उपरोक्त विशेषताओं के द्वारा सामाजिक घटनाओं, सामूहिक, व्यवहार, समुदाय के सम्पूर्ण जीवन या समाज के किसी एक भाग या इकाई का अध्ययन प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा सम्भव हो पाता है।

अवलोकन के प्रकार :-

सामाजिक घटनाओं की प्रकृति विविध एवं जटिल दोनों ही प्रकार की होती है। सभी घटनाओं का अध्ययन एक ही प्रकार के अवलोकन द्वारा सम्भव नहीं हो पाता या किया जा सकता है। अस्तु अवलोकन के विभिन्न प्रकार विकसित हुए अवलोकन को उसकी प्रकृति के आधार पर निम्नवत् प्रकार बताये गये हैं :-

1. अनियन्त्रित अवलोकन
2. नियन्त्रित अवलोकन
3. सहभागी अवलोकन
4. असहभागी अवलोकन
5. अर्द्ध-सहभागी अवलोकन
6. सामूहिक अवलोकन

यहाँ पर केवल अर्द्ध-सहभागी अवलोकन का विवरण दिया जा रहा है क्योंकि प्रस्तुत अध्ययन में अवलोकन के इसी प्रकार को अपनाया गया है।

अर्द्धसहभागी अवलोकन :-

किसी भी अध्ययन में पूर्ण रूप से सहभागी और पूर्ण रूप से असहभागी अवलोकन संभव नही हो पाता इसलिए गुडे एवं हॉट दोनों के मध्यवर्ती मार्ग के रूप में अर्द्धसहभागी अवलोकन को अपनाने का सुझाव देते हैं जिसमें दोनों के गुणों का समावेश होता है। अर्द्धसहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता अध्ययन किये जाने वाले समूहों के कुछ सामान्य कार्यो में तो सहभागी बना रहता है। लेकिन किसी विशेष बड़े आयोजकों, समारोहों, घटनाओं एवं क्रियाओं के अवसरों पर दूर बैठकर या तटस्थ भाव से उनका अध्ययन करता है। इस विधि के द्वारा सहभागी और असहभागी दोनों ही विधियों के लाभ प्राप्त होते है और दोनों

के दोषों से मुक्ति भी संभव हो जाती है। इस प्रकार के अध्ययन में शोधकर्ता अध्ययन किये जाने वाले समुदाय के कार्यो में तटस्थ भाव से बिना भाग लिए उनका निरीक्षण करता है।

प्रस्तुत अध्ययन में स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों जिनकी संख्या लगभग 400 है, को चुना गया है। इन महिलाओं का निरीक्षण अर्द्ध सहभागी विधि से किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन अति पिछड़े क्षेत्र में आता है जहाँ जागरूकता का अभाव है। ऐसे क्षेत्रों की महिलाओं से केवल साक्षात्कार या प्रश्नों की अनुसूची के द्वारा ही उत्तर प्राप्त करना असम्भव होता है। अतः उत्तरदात्रियों के परिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जीवन तथा उनके सामान्य परिवेश, पर्यावरण सम्बन्धी आचारों-विचारों की सही जानकारी एवं तथ्यों के संकलन के लिए सर्वप्रथम गवेषिका को अवलोकन विधि का सहारा लेकर आगे बढ़ना नितान्त अवश्यक हो गया। तथ्य संकलन के लिए अवलोकन ही वह सर्वोत्तम विधि है जिसमें गवेषिका को उत्तरयात्रियों की मनोवृत्तियों एवं सामाजिक व सांस्कृतिक क्रियाकलापों के मध्य अपनत्व एवं सहयोग की भावना के माध्यम से सभी पहलुओं की जानकारी वार्तालाप के द्वारा संभव हो पाई एवं अवलोकन के द्वारा ही उत्तरदात्रियों के मध्य गवेषिका द्वारा घनिष्ठता स्थापित करने के पश्चात ही वास्तविक साक्षात्कार प्रारम्भ किया गया।

अवलोकन के द्वारा ही यह स्पष्ट किया जा सकता है कि निश्चिय ही स्वयं सहायता समूह की अवधारणा ने अध्ययन क्षेत्र की महिलाओं के बीच जाति–पाँति, छुआ–छूत का भेद, आपसी वैमनस्य, धार्मिक रुढ़िवादिता की जंजीरों से मुक्ति एवं सामाजिक समरसता, सौहार्द की भावना को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान एवं भूमिका को प्रतिपादित किया है।

साक्षात्कार :-

साक्षात्कार सामाजिक अनुसंधान में तथ्य–संकलन की विधि के रूप में विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें साक्षात्कारकर्ता एवं सूचनादाता के मध्य किसी विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर आमने-सामने की स्थिति में परस्पर प्रश्नोत्तर के माध्यम

से अन्तःक्रिया करते हैं। इस प्रविधि के द्वारा सूचनादाता के आन्तरिक एवं बाह्य जीवन को देखने या समझने की सहायता प्राप्त होती है। अर्थात् इससे भीतरी तथ्यों की जानकारी प्राप्त हो सकती है। साक्षात्कार का उद्देश्य व्यक्ति के विचारों, विश्वासों मूल्यों, भावनाओं, अतीत के अनुभवों तथा भविष्य के इरादों को ज्ञात करना है। साक्षात्कार लोगों के बारे में हमारे ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि करता है।

शाब्दिक दृष्टि से इसका अर्थ है 'अन्तर दर्शन' अथवा 'अन्तर दृष्टि' दूसरे शब्दों में जिन अप्रकट अथवा अदृश्य तथ्यों का बाह्य रूप से अवलोकन नहीं हो सकता उन तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना ही साक्षात्कार कहलाता है। जैसा कि इस प्रविधि को गुडे एवं हाट ने स्पष्ट किया है कि "साक्षात्कार अन्तःक्रिया की एक प्रक्रिया है।"[2]

इसी प्रकार पी०वी० यंग ने इसको परिभाषित करते हुए स्पष्ट किया है कि "साक्षात्कार को एक ऐसी क्रमबद्ध प्रणाली के रूप में माना जा सकता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आन्तरिक जीवन में थोड़ा बहुत कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है जो कि उसके लिए सामान्यतया तुलनात्मक रूप से अपरिचित होता है।"[3]

साक्षात्कार की विशेषताएं :-

साक्षात्कार की विशेषताओं को निम्न बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है :-

1. साक्षात्कार के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है जो परस्पर सम्पर्क एवं वार्तालाप के द्वारा अन्तःक्रिया करते हैं।
2. साक्षात्कार एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है।
3. साक्षात्कार में दोनों पक्षों के बीच आमने-सामने के और प्राथमिक सम्बन्ध स्थापित हो जाते हैं।

---

2. गुडे एवं हॉट, मेथड्स इन सोशल रिसर्च, पेज 186।
3. यंग, पी०वी०, साइन्टिफिक सोशल सर्वे एण्ड रिसर्च, पेज 242।

4. साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता द्वारा अध्ययन विषय से सम्बन्धित सूचनाओं एवं तथ्यों का संकलन किया जाता है।

5. साक्षात्कार सूचना संकलन की एक मौखिक विधि है।

साक्षात्कार के प्रमुख उद्देश्य :-

साक्षात्कार के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं :-

1. प्राकल्पनाओं का प्रमुख साधन :-

साक्षात्कार का एक उद्देश्य प्राकल्पनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री को एकत्र करना है। साक्षात्कार करने से अनुसंधानकर्ता को भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की भावनाएं, विचार, मनोवृत्तियों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिलता है। साथ ही व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में भी बहुमूल्य अनुभव होते हैं जिससे नवीन प्राकल्पनाओं के निर्माण में सहायता मिलती है।

2. प्रत्यक्ष एवं आमने-सामने के सम्पर्क द्वारा सूचना -

साक्षात्कार का दूसरा प्रमुख उद्देश्य प्रत्यक्ष एवं आमने-सामने के सम्पर्क द्वारा सूचना का संकलन करना है। इस प्रविधि में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का प्रत्यक्ष अथवा आमने-सामने सम्पर्क स्थापित किया जाता है। इस प्रकार के प्रत्यक्ष सम्पर्क द्वारा व्यक्ति से उसकी अनेक आन्तरिक बातें, भावनाएं,उद्वेगों, मनोवृत्तियों आदि का भी अध्ययन संभव है। जो कि सामाजिक अनुसंधान कार्यो में अति महत्वपूर्ण है।

3. निरीक्षण का अवसर मिलना -

साक्षात्कार का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य है कि इससे निरीक्षण का एक अच्छा अवसर प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति अजनबी सा किसी परिवार का निरीक्षण करने जाये तो परिवार वालों को अजीब सा संदेह होगा। परन्तु साक्षात्कार के बहाने अनुसंधानकर्ता

साथ-साथ उत्तरदाता के घर का वातावरण, पास-पड़ोस, घर के सदस्यों का व्यवहार व मनोवृत्ति आदि का निरीक्षण कर लेता है। इस प्रकार साक्षात्कारकर्ता को निरीक्षण एवं साक्षात्कार दोनों ही पद्धतियों के लाभ प्राप्त होने का सुनहरा अवसर प्राप्त हो जाता है।

4. आन्तरिक एवं व्यक्तिगत सूचना :-

साक्षात्कार प्रविधि द्वारा अनेकों व्यक्तिगत एवं आन्तरिक तथ्यों का अध्ययन करने में भी सहायता प्राप्त होती है। अनेक गुणात्मक तथ्य जैसे-व्यक्तिगत विचार, भावनाएं, लोक विश्वास, व्यक्तिगत उद्‌वेग, मनोवृत्तियां और प्रवृत्तियां जो कि मानव के आन्तरिक जगत में विद्यमान रहते हैं। साक्षात्कार प्रविधि द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं।

साक्षात्कार के प्रकार :-

साक्षात्कार को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। संख्या के आधार पर सामूहिक एवं व्यक्तिगत प्रकार के साक्षात्कार होते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में व्यक्तिगत साक्षात्कार प्रविधि अनाई गई है। अतः यहाँ पर इस प्रविधि का उल्लेख किया जा रहा है।

व्यक्तिगत साक्षात्कार जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है साक्षात्कारकर्ता एक समय में एक ही व्यक्ति से साक्षात्कार करता है। इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता, उत्तरदाता से प्रश्न पूंछता चला जाता है, उत्तरदाता उसका उत्तर देता चला जाता है कभी-कभी दोनों ही प्रश्नोत्तर करने लगते हैं।

प्रायः व्यक्तिगत साक्षात्कार से अनेक लाभ होने की संभावना रहती है। प्रथम तो अन्य पद्धतियों की तुलना में इस पद्धति से कहीं अधिक सत्य सूचनाएं प्राप्त करने की संभावना रहती है। क्योंकि साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता के अनेक गलत-उत्तरों को उसी समय ठीक कर सकता है। दूसरे इस प्रकार के साक्षात्कार द्वारा अनुसूची में दिये गये प्रायः सभी प्रश्नों के उत्तर संभव होते हैं क्योंकि साक्षात्कारकर्ता स्वयं प्रश्न पूँछता है। इसके अतिरिक्त अनुसूची में यदि किसी प्रश्न की भाषा कठिन हो तो साक्षात्कारकर्ता उसे सरल करके समझा

भी सकता है। इतना ही नहीं व्यक्तिगत साक्षात्कार से अनेक भावुक एवं संवेदनशील प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त होने की संभावना होती है क्योंकि साक्षात्कारकर्ता उन प्रश्नों को उत्तरदाता के समक्ष अति कोमल रूप में प्रस्तुत करता है।

प्रस्तुत अध्ययन में व्यक्तिगत साक्षात्कार प्रविधि को तथ्यों के संकलन के लिए उपयोग में लाया गया है। अध्ययन के लिए मौदहा विकास खण्ड के पूर्वी क्षेत्र के स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों में से 400 का व्यक्तिगत साक्षात्कार लिया गया है। साक्षात्कार में अनुसूची भरने के साथ-साथ उत्तरदाताओं के वातावरण का निरीक्षण भी किया गया। व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से उत्तरदात्रियों के गाँव की भौगोलिक संरचना, आर्थिक, संरचना, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक विविधताओं आदि से सम्बन्धित तथ्यों की जानकारी भी प्राप्त की गई है।

अनुसूची :-

सामाजिक अनुसंधान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात विषय से सम्बन्धित वैध एवं विश्वसनीय तथ्यों का संकलन है तथ्यों के संकलन की एक प्रमुख विधि अनुसूची है। अनुसूची वास्तव में प्रश्नों की एक लिखित सूची है जिसे शोधकर्ता अपने अध्ययन विषय की प्रकृति व उद्देश्य को ध्यान में रखकर तैयार करता है जिससे कि उन प्रश्नों का उत्तर सम्बन्धित व्यक्तियों से ज्ञात किया जा सके और इस प्रकार आवश्यक सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया को एक व्यवस्थित रूप मिल सके।

अनुसूची प्राथमिक तथ्यों का संकलन करने की एक ऐसी विधि है जिसमें अवलोकन, साक्षात्कार तथा प्रश्नावली तीनों की ही विशेषताओं एवं गुणों का समन्वय पाया जाता है। अनुसूची के माध्यम से वैयक्तिक मान्यताओं, सामाजिक अभिव्यक्तियों, विश्वासों, विचारों, व्यवहार प्रतिमानों, समूह-व्यवहारों, आदतों तथा जनगणना आदि से सम्बन्धित तथ्यों का संकलन किया जाता है। इसके द्वारा संग्रहीत तथ्यों में एकरूपता लाकर उनका गुणात्मक एवं

संख्यात्मक मापन सरलता से किया जा सकता है। यही कारण है कि वर्तमान में सामाजिक अनुसंधानों में अनुसूची का प्रयोग दिनों-दिन बढ़ता ही जा रहा है।

अनुसूची एक फार्म के रूप में होती है जिसमें अध्ययन विषय से सम्बन्धित प्रश्न होते हैं जो एक निश्चित क्रम में लिखे होते हैं। जिसे अध्ययनकर्ता सूचनादाता से पूंछकर या व्यक्तिगत रूप से अवलोकन करके भरता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अनुसूची अध्ययन विषय से सम्बन्धित प्रश्नों की एक व्यवस्थित एवं वर्गीकृत सूची होती है जिन्हें अध्ययनकर्ता साक्षात्कार द्वारा सूचनादाता से पूंछता और भरता जाता है।

अनुसूची की विशेषतायें :-

अनुसूची की निम्नवत् विशेषताएं हैं :-

1. अनुसूची अध्ययन की समस्या से सम्बन्धित शीर्षक, उपशीर्षक एवं प्रश्नों से सम्बन्धित एक व्यवस्थित तथा वर्गीकृत सूची होती है।

2. अनुसूची को भरने के लिए अध्ययनकर्ता उत्तरदाता से प्रत्यक्ष एवं आमने–सामने का सम्पर्क करता है।

3. इसे एक प्रपत्र अथवा फार्म के रूप में छपवाया जाता है। जिसमें क्रमबद्ध रूप से प्रश्न रखे जाते हैं।

4. अनुसूची में साक्षात्कार, अवलोकन एवं प्रश्नावली तीनों विधियों की विशेषताओं का समावेश होता है।

5. अनुसूची का प्रयोग शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों ही प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए कर सकते हैं।

6. अनुसूची अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण भी रखती है जिससे वह विषय से न हटे।

अनुसूची के उद्देश्य :-

अनुसूची के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

1. अनुसूची का प्रमुख उद्देश्य प्रमाणित, विश्वसनीय एवं यथार्थ सूचनाएं संकलित करता है।

2. इसका उद्देश्य गुणात्मक तथ्यों को संख्यात्मक तथ्यों में प्रकट कर उन्हें अनुमापन योग्य बनाना है।

3. तथ्यों का एक व्यवस्थित क्रम में संकलन करना।

4. अध्ययन समस्या के बारे में वैषयिक सूचना संकलित करना।

5. स्थानीय एवं क्षेत्रीय अध्ययन करना।

6. अनावश्यक तथ्यों के संकलन से बचाव।

अनुसूची के प्रकार :-

अनुसूची के प्रकारों को निम्नवत् स्पष्ट किया जा रहा है -

1. निरीक्षण अनुसूची
2. मूल्यांकन अनुसूची
3. संस्था सर्वेक्षण अनुसूची
4. साक्षात्कार अनुसूची
5. प्रलेखीय अनुसूची

साक्षात्कार अनुसूची :-

अनुसूची के प्रकारों में साक्षात्कार अनुसूची प्रमुख है :-

प्रस्तुत अध्ययन में सूचना संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार की अनुसूचियों में सूचनाएं प्रत्यक्ष साक्षात्कार के द्वारा एकत्रित की जाती है। इसमें निश्चित प्रश्न अथवा खाली सारणी दी हुई होती है, जिन्हें साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता से पूंछकर भरता है। इसके द्वारा साक्षात्कार को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध किया जाता है। इनसे प्राप्त सूचनाओं का वर्गीकरण एवं सारणीयन बहुत आसान होता है। सहायक सूचनाओं की प्राप्ति, संग्रहीत सामग्री की जांच अथवा अध्ययन को प्रारम्भ करने के लिए इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की अनुसूची से विश्वसनीय एवं प्रमाणिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इसमें प्राप्त सूचनाओं का सत्यापन हो जाता है तथा कई घटनाओं का अवलोकन द्वारा भी सत्यापन हो जाता है। लेकिन जो इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है कि इसके द्वारा शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों प्रकार के उत्तरदाताओं से सूचनाएं संकलित की जा सकती है।

प्रस्तुत अध्ययन में सूचना प्राप्ति हेतु लगभग 95 प्रश्नों की एक अनुसूची तैयार की ग़यी है। जिसमें हाँ/नहीं, मुक्त एवं बहुवैकल्पिक प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। ग्रामीण महिलाओं की पृष्ठभूमि एवं स्वयं सहायता समूह की गतिविधियों से सम्बन्धित जानकारी का पता लगाने के लिए क्यों, कौन, कितने एवं कैसे प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। कुछ प्रश्न उत्तरदात्रियों की सामान्य जानकारी से सम्बन्धित है। कुछ प्रश्नों का समावेश इस प्रकार किया गया है जिससे उपरोक्त प्रकल्पनाओं की जांच भली-भांति सम्भव हो सके। प्रश्नों के माध्यम से उत्तरदात्रियों के विचार, मनोवृत्तियों को परखने का प्रयत्न किया गया है।

निदर्शन :-

निदर्शन सामाजिक अनुसंधान की आधारशिला है। निदर्शन इकाइयों के चयन का

वैज्ञानिक तरीका है। समग्र में से कुछ इकाइयों को अध्ययन हेतु प्रतिनिधि के रूप में चुनना निदर्शन कहलाता है। दैनिक जीवन में भी निदर्शन विधि का प्रयोग होता ही रहता है। जैसे आदमी बाजार में रखे चावल के बोरे में केवल एक मुट्ठी चावल को देखकर पूरे बोरे के चावल का अनुमान लगा लेता है कि बोरे में रखा चावल कैसा है। अर्थात् कुछ को देखकर सम्पूर्ण का अनुमान लगा लेना या ज्ञान हो जाना ही निदर्शन है। निदर्शन का प्रयोग अनुसंधान के लिए एक आवश्यक चरण होता है।

गुडे एवं हाट ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है कि, "एक निदर्शन जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, कि एक विस्तृत समूह का एक प्रतिनिधि है।" इसी प्रकार श्रीमती पी०वी० यंग ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है "एक सांख्यकीय निदर्शन उस सम्पूर्ण समूह अथवा योग का एक लघुकृत आकार का चित्र है जिसमें से कि निदर्शन लिया गया है।"

निदर्शन के आधार :-

इसके मूल आधार निम्नलिखित है :-

(1) समग्र की सजातीयता :-

ऊपरी तथ्यों या इकाइयों में बहुत सारी असमानताएं दिखाई देती हैं। उदाहरणार्थ सभी मनुष्य बाह्य रूप में एक दूसरे से भिन्न दिखाई पड़ते हैं परन्तु शरीर रचना की दृष्टि से उनमें बहुत सी समानतायें विद्यमान होती है। यही कारण है कि निदर्शन को समग्र का प्रतिनिधि मान लिया जाता है।

(2) प्रतिनिधित्व पूर्ण चुनाव की संभावना :-

निदर्शन इस मान्यता पर आधारित है कि सम्पूर्ण समूह में से थोड़ी सी इकाइयों का चयन इस प्रकार किया जा सकता है कि वे समग्र का प्रतिनिधित्व कर सकें, किन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि निदर्शन की इकाइयों में वे सभी विशेषताएं है जो मूल समग्र में हो।

(3) उचित परिशुद्धता :-

कोई भी निदर्शन शत-प्रतिशत रूप से समग्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता फिर भी पर्याप्त मात्रा में परिशुद्धता प्राप्त की जा सकती है। प्रयास यह होना चाहिए कि निदर्शन में इकाइयों की संख्या पर्याप्त हो, ताकि यह प्रतिनिधित्व पूर्ण हो सके और उनके अध्ययन से निकाले गये निष्कर्ष वास्तविक स्थिति का सही चित्रण कर सके।

श्रेष्ठ निदर्शन की विशेषताएं :-

निदर्शन द्वारा सामाजिक घटनाओं के बारे में निष्कर्ष कितने यथार्थ एवं वैज्ञानिक होंगे, यह बात निदर्शन की उत्तमता एवं समग्र की प्रतिनिधित्व पूर्णता पर निर्भर करती है। एक श्रेष्ठ निदर्शन के निम्न लक्षण होने चाहिए।

1. समग्र का प्रतिनिधित्व
2. निष्पक्षता
3. साधनों के अनुरूप
4. पर्याप्त आकार
5. उद्देश्यों के अनुरूप
6. सामान्य ज्ञान तथा तर्क पर आधारित
7. स्वतन्त्रता
8. व्यावहारिक अनुभवों पर आधारित

निदर्शन के प्रकार -

निदर्शन प्रविधि का आशय उस विधि से है जिसकी सहायता से प्रतिनिधिपूर्ण निदर्शन का चुनाव किया जाता है। अध्ययन के निष्कर्ष को यथार्थ रूप दिया जा सके इसके लिए आवश्यक है कि निदर्शन समग्र का उचित प्रतिनिधित्व कर सके। निदर्शन का चुनाव मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता। इसके लिए सुनिश्चित प्रविधियों को अपनाना आवश्यक होता है। निदर्शन के चुनाव की ये प्रविधियाँ संक्षेप में निम्नलिखित हैं-

(1) दैव निदर्शन -

दैव निदर्शन वह निदर्शन है जिन्हें कि दैव प्रणाली या संयोग प्रणाली से चुना जाता है। अर्थात् समग्र के किसी भी इकाई को वांछनीय या अवांछनीय मानते हुए एवं सभी को चुने जाने का समान अवसर प्रदान करते हुए जब लाटरी निकालने जैसे तरीकों से निदर्शन का चुनाव किया जाता है। तो उसे दैव निदर्शन कहते हैं।

दैव निदर्शन चुनने की प्रणालियाँ -

दैव निदर्शन में निदर्शन चुनने के कई तरीके हो सकते हैं, उनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं -

1. लॉटरी प्रणाली
2. कार्ड अथवा टिकट प्रणाली
3. नियमित अंकन प्रणाली
4. अनियमित अंकन प्रणाली
5. टिप्पेट प्रणाली
6. ग्रिड प्रणाली
7. कोटा निदर्शन

(2) उद्देश्यपूर्ण अथवा सविचार निदर्शन -

जब शोधकर्ता किसी विशेष उद्देश्य को सामने रखकर जानबूझकर समग्र में कुछ इकाइयों का चुनाव करता है तो उसे उद्देश्यपूर्ण या सविचार निदर्शन कहते हैं।

(3) संस्तरित अथवा वर्गीकृत निदर्शन -

इस प्रकार के निदर्शन का चुनाव करने के लिए शोधकर्ता सर्वप्रथम समग्र की सभी विशेषताओं के बारे में एक प्राथमिक जानकारी प्राप्त करता है। संस्तरित निदर्शन का अर्थ है समग्र में से उप-निदर्शनों को लेना जिनकी समान विशेषतायें हैं जैसे खेती के प्रकार, खेतों के आकार, भूमि पर स्वामित्व, शिक्षा-स्तर, आय, लिंग, सामाजिक वर्ग आदि। उन निदर्शनों के अन्तर्गत आने वाले इन तत्वों को एक साथ लेकर प्रारूप या श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

संस्तरित निदर्शन के प्रकार-संस्तरित निदर्शन तीन प्रकार का होता है-

1. समानुपातिक
2. असमानुपातिक
3. भार युक्त संस्तरित निदर्शन

उपरोक्त तीन प्रमुख प्रकार के निदर्शनों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार के निदर्शन का उल्लेख निम्न प्रकार से है -

4. बहु स्तरीय निदर्शन
5. सुविधाजनक निदर्शन
6. स्वयं निर्वाचित निदर्शन
7. क्षेत्रीय निदर्शन

प्रस्तुत शोध का निदर्शन -

प्रस्तुत अध्ययन ग्रामीण विकास में महिलाओं की भागीदारी से सम्बन्धित है। अध्ययन को उत्तर प्रदेश राज्य के हमीरपुर जनपद के मौदहा विकास खण्ड में केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अन्तर्गत गठित महिला स्वयं सहायता समूहों पर केन्द्रित किया गया है। मौदहा विकास खण्ड की 60 ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत 463 स्वयं सहायता समूहों का गठन हुआ है। जिसमें 220 समूह कार्यरत है। 220 समूहों में से विषय की आवश्यकता एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए 80 महिला स्वयं सहायता समूहों का चयन दैव निदर्शन विधि से लाटरी प्रणाली द्वारा किया गया है। चयनित 80 समूहों में प्रत्येक समूह से 5 महिलाओं का चयन सुविधापूर्ण निदर्शन के द्वारा किया गया है जिनकी संख्या 400 है।

अध्ययन का संदर्भ क्षेत्र -

प्रस्तुत अध्ययन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थित चित्रकूट धाम मण्डल के अन्तर्गत आने वाले जनपद-हमीरपुर के मौदहा विकास खण्ड में केन्द्रित किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन 'स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना' के अन्तर्गत 'स्वयं सहायता समूह' की महिला सदस्यों की भागीदारी से सम्बन्धित है। मौदहा विकास खण्ड का जनपद हमीरपुर है जो अध्ययन क्षेत्र का संदर्भ जनपद भी है। अतः इसका संक्षिप्त परिचय यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

हमीरपुर :-

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के प्रवेश द्वारा एवं यमुना, बेतवा नदी के मध्य अवस्थित हमीरपुर का अपना ऐतिहासिक महत्व रहा है। 11वीं शताब्दी में कल्चुरी शासक राजा हम्मीरदेव ने इस नगर की स्थापना की थी। राजा हम्मीरदेव के नाम पर ही इस नगर का नाम हमीरपुर पड़ा। इस जनपद का कुल क्षेत्रफल 4282 वर्ग किमी० है। नवीनतम् जनगणना 2001 के अनुसार इस जनपद की जनसंख्या 10,43724 है। तथा जनसंख्या घनत्व 241 प्रति वर्ग

किमी० है। इस जनपद की साक्षरता 54.4 प्रतिशत है। जनपद हमीरपुर में 4 तहसीलें क्रमशः हमीरपुर, मौदहा, सुमेरपुर, मुस्करा, राठ, सरीला व गोहाण्ड हैं। इस जनपद में आबाद ग्रामों की संख्या 511 है तथा नगर व नगर समूहों की संख्या 7 है। जनपद का कुल सिंचित भू-भाग 90249 हेक्टेयर है तथा 5 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। हमीरपुर जनपद की सीमायें झाँसी, जालौन, कानपुर, बाँदा, महोबा आदि जनपदों से मिलती है।

मौदहा :-

मौदहा विकास खण्ड हमीरपुर मुख्यालय से 32 किमी० दक्षिण पूर्व दिशा में 25-26 उत्तरी अक्षांश तथा 807 पूर्वी देशान्तर में स्थित है। मौदहा नगर का उदय जनपद गजेटियर के अनुसार मिश्र के निवासी शेख अहमद ने बसाया था। कुछ लोगों का मानना है कि इस नगर का नामकरण एक सिद्ध फकीर मोदी शाहबाबा के नाम पर हुआ था। जिनकी मजार आज भी नगर के मध्य कजियाना मुहल्ले में स्थित है। कुछ लोगों यह भी मानते हैं कि इस क्षेत्र में वनों की अधिकता थी जिससे यहाँ प्रचुर मात्रा में मधु (शहद) पाया जाता है। अतः इसे मधुबहा क्षेत्र कहा जाता था जो धीरे-धीरे मौदहा के नाम से प्रचलित हो गया। इस कस्बे में एक ऐतिहासिक किले के भग्नावशेष है जिसका निर्माण चरखारी के राजा विजय बहादुर ने कराया था। जो अब हांथी दरवाजा के नाम से जाना जाता है।

मौदहा विकास खण्ड का कुल क्षेत्रफल 84,443 हेक्टेयर है। जिसकी परिधि में जनगणना 2001 के अनुार कुल आबादी 1,51,274 है। इस जनसंख्या में 82,016 पुरुष तथा 69,258 महिलाएं हैं। जिनमें कुल साक्षरों की संख्या 66,015 है। इसमें 45,904 पुरुष तथा 20,111 महिलाएं साक्षर हैं। इस विकास खण्ड में कुल 60 ग्राम पंचायत, 10 न्याय पंचायत तथा 103 ग्राम हैं। जिसमें आबाद गाँवों की संख्या 89 है और गैर आबाद गांवों की संख्या 14 है।

अध्ययन से सम्बन्धित क्षेत्र को मौदहा विकास खण्ड केन्द्रित किया गया है। जो हमीरपुर जनपद के अति पिछड़े क्षेत्र में आता है। अध्ययन क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु भूमि ज्यादातर असिंचित है। ध्यातव्य हो कि बुन्देलखण्ड लगातार पिछले 4 वर्षो से सूखा प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। कभी-कभी पेयजल संकट की स्थिति भी इस क्षेत्र को झेलनी पड़ती है। पीने का पानी सुदूरवर्ती क्षेत्रों से मंगाना पड़ता है।

मौदहा विकास खण्ड का मुख्यालय तहसील मुख्यालय मौदहा में ही है। यह विकास खण्ड रेल एवं सड़क परिवहन दोनों से जुड़ा है। इसका पूर्वी क्षेत्र कानुपर-बाँदा रेलमार्ग एवं सड़क परिवहन से जुड़ा है। यहाँ से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, औद्योगिक शहर कानपुर एवं झाँसी व मध्य प्रदेश के सागर, छतरपुर, खजुराहों आदि जिलों के लिए बस सेवा उपलब्ध है।

उपरोक्त विकास खण्ड में चल रही स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों को अध्ययन का आधार बनाया गया है। चूंकि इस विकास खण्ड का अध्ययन क्षेत्र देश के विभिन्न प्रान्तों की अपेक्षा अत्यन्त पिछड़ा है। अतः ऐसे क्षेत्र की महिलाओं में शिक्षा, जागरूकता, नेतृत्व क्षमता एवं सशक्तीकरण सम्बन्धी चेतना की कमी पर्याप्त होती है। अतः अध्ययन की दृष्टि से इस विकास खण्ड का चुनाव विषय की सार्थकता पर दृष्टिपात करते हुए उचित प्रतीत होता है।

तृतीय अध्याय

उत्तरदाताओं की सामाजिक पृष्ठभूमि-

- जातीय संस्तरण
- पारिवारिक एवं वैवाहिक स्थिति
- शैक्षिक स्थिति
- राजनीतिक स्थिति
- अर्थव्यवस्था
- धार्मिक एवं सांस्कृतिक संरचना
- वेश–भूषा एवं खान–पान
- मनोरंजन
- ऐतिहासिक स्थिति
- प्रशासनिक एवं अन्य सुविधायें

तृतीय अध्याय

उत्तरदाताओं की सामाजिक पृष्ठभूमि

मानव संसार व्यक्तियों से निर्मित है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे से आचार व्यवहार करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा सामाजिक जीवन में उनकी कुछ प्रतिष्ठा तथा भूमिका बन जाती है, जिनके साथ उनके अधिकार और दायित्व दोनों जुड़े होते हैं। उनका सामाजिक व्यवहार भी एक विशिष्ट ढांचे का हो जाता है तथा सामाजिक मेल मिलाप के लिए वे कुछ विशेष आदर्शो तथा मूल्यों से बंध जाते हैं। इस प्रकार लोगों के आपस में सामाजिक मेल-मिलाप के परिणामस्वरूप समूहों, समुदायों, समाजों और संस्थाओं जैसी सामाजिक इकाइयों का जन्म होता है। फलतः समाज में प्रतिष्ठा और भूमिका के परस्पर संबंधों का ढांचा तैयार हो जाता है जिसमें आपसी सामाजिक संबंध अपेक्षाकृत अधिक स्थाई होते हैं। यह एक दूसरे के साथ मेलमिलाप का, लोगों या समूहों के परस्पर संबंधित अधिकारों और दायित्वों का एक व्यवस्थित उदाहरण हैं इस ढाँचे को ही सामाजिक संरचना कहा जाता है।

ग्रामीण सामाजिक संरचना को समझने के लिए आवश्यक होता है कि वहाँ की सामाजिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट किया जाये। प्रस्तुत अध्याय में उत्तरदाताओं की सामाजिक पृष्ठभूमि का उल्लेख किया जा रहा है। जिसमें उत्तरदाताओं के सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों जैसे-परिवार, विवाह, जातीय संस्तरण, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति आदि को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है जिसमें महिलाये निवास करती है।

जातीय संस्तरण -

मौदहा विकास खण्ड की सामाजिक व्यवस्था का प्रमुख आधार जाति है। विकास खण्ड में जाति व्यवस्था का स्वरूप काफी दृढ़ है। उच्च जातियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य

प्रमुख है। जिनमें वैश्य प्रमुखतः नगरों तक ही केन्द्रित है। गांवों में उच्च जातियों में क्षत्रियों की संख्या सर्वाधिक है परन्तु इस विकास खण्ड के गांवों में मुस्लिम भी बहुतायत से हैं। उच्च जाति में ब्राह्मण भी प्रायः सभी गांवों में हैं। मध्यम या पिछड़ी जातियों में केवट, अहीर, काछी, कुम्हार आदि प्रमुख है। जिसमें कुम्हार और अहीर प्रभुजातियाँ है। अनुसूचित जातियों में लगभग सभी जातियां विकास खण्ड में पाई जाती है। जिनमें चमार, कोरी, बसोर, धोबी है। विकास खण्ड में अनुसूचित जाति की राजनीति के फलस्वरूप कुछ प्रमुख अनुसूचित जातियों का दबदबा है। परन्तु प्रायः वे सामाजिक और आर्थिक रूप से शोषित ही है। इस विकास खण्ड के गांवों में जातियों के मध्य सामाजिक दूरी आधुनिक प्रक्रियाओं एवं परिवर्तन के फलस्वरूप कम हुई प्रतीत होती हैं परन्तु अभी भी विशेषकर ग्रामों में जातियों के अपने निषेध है और कुछ प्रतिबन्ध भी हैं जिन्हें जाति के सदस्य स्वीकार करते हैं। इस विकास खण्ड में महिलाओं की सामाजिक स्थिति जातिगत आधारों से भिन्न-भिन्न है। क्षत्रिय एवं ब्राह्मण जातियों में महिलाओं की स्थिति सामाजिक दृष्टि से उच्च है। मुस्लिम महिलायें घर की चहारदीवारी एवं बच्चे पैदा करने की मशीन जैसी कुप्रथाओं एवं रुढ़ियों को तोड़ने में थोड़ी बहुत सफलता हासिल कर पाई हैं। पिछड़ी जाति की महिलाओं में भी समानता परिलक्षित हो रही है। अनुसूचित जाति की महिलाओं में उनकी जाति के क्रम में अन्य जातियों की अपेक्षा सामाजिक स्थिति उच्च है। इनको जाति कार्यो के साथ-साथ अन्य सामाजिक कार्यो को करने की छूट है। इसके अलावा यह जाति श्रमिक वर्ग में आती है। अतः श्रम बल की अधिकता होने के कारण इनकी समाज कार्यो में सहभागिता अधिक रहती है। इसके अलावा सामाजिक चेतना एवं जागरूकता का प्रार्दुभाव इस जाति की महिलाओं में अन्य जातियों की अपेक्षा अधिक दृष्टिगोचर हो रहा है।

पारिवारिक एवं वैवाहिक स्थिति -

विकास खण्ड में संयुक्त परिवार प्रणाली है। इस प्रणाली के अन्तर्गत एक पिता के पुत्र तथा उनके परिवार संयुक्त रूप से रहते हैं और पिता का शासन तथा संरक्षण होता

है। परन्तु वर्तमान में आधुनिकीकरण, नगरीकरण एवं बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के फलस्वरूप अलग-अलग रहने की भावना उदय हो गयी है। जिससे संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है और एकांकी परिवार प्रणाली का बोलबाला बढ़ रहा है। फिर भी ग्रामों में अभी भी ज्यादातर व्यक्ति संयुक्त परिवार को ही प्राथमिकता देते हैं। एकाकी परिवारों में प्रायः यह देखने में आता है कि महिला स्वयं निर्णय लेने एवं नेतृत्व करने में सक्षम हो जाती है जबकि संयुक्त परिवार में महिलाओं के विचारों एवं भावनाओं को व्यक्त करने सम्बन्धी स्वतन्त्रता पर बड़े-बुजुर्गो द्वारा बाध्यता रहती है।

विकास खण्ड में पारम्परिक विवाह प्रणाली का प्रचलन है। हिन्दु समाज में माता-पिता के संरक्षण में कन्या का विवाह योग्यवर चुनकर ही किया जाता है। परिवार तथा रिश्तेदारों और सगे सम्बन्धियों की उपस्थिति में विभिन्न संस्कारों द्वारा कन्यादान किया जाता है। इस प्रकार के विवाह में प्रायः वर-वधु की सहमति आवश्यक नहीं होती परन्तु आधुनिकता और ग्रामों में टेलीविजन के बढ़ते प्रभावों ने इस धारणा को काफी हद तक बदल दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब लड़की, लड़के को देखकर एवं लड़का, लड़की को देखकर व आपसी सहमति के पश्चात ही विवाह के लिए राजी होते है। पूर्व में पिछड़ी एवं निम्न जातियों में अल्पायु में विवाह कर देने की प्रथा प्रचलित थी वर्तमान में शिक्षा के प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता के कारण इन जातियों में अल्पायु में विवाह कर देने में कमी आई है। इस क्षेत्र में भाई-बहिन के रिश्ते को अत्यधिक महत्त्व दिया जाता है। बहन के रूप में लड़कियों का बहुत अधिक सम्मान होता है। यहाँ भाई द्वारा बहिन के यहाँ उसके लड़कों विशेषकर लड़की के विवाह होने पर भात (यहाँ की क्षेत्रीय भाषा में चीकट कहा जाता है) देने की प्रथा है इसके पीछे बुन्देलखण्ड के ऐतिहासिक एवं धार्मिक नगरी ओरछा के हरदौल और उनकी बहिन कुंजा की कहानी प्रचलित है जिसमें मृत्यु के उपरान्त हरदौल अपनी बहिन कुंजा को भारत देने मंडप के दिन पहुँचते है। इस प्रथा का भाइयों द्वारा आज भी पालन किया जाता है। लाला हरदौल को यहाँ की विवाह पद्धति में सर्वप्रथम निमंत्रण भेजा जाता है तथा यहाँ विवाह में गाये जाने वाले गीत इस बात का परिचायक है। इस क्षेत्र में

लाला हरदौल की प्रतिष्ठा आज भी चरम पर है जिसका प्रमाण उनकी समाधि के प्रतीक के रूप में प्रत्येक गांव में उनके चबूतरे बने हुए हैं जिनकी बडी श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है। इस क्षेत्र में मुस्लिम समाज में भी अधिसंख्य परिवारों में हिन्दू विवाह पद्धति के रीति-रिवाजों का पालन किया जाता है जिनमें मण्डपाच्छादन (तेल) एवं मातृकापूजन (मायन) प्रमुख है। यहाँ के मुस्लिम वर्ग की संख्या विकास खण्ड के 12 ग्रामों में अधिक है। जिनमें बहुसंख्य मात्रा में मुस्लिम ही निवास करते है। अन्य धर्मो की जातियां न के बराबर है। यह अपने लड़के और लड़कियों का विवाह केवल 12 ग्रामों में ही करते हैं जो अपने आप में एक रोचक तथ्य है। इस क्षेत्र में दहेज प्रथा सबसे बड़ी समस्या है। जिसके चलते लड़कियों को अभिशाप माना जाता है। दहेज प्रथा का प्रचलन ज्यादातर उच्च्व जातियों में है। निम्न जातियों में इस प्रथा का प्रचलन बहुतायत नहीं है।

शैक्षिक स्थिति -

इस विकास खण्ड में महिला शिक्षा की स्थिति पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट होता है कि पूर्व में यहाँ महिलाओं की स्थिति निम्न स्तर की थी जिसके पीछे सामाजिक पिछड़ापन एवं कुप्रथाएं है। यहाँ शिक्षा की दशा शोचनीय रही है विशेषकर महिला शिक्षा की स्थिति अत्यन्त शोचनीय रही है। पूर्व में लड़कियों को शिक्षा दिलाना उचित नहीं समझा जाता था। यह माना जाता था कि लड़कियों को पराए घर जाना है, लड़कियां पराया धन होती है। अतः शिक्षा दिलाना आवश्यक नहीं है। इन रुढ़िगत विचारों और प्रथाओं के चलते यहाँ की लड़कियां शिक्षा से वंचित रह जाती थीं। उच्च्व जातियों जिन्हें द्विज भी कहा जा सकता है, में तो एकाध परिवारों में लड़कियों को शिक्षित कर दिया जाता था वह भी इतना कि वह अपना नाम और पत्र लिख व पढ़ सके। परन्तु निम्न जाति की लड़कियों को यहाँ तक कि लड़कों को भी शिक्षा ग्रहण करने से वंचित कर दिया जाता था। लड़कियों एवं महिलाओं को भोजन बनाने एवं बच्चे संभालने आदि कार्यो तक ही सीमित रखा जाता था। परन्तु धीरे-धीरे इस क्षेत्र में सामाजिक परिवर्तन परिलक्षित हो रहे हैं। यहाँ महिलाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता आई है। अब यहाँ की बड़ी बुजुर्ग महिलायें इस बात का आभास करती हैं कि

सामाजिक बंधनों एवं कुप्रथाओं के चलते वे तो नहीं पढ़ पायी परन्तु वह अपनी लड़कियों को जरूर पढ़ायेंगी। यहां के लोगों के बीच शैक्षिक जागरूकता का अभ्युदय हुआ है। जिससे वह अपनी लड़कियों को शहर या कस्बे में पढ़ने के लिए भेजते हैं या फिर स्वयं रहकर पढ़ाते हैं। यहाँ कि निम्न जातियाँ भी बालिका शिक्षा के प्रति विशेष जागरूक हुई है।

इस विकास खण्ड का शैक्षिक स्तर हालांकि बहुत उच्च स्तर का नहीं है जिसके पीछे इस क्षेत्र का पिछड़ा और अविकसित होना है। यहां साक्षरता का प्रतिशत अन्य जगहों की अपेक्षा काफी कम है। मौदहा विकास खण्ड में 50 जू0 बेसिक स्कूल तथा 144 सीनियर बेसिक स्कूल है। मौदहा कस्बे में चार इण्टर कालेज क्रमशः नेशनल इण्टर कालेज, गांधी इण्टर कालेज, रहमानिया इण्टर कालेज, राजकीय बालिका इण्टर कालेज है। ग्रामीण अंचल में मात्र दो इण्टर कालेज शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उच्च शिक्षा की दृष्टि से इस कस्बे में मात्र एक राजकीय महाविद्यालय है।

राजनीतिक स्थिति -

किसी भी देश, समाज या व्यक्ति की राजनीतिक स्थिति को राजनीतिक प्रभाव कारिता, राजनीतिक चेतना एवं राजनीतिक सहभागिता के आधार पर समझा जा सकता है। इस क्षेत्र में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति को भी इन्हीं आधारों पर समझा जा सकता है।

यदि हम इतिहास पर दृष्टिपात करें तो इस क्षेत्र में गिने-चुने नाम ही आते हैं जिनमें प्रमुख रूप से रानी राजेन्द्र कुमारी है। जिन्होंने राजनीति में अपने कौशल का अपार प्रदर्शन किया एवं सर्व-धर्म हित की राजनीतिक सोंच अपनाकर कुशल नेतृत्व करते हुए यहाँ कि जनता विशेष कर महिलाओं को एक नई दिशा प्रदान की। परन्तु यह उदाहरण सम्पूर्ण महिलाओं या यहाँ कि समस्त महिलाओं के प्रतिबिम्ब नहीं हो सकते। वास्तविक रूप में पूर्व एवं वर्तमान में इस क्षेत्र में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति न के बराबर हैं पूर्व में महिलाओं को राजनीतिक क्रियाकलापों के निर्णयों से पूर्णतः विलग रखा जाता था यही कारण है कि वर्तमान में इस क्षेत्र से एक भी महिला सांसद या विधायक नहीं है। आज जब

सम्पूर्ण देश में विभिन्न क्षेत्रों से महिलाएं राजनीति में सफलतापूर्वक कदम रख रही है। यदि पंचायतों को छोड़ दिया जाय तो यहाँ से महिलाओं की राजनीति में भागेदारी लगभग शून्य ही है।

73वें संशोधन के परिणाम स्वरूप प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के कारण पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। परिणामस्वरूप महिलायें पंचायतों में चुनकर आ रही हैं जिससे उनका राजनीतिक समाजीकरण हो रहा है। इस दृष्टि से यहाँ भी महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ी है। इस क्षेत्र से श्रीमती मधु शिवहरे का जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाना व श्रीमती सोनिया सिंह एवं श्रीमती बीना पाण्डेय (वर्तमान अध्यक्ष) का क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष चुना जाना इसी का उदाहरण है। इनके अतिरिक्त अन्य बहुत सी महिलाएं जो आरक्षण का लाभ लेकर ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान व सदस्य के दायित्वों का सजगता से निर्वाहन कर रही हैं। परन्तु पंचायतों में भागीदारी से महिलाओं की राजनीतिक चेतना में कितनी वृद्धि हुई है, यह प्रश्न अभी अनुत्तरीय है। 'राजनीतिक प्रभाविता भावना' वह भावना है जिसमें व्यक्ति को यह अहसास होता है कि वह भी देश के विकास में अपना योगदान दे सकता है। राजनीतिक प्रभाविता भावना ही राजनीतिक चेतना को जन्म देती है और राजनीतिक चेतना से ही राजनीतिक भागीदारी बढ़ती है।

इस क्षेत्र में महिलाओं में राजनीतिक प्रत्ययों के संदर्भ में रोचक तथ्य दिखलाई पड़ते हैं। यहां की उच्च्य जाति की महिलाओं में राजनीतिक चेतना तो दिखलाई पड़ती है परन्तु राजनीतिक सहभागिता की कमी दिखलाई पड़ती है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति की महिलाओं की चेतना की कमी होने के बावजूद राजनीतिक सहभागिता अधिक है। इसका कारण जातियों का राजनीतिक समाजीकरण का भिन्न होना हो सकता है। इस क्षेत्र की राजनीति दलगत होने के साथ-साथ जातिगत भी है। जाति का प्रभाव राजनीतिक समीकरण व सहभागिता में देखा जा सकता है। इस क्षेत्र में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति को

राजनीतिक निर्णयों की दृष्टि से देखा जाय तो यह लगभग शून्य ही है। चूंकि यहाँ का समाज ज्यादातर परम्परागत संयुक्त परिवार प्रणाली पर आधारित है और संयुक्त परिवार की विशेषता के अनुसार परिवार के समस्त निर्णय पुरुषों या परिवार के मुखिया द्वारा ही लिये जाते हैं। इस दृष्टि से महिलायें मताधिकार के लिए स्वतन्त्र नहीं होती। वे अपने मत का प्रयोग पति या परिवार के प्रमुख सदस्य के आधार पर ही करती है। इसी प्रकार चुनाव लड़ने या न लड़ने का निर्णय महिला का अपना नहीं होता। प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आने के बाद भी महिलाओं पर पुरुषों का सर्वाधिकार दिखाई देता है। राजनीतिक क्रियाकलापों को उसके पारिवारिक सदस्यों द्वारा ही संचालित किया जाता है। परन्तु वर्तमान में इन मिथकों में कुछ परिवर्तन सरकारी आदेशों के चलते दिखाई दे रहे हैं। महिला प्रतिनिधियों के लिए यह संज्ञान में आया है कि वह स्वयं योजनाओं पर निर्णय ले एवं स्वयं विभागीय कार्यवाही का अवलोकन करें। उक्त महिलाओं के पति या मुखिया उनकी जगह न लें। कहीं-कहीं यह देखने में भी आ रहा है परन्तु स्थिति न के बराबर है।

महिला आन्दोलनों, शिक्षा एवं संचार के प्रभाव स्वरूप आज यहाँ भी महिलाएं इन्दिरा गांधी, सुषमा स्वराज, जयललिता, सोनिया गांधी, मायावती व देश की सर्वोच्च महिला पद पर आसीन श्रीमती प्रतिभा पाटिल आदि के नक्शे कदम पर चलना चाहती है। वे भी सक्रिय राजनीति से जुड़कर देश सेवा करना चाहती है, यही कारण है कि आज इस क्षेत्र में भी महिलाएं राजनीतिक संगठनों से जुड़ रही है। साथ ही राजनीति के प्रत्येक स्तर सें भागीदारी के लिए तैयार है।

अर्थ व्यवस्था -

इस विकास खण्ड का क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। पूर्व में यहाँ महिलाओं की आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी कृषि कार्यो तक ही सीमित रही। उत्पादन में महिलाओं का सहयोग लिया जाता है परन्तु उपभोग के समस्त प्रतिमान पुरुष ही तय करते हैं इस दृष्टि से इस क्षेत्र में महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं हो पाती रही। महिलाओं की आर्थिक

क्रियाकलापों में संलिप्तता को भी जातिगत आधारों पर देखा जा सकता है। जहाँ उच्च जातियों विशेषकर क्षत्रिय महिलाओं को कृषि कार्यो और अन्य आर्थिक क्रियाकलापों से दूर रखा जाता है। इनमें वे महिलाएं विशेषकर युवा वर्ग की जिन्हें नई-नवेली कहा जाता है उनसे कार्य कराना सामाजिक दृष्टि से हेय समझा जाता है। जबकि पिछड़ी जातियों - अहीर, कुम्हार, केवट आदि की महिलाएं कृषि कार्यो में योगदान देती है। यहां तक निराई-गुडाई व कटाई तक का सम्पूर्ण कार्य महिलाओं के हिस्से में ही होता है। निम्न या अनुसूचित जाति की महिलायें प्रायः मजदूरी या कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करती है। यही स्थिति मुस्लिम वर्ग की महिलाओं में भी देखी जा सकती है। जाति संस्तरण के आधार पर ही कार्यो का विभाजन व सहभागिता होती है।

वर्तमान दौर में मंहगाई बढ़ी है। जागरूकता एवं समय की मांग के अनुसार यहां की महिलाएं तेजी से कृषि कार्यो के इतर अन्य आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न हो रही है। विशेषकर इस क्षेत्र में महिलाओं का स्वयं सहायता समूहों में भागीदारी का प्रतिशत बढ़ा है। आज जब महिला जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष के बराबर है तब इस क्षेत्र में भी इसका प्रभाव नजर आ रहा है। आज यहां भी महिला नौकरी, व्यवसाय आदि आर्थिक क्रियाकलापों में सफलतापूर्णक भागीदारी कर रही है। उच्च जातियों में जहां महिलाओं से नौकरी कराना गलत माना जाता था। आज यह जातियां विशेषकर क्षत्रिय व ब्राह्मण इन रुढ़िवादी विचारों से मुक्त होती दिखाई दे रही है। यह जातियां भी तेजी से घर की चहार दीवारी से निकलकर सेवाओं एवं व्यवसायों में भागीदारी कर रही है। इसी प्रकार निम्न या अनुसूचित जातियों में भी आरक्षण एवं राजनीतिक चेतना के परिणास्वरूप जागरूकता में वृद्धि हुई है और महिलाएं खेत खलिहान से निकलकर कार्यालयों में जाने लगी है।

महिलायें नौकरियों में विशेषकर शिक्षक पद को विशेष प्राथमिकता देती दिखलाई पड़ती है। अन्य संवर्गो की अपेक्षा यहाँ कि महिलायें शिक्षिका हैं। हालांकि विभिन्न कार्यालयों, दुकानों, प्रतिष्ठानों में महिलायें दिखलाई पड़ती है जो इस बात को उजागर करता है कि इस क्षेत्र में भी महिलाएं आर्थिक क्रिया-कलापों में भाग ले रही है। बुद्धिजीवियों का

विचार है कि महिलाओं के उत्थान के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता अत्यन्त आवश्यक है। यह तभी सम्भव है जब महिलाएं विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को अपनाए। आर्थिक आत्म निर्भरता से ही महिलाएं अपनी इच्छानुसार व्यय करने को स्वतन्त्र हो जाती हैं। यह तभी संभव है जब समाज में महिलाओं के प्रति सकारात्मक सोंच उत्पन्न हो। इसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है शिक्षा। शिक्षा ही एक मात्र ऐसा मार्ग है जो प्रगति के समस्त मार्गो को खोलती है। वर्तमान में इस क्षेत्र में लड़कियों को शिक्षित कराने के प्रयास तेज हुए है। फलस्वरूप लड़कियां पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। इस प्रकार तुलनात्मक दृष्टि से आज इस क्षेत्र में भी महिलाओं की आर्थिक स्थिति पूर्व की अपेक्षा सुदृढ़ हुई है। परन्तु क्षेत्र समाज एवं देश की उन्नति के लिये आवश्यक है कि यहाँ कि महिलाएं भी पूर्ण रूप से आर्थिक आत्म निर्भर बने एवं स्वयं उत्पादन एवं उपभोग के लिए स्वतन्त्र हो सकें।

धार्मिक एवं सांस्कृतिक संरचना

इस विकासखण्ड की सांस्कृतिक व्यवस्था धर्म आधारित है। फलस्वरूप परम्पराओं का पालन भी पूरी मजबूती से किया जाता है। वैसे तो यहाँ सभी धर्मो को मानने वाले लोग निवास करते हैं परन्तु प्रमुख रूप से हिंदू और इस्लाम धर्म के अनुयायियों की संख्या ही सर्वाधिक है। धार्मिक विविधता होने के बावजूद भी यहाँ पारस्परिक वैमनस्य कम ही दृष्टिगोचर होता है। यह क्षेत्र अपनी विशिष्ट संस्कृति के लिए एक अलग पहचान बनाए हुए है। यहाँ की जनता अधिक धार्मिक और तीज-त्यौहार, पर्व और मेलों में आस्था रखती है और सच्चे हृदय से इनमें विश्वास करती है। यहाँ की प्रमुख विशेषता यह है कि ऋतुओं के अनुसार पृथक-पृथक तीज–त्यौहार, पर्व और मेलों का आयोजन होता है। पर्वो में महिलाओं की प्रमुख भूमिका होती है। यहाँ महिलाओं की सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थिति अधिक समृद्ध है। त्यौहारों में पूजा का आयोजन, मेलों में महिलाओं की संख्या तथा धार्मिक कृत्यों में महिलाओं की संलिप्तता यहाँ की उच्च सांस्कृतिक स्थिति को दर्शाती है। यहां के प्रमुख त्यौहार, पर्व और मेले जिसमें महिलायें प्रमुख रूप से भाग लेती है निम्न है–

चैत्र मास जो कि हिन्दू धर्म में नया वर्ष कहलाता है। चैत्र मास की प्रतिपदा से शुरू होने वाला नया वर्ष जिसे विक्रमी संवत कहते हैं यहाँ कि जनता में चैत्र नवरात्रि या नवदुर्गा की शुरूवात होती है क्यों इस क्षेत्र में नवरात्रि का व्रत चैत्र प्रतिपदा से लेकर रामनवमी तक रखा एवं इसे त्यौहार के रूप में मनाया भी जाता है। इस ऋतु में नवदुर्गा, जवारों का मेला, रामनवमी प्रमुख हैं वैशाख मास, ग्रीष्म ऋतु में अक्षय तृतीया (क्षेत्रीय भाषा में अक्ती के रूप से प्रचलित है), ज्येष्ठ मास में वट सावित्री व्रत, गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी, आषाढ़ मास में आर्दा, हरिशयनी एकादशी, गुरूपूर्णिमा, श्रावण मास में नागपंचमी, हरियाली तीज, कजलियां एवं रक्षाबन्धन आदि धूमधाम से मनाया जाता है। भाद्रपद मास में हलछठ, श्री कृष्ण जन्माष्ठमी, हरितालिका तीज, गणेश चतुर्थी, अनन्त चतुर्दशी, महबुलिया आदि प्रमुख है। आश्विन मास में शारदीय नवरात्रि (नव दुर्गा पूजन व झाँकी), विजयादशमी (दशहरा) प्रमुख रूप से बड़े हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। कार्तिक मास में महिलाओं द्वारा सूर्योदय से पूर्व उठकर कार्तिक स्नान पूरे मास भर किया जाता है तत्पश्चात तुलसी विवाह का पर्व बड़ी श्रृद्धा एवं विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा आदि मनायी जाती है।

गोवर्धन पूजा वाले दिन इस क्षेत्र में पुरूषों द्वारा मोरपंख लेकर मौन होकर गायों को चराने की परम्परा है जिसे बड़ी श्रृद्धा के साथ मनाया जाता है। इस परम्परा को यहाँ की क्षेत्रीय भाषा में मौनिया कहा जाता है। भैया दूज एवं दीवारी नृत्य भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मार्गशीर्ष मास में संकटा चतुर्थी, भैरव जयंती आदि। पौष मास में तेलइयां, मकर संक्रान्ति (खिचड़ी) प्रमुख त्यौहार है। इस त्यौहार में यहाँ के लोग अपनी बहनों और बेटियों को उनके ससुराल से मायके बुलाते है जिसमें पिछड़ी एवं निम्न जातियों की महिलाये विशेषकर अपने मायके आती है। माघ मास में बड़े गणेश चतुर्थी, बसंत पंचमी (शारदा पूजन), फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि, होलिकादहन, होलिकोत्सव, रंगपचमी आदि पर्व एवं त्यौहार बड़े हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाये जाते है जिनमें महिलायें बढ़ चढ़ कर भाग लेती है इसी प्रकार इस्लाम धर्म में ईद, बकरीद, रमजान बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।

इसी प्रकार मेले और हाट यहाँ की जनता का जीवन है। महिलाएं इन्हीं अवसरों पर समूह में खरीददारी एवं मनोरंजन के लिए घर से बाहर निकलती हैं। मेलों और हाट में महिलाएं अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं, सौन्दर्य प्रसाधन तथा बच्चों के खिलौने आदि खरीदती हैं। मेलों में यहाँ की जनता की एकता, समरसता और जीवन का आनन्द मय पक्ष परिलक्षित होता है। इस विकास खण्ड के प्रमुख मेलों में कंस वध मेला मौदहा, सिद्धबाबा का मेला पाटनपुर भगतबाबा का मेला, चकदहा, महराजा बाबा का मेला सिसोलर गऊघाट छानी, का मेला एवं बाबा निजामी का उर्स कम्हरिया विशेष महत्त्व रखते है। इन मेलों में बहुत दूर-दूर से भक्तों एवं व्यक्तियों का जमावड़ा लगता है।

धार्मिक कृत्यों में हालांकि समस्त अनुष्ठान एवं कर्मकाण्ड पुरुषों द्वारा ही पूरे किए जाते हैं, परन्तु महिलाएं भी पति एवं पुत्रों की रक्षा की कामना हेतु व्रतों को रखकर तथा अन्य अनुष्ठानों को पूर्णकर अपनी ममतामयी एवं पतिव्रता की छबि को प्रदर्शित करती है। बहुत से धार्मिक अनुष्ठान पति और पत्नी दोनों मिलकर पूर्ण करते हैं। महिलाएं पुरुषों के साथ ही पुरुषों की भांति हवन, यज्ञ में भाग लेती है। इस प्रकार क्षेत्र में महिलाओं की धार्मिक स्थिति प्रमुख तो नहीं, परन्तु उच्च्य अवश्य है। इसके पीछे इस क्षेत्र की विशिष्ट संस्कृति हो सकती है। इस क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थलों में महराजा बाबा, सिसोलर, बाबा मंशानाथ टिकरी एवं बाबा निजामी कम्हरिया आदि प्रसिद्ध है।

यहाँ कि महिलाएं विभिन्न अवसरों पर तमाम तरह की सांस्कृतिक गतिविधियाँ आयोजित करती रहती हैं। विभिन्न प्रकार के स्वांग, तमाशे करती हैं। लड़का पैदा होने पर चंगेलिया, सोहर, नाच, गाना, बजाना यहाँ कि महिलाओं के जीवन में रंग भर देते हैं। साधारणतया यहाँ का समाज पुरुष प्रधान समाज है जहाँ हर क्षेत्र में पुरुषों को एकाधिकार है, परन्तु पर्व, तीज व त्यौहारों में महिलाओं की विशेष भागीदारी देखने को मिलती है जो उनकी विशिष्ट संस्कृति एवं धार्मिक स्थिति को प्रदर्शित करती है।

वेष-भूषा एवं खान-पान

इस विकास खण्ड की वेश-भूषा सामान्य है। पहले महिलायें कछौटा लगाये हुए धोती पहनती थी, आभूषण में गले में सुतिया व गुलूबन्द, नाक में पोंगी, हाँथ में बहुँटा, पैरों में चाँदी के लच्छा और झाँझे पहनती थी। धोती-कुर्ता, सदरी, सर में साफी और हाँथ में लाठी यहाँ के पुरुषों की पहचान थी। वर्तमान में यह पहनावा केवल पिछड़ी एवं निम्न जाति की महिलाओं व पुरुषों तक ही सीमित है। वह भी बड़े बुजुर्गो में ही यह पहनावा देखने में आता है। हालांकि धोती-कुरते ने ग्रामीण अंचल में कुछ व्यक्तियों के पहनावे में कुरता और पायजामा का रूप ले लिया है। परन्तु वर्तमान में आधुनिकता और फैशन के बदलते रुझान एवं टी०वी० संस्कृति के बढ़ते प्रभाव के कारण इस क्षेत्र में पुरुषों व महिलाओं के पहनावे में परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है। युवाओं में जींस, टी शर्ट पहनने का चलन बढ़ता जा रहा है। यहाँ का युवा वर्ग भी किसी महानगरीय युवक व टी०वी० में दिखने वाले हीरो (एक्टर) से कम नहीं दिखाई देता। वर्तमान में संचार क्रान्ति का प्रभाव ग्रामीण अंचल के युवाओं में स्पष्ट देखा जा सकता है। ग्रामीण युवा वर्ग वह चाहे पढ़े-लिखे हो या अनपढ़ आज ज्यादातर मोबाइल (सेलफोन) का उपयोग करते देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार महिलाओं के पहनावे में भी परिवर्तन दिखाई देता है। ग्रामीण महिलायें साड़ी पहनना पसंद करती है। परन्तु लड़कियों में लड़को की ही भाँति फैशन की बयार का असर स्पष्ट देखा जा सकता है। यह क्षेत्र लड़कियों के मामले में बेहद रुढ़िवादी था परन्तु आज ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियां जींस, टी शर्ट स्कर्ट व फ्राक पहनने लगी है। ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियां व महिलायें भी शहर या कस्बे जाकर ब्यूटी पार्लर (ब्यूटीशियन) का लाभ लेती है।

यहाँ का खानपान सामान्य किस्म का है। यहाँ शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों ही प्रकृति के लोग है। मार्गशीर्ष (नवम्बर) से लेकर फाल्गुन (फरवरी) तक यहाँ ज्वार की रोटी और चने का साग खाया जाता है। परन्तु यह भोजन अपनी-अपनी रुचि के अनुसार किया जाता है। इस क्षेत्र में पान और सुपाड़ी खाने का प्रचलन है। अभी भी ग्रामीण अंचलों में लोग 'थैली' रखते है। जिसमें सुपाड़ी, कत्था, चूना, तम्बाकू एवं सरौती होती है। अतिथियों

या अन्य लोगों के आने पर सुपाड़ी खिलाई जाती है। जो एक समय आतिथ्य सत्कार का महत्वपूर्ण अंग था। यहाँ सुपाड़ी जीवन से इस प्रकार जुड़ी है कि इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि पूर्व में यहां निमंत्रण पत्र के साथ सुपाड़ी भेजने की प्रथा थी। इसी प्रकार दशहरे के पर्व में आज भी पान और सुपाड़ी खिलाना और खाना यहां की अनूठी और जीवंत प्रथा है, इस अवसर पर बुजुर्गो के साथ-साथ युवाओं, बच्चों और महिलाओं को पान खाने और खिलाने की छूट होती है।

मनोरंजन

इस विकास खण्ड में मनोरंजन के साधनों में पूर्व में कीर्तन, भजन, ठुमरी, अचरी नौटंकी, रामलीला, नाटक और चौपाल आदि प्रमुख थे। परन्तु आज मनोरंजन के प्राचीन विधाओं में कुछ एक ही प्रचलन में है। शेष समाप्ति की कगार पर है। कुछ जातीय मनोरंजन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान है। जैसे-यादव और अहीर जाति में दीवारी नृत्य आज भी दीपावली के पर्व में आयोजित किया जाता है। जिसमें सम्पूर्ण ग्रामीण जनता सहभागी होकर आनन्द लेती है। इसी प्रकार कहार जाति में विवाह के अवसर पर कहरई का आयोजन किया जाता है। जिसमें पुरुष बजाते हैं और महिलाएं नृत्य करती हैं। इसमें बजाये जाने वाले वाद्य यंत्र को हुडुक कहा जाता है। इसके अलावा वर्षा ऋतु में 'आल्हा गायन' प्रमुख रूप से जिसे ग्रामीण भाषा में 'सयरा' कहा जाता हैं आज भी प्रमुख रूप से मनोरंजन का साधन है। महिलाओं के मनोरंजन में लड़के के विवाह होने पर 'बाबा' बनने का स्वांग रचने जैसा तमाशा सम्मिलित है। जिसमें महिलाये भरपूर मनोरंजन करती है। परन्तु आज आधुनिकता का प्रभाव ग्रामीण जनता में भी देखा जा सकता है। पूर्व के मनोरंजनों के साथ-साथ टी०वी० का प्रभाव ज्यादा परिलक्षित हो रहा है। ग्रामों में आज टाटा स्काई एवं डिश टी०वी० जैसे सेटेलाइट चैनलों का प्रभाव हो रहा है। जो ग्रामीण सभ्यता और संस्कृति का पतन कराने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

ऐतिहासिक स्थिति :-

इसके अतिरिक्त मौदहा का ऐतिहासिक महत्व भी रहा है। नगर से 12 किमी० दक्षिण-पश्चिम में स्थित खण्डेह गॉव का इस क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक महत्व है। यह गांव सम्राट अकबर के समय कालिंजर सरकार के अधीन इलाहाबाद सूबे में था। मुगलों के बाद मराठाओं का शासन रहा। ऐतिहासिक महत्व को संजोये यह गांव मन्दिरों की प्रचीनता तथा भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। लगभग 400 वर्ष प्राचीन रामदरबार एवं शिव दरबार मंदिर एक एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में बना है। इसमें श्रीराम, लक्ष्मण व सीता जी की बहुमूल्य मूर्तियाँ विराजमान है। मन्दिर में ग्रेनाइट पत्थर पर सम्पूर्ण रामकथा, महाभारत व कृष्णलीला के प्रसंग चित्रित है। मन्दिर में राधाकृष्ण की मूर्ति भी विराजमान है। शिव दरबार मंदिर में शिवलिंग नीलम का है। परिक्रमा पथ में नन्दी, पार्वती जी, गणेश भगवान की मूर्तियां हैं संगमरमर व ग्रेनाइट पत्थरों पर की गई शिल्प व कला की दृष्टि से बारीक नक्काशी व भव्यता बेजोड़ है।

इस क्षेत्र में वीर भूमि जहाँ रत्नों व खनिजों की खान रही है, वहीं पर वास्तु शिल्पकला, चित्रकला में अपना एक अलग स्थान भी बनाया है। दस्तकारी के क्षेत्र में मौदहा नगर के गुलाब दास स्वर्णकार ने अपनी दस्तकारी व कला से चाँदी की मछली एवं महिलाओं के हांथों की आरसी बनाकर इस नगर को विश्व प्रसिद्ध बना दिया।

रजत धातु से निर्मित मछली अपने आप में बेजोड है। मौदहा के दस्तकारों के अलावा पूरे देश में ऐसी चाँदी की मछली बनाने में कोई भी सफल नहीं हुआ। इस मछली के निर्माण में कहीं भी किसी मशीनरी का उपयोग नहीं होता है। हस्तनिर्मित यह मछली बड़े लोगों व उच्चाधिकारियों के ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाती है। वहीं उपहार के लिए एक श्रेष्ठ वस्तु मानी जाती है। इसके अलावा दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले व चेन्नई में स्वामी विवेकानन्द जी के जन्मोत्सव (मेले) में इस मछली को बहुत प्रसिद्धी प्राप्त हुई व सराहा गया।

मौदहा विकास खण्ड की अन्य सुविधाओं में जैसे-शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक संरचना आदि निम्न प्रकार से है :-

शिक्षा :-

ग्रामीण क्षेत्र में 122 प्राथमिक बेसिक स्कूल हैं, प्राथमिक मान्यता प्राप्त स्कूल 22 है। विद्या केन्द्र-7, वैकल्पिक केन्द्र-6 तथा एक मदरसा संचालित है। जू0बेसिक स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में 36 हैं एवं जू0 मान्यता प्राप्त स्कूल 15 है। ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षारत छात्र 20344 हैं जिसमें 10002 बालिकाएं एवं 10342 बालक है। परिषदीय जूनियर ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या 3855 है। जिसमें 1948 बालक व 1907 बालिकाएं हैं। मान्यता प्राप्त जू0हा0स्कूल में पढ़ने वाले छात्र 4000 है। वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र 2 है। इण्टर कालेज 6 एवं महाविद्यालय 1 है। जिसमें कुल साक्षरों की संख्या 66015 है।

विकास खण्ड में कुल ग्रामीण 148370 है। जिसमें 80465 पुरुष तथा 67905 महिलाएं है। अनु0जाति के लोगों की संख्या 30552 है। बी0पी0एल0 परिवारों की संख्या 13830 है। कुल कर्मकारों की संख्या 30710 है। जिसमें कृषक 19,915 है व कृषि श्रमिक 10795 है।

स्वास्थ्य :-

स्वास्थ्य सुविधाओं में यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 1 है जो मौदहा नगर में है एवं 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्रामीण इलाकों में है। इसके अतिरिक्त 4 एलोपैथिक चिकित्सालय, 4 आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 2 होम्योपैथिक चिकित्सालय, 2 यूनानी चिकित्सालय, 40 परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र एवं तीन पशु चिकित्सालय अपनी सुविधा प्रदान कर रहे हैं। परन्तु इस क्षेत्र की ग्रामीण जनता जिनमें शैक्षिक जागरूकता का अभाव व्याप्त है। वह आज भी किसी गम्भीर बीमारी को भूत-प्रेत या किसी दैवीय प्रकोप का असर मानने लगती है। जिसके चलते वह सर्वप्रथम बीमार व्यक्ति को किसी झाड़-फूंक करने वाले ओझा को ही

दिखना उचित समझते है। यहां के लोग जादू, बुरी नजर, टोना, टोटका आदि अंध विश्वास जैसे विचारों से ओत-प्रोत दिखलाई पड़ते है। ग्रामीण अंचलों में ये विचार सदियों से चले आ रहे है। आगामी भविष्य में यहां की नई पीढ़ी ही शैक्षिक जागरूकता लाने के बाद ही इन अंधविश्वासों को समाप्त करने में सफलता प्राप्त कर सकती है।

प्रशासनिक संरचना -

यहाँ की प्रशासनिक संरचना में मौदहा विकास खण्ड में 10 न्याय पंचायत, 60 ग्राम पंचायत, 1 नगर पालिका परिषद, 1 नगर एवं नगर समूह है। कुल ग्रामों की संख्या 103 है। जिसमें 89 आबाद ग्राम एवं 14 गैर आबाद ग्राम है। विद्युतीकरण ग्रामों की संख्या 82 है।

सुरक्षा सेवाएं -

इस क्षेत्र में 3 पुलिस स्टेशन जिसमें 2 नगरीय व 1 ग्रामीण क्षेत्र में है, 5 पुलिस चौकियाँ 2 नगरीय एवं 3 ग्रामीण अंचलों में है।

सामाजिक संस्थायें -

बालवाड़ी/आँगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या 148 है, युवा संगठनों की संख्या 76 एवं 65 महिला मण्डल है।

अन्य सुविधायें -

राष्ट्रीय कृत बैंकों की संख्या 3 है जिसमें 2 नगरीय व 1 ग्रामीण क्षेत्र में है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 नगरीय एवं 4 ग्रामीण क्षेत्रों में है। इसके अलावा 1 सहकारी बैंक शाखा व 1 भूमि विकास बैंक (एल0डी0बी0), एवं 24 पोस्टआफिस बचत बैंक शाखायें है।

विकास खण्ड में 3 रेलवे स्टेशन (हाल्ट सहित), 2 बस स्टेशन, 30 बस स्टाप, 28 पोस्ट आफिस, 37 लेटर बॉक्स, 1 तार घर व 9 दूरभाष केन्द्र है। राजकीय नलकूप 73, व्यक्तिगत नलकूप तथा पंपसेट 363 है। पंजीकृत कारखानों की संख्या 17 हैं जिसमें 51 कार्यरत व्यक्ति पंजीकृत है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन मण्डी समिति की संख्या 1 है। सहकारी क्रय-विक्रय केन्द्र 6 है, ग्रामीण बाजार एवं हाट 6 है जो निरन्तर यहां की ग्रामीण जनता को सुविधा पहुँचा रहे हैं। इसके अतिरिक्त विकास खण्ड में 15 योजनाएं संचालित है। जिसमें स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सूखा राहत योजना, मिड-डे मील योजना आदि योजनायें प्रमुख है। ग्रामीण विकास के लिए संचालित योजनाओं का सम्पूर्ण विवरण अध्याय निष्कर्ष के परिशिष्ट खण्ड में दिया जायेगा।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना से स्पष्ट है कि यह क्षेत्र अत्यन्त पिछड़ा होने के बाद भी आज विकास के पथ पर अग्रसर है। भौगोलिक परिस्थितियों एवं अन्य कारकों के कारण यहाँ विकास का पहिया देर से घूमा जिसका परिणाम यहां के सामाजिक, आर्थिक जीवन पर पड़ा और इससे सर्वाधिक यहां कि महिलाएं प्रभावित रही है। शिक्षा की कमी, जागरूकता का अभाव एवं विभिन्न प्रकार की कुप्रथाओं और रुढ़िगत विचारों ने यहां कि महिलाओं को अन्य क्षेत्रों की महिलाओं से अलग कर दिया। परिणामतः यहां महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। आज जबकि परिवर्तन की बयार सर्वत्र बह रही है तो भी यहां पर कई ऐसे समूह और समुदाय है जो अपनी पुरानी परिपाटी को बचाने के नाम पर आज भी महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहते, फलतः ये समूह आज भी अन्य

समूहों से काफी पिछड़े हुए है। यह सर्वविदित तथ्य है कि महिला के विकास के बिना कोई भी राष्ट्र, समाज या समूह प्रगति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता है। सम्भवतः यह तथ्य अब इस क्षेत्र के निवासियों को समझ में आने लगा है इसी कारण आज इस क्षेत्र की महिलायें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का साहस कर पा रही हैं आज इस क्षेत्र की महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलायें आगे आकर अपना योगदान दे रही है, अब वे निःसंकोच राजनीतिक गतिविधियों में सहभागी हो रही है। आर्थिक क्षेत्र में यहाँ की महिलाएं कृषि से लेकर अन्य क्षेत्रों में जिसमें स्वयं सहायता समूह की विशेष अवधारणाओं में अपनी उपयोगिता सिद्ध करा रही है। सांस्कृतिक या धार्मिक कृत्यों में तो वे सदैव से आगे रही है। इस प्रकार यहाँ की महिलाओं में ये परिवर्तन एक सुखद भविष्य का आभास कराते हैं जब यहां कि महिलाएं भी शिक्षित, सबल व आत्म निर्भर हो जायेंगी।

सारणी संख्या 3.1
उत्तरदात्रियों की शैक्षिक स्थिति का विवरण

आयु गत

शैक्षिक स्थिति	अशिक्षित		प्राइमरी		जू0हाईस्कूल		हाईस्कूल		इण्टर		स्नातक या ऊपर		योग	
आयु वर्ग	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
18-24	9	21.95	-	-	17	41.46	7	17.07	8	19.51	-	-	41	10.25
25-34	15	10.48	41	28.67	39	27.27	17	11.88	15	10.48	16	11.18	143	35.75
35-49	57	27.53	87	42.02	5	26.57	-	-	-	-	8	3.86	207	51.75
50 से ऊपर	-	-	9	100	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2.25
योग	81	20.25	137	34.25	111	27.75	24	6	23	5.75	24	6	400	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 3.1 में उत्तरदात्रियों की शिक्षा संबंधी जानकारी का आयुगत विवरण प्रस्तुत किया गया है। आयु को क्रमशः 18-24, 25-34, 35-49 तथा 50 से ऊपर के वर्गो में वर्गीकृत किया गया है। जबकि शिक्षा के स्तर को क्रमशः अशिक्षित, प्राइमरी, जू0हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टर तथा स्नातक या इससे ऊपर को सम्मिलित किया गया है। जिसके अन्तर्गत 10.25 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ 18-24 आयु वर्ग की है, 35.75 प्रतिशत 25-34 आयु वर्ग की, 51.75 प्रतिशत 35-49 आयु वर्ग की तथा शेष 2.25 प्रतिशत 50 से ऊपर आयु वर्ग से सम्बन्धित है। शिक्षा के स्तर के संदर्भ में पाया गया कि 20.25 प्रतिशत उत्तरदात्रियां अशिक्षित हैं, 34.25 प्रतिशत प्राइमरी स्तर तक शिक्षा ग्रहण किये हैं, 27.75 प्रतिशत जू0हाईस्कूल पास है, 6 प्रतिशत हाईस्कूल तक शिक्षित हैं, 5.75 प्रतिशत इण्टर पास हैं तथा 6 प्रतिशत स्नातक पास है, शेष स्नातक से अधिक शिक्षा किसी भी उत्तरदात्रियों में नहीं है।

सारणी पर दृष्टिपात करने पर स्पष्ट है कि सर्वाधिक प्रतिशत प्राइमरी तक शिक्षित महिलाओं का है। जिसका कारण स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी स्तर तक ही विद्यालयों की ही अधिकता रहती है। ग्रामीण अंचल में प्राइमरी तक शिक्षा आसानी से सुलभ हो जाती है एवं पूर्व में लड़कियों को प्राइमरी तक ही शिक्षित कराना उचित समझा जाता था। क्योंकि एक सर्वधारणा लोगों में बनी हुई थी कि लड़कियां पराया धन होती हैं इनको ज्यादा शिक्षा दिलाना व्यर्थ में धन की बर्बादी है एवं लड़कियों को चूल्हा-चौका ही करना होता है इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि वह अपना नाम लिख व पढ़ सकें जिससे ससुराल जाने के बाद पत्र का उत्तर लिखने व पढ़ने में कठिनाई न हो। इसलिए प्राइमरी तक शिक्षा दिलाई जाती थी। जू0हाईस्कूल तक शिक्षित महिलाओं का प्रतिशत लगभग प्राइमरी जैसा ही है। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में पूर्व में शिक्षा का स्तर लगभग प्राइमरी तथा जू0हाईस्कूल दोनों का एक जैसा ही था। प्राइमरी और जू0हाईस्कूल में बहुत अन्तर नहीं माना जाता था। हालांकि आज शिक्षा के बढ़ते स्तर एवं शिक्षा मित्र जैसी अभिनव योजना से प्राइमरी स्तर की शिक्षा में सुधार दृष्टिगोचर हो रहे हैं। उत्तरदात्रियों का प्राइमरी और जू0हाईस्कूल तक अधिक शिक्षित होने के पीछे मात्र एक कारण प्रतीत होता है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में

प्राइमरी एवं जू0हाईस्कूल तक ही विद्यालय सुलभ है। आगे की शिक्षा के लिए शहर या कस्बे में जाना पड़ता है जो ग्रामीण परिवारों विशेषकर निम्न आर्थिक स्थिति वालों के लिए यह जटिल कार्य होता है। हाईस्कूल एवं इण्टर तक शिक्षित उत्तरदात्रियों का प्रतिशत लगभग समान है। हाईस्कूल और इण्टर की शिक्षा के स्तर पर अवलोकन से प्राप्त होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं-कहीं इण्टर कालेजों की स्थापना हो गई है वह चाहे सरकारी हो या फिर स्ववित्तपोषित। स्वयं सहायता समूहों में ज्यादातर महिलायें विवाहित होती है जो ऐसे क्षेत्रों से विवाह के बाद आती हैं जहाँ इण्टर कालेज या डिग्री कालेज तक की शिक्षा उपलब्ध होती है। स्नातक या अधिक स्तर की शिक्षा का प्रतिशत सर्वाधिक कम है जिसके पीछे प्रमुख कारण इस क्षेत्र में मात्र एक महाविद्यालय का होना है। जिसमें केवल स्नातक स्तर तक ही शिक्षा उपलब्ध है और यह महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों से लगभग काफी दूरवर्ती हो जाता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी उच्च शिक्षा की दृष्टि से लड़कियों के प्रति जागरूकता का अभाव पाया जाता है। उच्च शिक्षा तक जागरूक और आर्थिक स्थिति से मजबूत परिवारों की लड़कियां ही पहुँच पाती है। परन्तु निम्न आर्थिक स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बाधा पहुँचाती है। शिक्षित उत्तरदात्रियों की तुलना में अशिक्षित उत्तरदात्रियो का प्रतिशत कम है जो महिला शिक्षा की दिशा में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन है।

आयु के क्रम में देखे तो सर्वाधिक संख्या 35 से 49 आयु वर्ग की महिलाओं की है एवं इनका प्राइमरी स्तर तक की शिक्षा का प्रतिशत भी सर्वाधिक है। इस आयु वर्ग में जू0हाईस्कूल तक शिक्षा प्राप्त किये उत्तरदात्रियों का प्रतिशत भी सर्वाधिक है। परन्तु अशिक्षितों की संख्या भी लगभग समान है। इस उम्र की महिलाओं में स्नातक स्तर की शिक्षा हालांकि न के बराबर ही है परन्तु आज उच्च शिक्षा की तरफ महिलायें जागृत हो रही हैं। दूसरे नंबर पर 25 से 34 आयु वर्ग की महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। इस उम्र की महिलाओं में प्रत्येक स्तर तक की शिक्षा का प्रतिशत लगभग एक दूसरे के समकक्ष है इस आयु वर्ग की महिलाओं में बदलती पीढ़ी एवं बदलते युग का संकेत मिलता है। महिलाएं शिक्षा के प्रत्येक स्तर तक पहुँचकर समाज के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करा रही है। शायद यह वर्ग परास्नाक भी होता। परन्तु इस क्षेत्र में इस स्तर

तक की शिक्षा व्यवस्था ही नहीं है। इस आयु वर्ग में अशिक्षितों का प्रतिशत शिक्षितों की अपेक्षा बहुत कम है। 18 से 24 आयु वर्ग में शिक्षा के स्तर को देखे तो इसमें केवल प्राइमरी से लेकर इण्टर तक ही शिक्षित उत्तरदात्रियां है। स्नातक स्तर तक शिक्षा इस उम्र की महिलाओं में नहीं है। जिसका एक तो प्रमुख कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियां हो या लड़के उनके अभिभावकों द्वारा विद्यालय उन्हें देर से भेजना प्रारम्भ किया जाता है अर्थात् शहरों की भॉति उन्हें तीन वर्ष में विद्यालय में एडमीशन न कराकर लगभग पाँच या छः वर्ष में एडमीशन कराया जाता है। जिससे इस उम्र तक आते-आते लड़कियां युवा हो जाती है और ग्रामीण रुढ़िवादी सोंच के चलते उनका विवाह जल्दी कर दिया जाता है जिससे वह वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों में फंस जाती हैं और स्नातक स्तर की शिक्षा से वंचित रह जाती है। ग्रामीण क्षेत्रो में पिछड़ी और अनु0जाति की लड़कियों के साथ यह विडम्बना सर्वाधिक होती हैं। 50 से ऊपर आयु वर्ग की उत्तरदात्रियों का प्रतिशत सभी आयु वर्गो की अपेक्षा सर्वाधिक कम है एवं इस वर्ग की महिलाओं प्राइमरी स्तर तक ही शिक्षा ग्रहण किये हैं। जिसका एक मात्र कारण है इस उम्र की महिलाओं के समय में ग्रामीण क्षेत्रों में केवल प्राइमरी तक ही विद्यालय होते थे। पूर्व में महिलाओं की शिक्षा को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता था जैसा कि उपरोक्त वर्णित भी किया गया है। अतः महिलाओं की शिक्षा को उचित न मानते हुए इनकी आगे की शिक्षा का प्रबन्ध भी नहीं किया जाता था इसलिए यह वर्ग प्राइमरी स्तर तक ही शिक्षित हो पाया जिसके पीछे शिक्षा केन्द्रों का पर्याप्त मात्रा में न होना एवं जागरूकता का अभाव ही दृष्टिगोचर होता है। परन्तु आज शिक्षा के बढ़ते स्तर एवं विभिन्न शैक्षिक योजनाओं के द्वारा बालिका शिक्षा की प्रगति के लिए सराहनीय प्रयास किये गये हैं। आज महिलायें शिक्षा के प्रति जागरूक हुई है महिलाओं को यह पूर्णतया समझ मे आ गया है कि शिक्षा ही वह मार्ग है जो प्रगति के सारे पथ खोलती है। आज शिक्षित महिलायें समाज के प्रत्येक कार्यो में सहभागी होकर अपना योगदान दे रही हैं शिक्षित होकर अपना एवं अपने परिवार व समाज का विकास कर रही है। शिक्षित और जागरूक महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह एक मजबूत ढाल की तरह भूमिका निभा रहे हैं।

सारणी संख्या 3.2

उत्तरदात्रियों के पति की शिक्षा का विवरण

क्र0सं0	पति की शिक्षा	संख्या	प्रतिशत
1.	अशिक्षित	113	28.25
2.	प्राइमरी	129	32.25
3.	जू0हाईस्कूल	71	17.75
4.	हाईस्कूल	34	8.50
5.	इण्टर	37	9.25
6.	स्नातक या अधिक	16	4.00
	योग	400	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 3.2 में उत्तरदात्रियों के पति की शिक्षा का विवरण दिया गया है। शिक्षा के स्तर को क्रमशः अशिक्षित, प्राइमरी, जू0हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टर, स्नातक या अधिक में वर्गीकृत किया गया है।

सम्पूर्ण सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि सर्वाधिक प्रतिशत प्राइमरी तक शिक्षा प्राप्त किये उत्तरदात्रियों के पतियों का है। इनका 32.25 प्रतिशत है। पुरुषों का भी प्राइमरी स्तर तक शिक्षित होने का यही कारण प्रतीत होता है कि पूर्व में ग्रामीण क्षेत्रों में केवल प्राइमरी पाठशालाएं ही होती थी जिससे पुरुष और महिलाएं प्राइमरी तक ही शिक्षित हो पाते थे। जूनियर हाईस्कूल तक शिक्षित पतियों का 17.25 प्रतिशत है जो प्राइमरी स्तर से

कम है, इसके पीछे भी वही कारण है कि शैक्षिक जागरूकता न होने पर विद्यालयों की उपलब्धता अधिक नहीं थी। ग्रामीण क्षेत्रों में तीन या चार गांवों के बीच में एक जूनियर हाईस्कूल हुआ करता था इसलिए शैक्षिक जागरूकता कम रहती थी। हाईस्कूल और इण्टर तक शिक्षित उत्तरदात्रियों के पतियों का प्रतिशत लगभग समान है। हाईस्कूल तक शिक्षित 8.50 प्रतिशत एवं इण्टर तक शिक्षित 9.25 प्रतिशत है। स्नातक स्तर तक शिक्षा प्राप्त किये पुरुषों का 4 प्रतिशत है। हाईस्कूल और इण्टर तक शिक्षा ग्रहण करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लड़के पास के नगर या कस्बों में आ जाते हैं। वहां रहकर शिक्षा प्राप्त करते हैं स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में सबसे बड़ा कारण निम्न आर्थिक स्थिति है। ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवार अपने बच्चों को अपनी निम्न आर्थिक स्थिति की वजह से उन्हें शिक्षा नहीं दिला पाते हैं जिससे उनके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। दूसरा कारण यह भी प्रतीत होता है कि पूर्व में यहां उच्च शिक्षा की दृष्टि से कोई महाविद्यालय नहीं था।

पुरुष और महिला साक्षरता की जागरूकता पर दृष्टिपात करने पर स्पष्ट होता है कि दोनों में अशिक्षितों का प्रतिशत पुरुषों में अधिक है, यह 28.25 प्रतिशत है। महिलायें पुरुषों की अपेक्षा कम अशिक्षित है। प्राइमरी स्तर से जू०हाईस्कूल तक की शिक्षा का प्रतिशत भी महिलाओं में अधिक है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा पढ़ने की ललक और चेतना ज्यादा देखी जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष अपने समय को दिनभर ताश, जुआँ, चौपड़ आदि खेलकर व्यतीत कर देता है। व्यवहारिक दृष्टि से भी यह कहा जा सकता है कि महिलाओं के अन्दर पुरुषों की अपेक्षा जिम्मेदारी का भाव अधिक होता है। उनमें पढ़ने और स्कूल जाने की लालसा और जागरूकता अधिक होती है। पुरुष इस मनोवृत्ति के कम होते है। हाईस्कूल और इण्टर का प्रतिशत महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक है। क्योंकि पूर्व में महिलाओं को बाहर जा कर पढ़ने की अनुमति नहीं प्राप्त होती थी। लेकिन पुरुषों के साथ ऐसा कोई बन्धन नहीं रहता था। जिससे वे गांव से बाहर जाकर पढ़ सकते थे। परन्तु धीरे-धीरे ग्रामीण समाज में चेतना आई और लड़के और

कम है, इसके पीछे भी वही कारण है कि शैक्षिक जागरूकता न होने पर विद्यालयों की उपलब्धता अधिक नहीं थी। ग्रामीण क्षेत्रों में तीन या चार गांवों के बीच में एक जूनियर हाईस्कूल हुआ करता था इसलिए शैक्षिक जागरूकता कम रहती थी। हाईस्कूल और इण्टर तक शिक्षित उत्तरदात्रियों के पतियों का प्रतिशत लगभग समान है। हाईस्कूल तक शिक्षित 8.50 प्रतिशत एवं इण्टर तक शिक्षित 9.25 प्रतिशत है। स्नातक स्तर तक शिक्षा प्राप्त किये पुरुषों का 4 प्रतिशत है। हाईस्कूल और इण्टर तक शिक्षा ग्रहण करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लड़के पास के नगर या कस्बों में आ जाते हैं। वहां रहकर शिक्षा प्राप्त करते हैं स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में सबसे बड़ा कारण निम्न आर्थिक स्थिति है। ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवार अपने बच्चों को अपनी निम्न आर्थिक स्थिति की वजह से उन्हें शिक्षा नहीं दिला पाते हैं जिससे उनके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। दूसरा कारण यह भी प्रतीत होता है कि पूर्व में यहां उच्च शिक्षा की दृष्टि से कोई महाविद्यालय नहीं था।

पुरुष और महिला साक्षरता की जागरूकता पर दृष्टिपात करने पर स्पष्ट होता है कि दोनों में अशिक्षितों का प्रतिशत पुरुषों में अधिक है, यह 28.25 प्रतिशत है। महिलायें पुरुषों की अपेक्षा कम अशिक्षित है। प्राइमरी स्तर से जू0हाईस्कूल तक की शिक्षा का प्रतिशत भी महिलाओं में अधिक है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा पढ़ने की ललक और चेतना ज्यादा देखी जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष अपने समय को दिनभर ताश, जुआँ, चौपड़ आदि खेलकर व्यतीत कर देता है। व्यवहारिक दृष्टि से भी यह कहा जा सकता है कि महिलाओं के अन्दर पुरुषों की अपेक्षा जिम्मेदारी का भाव अधिक होता है। उनमें पढ़ने और स्कूल जाने की लालसा और जागरूकता अधिक होती है। पुरुष इस मनोवृत्ति के कम होते है। हाईस्कूल और इण्टर का प्रतिशत महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक है। क्योंकि पूर्व में महिलाओं को बाहर जा कर पढ़ने की अनुमति नहीं प्राप्त होती थी। लेकिन पुरुषों के साथ ऐसा कोई बन्धन नहीं रहता था। जिससे वे गांव से बाहर जाकर पढ़ सकते थे। परन्तु धीरे-धीरे ग्रामीण समाज में चेतना आई और लड़के और

लड़कियां बाहर जाकर पढ़ने लगे जिससे उच्च शिक्षा को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। उच्च शिक्षा महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। क्योंकि महिलाओं में आगे पढ़ने की लालसा अधिक होती है। यदि अवसर और शिक्षा दोनों आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं तो वे शिक्षा प्राप्त करने में पीछे नहीं रहना चाहती है। क्योंकि शिक्षा ही वह मजबूत साधन है जो प्रगति पथ के सारे द्वार खोल देती है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं वरन शहरी क्षेत्रों में भी लड़कियों का शैक्षिक प्रतिशत लड़कों की अपेक्षा अधिक है। परीक्षा परिणाम घोषित होने पर आंकड़े सिद्ध करते हैं कि लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक पास होती है।

वह दिन दूर नहीं लगता जब ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और पुरुष शिक्षा के स्तर में बराबरी आ जायेगी। महिलाओं में साक्षरता का प्रतिशत पुरुषों के बराबर हो जायेगा। स्वयं सहायता समूह की महिलायें और उनके पतियों की शिक्षा लगभग बराबर ही दृष्टिगोचर होती है।

सारणी संख्या 3.3

उत्तरदात्रियों की वैवाहिक स्थिति का विवरण

क्र0सं0	वैवाहिक स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1.	अविवाहित	17	4.25
2.	विवाहित	335	83.75
3.	तलाकशुदा	21	5.25
4.	विधवा	27	6.75
	योग	400	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 3.3 में उत्तरदात्रियों की वैवाहिक स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया गया है। वैवाहिक स्थिति को अविवाहित, विवाहित, तलाकशुदा तथा विधवा में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें अविवाहित उत्तरदात्रियां 4.25 प्रतिशत है, विवाहित 83.75 प्रतिशत, तलाकशुदा 5.25 प्रतिशत तथा शेष 6.75 प्रतिशत विधवा उत्तरदात्रियां है।

सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अविवाहित उत्तरदात्रियों का प्रतिशत सर्वाधिक कम है। जिसका कारण स्पष्ट होता है कि ग्रामीण अंचलों में निम्न जातियों में लड़कियों का विवाह कम आयु में कर दिया जाता है एवं ग्रामीण सामाजिक जीवन में लड़कियों के प्रति जागरूकता का अभाव पाया जाता है। क्योंकि समूह की सदस्यता ग्रहण करने के बाद लड़कियों और महिलाओं को समूह की बैठक में जाना, विभिन्न प्रशिक्षणो में गांव से बाहर जाकर सहभागी होना, आर्थिक गतिविधियों के लिए विभिन्न आय उपार्जक कार्यो को करना अनिवार्य होता है परन्तु ग्रामीण परिवेश में अविवाहित लड़कियों को यन्यत्र जाने देने की

परम्परा कम हैं। इसलिए उनके अभिभावकों द्वारा समूह की सदस्यता लेने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है। जिससे अविवाहित लड़कियों की समूह में सहभागिता नहीं हो पाती। स्वयं सहायता समूह में सर्वाधिक भागीदारी तीन चौथाई से भी अधिक विवाहित महिलाओं की है। क्योंकि ग्रामीण परिवेश में विवाहित महिलाओं के अन्दर अपने परिवार की समस्त जिम्मेदारी वहन करने का भाव निहित होता है। फलतः विवाहित महिलायें अपने परिवार की आर्थिक प्रगति के लिए शारीरिक श्रम बल के द्वारा विभिन्न प्रकार के आय-उपार्जक कार्यो को करती हैं एवं विवाहित महिलाओं को सामाजिक दृष्टि से लगभग प्रत्येक गतिविधियों को करने की स्वतन्त्रता रहती है। अतः समूह में उनकी पर्याप्त भागीदारी है।

तलाकशुदा उत्तरदात्रियों का प्रतिशत कम हैं क्योंकि इस क्षेत्र में परम्परागत विवाह पद्धति है जिससे विवाह जैसे पवित्र बन्धन को तोड़ना यहां कि ग्रामीण सोंच में पाप माना जाता है। समूह में जो तलाकशुदा महिलायें है वह ज्यादातर मुस्लिम वर्ग से सम्बन्धित है क्योंकि इस क्षेत्र में मुस्लिम जनसंख्या पर्याप्त है। तलाकशुदा महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति निम्न स्तर की हो जाती है एक तो पूरे से ही महिलाएं गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों में जीवन यापन कर रही होती हैं एवं तलाक हो जाने पर इनकी आर्थिक स्थिति में सीधा असर होता है। अतः यह महिलाएं अपने सामाजिक, आर्थिक दायरे को सुदृढ़ करने की दृष्टि से समूह की सदस्यता लेकर अपने जीवन-यापन के लिए आय, उपार्जक साधनों से जुड़ जाती है। जिससे ऐसी महिलायें समाज में उपेक्षित जीवन जीने से अपने आपको बचाकर एक सम्मानजनक स्थिति प्रदान करती है। इसी प्रकार विधवा महिलाओं का प्रतिशत भी लगभग तलाकशुदा महिलाओं के बराबर ही हैं। विधवा महिलाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उन्हें परिवार में हेय दृष्टि से देखा जाता है एवं बोझ समझा जाता है। विशेषकर अधिक उम्र की महिलाओं को जिनके बच्चे भी नहीं होते हैं विधवा महिलायें निराश्रित हो जाती हैं। जिससे उनके सगे सम्बन्धियों एवं परिजनों द्वारा उन्हें बोझ समझा जाता है। यह भावना अधिकतर ढलती आयु की महिलाओं

के साथ अधिक पनपती है। कम उम्र की विधवा महिलाओं को सामाजिक कलंक एवं अपशगुन भी माना जाता है जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में गिरावट होती है अतः विधवा महिलायें भी अपनी आजीविका के लिए स्वयं सहायता समूहों को एक मजबूत आश्रय के रूप में देखती है और इसकी सदस्यता ग्रहण कर अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करती हैं। निश्चित ही समूह में सर्वाधिक भागीदारी विवाहित महिलाओं की है क्योंकि समाज में यह वर्ग अधिक होता है परन्तु इनके अतिरिक्त तलाकशुदा एवं विधवा निराश्रित महिलायें भी सामाजिक बंधनों व रुढ़ियों का तोड़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करा रही है जो महिला विकास के लिए एक तेज प्रयास एवं दावेदारी है।

सारणी संख्या 3.4

उत्तरदात्रियों की संतानों की संख्या का विवरण

वर्ग गत

संतानों की संख्या	2		3		4		5 से अधिक		संतान नहीं		योग	
वर्ग	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
सवर्ण	5	15.15	12	36.36	-	-	8	24.24	8	24.24	33	8.25
पिछड़ी	78	42.62	59	32.24	23	12.56	16	8.74	7	3.82	183	45.75
अनु0जाति	48	53.93	24	26.96	-	-	9	10.11	8	8.98	89	22.25
मुस्लिम	32	33.68	15	15.78	-	-	48	50.52	-	-	95	23.75
योग	163	40.75	110	27.5	23	5.75	81	20.25	23	5.75	400	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 3.4 में उत्तरदात्रियों की संतानों तथा उनके वर्ग के क्रम में विवरण प्रस्तुत किया गया है। संतानों की संख्या को क्रमशः 2, 3, 4, 5 से अधिक एवं कोई संतान नहीं में वर्गीकृत किया गया है। वर्ग के क्रम में सवर्ण, पिछड़ी, अनु0जाति तथा मुस्लिम में वर्गीकृत किया गया है जिसमें 8.25 प्रतिशत सवर्ण, 45.75 प्रतिशत पिछड़ी, 22.25 प्रतिशत अनु0जाति तथा शेष 23.75 प्रतिशत उत्तरदात्रियां मुस्लिम वर्ग से सम्बन्धित है।

सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक ऐसी उत्तरदात्रियों का 40.75 प्रतिशत है जिनके दो संताने हैं। जो इस बात का परिचायक है कि ग्रामीण महिलायें आज जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के लिए जागरूक हो रही है। आज बढ़ती मंहगाई और बढ़ती महत्वाकांक्षाओं ने परिवार के स्वरूप को छोटा कर दिया है। अब गांवो मे भी लोगों को यह एहसास होने लगा है कि ज्यादा बच्चे होना उचित नहीं है क्योंकि गांवों में लोगों की आर्थिक स्थिति विशेषकर निम्न जातियों की अच्छी नहीं होती है जिससे वह अपने बच्चों की उचित देख-रेख, पालन-पोषण एवं शिक्षा का प्रबन्ध करने में असमर्थ होते हैं जिससे उनके बच्चों का सर्वागींण विकास नही हो पाता। आज जागरूकता और शिक्षा ने ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों को यह आभास करा दिया है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। दो से अधिक तीन संताने 27.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के है। तीन से अधिक चार संताने 5.75 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के हैं जो सर्वाधिक कम है। इसी प्रकार चार से अधिक पॉच और इससे ऊपर संताने 20.25 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के है। जिनके कोई बच्चे नहीं है उनका 5.75 प्रतिशत है जो सर्वाधिक कम है।

वर्ग के क्रम में देखे तो सवर्ण उत्तरदात्रियों के सर्वाधिक तीन बच्चे है। पॉच से अधिक और कोई संतान नहीं का प्रतिशत बिल्कुल बराबर है। दो बच्चों वाली उत्तरदात्रियां भी लगभग कम ही है। सवर्ण वर्गो में अभी भी लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है जिससे लड़कों की चाह में कई बच्चे हो जाते हैं शायद यही वजह है कि दो बच्चों का प्रतिशत

सबसे कम है। पिछड़े वर्ग में सर्वाधिक दो और तीन बच्चों वाली उत्तरदात्रियों का प्रतिशत है। दो बच्चों वाली उत्तरदात्रियों का प्रतिशत सर्वाधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि पिछड़े वर्गो की महिलाओं में भी चेतना आई है। शिक्षा और जागरूकता ने इस वर्ग की महिलाओं को भी जनसंख्या वृद्धि से चेताया है।

आज ग्रामीण महिलाओं को यह समझ में आने लगा है कि ज्यादा बच्चे होने से परिवार ज्यादा बड़ा हो जाता है जिससे बच्चों की आर्थिक जरूरतें पूरी करना सम्भव नहीं होता एवं कम संतानों से बढ़ती गरीबी को रोका जा सकता है। इस वर्ग में पूर्व में शिक्षा की कमी और जागरूकता का अभाव था इससे देखा जा सकता है कि अन्य सभी वर्गो की अपेक्षा चार बच्चों की संख्या इस वर्ग की उत्तरदात्रियों में अधिक है। जो इनकी पूर्व में अशिक्षा एवं जागरूकता के अभाव को प्रदर्शित करता है। 5 से अधिक संतानों का प्रतिशत लगभग सवर्ण वर्ग की उत्तरदात्रियों से दुगना है। परन्तु कोई संतान न होने का प्रतिशत बराबर है। सर्वाधिक जागरूकता अनु०जाति की उत्तरदात्रियों में देखी जा सकती है। इस वर्ग की महिलाओं मे 2 बच्चों वाली उत्तरदात्रियों का प्रतिशत सर्वाधिक है। जो सभी वर्गो की महिलाओं से आधे से अधिक है। इस वर्ग में भूमि की कमी एवं निम्न आर्थिक स्तर होता है। यह समाज का सबसे कमजोर वर्ग होता है। यह मेहनत और मजदूरी करके जीवन यापन करने वाला वर्ग है। आय का कोई स्थाई स्रोत नहीं होता है जिससे यह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाते और न ही उचित देख-रेख कर पाते है। इसलिए सर्वाधिक जागरूकता इस वर्ग की महिलाओं में आई है। जागरूकता बढ़ाने के क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह एक विशिष्ट भूमिका अदा कर रहे हैं। समूहों में आर्थिक आवश्यकताओं के साथ-साथ व्यक्तित्व का विकास भी हो रहा है। समूहों में विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा महिलाओं का सर्वागीण विकास भी किया जाता है। परन्तु मुस्लिम वर्ग की महिलाये अभी भी जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए जागरूक नहीं हो पाई है। क्योंकि इस वर्ग में एक भी उत्तरदात्री ऐसी नहीं है जिसके कोई संतान न हो। शायद यह उनकी रुढ़िवादी सोंच और महिलाओं को अधिकारों की ज्यादा प्राप्ति न होने का परिणाम है। इस वर्ग की

महिलाओं को चहारदीवारी के अन्दर रखकर बच्चे पैदा करने की मशीन समझने के अलावा और कोई अधिकार नहीं प्रदान किये जाते थे। परन्तु आज बढ़ती मंहगाई और महत्वाकांक्षाओं ने इस वर्ग में भी परिवर्तन परिलक्षित कर दिये है। आज मुस्लिम महिलायें घर से निकलकर स्वयं सहायता समूह जैसे समाजार्थिक कार्यक्रमों में सहभागी होकर अपना एवं अपने परिवार व समाज का विकास कर भाईचारे की भावना को सुदृढ कर रही है। निश्चिय ही आगामी भविष्य में समूहों के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए इस वर्ग की महिलायें भी जागृत हो जायेंगी।

सारणी संख्या 3.5

उत्तरदात्रियों के परिवार के स्वरूप सम्बन्धी विवरण

क्र०सं०	परिवार का स्वरूप	संख्या	प्रतिशत
1.	संयुक्त परिवार	119	29.75
2.	एकाकी परिवार	281	70.25
	योग	400	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 3.5 में उत्तरदात्रियों के परिवार के स्वरूप का विवरण प्रस्तुत किया गया है। संयुक्त परिवार का प्रतिशत 29.75 है एवं एकाकी परिवार का 70.25 प्रतिशत है।

सारणी का विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि संयुक्त परिवारों का प्रतिशत एकाकी परिवारों की अपेक्षा कम है संयुक्त परिवार प्रणाली भारतीय सामाजिक व्यवस्था की आधार थी। वर्तमान में औद्योगीकरण, नगरीकरण एवं वैश्वीकरण जैसी प्रक्रियाओं ने सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आज इन प्रक्रियाओं का असर ग्रामीण अंचलों में भी हुआ है। फलस्वरूप संयुक्त परिवार तेजी से विघटित हो रहे हैं। इनका स्थान एकाकी परिवार लेते जा रहे हैं। हालांकि प्राचीन काल में सामाजिक संगठन बनाए रखने के रूप में संयुक्त परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण थी परन्तु आज महिलाएं संयुक्त परिवार में स्वयं को स्वतन्त्र महसूस नहीं करती है। संयुक्त परिवार में मुखिया का निर्णय सर्वमान्य होना, पर्दा-प्रथा का अनुसरण करना, अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता न होना, कठोर नियमों

आदि का पालन करने से महिलायें अपने जीवन को बोझ समझने लगती है। जिससे वह अवसाद और कुंठाग्रस्त बनी रहती हैं। संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है। जिससे उन्हें घर-गृहस्थी के कार्यो से छुटकारा ही नहीं मिल पाता कि वह अन्य सामाजिक कार्यो में सहभागी हो सके। वर्तमान में संयुक्त परिवारों के स्वरूपों में शिथिलता आई है और एकाकी परिवारों का तेजी से उदय हो रहा है। ज्यादतर एकाकी परिवारों में महिलायें ही निर्णय लेती है। यही कारण है कि एकाकी परिवारों की महिलायें ही ज्यादा प्रतिशत में सहभागिता कर रही है।

एकाकी परिवार की महिलायें अपने आपको स्वतन्त्र महसूस करती हैं क्योकि न तो उन्हें वहाँ सास-ससुर व जेठानी का डर रहता है और न ही परिवार के अन्य सदस्यों का। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर एकाकी परिवार नई उम्र की महिलाओं के देखे जा सकते हैं। क्योंकि आज महिला पारम्परिक रूढ़ियों और बंधनों में बंधकर नहीं रहना चाहती। विशेषकर युग वर्ग की वह चाहे किसी भी वर्ग या जाति की हो। यदि महिला शिक्षित और जागरूक है तो वह अपने निर्णयों में अन्य लोगों का हस्ताक्षेप पसन्द नहीं करती है। ग्रामीण संयुक्त परिवारों में अभी भी रुढ़िवादी सोंच बरकरार है। जिसके चलते महिलाओं को घर से निकलकर कार्य करना समाज की दृष्टि से उचित नहीं समझा जाता इसलिए महिलायें संयुक्त परिवारों की अपेक्षा एकाकी जीवन या परिवार में रहना पसंद करती हैं जहां वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए स्वतन्त्र होती है। उच्च जातियों को छोड़कर ग्रामीण परिवारों में ज्यादातर लोग निम्न जीवन स्तर के होते है। अतः ऐसे परिवारों की महिलायें अपने घर एवं स्वयं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए समूह से जुड़ती है। आज जागरूकता एवं शिक्षा के प्रभाव ने महिलाओं में स्वावलंबन का अर्थ स्पष्ट कर दिया है। स्वयं के विकास, परिवार के विकास एवं देश के विकास के लिए यह जरूरी है कि महिलायें स्वावलंबी बने। आज ग्रामीण महिलाओं को इस बात का आभास हो रहा है और वह घर की चहारदीवारी लांघकर स्वयं सहायता समूहों के रूप में सामाजार्थिक प्रयासों को मूर्त रूप देने के लिए तत्पर हो गई है।

सारणी संख्या 3.6

उत्तरदात्रियों के पति के व्यवसाय का विवरण

वर्ग गत

पति का व्यवसाय	कृषि		अन्य कोई कार्य		कोई कार्य नहीं		योग	
वर्ग	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
सवर्ण	17	51.51	16	48.48	-	-	33	8.25
पिछड़ी	71	38.79	95	51.91	17	9.28	183	45.75
अनु0जाति	-	-	73	82.02	16	17.97	89	22.25
मुस्लिम	23	24.21	17	17.89	55	57.89	95	23.75
योग	111	27.75	201	50.25	88	22	400	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 3.6 में उत्तरदात्रियों को उनके पतियों के व्यवसाय तथा उनके वर्ग के क्रम में विवरण प्रस्तुत किया गया है। पतियों के व्यवसाय को क्रमशः कृषि, अन्य कोई कार्य एवं कोई कार्य नहीं में वर्गीकृत किया गया है। व्यवसाय के वर्गीकरण में नौकरी को भी रखा गया था परन्तु उत्तरदात्रियों के पतियों का उक्त व्यवसाय से संबंधित न होने के कारण नौकरी को वर्गीकरण में शामिल नहीं किया गया। अन्य कार्यो के अन्तर्गत कृषि के अतिरिक्त कृषि श्रमिक, छोटा-मोटा व्यापार, मजदूरी आदि को सम्मिलित किया गया है। कोई कार्य नहीं के अन्तर्गत उन उत्तरदात्रियों को रखा गया है जिनके पति कोई कार्य नहीं करते तथा उनकी महिलायें ही घर का खर्च चलाती है। वर्ग के क्रम में देखे तो 8.25 प्रतिशत उत्तरदात्रियां सवर्ण हैं। 45.75 प्रतिशत पिछड़े वर्ग से, 22.25 प्रतिशत अनु०जाति से तथा शेष 23.75 प्रतिशत उत्तरदात्रियां मुस्लिम वर्ग से है।

सारणी पर दृष्टिपात करने पर स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक प्रतिशत ऐसी उत्तरदात्रियों का है जिनके पति कृषि से इतर कार्य करते हैं इनका प्रतिशत आधे से अधिक अर्थात 50.25 प्रतिशत है। 27.75 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पति कृषि कार्यो में संलग्न है। शेष ऐसी उत्तरदात्रियों का 22 प्रतिशत है जिनके पति कोई कार्य नहीं करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी अधिकांश महिलाओं के परिवार भूमिहीन है अर्थात् आय का कोई स्थाई स्रोत नहीं है।

वर्ग के क्रम में यदि हम सारणी का विश्लेषण करें तो पाते हैं कि सवर्ण उत्तरदात्रियों का प्रतिशत कम ही है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांशतः गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार पिछड़ी या अनु०जाति से संबंधित होते है। सवर्ण उत्तरदात्रियों में कोई ऐसी महिला नहीं है, जिनके पति कोई न कोई कार्य न करते हों। सवर्ण उत्तरदात्रियों में लगभग आधी 51.51 प्रतिशत उत्तरदात्रियां ऐसी है जिनके पति कृषि कार्यो में तथा आधी ऐसी हैं जिनके पति अन्य कार्यो में संलग्न है। आय के स्रोत उपलब्ध होने के बावजूद भी ये महिलायें स्वयं सहायता समूहों की सदस्यता ग्रहण कर रही

है। जिसका प्रमुख कारण स्वावलंबन है। जो शिक्षा और जागरूकता से पनपा है। उत्तरदात्रियों में सर्वाधिक प्रतिशत (45.75) पिछड़े वर्ग की महिलाओं का है। इसका कारण सामान्यतः गॉवों में सर्वाधिक पिछड़ी जातियों का होना है। जिनमें अधिकांश गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इन महिलाओं का स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने का प्रमुख कारण शिक्षा एवं जागरूकता है जो इनकी निम्न आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहन का कार्य कर रही है। आज ग्रामीण अंचलों में भी पिछड़े वर्ग के परिवारों में स्त्रियों को शिक्षा प्रदान कराई जा रही है। साथ ही पिछड़े वर्गो के लोगों में अधिकांश परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं। चूंकि पिछड़े वर्ग की महिलाओं के पति कृषि कार्यो में संलग्न है शायद यही कारण है कि ऐसी उत्तरदात्रियों का 38.79 प्रतिशत है जिनके पति कृषि कार्यो में संलग्न है। परन्तु भूमि की उपलब्धता न होने के कारण अधिकांश परिवार खेती से इतर कार्यो जैसे कृषि श्रमिक, मजदूरी आदि कार्यो में अधिक संलग्न है। ऐसी उत्तरदात्रियाँ 51.91 प्रतिशत है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सामाजिक परिवर्तन होने के बावजूद भूमि का वितरण सवर्ण या कुछ पिछड़ी जातियों तक ही सीमित है। अतः गाँवों में आज भी अनु0जाति के अधिकांश परिवार मजदूरी या कृषि श्रमिक के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं शायद यही कारण है कि अनु0जाति की उत्तरदात्रियों का सर्वाधिक 82.02 प्रतिशत है जिनके पति कृषि से इतर अन्य कार्यो में संलग्न है। चूंकि अनु0जाति के अधिकांश परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं साथ ही आर्थिक रूप से भी ये परिवार कमजोर स्थिति के हैं। अतः आर्थिक आत्म निर्भरता हेतु भी अनु0जाति की महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ रही हैं। राजनैतिक परिवर्तन के कारण भी इन वर्गो के सदस्यों में चेतना की वृद्धि हुई है साथ ही इन वर्गो में कई परिवार ऐसे भी है जिनके पुरुष सदस्य कोई कार्य नहीं करते महिलाएं ही बाहर मजदूरी आदि करके घर का खर्च चलाती है। इसलिए स्वयं सहायता समूहों से महिलायें जुड़कर आर्थिक उन्नति कर रही हैं।

मौदहा विकास खण्ड में मुस्लिम आबादी भी निवास करती है। सामान्यतः गांवों में निवास करने वाले मुस्लिम परिवार आर्थिक तंगी के शिकार होते हैं। जिसका प्रमुख कारण उनके परिवार का बड़ा होना एवं भूमि की उपलब्धता न होना होता है। मुस्लिम परिवार भी बहुतायत मात्रा में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। ऐसी मुस्लिम महिलाओं का सर्वाधिक 57.89 प्रतिशत है। जिनके पति कोई कार्य नहीं करते और यह सभी वर्गो की अपेक्षा भी सर्वाधिक है। मुस्लिम वर्ग की महिलायें भी सामाजिक एवं धार्मिक रुढ़ियों को तोड़कर स्वयं सहायता समूह बना रही हैं जिसका प्रमुख कारण है उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति सामाजिक जागरूकता भी इन महिलाओं को संबल प्रदान कर रही है। आज जागरूकता ने महिलाओं को स्वावलंबन का अर्थ स्पष्ट कर दिया है। क्योंकि सम्पूर्ण सारणी का अवलोकन करने पर स्पष्ट हुआ है कि उत्तरदात्रियों के पतियों का व्यवसाय पूर्णतः न तो कृषि पर आधारित है और न ही अन्य कार्यो पर जिससे वह अपनी पारिवारिक आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर पायें। भूमि की अपर्याप्तता एवं बढ़ती मंहगाई से गरीब व कमजोर ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह एक आर्थिक संबल प्रदान करने में महती भूमिका निभा रहे हैं जिससे महिलायें लाभ उठाकर अपना एवं अपने परिवार का आर्थिक सशक्तीकरण कर रही है।

सारणी संख्या 3.7
कृषि योग्य भूमि का विवरण

वर्ग गत

कृषि योग्य भूमि	2-4 बीघा		5-8 बीघा		9-15 बीघा या अधिक		भूमिहीन		योग	
वर्ग	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
सवर्ण	9	27.27	8	24.24	7	21.21	9	27.27	33	8.25
पिछड़ी	66	36.06	63	34.42	7	3.82	47	25.68	183	45.75
अनु०जाति	24	26.96	-	-	-	-	65	73.03	89	22.25
मुस्लिम	16	16.84	21	22.1	-	-	58	61.05	95	23.75
योग	115	28.75	92	23	14	3.5	179	44.75	400	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 3.7 में उत्तरदात्रियों की कृषि योग्य भूमि का वर्गगत विवरण दिया गया है। भूमि को 2-4 बीघा, 5-8 बीघा, 9-15 बीघा या अधिक तथा भूमिहीन में वर्गीकृत किया गया है। वर्ग के क्रम में सवर्ण, पिछड़ी, अनु0जाति तथा मुस्लिम में वर्गीकृत किया गया है। जिसमें 8.25 प्रतिशत सवर्ण वर्ग की उत्तरदात्रियां 45.75 प्रतिशत पिछड़े वर्ग की, 22.25 प्रतिशत अनु0जाति की तथा शेष 23.75 प्रतिशत मुस्लिम वर्ग की उत्तरदात्रियां शामिल है। भूमि की उपलब्धता के संदर्भ में पाया गया कि 28.75 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के 2-4 वीघा भूमि है। 23 प्रतिशत के 5-8 बीघा भूमि, 3.5 प्रतिशत के 9-15 बीघा या अधिक भूमि तथा 44.75 प्रतिशत भूमिहीन उत्तरदात्रियां है।

सारणी पर अवलोकन से स्पष्ट है कि सर्वाधिक प्रतिशत भूमिहीन उत्तरदात्रियों का है जिससे स्पष्ट होता है कि भूमि पर स्वामित्व उच्च जातियों का ज्यादा है। क्योंकि निम्न जाति की उत्तरदात्रियों के परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करते है। अतः ऐसे परिवारों की आर्थिक स्थिति का आधार मेहनत और मजदूरी होती है। इसलिए आज भी भूमि पर स्वामित्व निम्न जातियों का कम है। 2-4 बीघा जमीन वाली उत्तरदात्रियों का प्रतिशत सर्वाधिक है। क्योंकि ग्रामीण अंचल में जनसंख्या वृद्धि के कारण संयुक्त परिवार अब एकाकी परिवारों में बदल रहे हैं जिससे भूमि का भी बंटवारा हो जाता है। बढ़ती जनसंख्या की वजह से जमीने भी बंट रही है। जिससे एक परिवार के भाग में 2 या 4 बीघे जमीन ही आ पाती है। यही कारण है कि सर्वाधिक प्रतिशत कम भूमि वाली उत्तरदात्रियों का है। 5 से 8 बीघे वाली उत्तरदात्रियों का प्रतिशत 2 से 4 बीघे वाली उत्तरदात्रियों के समकक्ष ही है। जिसका यही कारण प्रतीत होता है कि परिवार बढ़ते जा रहे हैं और भूमि का बंटवारा हो रहा है जिससे लोगों के पास थोड़ी-थोड़ी ही जमीन आ पाती है। इसी प्रकार 9 से 15 बीघा या अधिक भूमि वाली उत्तरदात्रियों का प्रतिशत लगभग न के बराबर है और यह सर्वाधिक कम भी है। जिसका प्रमुख कारण है कि गांवों में ज्यादातर लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करते हैं। ग्रामीण परिवारों में इतनी अधिक भूमि पर स्वामित्व निम्न लोगों का कम ही होता है।

वर्ग के क्रम में देखें तो सवर्ण वर्ग की उत्तरदात्रियों में 2 से लेकर 15 बीघे तक भूमि का प्रतिशत लगभग एक समान है। इस वर्ग का भूमि पर स्वामित्व हमेशा से रहा है। परन्तु आज सवर्ण जातियों का भूमि पर स्वामित्व घटता जा रहा है जिसका कारण है कि उच्च जातियों में पूर्व की बुरी आदतों जिसमें जुआँ खेलना, शराब पीना आदि से घर में अर्थाभाव अर्थात धन की कमी होती गयी जिससे आज लोगों को अपनी जमीन बेंचनी पड़ रही है एवं बढ़ते परिवारों की वजह से जमीनों का बंटवारा हो गया तथा परन्तु बुरी आदतों की वजह से एवं कर्ज से बचने के लिए जमीन बेंचनी पड़ जाती है। अतः यह भी एक कारण है कि आज सवर्णो का जमीन पर स्वामित्व कम होता जा रहा है। जिससे उनकी महिलायें स्वयं सहायता समूहों को अपना आर्थिक आधार समझकर सदस्यता ले रही हैं परन्तु यह अन्य वर्गो की अपेक्षा अभी कम ही है। इस वर्ग में भूमिहीन परिवारों का प्रतिशत अन्य सभी वर्गो की अपेक्षा कम है। अनु०जाति का भूमि पर स्वामित्व सर्वाधिक कम है। इस वर्ग में केवल 2 से 4 बीघे भूमि वाले परिवारों की उत्तरदात्रियां ही हैं। इस वर्ग में सर्वाधिक भूमि का अभाव है। यह व्यवस्था पूर्व से ही चली आ रही है और वर्तमान में भी ब्याप्त है। इस वर्ग की उत्तरदात्रियों के परिवार अन्य वर्गो की अपेक्षा सर्वाधिक भूमिहीन है। यदि सबसे कम भूमि पर स्वामित्व किसी वर्ग का है तो वह अनु०जातियों का है। सबसे अधिक आर्थिक तंगी इसी वर्ग को झेलनी पड़ती है। इस वर्ग में ज्यादातर कृषि श्रमिक परिवार ही होते हैं जो मजदूरी करके या गांव से बाहर जाकर शहरों में कोई रोजगार करके अपना परिवार चलाते हैं। मुस्लिम वर्ग में भूमि की उपलब्धता हालांकि 5 से 8 बीघे की अधिक है। परन्तु भूमिहीन परिवारों का प्रतिशत लगभग अनु०जाति की उत्तरदात्रियों के बराबर ही है। इस वर्ग में भी 8 बीघे से अधिक भूमि किसी भी परिवार की उत्तरदात्रियों में नहीं है। इस वर्ग में भूमि न होने के कारण प्रतीत होता है कि अधिक जनसंख्या अर्थात् एक परिवार में कई लोगों के होने से भूमि के कई हिस्से होते हैं। जिससे 2–4 बीघे जमीन ही हांथ में आती है जिससे लोगों के पास थोड़ी–थोड़ी जमीन ही हो पाती है। अतः आय का कोई स्थायी और उपयुक्त स्रोत नहीं हो पाता है। इस वर्ग में

भी ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर परिवार गरीबी रेखा के नीचे ही जीवन-यापन करते हैं जिससे भूमि पर उनका स्वामित्व नाम मात्र का ही होता है। प्रत्येक चारों वर्ग की उत्तरदात्रियों में 10 बीघे से अधिक भूमि किसी के पास नहीं है। जो थोड़ी बहुत कृषि योग्य भूमि है तो सिंचाई के संसाधनों का अभाव है। जिससे उचित मात्रा में पैदावार नहीं प्राप्त हो पाती है। ऐसे में स्वयं सहायता समूह गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की महिलाओं के लिए संबल का कार्य कर रहे हैं।

सारणी संख्या 3.8
खेती से होने वाली वार्षिक आय का विवरण

वार्षिक आय	5–9000		10–14000		15–19000		20000+अधिक		कोई आय नहीं		योग	
वर्ग	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
सवर्ण	-	-	9	27.27	15	45.45	-	-	9	27.27	33	8.25
पिछड़ी	31	16.93	79	43.16	24	13.11	-	-	49	26.77	183	45.75
अनु0जाति	9	10.11	15	16.85	-	-	-	-	65	73.00	89	22.25
मुस्लिम	-	-	37	38.94	-	-	-	-	58	61.00	95	23.75
योग	40	10	140	35	39	9.75	-	-	181	45.25	400	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 3.8 में खेती से होने वाली वार्षिक आय का वर्गगत विवरण दिया गया है। जिसमें वार्षिक आय को क्रमशः 5-9000, 10-14000, 15-19000, 20000 या अधिक तथा कोई आय नहीं में वर्गीकृत किया गया है। इसी प्रकार वर्ग के अन्तर्गत क्रमशः सवर्ण, पिछड़ी, अनु0जाति तथा मुस्लिम के वर्गो में वर्गीकृत किया गया है।

वार्षिक आय के क्रम में देखें तो 10 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के परिवारों को 5-9000 की वार्षिक आय प्राप्त होती है, 35 प्रतिशत को 10-14000 की वार्षिक आय प्राप्त होती है, 9.75 प्रतिशत को 15-19000 वार्षिक आय प्राप्त होती है, तथा 45.25 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के परिवारों को खेती से कोई वार्षिक आय नहीं प्राप्त होती है। 20000 और अधिक आय किसी भी उत्तरदात्रियों के परिवारों को नहीं होती है। वर्ग के क्रम में देखें तो 8.25 प्रतिशत सवर्ण वर्ग की उत्तरदात्रियाँ 45.75 प्रतिशत पिछड़े वर्ग की उत्तरदात्रियां, 22.25 प्रतिशत अनु0जाति की तथा शेष 23.75 प्रतिशत उत्तरदात्रियां मुस्लिम वर्ग से है।

सम्पूर्ण सारणी का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि सर्वाधिक प्रतिशत उन उत्तरदात्रियों का है जिनकी कोई वार्षिक आय नहीं है। क्योंकि इनके परिवार के पास भूमि की उपलब्धता नहीं है, जिससे वह कृषि कार्य कर सकें। आय का कोई स्थाई स्रोत न होने के कारण मेहनत-मजदूरी करके ही इनका जीवन निर्वाह हो रहा है। 10-14000 वार्षिक आय वाली उत्तरदात्रियां सर्वाधिक है, जिनके परिवारों की वार्षिक आय कृषि के द्वारा हो जाती है। 5 से 9000 की वार्षिक आय का प्रतिशत और 15 से 19000 की वार्षिक आय होने वाली उत्तरदात्रियों का प्रतिशत लगभग बराबर है।

वर्ग के क्रम में देखें तो सवर्णो में 15-19000 वार्षिक आय वाली उत्तरदात्रियों का प्रतिशत अधिक है। 10-14000 आय वाली उत्तरदात्रियों और कोई आय न होने वाली उत्तरदात्रियों का प्रतिशत समान है। कोई वार्षिक आय न होने का प्रतिशत अन्य वर्गो की अपेक्षा सर्वाधिक कम है। क्योंकि इस वर्ग का कृषि हेतु भूमि पर स्वामित्व शुरु से रहता आया है।

पिछडे वर्ग में सर्वाधिक 10-14000 वार्षिक आय वाली उत्तरदात्रियों का प्रतिशत है। 15-19000 तक की वार्षिक आय इस वर्ग की है। इस वर्ग में भी आय न होने वाली

उत्तरदात्रियों का प्रतिशत अधिक है। क्योंकि इस वर्ग का भी भूमि पर स्वामित्व कम रहता था परन्तु आज इस वर्ग की स्थिति सुधर रही है और इस वर्ग का भूमि पर स्वामित्व होता जा रहा है।

अनु०जाति की उत्तरदात्रियों के परिवारों की स्थिति सर्वाधिक खराब है। इस वर्ग की वार्षिक आय सर्वाधिक कम है। क्योंकि इस वर्ग की शुरु से ही निम्न आर्थिक स्थिति खराब रही है। भूमि की उपलब्धता सर्वाधिक इसी वर्ग के पास नहीं रही है। यह वर्ग मेहनत, मजदूरी करके खाने और कमाने वाला वर्ग रहा है। आज भी भूमि पर स्वामित्व इस वर्ग का नहीं है जिस पर वह कृषि कर सके। सभी वर्गो की अपेक्षा सर्वाधिक इस वर्ग की वार्षिक आय न होने का प्रतिशत है।

मुस्लिम वर्ग में 10-14000 वार्षिक आय वाली उत्तरदात्रियों का प्रतिशत अन्य सभी वर्गो के समकक्ष ही है। कोई वार्षिक आय न होने वाली उत्तरदात्रियों का प्रतिशत अनु०जाति के समकक्ष ही है। इस वर्ग में भूमि होते हुए भी उससे अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता है। क्योंकि परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक होती है जिससे भूमि पर स्वामित्व सभी सदस्यों का हो जाता है। अर्थात् कृषि करने वाली भूमि का बंटवारा हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक सदस्य के पास थोड़ी जमीन ही बचती है जिससे बहुत कम आय प्राप्त होती है।

किसी भी वर्ग की वार्षिक आय 20000 या अधिक नहीं है क्योंकि ये वर्ग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वर्ग है इसलिए इनके पास भूमि की उपलब्धता कम है एवं एक कारण और प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र में लगातार पिछले 4 वर्षो से सूखा पड़ रहा है। सिंचाई का कोई निश्चित साधन न होने की वजह से जमीन अपेक्षित पैदावार नहीं दे पा रही है। जिससे इन वर्गो की वार्षिक आमदनी कम हो रही है। यह क्षेत्र कृषि आधारित क्षेत्र है और मानसून आधारित कृषि होती है, परिस्थितियां विपरीत होने की वजह से निश्चित आय नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में स्वयं सहायता समूह ग्रामीण गरीबों के लिए एक बहुत बड़े संबल के रूप में कार्य कर रहे हैं।

चतुर्थ अध्याय

स्वयं सहायता समूह में महिलाओं की भागीदारी-

- ❖ महिलाओं की विकास कार्यक्रमों में भागीदारी
- ❖ स्वयं सहायता समूह की अवधारणा, अर्थ एवं परिभाषा
- ❖ समूह की आवश्यकता, लाभ, महत्व
- ❖ समूह गठन, जागरूकता, नियमावली
- ❖ समूह संरचना, बैठक, सहभागिता, बैठक एजेण्डा
- ❖ पदाधिकारियों का चयन एवं उत्तरदायित्व
- ❖ समूह प्रबन्धन, बचत, समूह के रजिस्टर व खाते
- ❖ बैंक से ऋण की प्राप्ति, चक्रीय निधि
- ❖ सी०सी०एल०, समूह निधि
- ❖ एस०जी०एस०वाई० का वर्षवार विवरण
- ❖ कार्यरत समूहों का विवरण

चतुर्थ अध्याय

स्वयं सहायता समूह में महिलाओं की भागीदारी

भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम सन् 1954 में सरकार ने ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की, लेकिन महिलाओं की वास्तविक भागीदारी का प्रारम्भ सन् 1974 में हुआ। महिलाओं की व्यवहारिकता एवं निपुणता को प्रदर्शित करने के लिए गरीबी निवारण एवं विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता पर बल दिया। ग्रामीण विकास के अन्तर्गत महिला रोजगार के प्रसार से महिलाओं की समाज के सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में सहभागिता बढ़ी है। भारत में पिछले तीन दशकों से महिलाओं की कार्य सहभागिता का प्रतिशत निरन्तर बढ़ रहा है। जैसा कि सन् 1995 में मानव विकास रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रो में महिलाओं की कार्य सहभागिता दर अधिक है। भारतीय श्रम में महिलाओं का योगदान एक तिहाई है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 90 प्रतिशत व शहरी क्षेत्रों में 10 प्रतिशत महिलाएं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं।

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी 72.2 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। यह जनसंख्या कृषि, कुटीर उद्योग, हथकरघा जैसे कार्यो पर निर्भर करती है। देश के आर्थिक विकास में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। देश की 58 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यो में लगी हुई है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 25 प्रतिशत हिस्सा है। कृषि कार्य ग्रामीण जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय है। कृषि क्षेत्र में महिला श्रमिकों द्वारा किये जाने वाले अनेक कार्य निराई-गुड़ाई, बुवाई, चारे की कटाई, खेत-खलिहानों से अनाज निकलवाने आदि तक सीमित है। इसके अतिरिक्त महिलायें मुर्गीपालन, पशुपालन और मधुमक्खी पालन के कार्य भी करती हैं। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र की 83 प्रतिशत महिलाएं कृषि और कृषि से सम्बन्धित कार्यो में लगी हुई है।

भारत सरकार ने ग्रामीण विकास में महिला रोजगार की भागीदारी बढ़ाने के लिए समय-समय पर नीतियों का निर्माण किया है। भारत में ग्रामीण विकास रोजगार–संबर्द्धन व विभिन्न क्षेत्रों की विशेष किस्म की समस्याओं को हल करने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। जिनमें से कुछ विशेष कार्यक्रम बिन्दुओं में निम्न प्रकार से हैं-

1. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना।
2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम।
3. महिला स्वयं सिद्धा योजना।
4. स्वर्णिम योजना।
5. महिला डेयरी परियोजना।
6. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना।
7. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना।
8. खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग।

देश के ग्रामीण विकास में महिला रोजगार की महत्ता को सर्वोपरि समझते हुए केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा महिला रोजगार के विकास हेतु पिछले कुछ दशकों से अथक प्रयास किये जा रहे हैं, जिससे निश्चिय ही ग्रामीण विकास में महिला रोजगार की भागीदारी बढ़ेगी और महिलाओं में आर्थिक आत्म निर्भरता बढ़ने से समाज में उनकी स्थिति बेहतर होगी।

प्रस्तुत अध्याय के अन्तर्गत उपरोक्त ग्रामीण रोजगार की योजनाओं में से यहाँ 'स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना' का विस्तृत विवरण दिया जा रहा है। क्योंकि प्रस्तुत अध्ययन के लिए इस योजना का चयन अध्ययन में सन्दर्भ के रूप में किया गया है।

स्वयं सहायता समूह की अवधारणा -

स्वयं सहायता समूह का तात्पर्य आपस में मिलकर अपने विकास हेतु स्वयं आवश्यक संसाधनों तथा क्षमताओं को विकसित करने की रणनीति है। इससे व्यक्ति आत्मनिर्भर बनकर स्वयं का विकास कर सकता है एवं सुरक्षित महसूस कर सकता है। स्वयं सहायता समूह विभिन्न व्यक्तियों की विचारधाराओं तथा क्षमताओं का एक संगठन है। यह संगठन व्यक्तियों को अपनी निजी तथा सामूहिक आवश्यकताओं को एक समूह की परिधि में पूरा करने के अवसर प्रदान करता है। अनेक कार्य एवं समस्याएं ऐसी होती हैं जो किसी एक व्यक्ति द्वारा हल करना कठिन होता है। विशेषतः गरीब वर्ग के व्यक्ति जिनका संसाधनों पर स्वामित्व अथवा पहुँच सीमित होती है, के लिए व्यक्तिगत प्रयासों से अपना जीवन स्तर सुधारने का कार्य अत्यन्त कठिन होता है। अनुभव यह स्पष्ट करते हैं कि इस प्रकार के जरूरतमन्द व्यक्ति मिलकर आसानी से अपने विकास एवं जीवन स्तर में सुधार हेतु आवश्यक संसाधन तथा क्षमताएं प्राप्त कर सकते हैं।

स्वयं सहायता समूह की परिभाषा -

"स्वयं सहायता समूह एक सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वैच्छिक रूप से एकत्र हुए व्यक्तियों का समूह है। यह ग्रामीण गरीबों का समूह है जो गरीबी से उबरने हेतु स्वेच्छा से अपने को समूह के रूप में संगठित करते हैं।" समूह में नियमित बचत और बचत का एक सामान्य खाते में परिवर्तित करने पर सहमति होती है। जिसे समूह कोष कहा जाता है। इसकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह स्वतः और सहज ही अस्तित्व में नहीं आते बल्कि प्रयास और प्रेरित कर बनाये जाते हैं, इनके बनाने/गठित करने की एक निर्धारित प्रक्रिया है जिसे हम सामाजिक गतिशीलता सामाजिक संगठन की प्रक्रिया कहते हैं।

स्वयं सहायता समूह के अर्थ को शाब्दिक रूप से निम्न प्रकार से समझा जा सकता है :-

स्वयं : खुद अपने द्वारा।

सहायता : अपनी सहायता या मदद करें।

समूह : अपनी सहायता हेतु स्वगठित संगठन

सामाजिक संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों तथा ग्रामीण समाज के साथ सघन विचार विमर्श सम्मिलित हैं, कार्यक्रम के विषय में अवबोध कराना एवं उनको एक साथ लाने के लिए प्रयास करना और उनके स्वयं के विकास के लिए योगदान तथा सम्बन्धित समस्त विषयों के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेना।

इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वयं सहायता समूह ऐसे निर्धन ग्रामीणों का एक समूह है, जिनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति लगभग एक जैसी है। यह लोग अपनी इच्छा से एक समूह में संगठित होकर नियमित रूप से रुपये 10, 20 या उससे अधिक बचत करके जरूरत मंद सदस्यों के साथ ऋण का लेन-देन (बीमारी के इलाज, कृषि कार्य, शादी, व्यवसाय आदि के लिए) करते हैं। दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि वे लोग जो सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि में अथवा पारस्परिक व्यवसाय की दृष्टि से समरूप होते हैं तथा समूह सदस्यों के समान लाभ के लिए एकत्र होते हैं।

समूह की आवश्यकता :-

समग्र विकास एक सतत प्रक्रिया है इसके लिए आवश्यक है कि सभी मिलकर अपनी जिम्मेदारी समझे तथा तद्नुसार प्रयास करें। समूह एक ऐसा आधार है जो वैयक्तिक प्रयासों, रुचियों एवं आवश्यकताओं को सामूहिक प्रक्रिया के रूप में संगठित एवं संचालित करता है। निम्नलिखित बिन्दु समूह की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालते हैं :-

1. समूह के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता, ज्ञान और अनुभवों का समुचित उपयोग होता है।

2. समूह संगठन एक छोटे प्रकार की कार्यशाला है जिससे सीखने और समझने की प्रक्रिया से आत्मनिर्भरता एवं क्षमतायें विकसित होती हैं।

3. समूह में प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार अपना योगदान करता है। जिस प्रकार एक-एक ईट मिलकर एक भवन का निर्माण करती है उसी प्रकार समूह में व्यक्ति अपने विकास हेतु मिलकर स्वयं विकास का मार्ग प्रशस्त करता है।

4. समूह में कार्य करने से शंका और समस्याओं का आपसी विचार-विमर्श करके एक निश्चित तथ्य पर पहुँच जाते हैं।

5. समूह में क्षमता के अनुसार श्रम विभाजन अर्थात कार्य का विभाजन करके समय बचाया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता और दक्षता अलग-अलग होती है। जिसका उपयोग समूह में संयुक्त रूप से होता है।

6. समूह में कार्य करने से समय, धन और शक्ति तीनों की बचत की जा सकती है।

7. सामूहिक निर्णय प्रभावी होती हैं, जबकि व्यक्तिगत निर्णय में त्रुटि की संभावना रहती है।

8. समूह में संगठित व्यक्तियों में आत्म विश्वास एवं जोश की भावना विकसित होती है।

समूह के लाभ :-

स्वयं सहायता समूह ग्रामीण लोगों विशेषतया महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में लाभप्रद सिद्ध हो रहा है। समूह से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक उन्नति के साथ-साथ समग्र सामाजिक, भौतिक तथा मानवीय प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। समूह के द्वारा हो रहे लाभों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है -

1. जैसे बूंद-बूंद से घड़ा भरता है वैसे ही सभी सदस्यों की थोड़ी-थोड़ी बचत इकट्ठी होकर बड़ी राशि बन जाती है। बचत ही विकास का पहला कदम है।

2. नियमित बचत द्वारा प्रत्येक सदस्य के आर्थिक स्तर से सुधार होता है।

3. छोटा ऋण समूह के द्वारा आसानी से प्राप्त हो जाता है, यह ऋण किसी भी कार्य के लिए हो सकता है।

4. आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के निराकरण में समूह द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होता है।

5. छोटे रोजगार सम्बन्धी जानकारी एवं मार्गदर्शन समूह से मिलता है।

6. विशेषज्ञों, सरकारी विभागों से साक्षरता, बच्चों के पोषण एवं विकास तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी समूह के रूप में प्राप्त होती है।

7. समूह से सहयोग की भावना, आपसी विश्वास, क्षमता तथा आत्म निर्भरता का विकास होता है।

8. स्वयं के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ सहभागिता द्वारा गाँव का विकास होता है।

समूह में बचत का महत्व -

स्वयं सहायता समूह में बचत सदस्यों की समूह भावना का परिचायक है। बचत सभी सदस्यों को आपस में जोड़ने में "गारा" का काम करती है। अपनी छोटी-छोटी नियमित बचत से इकट्ठी की गयी धनराशि समूह के सदस्यों के लिए सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु मार्ग प्रशस्त करती है। जब अपनी छोटी एवं नियमित बचत से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बड़ी धनराशि आसानी से प्राप्त करता है तब उसका विश्वास सामूहिक प्रक्रियाओं में और अधिक बढ़ जाता है इससे पुनः समूह को स्थायित्व प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त यह भी अनुभव किया गया है कि बचत पर आधारित समूह अधिक स्वावलम्बी एवं स्थायी होते हैं क्योंकि वे अपने सदस्यों की तात्कालिक एवं दीर्घकालिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सहायक होते हैं।

स्वयं सहायता समूह में एक बचत दर निर्धारित कर विकास कार्यों हेतु जो आवश्यक पूंजी विकसित की जा सकती है। वह वैयक्तिक बचत से संभव नहीं है। यह समूह के

सदस्यों से बात करने पर स्पष्ट होता है। 20/-रु0 प्रति व्यक्ति प्रतिमाह की दर से बचत करते हैं तो वर्ष भर में 2400/-रु0 की पूंजी समूह के पास होगी। एक व्यक्ति को 2400/-रु0 विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को एकत्र कर पाना कठिन होगा, परन्तु जब वह समूह के सदस्य होंगे, तब वह अपनी बचत से अधिक धनराशि लेकर कार्य करके लाभ अर्जित कर सकते हैं। अब समूह का कोई भी सदस्य 20/-रु0 की बचत कर 2400/-रु0 तक की ऋण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त समूह से ली गयी ऋण राशि पर वह जो भी ब्याज देते हैं उससे भी वह स्वयं लाभांश के रूप में लाभ प्राप्त करते हैं।

समूह गठन हेतु व्यक्तियों अथवा वर्गो का चिन्हांकन -

स्वयं सहायता समूह के गठन के पूर्व यह नितान्त आवश्यक है कि व्यक्तियों अथवा वर्गो का चिन्हांकन हो जाये क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों अथवा विभिन्न वर्गो की अपनी भिन्न समस्यायें हो सकती है। सामान्यतया यह देखा गया है कि समान समस्याओं एवं मुद्दों वाले व्यक्ति आसानी से संगठित हो जाते हैं साथ ही ऐसा संगठन इसकी अवधि तक कार्य करता रहता है। अतः यह उचित होता है कि समान विचारधारा, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि एवं समान उद्देश्यों वाले व्यक्तियों को ही चिन्हित कर एक समूह में संगठित किया जाय। इसके लिए यह आवश्यक है कि योजना का क्रियान्वयन सहायता पात्र व्यक्ति या परिवार में ही हो। इन परिवारों को बिना भेदभाव और दबाव के चिन्हित करने हेतु सर्वेक्षण जिसे बी0पी0एल0 (गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार) सर्वेक्षण कहते हैं कि व्यवस्था की गई है इसके लिए मानक और प्रक्रिया भी निर्धारित की जाती है।

जागरूकता -

समूह गठन के पूर्व यह आवश्यक होता है कि ग्रामीण महिलाओं को जागरूक करना चाहिए। समूह का उद्देश्य एवं इससे होने वाले लाभ को भलीभाँति ग्रामीणों को स्पष्ट हो जाना चाहिए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं में जागरूकता की कमी स्पष्टतया पाई जाती

है। अतः जागरूकता के द्वारा महिलायें अपनी समस्याओं को स्पष्ट रूप से समझे तथा उन्हें दूर करने हेतु स्वयं प्रयास करने के लिए प्रेरित हों। इसके लिए स्थानीय परिस्थितियों, संस्कृति एवं वातावरण को ध्यान में रखकर जागरूकता अभियान शुरु होना चाहिए। जागरूकता लाने हेतु यह आवश्यक है कि ग्राम स्तर पर ऐसे व्यक्तियों को जोड़ा जाये जिन पर अधिकांश लोगों का विश्वास रहता है।

स्थानीय नेतृत्व विकास -

प्रारम्भ से ही समुदाय में क्षमता विकास हेतु आवश्यक है कि उनकी निर्भरता बाहरी कार्यकर्ताओं पर कम हो इसके लिए आवश्यक है कि प्रारम्भ से ही समुदाय द्वारा ऐसे व्यक्तियों को चुना जाये जिन पर समुदाय विश्वास रखता हो तथा वह कुछ समय सामुदायिक कार्यो हेतु दे सके। समूह के उचित मार्गदर्शन के लिए ऐसे व्यक्ति को प्रतिनिधित्व का निर्वाहन करना चाहिए जिसमें हम की भावना हो या सामुदायिक विकास एवं कल्याण की भावना रखता हो।

समूह की नियमावली -

किसी भी संस्था या समूह के सफल संचालन हेतु एक नियमावली की आवश्यकता होती है। यह नियमावली मुख्यतः संस्था या समूहों के उद्देश्यों की प्राप्ति तथा सभी समूह सदस्यों के हितों की रक्षा हेतु स्पष्ट कार्य प्रणाली निर्धारित करती है। किसी भी अच्छी नियमावली की मुख्य विशेषता उसका लचीलापन होता है। जिसके फलस्वरूप नियमावली में समायानुकूल परिवर्तिन करना संभव होता है। स्वयं सहायता समूहों के लिए नियमावली का निर्माण सदस्यों की आवश्यकता, स्वभाव, आदतों, पेशा, आय तथा उनमें बचत करने की क्षमता के आधार पर ही निर्धारित की जाती है। परन्तु उपरोक्त तथ्य सभी स्थानों पर समान नहीं होते तथा स्थानीय परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। समूह की नियमावली समूह ही बनायें जिससे समूह के उद्देश्यों की प्राप्ति तथा सदस्यों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। नियमावली के निर्माण में सदस्यों की भागीदारी से मुख्य लाभ यह होता है कि

समस्त सदस्य समूह के नियम कानून से भलीभाँति परिचित हो जाते हैं जो समूह को स्थिरता प्रदान करने में सहायक होते हैं।

समूह की संरचना -

जिस प्रकार व्यक्ति से लेकर समाज तक की एक संरचना होती है ठीक उसी प्रकार समूह की भी संरचना होती है क्योंकि समूह की अवधारणा का बोध समाज के अन्दर ही होता है। समूह सुचारू रूप से कार्यान्वित होता रहे, समूह की गतिविधियाँ भलीभाँति चलती रहे एवं समूह अपने निश्चित उद्‌देश्यों की प्राप्ति कर सके इसके लिए समूह की संरचना का गठन होना नितान्त आवश्यक होता है। समूह की संरचना को निम्नलिखित बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है।

1. गठित समूह का नाम रखना।
2. समूह के सदस्य एक जैसी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के हों।
3. एक परिवार से एक से अधिक सदस्य नहीं होते।
4. एक समूह में 10-20 सदस्य हो सकते हैं।
5. समूह स्त्रियों के या पुरुषों के या मिश्रित भी होते हैं।

बैठक -

एक से अधिक लोगों का एक जगह बैठकर किन्हीं उद्‌देश्यों की प्राप्ति हेतु आपसी चर्चा के मंच को बैठक कहा जाता है। बैठक में निश्चित अवधि के बाद होने वाली इस चर्चा में विचार, सोंच, अनुभवों का आदान-प्रदान होता है। बैठक समूह संचालन एवं उद्‌देश्यों की प्राप्ति हेतु विचार-विमर्श, निर्णय लेने एवं क्रियान्वित करने हेतु एक महत्वपूर्ण आधार एवं मंच है। समूह की प्रक्रिया सुचारू रूप से चले इसके लिए समूह की बैठक में नियमितता होना अथवा एक निश्चित अन्तराल के बाद सामूहिक बैठक का होना बहुत

जरूरी होता है। बैठक साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक भी होती है। बैठकों में अन्तराल सदस्यों की सहमति से होता है। नियमित बैठकों से निम्न लाभ होते हैं -

1. बचत, आन्तरिक ऋण, आन्तरिक ऋण वापसी भी नियमित होती है।
2. सामूहिक भावना सुदृढ़ होती है।
3. सामूहिक प्रक्रिया मजबूत होती है।
4. सदस्यों की ऋण की मांगे पूरी होती है।
5. उत्तरदायित्वों के निर्वहन में आ रही परेशानियों को सुलझाने में आसानी होती है।
6. नियमित कार्य समीक्षा से समूह के कार्य अच्छे ढंग से सम्पादित होते हैं।

बैठक में सहभागिता -

समूह के सभी सदस्यों की बैठक में उपस्थित अनिवार्य होना आवश्यक होता है। जिससे निम्नलिखित लाभ होते हैं-

1. सामूहिक निर्णय में सारे सदस्यों की सहमति ली जा सके।
2. कोई भी निर्णय जो समूह के हित में लिया जाता है। उसकी जानकारी सभी को हो।
3. समूह की आर्थिक स्थिति जैसे कुल बचत, कुल अंतःऋण, अंतऋण वापसी एवं कुल पूंजी की जानकारी होती है।
4. समूह के कमजोर पहलुओं को सशक्त बनाया जा सके।
5. सामुदायिक विकास कार्यो का नियोजन एवं क्रियान्वयन हो सके।

बैठक हेतु एजेण्डा -

बैठक हेतु एजेण्डा बनाया जाना आवश्यक होता है। समूह एजेण्डों में अपनी आवश्यकतानुसार बिन्दुओं को सम्मिलित करते हैं। सामान्यतया स्वयं सहायता समूह निम्न बिन्दुओं पर नियमित रूप से विचार-विमर्श एवं कार्यवाही करते हैं -

1. सामूहिक बचत राशि इकट्ठा करना।

2. आपसी लेन-देन।

3. समूह के लेखा-जोखा का हिसाब।

4. कार्यो की समीक्षा।

5. व्यक्तिगत एवं सामूहिक समस्याओं का समाधान।

6. समूह के कार्यो के लिए भावी कार्य योजना एवं रणनीति तैयार करना।

उपरोक्त क्रियाकलापों जिसमें समूह की बैठक करना, बैठक मे सहभागिता एवं नियमिताओं को सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार समूह हेतु बैठक का स्थान एवं समय भी समूह के सदस्यों द्वारा तय किया जाता है। जिससे सभी सामूहिक स्थान पर बैठक संचालन के लिए निष्पक्ष रूप से अपने सदस्यों के साथ विचार-विमर्श कर सकें। बैठक में ही किसी भी निर्णय पर कार्यवाही के लिए समूह के द्वारा प्रस्ताव बनाया जाता है। जिसमें ध्यान रखने योग्य विशेष बात यह होती है कि प्रस्ताव किस कार्य एवं उद्देश्य के लिए है। पारित प्रस्ताव पर उपस्थित सभी सदस्यों के हस्ताक्षर भी करवाये जाते हैं।

पदाधिकारियों का चयन एवं उत्तरदायित्व -

समूह को आगे बढ़ाने एवं लगातार उन्नति करने के लिए सभी सदस्यों की बराबर जिम्मेदारी होती है, लेकिन फिर भी सर्वसम्मति से चुने गये संचालकों एवं पदाधिकारियों को अपने उत्तरदायित्व के प्रति गंभीर रहना चाहिए। इन बिन्दुओं पर अन्तिम निर्णय समूह द्वारा ही लिया जाता है। पदाधिकारियों का चयन एवं उत्तरदायित्व निम्न प्रकार से है -

अध्यक्ष के कर्तव्य -

1. बैठकों की अध्यक्षता करना।

2. बैठकों को सुचारू रूप से चलाना।

3. सदस्यों को ऋण देने में पारदर्शिता का वातावरण बनाना।

सचिव के कर्तव्य -

1. बैठक की कार्यवाही लिखना एवं लिखवाना।
2. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करना तथा बैठकें आयोजित करना।
3. बैंक से सम्बन्धित कार्य व बचत एवं ऋण सम्बन्धित रिकार्ड रखने में कोषाध्यक्ष की सहायता करना।

कोषाध्यक्ष के कर्तव्य -

1. पैसों की सुरक्षा करना।
2. बचत व ऋण सम्बन्धित लेन-देन का हिसाब-किताब देखना।
3. सदस्यों की पासबुक में प्राप्त राशि को अंकित करवाना एवं करना।

समूह प्रबन्धन -

समूह प्रबन्धन का अर्थ है समूह के सदस्य अपने संसाधनों एवं समूह के क्रियाकलापों को इस तरह से प्रबन्ध करें कि सदस्यों की व्यक्तिगत कोशिश पूरे समूह को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद कर सकें। समूह प्रबन्धन की प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पारदर्शिता के सिद्धान्त पर आधारित होना आवश्यक होता हैं पारदर्शिता का अभाव होने पर समूह के सदस्यों में भ्रान्तियां विकसित होने लगती है, जो कि समूह के कार्यो को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं।

समूह प्रबन्धन के आधारभूत तत्व -

समूह प्रबन्धन में निम्न आधारभूत तत्व होते हैं, जो सदस्यों के आपसी सम्बन्धों को मजबूत बनाते हैं तथा समूह को स्थायित्व प्रदान करते हैं।

1. पारदर्शिता
2. समानता

3. अपनत्व की भावना

4. एकता

5. लोकतांत्रिक प्रक्रिया

बचत एवं लेखा रजिस्टर -

बचत एवं लेखा रजिस्टर बचत एवं ऋण के हिसाब-किताब के लिए होता है। इसमें विभिन्न कालम बने रहते हैं, जैसे-मासिक बचत का सदस्यवार विवरण अन्तः ऋण के कॉलम, बैंकों से लिये गये लोन का कॉलम, वापसी का कॉलम आदि। इन सभी कॉलमों को ठीक रूप से भरते रहने से समूह में आपसी विश्वास बना रहता है एवं सभी सदस्यों की बचत एवं ऋण एकाउण्ट की स्थिति साफ रहती है।

बचत ही स्वयं सहायता समूह बनाने का उद्देश्य है। समूह में यह तय किया जाता है कि बचत की राशि क्या होगी एवं समूह कोष में बचत जमा करने का दिन व समय क्या होगा। बचत की राशि सभी सदस्यों के लिए समान होती है। समूह गठन के बाद जब समूह की बचत शुरु हो जाती है तो अपने नजदीक के वाणिज्यक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक शाखा में समूह का बचत खाता खोला जाता है। बचत खाता खुल जाने के बाद समूह के सुदृढ़ीकरण व परिपक्वता के लिए ऋण का लेन-देन अति आवश्यक होता है। अतः समूह में 1-2 महीने की बचत के पश्चात समूह द्वारा जरूरतमंद सदस्यों को ऋण देना आरम्भ किया जाता है। सदस्य की ऋण वापसी की क्षमता को देखते हुए ऋण को देने का निर्णय बैठक में सर्व सम्मति से लिया जाता है। ऋण वापसी की किश्तें तथा ब्याज दर सदस्य को बता दिया जाता है एवं मूलधन की वापसी बैठक में ही तय की जाती है।

समूह के रजिस्टर व खाते -

समूह का लेन-देन व्यवहार दर्पण की तरह साफ-साफ हो। रिकार्ड सही लिखने से सभी सदस्यों का विश्वास बना रहता है तथा बैंक ऋण प्राप्ति में भी सुविधा रहती है। समूह के सही लेन-देन के लिए कौन-कौन से रजिस्टर रखने हैं इसका अन्तिम निर्णय समूह को

ही लेना होता है। कुछ रजिस्टरों का वर्णन नीचे दिया जा रहा है।

1. कार्यवाही रजिस्टर - इस रजिस्टर के आरम्भ में सदस्यता सूची व नियमावली तथा बाद के पृष्ठों में कार्यवाही लिखी जाती है।

2. पास बुक - प्रत्येक सदस्य को यह पुस्तिका दी जाती है। यह पुस्तिका बैंक पासबुक जैसी होती है। प्रत्येक सदस्य का समूह में बचत व ऋण का हिसाब इसमें लिखा जाता है। इसे बैठक में ही ऋण के लेन-देन व बचत की राशि लिखकर कोषाध्यक्ष द्वारा सदस्य को वापस कर दी जाती है।

3. बचत तथा ऋण रजिस्टर - एक ही रजिस्टर के अन्दर बचत, ऋण तथा अन्य आय-व्यय के खातों का रख-रखाव किया जाता है। इन खातों का विवरण निम्न है-

क. बचत खाता

ख. व्यक्तिगत व समूह ऋण खाता

ग. बैंक से ऋण प्राप्ति का ब्यौरा

घ. समूह का वार्षिक आय-व्यय खाता

बैंक से ऋण की प्राप्ति -

समूह गठन के 6 माह पश्चात् तथा अपनी बचत, ऋण देने के लिए कम पड़ने पर नजदीक के बैंक से अपनी बचत तथा परिपक्वता के आधार पर ऋण प्राप्त कर सकता है। तीन सदस्यीय समिति जिसमें खण्ड विकास अधिकारी, बैंक अधिकारी एवं सरपंच (गाँव का प्रतिष्ठित व्यक्ति) समूह की ग्रेडिंग मापदण्ड करते हैं जिसे प्रथम ग्रेडिंग कहते हैं। समूह की गुणवत्ता को ग्रेडिंग के द्वारा ही परखा जाता है। गुणवत्ता से समूह की वर्तमान स्थिति और इसके विकास के लिए कार्य योजना तैयार की जाती है। एक समूह हेतु गुणवत्ता मापदण्डों का निर्धारण उसके आधार, उद्देश्य, वातावरण आदि घटकों पर निर्भर करती है, जिनके

आधार पर समूह को श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। समूह के गुणवत्ता मापदण्ड संक्षेप में निम्नानुसार हैं -

1. आधार	2. नियमावली	3. बैठक
4. उपस्थिति	5. उत्तरदायित्व	6. कार्यक्रम आयोजन
7. बचत	8. ऋण	9. चक्रीय कोष
10. ऋण वसूली	11. संसाधनों का उपयोग	12. रिकार्ड का होना
13. समूह गान	14. सदस्यों की सक्रियता	

समूह की गुणवत्ता के उक्त प्रमुख मापदण्डों के आधार पर समूह की श्रेणी तय की जाती है। गुणवत्ता मापदण्ड में जो कमियां किसी समूह में दृष्टिगत होती हैं उन्हें दूर करने के प्रयास किये जाते हैं। ग्रेडिंग के लिए कुछ प्रश्न समूह के सामने रखे जाते हैं एवं उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अंक भी प्रदान किया जाता है। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत समूह को वर्गीकृत किया जाता है। यदि समूह ग्रेडिंग करने के बाद प्रथम श्रेणी प्राप्त करता है। तो बैंक द्वारा समूह की कैश क्रेडिट सीमा (सी०सी०एल०) बना दी जाती है। एवं चक्रीय निधि (रिवाल्विंग फण्ड) प्रदान किया जाता है। जिससे समूह आपस में लेन-देन की धन एवं ऋण राशि को बढ़ा सके। चक्रीय निधि एवं कैश क्रेडिट सीमा की संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है -

चक्रीय निधि (रिवाल्विंग फंड) -

लगभग 6 माह से मौजूद और अर्थक्षम समूह के रूप में स्वयं को प्रदर्शित करने वाले स्वयं सहायता समूह तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं अर्थात प्रथम ग्रेडिंग समूह की पूरी हो जाती है तो उन्हें नगद ऋण सुविधा के तौर पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण तथा बैंकों से चक्रीय निधि (रिवाल्विंग फंड) प्रदान की जाती है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अनुदान (सब्सिडी) जारी करेगी जो समूह को समतुल्य चक्रीय निधि उपलब्ध कराती है। परन्तु यह धनराशि 5000/-रु० से कम तथा 10,000 रुपये से अधिक नहीं होती है। रिवाल्विंग फंड की धनराशि बैंक ऋण से जुड़ी होती है। बैंक समूह की आमेलन क्षमता तथा ऋण विश्वसनीयता के आधार पर नगद ऋण सुविधा के तौर पर समूह निधि (ग्रुप कारपस) के गुणक मे जो कि चार गुना तक हो सकती है, ऋण देता है।

कैश क्रेडिट सीमा (सी0सी0एल0) -

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से रिवाल्विंग फण्ड प्राप्त करने के उपरान्त समूह की बैंक से कैश क्रेडिट सीमा का निर्धारण किया जाता है। कैश क्रेडिट के दो भाग होते हैं-

1. रिवाल्विंग फण्ड
2. बैंक क्रेडिट

कैश क्रेडिट सीमा (सी0सी0एल0) को हम निम्न उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं-

माना विकास स्वयं सहायता समूह में 15 सदस्य हैं, ने अपनी 6 माह की मेहनत, परिश्रम से प्रथम ग्रेडिंग उपरान्त निम्न धनराशि का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया है जो निम्न है -

1. समूह के सभी सदस्यों द्वारा बचत की गयी खातों में जमा धनराशि 1000/-रु0
2. समूह के कोषाध्यक्ष के पास उपलब्ध धनराशि 300.00 रुपये जो बैंक में जमा नहीं है।
3. आन्तरिक ऋण के रूप में 5 समूह सदस्यों द्वारा ली गयी धनराशि 10000/-रु0
4. समूह के बचत खाते में अर्जित ब्याज की धनराशि 5,000/-रु0
5. समूह द्वारा वितरित आन्तरिक ऋण द्वारा अर्जित ब्याज की धनराशि 200/-रु0
6. समूह को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी रिवाल्विंग फंड की धनराशि 8000/-रु0

उपरोक्त इस विकास स्वयं सहायता समूह को बैंक द्वारा कितनी सी0सी0एल0 बनाई जायेगी ?

उत्तर में बैंक द्वारा सी0सी0एल0 का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जायेगा-

समूह निधि (ग्रुप कारपस)

सभी छः बिन्दुओं के घटकों की धनराशि का योग -

1.	बचत खाते की धनराशि	:	1000.00
2.	समूह के पास धनराशि	:	300.00
4.	आन्तरिक ऋण की धनराशि	:	1000.00
5.	अर्जित ब्याज बचत खाते में	:	50.00
6.	आन्तरिक ऋण से प्राप्त ब्याज	:	200.00
7.	डी०आर०डी०ए० से प्राप्त रिवाल्विंग फण्ड	:	8000.00
	योग		रु० 18550.00

अतः सी०सी०एल० (अधिकतम) : ग्रुप कारपस का चार गुना

: 4X18550= 74200/-रु०

अतः विकास स्वयं सहायता समूह की बैंक द्वारा सी०सी०एल० की अधिकतम सीमा 74200/-रु० (चौहत्तर हजार दो सौ रु०) की होगी।

उपरोक्त प्रक्रिया के द्वारा समूह को रिवाल्विंग फण्ड प्राप्त हो जाता है एवं उसकी सी०सी०एल० बन जाती है। जिससे समूह रुपयों का लेन-देन करने लगता है। फिर 6 माह पश्चात समूह की दूसरी ग्रेडिंग होती है। जिसमें निर्धारित अंकों को प्राप्त कर समूह मापदण्डों में खरा उतरता है तो समूह द्वारा बनाई गयी परियोजना रिपोर्ट जिस पर वह स्वरोजगार करना चाहता है उसमें समूह को परियोजना लागत का ऋण प्रदान किया जाता है। जिससे समूह अपना स्वरोजगार प्रारम्भ करता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों का गठन निर्धारित प्रक्रिया एवं मानकों के अनुसार होता है। तदोपरान्त इनका विकास किया जाता है। परिवर्तनशीलता के विभिन्न चरणों यथा गठन, नियमावली निर्माण, बचत, आन्तरिक ऋण तथा क्षमता संवर्धन आदि से गुजरकर स्वयं सहायता समूह बैंक के सम्पर्क में आते हैं और उन्हें आर्थिक क्रियाकलाप हेतु बैंक ऋण एवं शासकीय अनुदान की सहायता प्राप्त होती है। अनुदान सहायता सामूहिक या समूह सदस्यो को व्यक्तिगत दोनों रूपों में प्राप्त होती है यह तय करना समूह सदस्यों का काम है कि वे किस प्रकार क्रियाकलाप का संचालन करना चाहते हैं और किस प्रकार की सहायता चाहते हैं। समूह गठन, सदस्यों का चयन सामाजिक संगठन एक विस्तृत और निर्धारित प्रक्रिया के

अनुसार होता है, जिसकी पूर्ण जानकारी और क्रियान्वयन योजना की सफलता का आधार होता है।

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष-2006-07 (जनवरी, 07 तक) के दौरान सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की कुल संख्या जिसमें स्वयं सहायता समूहों के सदस्य तथा व्यक्तिगत स्वरोजगारी शामिल है, 700605 थी। सहायता प्राप्त महिला स्वरोजगारियों की संख्या 420412 थी जो कि इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारियों का 60.01 प्रतिशत है।[1]

हमीरपुर जनपद में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) की वित्तीय प्रगति, भौतिक प्रगति, गठित समूहों की स्थिति, महिला समूहों की स्थिति तथा मौदहा वि0ख0 में एसजीएसवाई की स्थिति निम्न तालिकाओं द्वारा प्रदर्शित की जा रही है।

हमीरपुर जिले में एस0जी0एस0वाई0 की वित्तीय प्रगति

तालिका-1

वर्ष	कुल उपलब्ध फंड (लाख रु0 में)	कुल उपभोग	प्रतिशत
1999-2000	299.48	30.14	10.06
2000-2001	345.97	181.99	52.60
2001-2002	230.78	139.80	60.57
2002-03	215.41	201.49	93.53
2003-04	236.55	144.355	61.02
2004-05	191.34	171.45	89.60
2005-06	266.333	256.095	96.25
2006-07	238.857	224.53	94.00
योग	2024.72	1349.85	66.66

स्रोत-डी0आर0डी0ए0, हमीरपुर

1. वार्षिक रिपोर्ट 2006-07, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

एस0जी0एस0वाई0 की भौतिक प्रगति-संख्या में

तालिका-2

वर्ष	गठित समूह	प्रथम ग्रेडिंग प्राप्त समूह	रिवाल्विंग फंड प्राप्त समूह	द्वितीय ग्रेडिंग प्राप्त समूह	आर्थिक गतिविधियों में शामिल समूह
1999-2000	66	33	33	21	17
2000-2001	98	57	57	39	26
2001-2002	134	78	78	53	35
2002-2003	248	97	97	59	48
2003-2004	274	108	108	74	51
2004-2005	286	157	157	93	72
2005-2006	297	194	194	104	80
2006-2007	302	290	290	129	98
योग	1705	1014	1014	572	427

माह अक्टूबर 2007 तक हमीरपुर जिले में गठित समूहों की स्थिति (संख्या में)

तालिका-3

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	गठित समूह	महिला समूह	आर्थिक गतिविधियों में शामिल महिला समूह
1.	कुरारा	161	38	9
2.	सुमेरपुर	210	51	13
3.	मौदहा	463	176	80
4.	मुस्करा	245	61	18
5.	राठ	171	42	10
6.	सरीला	173	52	15
7.	गोहाण्ड	282	83	22
	योग	1705	503	167

तालिका-4

मौदहा में एस0जी0एस0वाई की स्थिति

क्र0सं0	क्रियाकलाप	1990-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	योग
1	गठित समूह	18	31	43	49	56	63	88	115	463
2	प्रथम ग्रेडिंग प्राप्त समूह	7	16	20	28	28	30	40	56	225
3	रिवाल्विंग फंड प्राप्त समूह	7	16	20	28	28	30	40	56	225
4	सी0सी0एल0	–	7	13	23	23	28	31	33	158
5	द्वितीय ग्रेडिंग प्राप्त समूह	–	3	7	15	15	19	24	29	112
6	आर्थिक गतिविधियों में शामिल एसएचजी	–	–	5	11	11	15	19	23	84

भारतीय समाज में अब तक यह माना जाता था कि महिलायें सामूहिक रूप से कोई स्वरोजगार का कार्य नहीं कर सकतीं किन्तु महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्याएं इस परम्परा को तोड़ते हुए समूह के रूप में बखूबी काम कर रही हैं। महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने ऐसे कार्य भी शुरु किए हैं जो अब तक पुरुषों के एकाधिकार के कार्य माने जाते थे। इनके द्वारा तैयार की गयी सामग्री का स्थानीय स्तर पर विपणन भी होता है।

मौदहा विकास खण्ड में इस योजना के माध्यम से गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाली महिलाओं को समूह के रूप में संगठित कर विभिन्न गतिविधियों के संचालन के प्रयास किये गए हैं जिनके सार्थक परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों के रूप में कार्यरत कई समूहों की सफलता की कहानियां निम्नवत वर्णित की जा रही है।

गंगा स्वयं सहायता समूह, मदारपुर -

हमीरपुर जनपद के विकास खण्ड मौदहा के गांव मदारपुर में 300 बी0पी0एल0 परिवार के सदस्य हैं। गंगा स्वयं सहायता समूह में 12 सदस्य हैं, सभी महिलाएं हैं। 21 नवम्बर 2001 को समूह का खाता बैंक में गंगा स्वयं सहायता समूह के नाम से खोला गया।

गंगा स्वयं सहायता समूह की सभी महिलायें बकरी पलन का कार्य करती हैं। इस समूह की महिलाओं ने अपनी नियमित बचत से प्रथम ग्रेडिंग की कार्यवाही पूर्ण कर ली है। प्रथम ग्रेडिंग के बाद बैंक द्वारा समूह को किस्त के रूप में पच्चीस हजार रुपये प्रदान किए गये हैं। इसी पैसे के द्वारा समूह ने बकरी पालन हेतु बकरियां खरीदी है। बकरी पालन कार्य के द्वारा लाभ लिया जा रहा है। लाभ के साथ-साथ इस समूह द्वारा बैंक में नियमित रूप से बचत राशि भी जमा की जा रही है।

वैष्णों माता स्वयं सहायता समूह, पढ़ोहरी -

70-80 परिवारों के गांव पढोहरी में 10 बी0पी0एल0 परिवारों ने स्वयं सहायता समूह का गठन किया। सभी सदस्य महिलाएं है। सभी महिलाओं ने सब्जी उत्पादन के कार्य का निर्णय लिया। समस्त महिलाओं ने बचत खाते में नियमित बचत के द्वारा खाते में पैसा जमा किया, उन्हीं पैसों से मिलजुलकर बीच, पौधा क्रय-विक्रय कर सब्जी उत्पादन का कार्य प्रारम्भ किया गया।

समूह की महिलाओं के कार्य को देखते हुए एस0बी0आई0, मौदहा द्वारा क्रमशः 10,000/-रु0 अनुदान राशि एवं 15000/-रु0 बैंक ऋण सहित राशि कैश क्रेडिट के रूप में स्वीकृत की गई। रिवाल्विंग फंड प्राप्त कर महिलाओं ने अपने सब्जी उत्पादन के कार्य में सफलता प्राप्त की तथा आपस में लेन-देन, सुख-दुःख में एक दूसरे का सहयोग करने की महिलाओं में भावना भी जागृत हुई है।

आर्य महिला स्वयं सहायता समूह, छिमौली -

इस गाँव के 10 बीपीएल परिवार के सदस्यों ने आर्य महिला स्वयं सहायता समूह का गठन किया जिसकी सभी सदस्य महिलाएं हैं। समूह गठन के 6 माह बाद प्रथम ग्रेडिंग उत्तीर्ण करने के पश्चात समूह को बैंक द्वारा 25,000/-रु0 रिवाल्विंग फंड की राशि कैश क्रेडिट के रूप में प्रदान की गयी। इस समूह की महिलाओं का सपना डेयरी उद्योग शुरु करने का था। अतः सभी महिलाओं ने मिलकर योजना बनाई कि 1 बीघा भूमि में डेयरी संचालन एवं पशुओं के रखने हेतु एक कच्चे मकान का निर्माण किया जाये परन्तु इन महिलाओं को अपनी योजना में सफलता प्राप्त न हो सकी, तब इन सभी महिलाओं ने हार न मानते हुए आपसी सर्व सम्मति के द्वारा यह निर्णय लिया कि हम पशुओं को अपने-अपने घरों में रखने की व्यवस्था करेंगे तत्पश्चात इन सभी महिलाओं ने भूसा तथा भैंसे क्रय की और भैंस और उसके चारे को अपने-अपने घरों में रखने की व्यवस्था कर डाली और डेयरी उद्योग विधिवत् शुरु किया इससे होने वाली आय से समूह बैंक की ऋण

अदायगी करता है। साथ ही समूह के सदस्यों को सामाजिक आर्थिक जरूरतों के मुताबिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

समूह ने द्वितीय ग्रेडिंग के बाद डेयरी इकाई की योजना तैयार करा ली है। इस समूह के अच्छे कार्यो को देखते हुए बैंक द्वारा दो लाख पचास हजार रुपये स्वीकृत किये गये हैं जिससे वह अपनी गतिविधियों को और अच्छे ढंग से संचालित कर सकेंगी।

अटल स्वयं सहायता समूह, बम्हरौली -

विकास खण्ड मौदहा के बम्हरौली गांव में 200 बी०पी०एल० परिवार है। जिनमें 12 परिवारों की महिलाओं द्वारा अटल स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया। सभी महिलाओं ने 20-20 रुपये प्रतिमाह बचत करने की सहमति दी, समूह के सदस्यों ने दाल प्रतिशोधन का कार्य प्रारम्भ किया एवं अपनी बचत के पैसों से एक दूसरे के दुःख सुख में लेन-देन का कार्य भी करती है। इस समूह की महिलाओं को त्रिवेणी ग्रामीण बैंक शाखा अरतरा के द्वारा 25,000/-रु० का रिवाल्विंग फंड प्राप्त हुआ जिससे उन्होंने दाल प्रतिशोधन की मशीन लगाई एवं अपने उद्योग को चलाने में सफलता प्राप्त की। समूह की सभी महिलाएं आर्थिक, सामाजिक स्थिति के मुताबिक आपस में लेन-देन तथा ऋण वापसी दो प्रतिशत ब्याज प्रतिमाह के साथ करती हैं। इस प्रकार अब तक समूह के द्वारा तीन हजार रुपये की धनराशि ब्याज के रूप में अर्जित की गई है। इस समूह की एकता, लगन, समझ, सहनशीलता और धैर्य को देखते हुये द्वितीय ग्रेडिंग कर गतिविधियों की लागत के लिए दो लाख पचास हजार का प्रस्ताव रखा गया। आज यह समूह प्रगति पर है। इस समूह ने बैंक ऋण को पूरा कर दिया है एवं अपनी परसम्पत्ति के द्वारा हो रहे लाभ के रुपयों को बैंक के बचत खाते में जमा भी करा रहा है।

पशराम बाबा स्वयं सहायता समूह, पासुन -

विकास खण्ड मौदहा से 17 किमी० की दूरी पर स्थित गाँव पासुन है। यहाँ अगस्त 2001 में पशराम बाबा स्वयं सहायता समूह का गठन हुआ। इस समूह में कुल 11 सदस्य

हैं जो सभी महिलायें है। इस समूह का बचत खाता त्रिवेणी ग्रामीण बैंक शाखा सिसोलर में 500 रु० से खोला गया। समूह के सदस्यों के द्वारा अपना समूह चलाने के लिए खुद की नियमावली बनाई गई जिसमें समूह का संचालन बैंक से लेन-देन, समूह का आन्तरिक लेन–देन, ब्याज निर्धारण आदि सभी बिंदुओं को दर्शाया गया है तथा अपने समूह के नेतृत्व हेतु पदाधिकारी अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष का चयन सर्वसम्मति से किया गया। बैंक में बचत खाता समूह के पदाधिकारियों के हस्ताक्षर से ही खोला गया। समूह की मुख्य गतिविधि भैंस पालन है। इस समूह की सभी महिलायें जागरूक हैं। अपनी जागरूकता की वजह से यह समूह ग्रामीण विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं जिनमें राष्ट्रीय चूल्हा कार्यक्रम, बालवाडी पोषाहार योजना, बालिका समृध्दि योजना का लाभ ले रहा है एवं समस्त ग्रामवासियों को लाभ प्रदान किया जा रहा है। इतना ही नहीं इस समूह की सभी जागरूक सदस्यों द्वारा खण्ड विकास अधिकारी से बात करके अपने गाँव में एक शेड़ का निर्माण करवाने में सफलता भी प्राप्त की।

काली स्वयं सहायता समूह, गढ़ा -

विकास खण्ड मौदहा की पूर्वी सीमा का अन्तिम गांव गढ़ा है जहाँ 400 बी०पी०एल० परिवार के सदस्य हैं। काली स्वयं सहायता समूह महिलाओं और पुरुषों दोनों का है। इस समूह में 9 महिलाएं एवं 3 पुरुष हैं। जिसमें अध्यक्ष एवं सचिव महिलायें हैं एवं कोषाध्यक्ष पुरुष है। इस समूह की सभी महिलाएं प्राइमरी तक ही शिक्षा प्राप्त किये हैं परन्तु इन महिलाओं ने शिक्षा के प्रति जो जागरूकता दिखाई वह अपने आप में एक मिसाल है। इन महिलाओं ने गांव के प्राइमरी पाठशाला में शिक्षक न होने से स्कूल में ताला डाल दिया और जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जिससे इन्हें अपने मकसद में सफलता प्राप्त हुई और विद्यालय में शिक्षक की तैनाती हो गई।

इस समूह की मुख्य गतिविधि सब्जी उत्पादन और वितरण की है। समूह के ज्यादातर सदस्य केवट परिवार के हैं यहां यह स्पष्ट करना उचित प्रतीत होता है कि गढ़ा

गांव केन नदी के किनारे बसा हैं समूह के सदस्यों के उत्पादन एवं क्रय-विक्रय के अनुभव को देखते हुए त्रिवेणी ग्रामीण बैंक, सिसोलर द्वारा प्रथम ग्रेडिंग करके 25000/-रु0 का रिवाल्विंग फंड ग्रुप को दिया गया जिससे समूह में आपस में लेन-देन की गतिविधियां आगे बढ़ी। समूह की प्रगति देखते हुए बैंक ने द्वितीय ग्रेडिंग कर समूह को सब्जी उत्पादन के लिए खाद-बीज, पौधे एवं निराई-गुड़ाई आदि संबंधित कार्य हेतु दो लाख पच्चीस हजार रुपये की सहायता समूह को दी हैं जिससे समूह का कार्य सफलता पूर्वक चल रहा है और समूह के सदस्य अपनी नियमित बचत को बैंक के बचत खाते में जमा करा रहे हैं।

जय माँ बैष्णौ स्वयं सहायता समूह, इचौली -

न्याय पंचायत इचौली के 12 बी0पी0एल0 परिवारों की महिला सदस्यों ने जय मां वैष्णों स्वयं सहायता समूह का गठन जून 2002 में किया और बैंक में बचत खाता 500 रुपयें से खोला।

समूह की सदस्यों का सपना मिनी आटा चक्की स्थापित करने का था। समूह गठन के पश्चात माह फरवरी 2003 में समूह की प्रथम ग्रेडिंग करने पर 25000.00 रुपये राशि कैश क्रेडिट के रूप में स्वीकृत हुई। इस समूह ने द्वितीय ग्रेडिंग भी उत्त्तीर्ण कर ली है तथा मिनी आटा चक्की की प्रोजेक्ट रिपोर्ट का प्रकरण दो लाख पचास हजार रुपये एस0बी0आई इचौली शाखा को दिया गया। इस समूह में दाल प्रतिशोधन एवं सूखे मसालों की पिसाई का कार्य समूह की सदस्यों द्वारा होता है। इस समूह ने अपनी आय वृध्दि के लिए मंडी से संपर्क कर अपना व्यवसाय करने की व्यवस्था बना ली है।

गौतम बुद्ध स्वयं सहायता समूह नायक पुरुवा

ग्राम नायक पुरुवा में 12 बी0पी0एल0 परिवारों की महिला सदस्यों ने गौतम बुद्ध स्वयं सहायता समूह का गठन किया। समूह के सदस्यों की प्रमुख गतिविधि भैंसपालन है। समूह की प्रथम ग्रेडिंग मार्च 2002 में की गई तथा रिवाल्विंग फंड के रूप में 25000.00 रुपये की कैश क्रेडिट बैंक द्वारा स्वीकृत की गई। समूह की प्रगति एवं अच्छे क्रिया-कलापों

को देखते हुए एस0बी0आई0 शाखा इचौली ने द्वितीय ग्रेडिंग करके दो लाख पचास हजार रुपये समूह को दिये जिससे समूह ने भैंसपालन के द्वारा गांव में बाहर से आकर दूध ले जाने वाले व्यक्तियों को दूध बेंचकर आर्थिक उन्नति की। दूध बेंचने के अलावा यह समूह घी और खोवा भी सीजन में बेंचकर लाभ प्राप्त कर रहा है।

मां भगवती स्वयं सहायता समूह, कपसा

समूह में कुल 13 सदस्य हैं जिनमें 3 पुरूष एवं 10 महिलायें हैं। समूह गठन के समय सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्रति सदस्य 20 रुपयें प्रतिमाह बचत करने की सहमति दी। बचत खाता में बचत राशि 3,250 रुपये है। समूह के सदस्यों की मुख्य गतिविधि बकरीपालन की है।

संत कबीर स्वयं सहायता समूह, बिहरका

ग्राम पंचायत बिहरका में 12 बी0पी0एल0 परिवारों की 8 महिला तथा 4 पुरूषों ने संत कबीर स्वयं सहायता समूह का गठन किया और त्रिवेणी ग्रामीण बैंक, सिसोलर में खाता खोला। समूह की प्रथम ग्रेडिंग होने के पश्चात बैंक ने 25000.00 रुपये रिवाल्विंग फंड की राशि कैश क्रेडिट के रूप में प्रदान की। समूह के अच्छे क्रिया-कलापों को देखते हुए बैंक ने समूह की द्वितीय ग्रेडिंग करके दो लाख पचास हजार रुपये स्वीकृत किये। समूह के सदस्यों की मुख्य गतिविधि भैंसपालन है।

शंकर स्वयं सहायता समूह, उरदना

मौदहा विकास खण्ड के गांव उरदना के 10 बी0पी0एल0 परिवारों की 4 महिला तथा 6 पुरूषों ने शंकर स्वयं सहायता समूह का गठन दिसम्बर 2002 में किया समूह की प्रथम ग्रेडिंग हो जाने पर इलाहाबाद बैंक, मौदहा ने 25000.00 रुपये रिवाल्विंग फंड की राशि कैश क्रेडिट के रूप में प्रदान की। समूह के सदस्यों के बैंक द्वारा ऋण राशि लेकर अलग-अलग गतिविधि प्रारम्भ की है।

फातिमा स्वयं सहायता समूह, गुसियारी

विकासखण्ड मौदहा से 20 कि0मी0 दूर ग्राम गुसियारी में 12 बी0पी0एल0 परिवारों की महिला सदस्यों ने फातिमा स्वयं सहायता समूह का गठन किया। समूह की महिलाओं ने 400 रुपयें की बचत से त्रिवेणी ग्रामीण बैंक शाखा टिकरी बुजुर्ग में अक्टूबर 2001 में बचत खाता खोला। समूह की सभी सदस्यों की मुख्य गतिविधि बकरी पालन है।

गांधी जी स्वयं सहायता समूह, परेहटा

परेहटा ग्राम पंचायत विकासखण्ड से 17 कि0मी0 दूर स्थित है। 12 बी0पी0एल0 परिवरों की महिला एवं पुरूष सदस्यों ने गांधी जी स्वयं सहायता समूह का गठन किया। समूह के सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्रति सदस्य 20 रुपये प्रतिमाह बचत करने की सहमति दी। समूह के सदस्यों की मुख्य गतिविधि ईट भट्ठा का काम है।

इसी प्रकार विकासखण्ड मौदहा के गांव भैंस्ता में जीत स्वयं सहायता समूह में मछली पालन, टिकरी गांव में विश्वकर्मा स्वयं सहायता समूह में फर्नीचर उद्योग, मां भगवती स्वयं सहायता समूह बैजेमऊ में भैंसपालन, निजामी स्वयं सहायता समूह में मुर्गी पालन, क्रान्ति स्वयं सहायता समूह में दलिया उद्योग, बजरंग स्वयं सहायता समूह में ईट बनाने का काम, विकास स्वयं सहायता समूह खदरा डेरा, जनकल्याण स्वयं सहायता समूह, छोटा लेवा, महराजा बाबा स्वयं सहायता समूह भुलसी, स्वामी परमहंस स्वयं सहायता समूह खैर, जयभोले स्वयं सहायता समूह चांदीकला, ऋषि दयानन्द स्वयं सहायता समूह पढ़ोहरी तथा छिमौली गांव के सहेली स्वयं सहायता समूहों ने विकास खण्ड में विकास की एक नई परम्परा का सूत्रपात किया है।

पंचम अध्याय

स्वयं सहायता समूह का प्रकार्यात्मक एवं अकार्यात्मक पक्ष-

- ❖ प्रकार्य एवं अकार्य का अर्थ
- ❖ प्रकार्य तथा अकार्य में अन्तर
- ❖ प्रगट प्रकाय एवं अन्तर्हित प्रकार्य
- ❖ प्रकार्यात्मक पक्ष-गैर-सरकारी संगठन, बैंक, सरकारी विभाग, पंचायती राज
- ❖ अकार्यात्मक पक्ष-समूह अवधारणा की ठीक समझ न होना, आय उपार्जक क्रियाकलाप न करना, वित्तीय प्रबन्धन की जानकारी न होना, महिलाओं में जागरूकता का अभाव, सामाजिक निषेध, सदस्यों में आपसी मतभेद, सरकारी अधिकारियों की उदासीनता, भ्रष्टाचार

अध्याय पंचम

स्वयं सहायता समूह का प्रकार्यात्मक एवं अकार्यात्मक पक्ष

प्रस्तुत अध्याय में स्वयं सहायता समूह के प्रकार्यात्मक एवं अकार्यात्मक पक्षों को विश्लेषित किया जा रहा है। सर्वप्रथम यह समझना आवश्यक है कि प्रकार्य और अकार्य क्या है। अतः प्रकार्य और अकार्य के अर्थ को स्पष्ट करना नितान्त आवश्यक है। प्रकार्य और अकार्य की अवधारणा को समझने के उपरान्त यह वर्णित किया जायेगा कि स्वयं सहायता समूहों का कौन सा पक्ष प्रकार्यात्मक क्रियायें करता है और किस पक्ष की अकार्यात्मक भूमिका रहती है।

किसी भी समाज या संस्कृति की स्थिरता व निरन्तरता उसके विभिन्न तत्वों या इकाइयों का संगठन व व्यवस्था पर निर्भर करती है यह संगठन व व्यवस्था तभी संभव है जब ये विभिन्न तत्व या इकाइयाँ अपना-अपना योगदान इस संगठन या व्यवस्था को बनाए रखने में दें। यह योगदान ये इकाइयां अपनी-अपनी निर्धारित या 'पूर्व निश्चित' भूमिका को करते हुए ही करती हैं या कर सकती हैं। समाज की विभिन्न निर्माणक इकाइयों की सम्पूर्ण सामाजिक संरचना (चाहे वह कितनी ही सरल व सादा क्यों न हो) में कौन-कौन सा स्थान होगा और उन्हें सामाजिक संगठन व व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अर्थात अन्तिम रूप में समाज की स्थिरता व निरन्तरता के लिए किस प्रकार की भूमिका अदा करनी होगी। यही उन तत्वों या इकाइयों का प्रकार्य है और भी स्पष्ट रूप में समाज के विभिन्न निर्माणक तत्व या इकाइयां समाज व्यवस्था या संगठन को बनाए रखने के लिए जो निर्धारित भूमिका अदा करते हैं या अपना-अपना योगदान देते हैं उसे 'प्रकार्य' कहा जाता है।

अतः स्पष्ट है कि समाज एक अखण्ड व्यवस्था नहीं है। इसके अन्तर्गत अनेक इकाइयाँ, भाग, अंग या तत्व होते हैं और इनसे यह 'आशा' की जाती है कि वे समाज व्यवस्था व संगठन को बनाए रखने के लिए कुछ निश्चित कार्यो को करेंगे। परन्तु समाज के सभी अंग तत्व या इकाइयाँ इस आशा को पूरा करते हैं। यह प्रत्याशा उचित नहीं है।

कुछ इकाइयाँ या तत्व आशा के विपरीत भी कार्य करते है। ये इकाइयाँ या तत्व भी कार्य ही करते हैं, पर ऐसा कार्य करते हैं जो सामाजिक व्यवस्था या संगठन को ठेस पहुँचाने वाले कार्य होते हैं अर्थात् उनके कार्यो के द्वारा समाज-व्यवस्था या संगठन का सन्तुलन कुछ न कुछ बिगड़ जाता है, इसी लिए उनके ऐसे कार्यो को 'अकार्य' कहते हैं। सर्वप्रथम हम यहाँ प्रकार्य की विवेचना करेंगे उसके पश्चात् अकार्य को विश्लेषित किया जायेगा।

प्रकार्य की अवधारणा -

प्रकार्य की अवधारणा सामाजिक संगठन से सम्बन्धित है। यह अवधारणा 19वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में तत्वज्ञान-सम्बन्धी तर्क-वितर्क के मध्य प्रकाश में आई एवं क्रमशः स्पष्ट होती गई। इसका स्पष्टतम् रूप डार्विनवाद का परिणाम था जिसे समाजशास्त्रीय साहित्य में आयात करने का श्रेय हरबर्ट स्पेन्सर को है। इस अवधारणा को प्रस्तुत करने का उद्देश्य समाज या सामाजिक जीवन में होने वाले निरन्तर परिवर्तन व समाज-व्यवस्था को कतिपय प्राणी शास्त्रीय सत्यताओं के आधार पर परिभाषित करना था। इस अवधारणा के अनुसार समाज एक अखण्ड व्यवस्था उसी भांति नहीं है जिस भॉति कि सावयव एक अखण्ड व्यवस्था नहीं है। सावयव का निर्माण अनेक कोष्ठों के योग से होता है और ये कोष्ठ किस सीमा तक अपने-अपने निर्धारित कार्यो को करते हैं, उसी पर उस सावयव की स्थिरता, निरन्तरता या उसमें पाया जाने वाला संगठन निर्भर करता है। उसी प्रकार समाज भी अनेक इकाइयों के योग से बना हैं और समाज व्यवस्था या संगठन भी इन इकाइयों के कार्यो पर निर्भर है। साथ ही सावयव के विभिन्न अंग व कार्य प्रारम्भ से ही सुस्पष्ट नहीं होते अपितु उनका धीरे-धीरे परन्तु निरन्तर विकास होता है और उस विकास के दौरान कार्यो का विशेषीकरण भी होता जाता है। समाज पर भी यह नियम लागू होता है। इस प्रकार विशेषतः प्रारम्भ में सामाजिक व्यवस्था या संगठन को एक उद्विकासीय प्रकार्यात्मक प्रक्रिया के रूप में देखा गया।

प्रकार्य को एक स्थित संरचना या स्वरूप के एक निर्भरशील तत्व या गुण के रूप

में समझा जाता था, जबकि उसे एक स्वतन्त्र और संरचना को एक निर्भरशील तत्व माना जाता है। इसे एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है- पहले यह माना जाता था कि एक मनुष्य के दो पैर (संरचना) होते हैं और वह उसी के सहारे चलता (प्रकार्य) है जबकि आज यह माना जाता है कि एक मनुष्य चलता है (प्रकार्य) और यह क्रिया दो पैरों (संरचना) को जन्म देती है। परन्तु इससे प्रकार्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता हैं इसलिए इसकी विस्तृत विवेचना आवश्यक है।

प्रकार्य का अर्थ -

प्रकार्य के अनेक संभावित अर्थ हो सकते है, उनमें चार महत्वपूर्ण हैं-

(1) गणित शास्त्रीय अर्थ में प्रकार्य, (2) उपयोगी कार्यकलाप के रूप में प्रकार्य,

(3) उपयुक्त कार्यकलाप के रूप में प्रकार्य तथा (4) व्यवस्था-निर्धारित तथा व्यवस्था पोषक कार्यकलाप के रूप में प्रकार्य।

रैडक्लिफ ब्राउन ने 'प्रकार्य' शब्द को इसी अर्थ में सामाजिक विज्ञानों में प्रयोग करते हुए लिखा है 'किसी भी प्रक्रिया के प्रकार्य से हमारा आशय-सामाजिक जीवन में उसकी सम्पूर्ण भूमिका से और सामाजिक संरचना को बनाए रखने में उसके योगदान से है।' अतः हम कह सकते है कि समाज के विभिन्न निर्माणक तत्व या इकाइयां अपनी-अपनी निर्धारित भूमिका को अदा करते हुए सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था या संगठन की निर्धारित या निरन्तरता को बनाए रखने में जो योगदान करते हैं उसे 'प्रकार्य' कहते हैं।

अकार्य की अवधारणा -

अकार्य की अवधारणा प्रकार्य की अवधारणा से बिल्कुल ही विपरीत है। अकार्य की अवधारणा पूर्णतया आर०के० मर्टन की खोज है। सामाजिक व्यवस्था के तत्वों से सामान्यतः यह आशा की जाती है कि वे सामाजिक उद्देश्यों या लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में इस भांति अपना योगदान करें कि इन उद्देश्यों की अधिकतम या आदर्श पूर्ति सम्भव हो और

एतद् द्वारा सामाजिक जीवन या सामाजिक व्यवस्था की स्थिरता या निरन्तरता बनी रहे। परन्तु ऐसे भी अनेक तत्व होते हैं जो आशानुरूप कार्य नहीं करते या किसी आन्तरिक कमी के कारण नहीं कर पाते हैं। फलतः समाज व्यवस्था या संगठन को क्रियाशीलता या कुशलता में बाधा प्राप्त होती है या कुछ न कुछ असन्तुलन अथवा असामंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तत्वों या इकाइयों की जिन क्रियाओं या कार्यो द्वारा इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है उसे 'अकार्य' कहते हैं। मोटे तौर पर सामाजिक इकाइयों के असन्तुलन एवं अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले कार्यो को 'अकार्य' कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सामाजिक व्यवस्था एवं संगठन को स्थायित्व एवं सन्तुलन प्रदान करने वाली एक नहीं अनेक इकाइयां है। लेकिन इन्हीं विभिन्न इकाइयों में अनेक इकाइयाँ जब अपने पूर्व निश्चित भूमिका के अनुरूप कार्यो का सम्पादन नहीं करती हैं तो सामाजिक व्यवस्था एवं संगठन में असन्तुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप व्यवस्था एवं संगठन अव्यवस्थित एवं विघटित होने लगती है, इकाइयों का यही कार्य 'अकार्य' है। अतः सामाजिक व्यवस्था तत्वों का वह योगदान है जो उसे असन्तुलन की ओर ले जाता है इसे ही अकार्य कहा जाता है।

मर्टन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि 'प्रत्येक सामाजिक प्रणाली में दो प्रकार के तत्व विद्यमान रहते है। जिन तत्वों की क्रियाशीलता के परिणामों से सामाजिक व्यवस्था में सन्तुलन की वृद्धि होती है वे प्रकार्य है। और जिन तत्वों के परिणामों से सन्तुलन में कमी होती है अथवा किसी प्रकार का अवरोध होता है वह अकार्य कहे जाते हैं।[1] मर्टन ने अकार्य की परिभाषा करते हुये लिखा है कि 'अकार्य वह निरीक्षित परिणाम है जो व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को कम करते हैं। इसी प्रकार हैरी एम जानसन ने लिखा है कि 'कोई भी आंशिक संरचना अकार्य की स्थिति में मानी जा सकती है। यदि वह सामाजिक प्रणाली की किसी एक या अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधक होती है।'' जानरेक्स ने 'अकार्य' को वह क्रिया माना है जो सम्पूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति में बाधक है।''

---

1. मटर्न, रॉबर्ट के०, 1968 सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, फ्री प्रेस, न्यूयार्क।

इस प्रकार उपरोक्त व्याख्या एवं परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न तत्व प्रत्यक्षतः दो दिशाओं में क्रियाशील हो सकते हैं। प्रथम तो वह इस प्रकार क्रियाशील हो सकते हैं जिससे सामाजिक व्यवस्था का सन्तुलन सुदृढ़ हो जाये, उसका सामाजिक व्यवस्था के साथ अनुकूल हो जाये या अनुकूलन करना सम्भव हो जाये या सरल हो जाये। दूसरे वे इस प्रकार क्रियाशील हो सकते हैं जिससे सामाजिक व्यवस्था का सन्तुलन बिगड़ जाये उसका सामाजिक व्यवस्था के साथ अनुकूलन न हो सके या अनुकूलन करना संभव न रह जाये या कठिन हो जाये। प्रथम प्रकार की क्रियाशीलता को प्रकार्य कहते हैं और दूसरे प्रकार की क्रियाशीलता को अकार्य कहते हैं।

प्रकार्य तथा अकार्य में अन्तर -

प्रकार्य तथा अकार्य की अवधारणाओं का भेद या अन्तर भारतीय संयुक्त परिवार प्रथा के उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। संयुक्त परिवार व्यवस्था में सभी सदस्यों के लिए नियम एवं भूमिकायें निर्धारित रहती हैं, प्रत्येक सदस्य तदानुसार ही आचरण करता है। संयुक्त परिवार व्यवस्था में माता-पिता, भाई-बहन, पुत्र-पुत्री, पति-पत्नी, पुत्रवधु आदि सम्बन्धों पर सभी की एक निर्धारित भूमिका होती है। ये सभी जब परिवार की व्यवस्था के अनुरूप आचरण करते हैं तब उनका आचरण प्रकार्य कहलायेगा। किन्तु जब वे स्वैच्छाचारी हो जायें और परिवार में मनमानी करने लगे तो परिवार ठीक न चल पाये और असन्तुलन की स्थिति हो जायेगी एवं परिवार विघटित होने लगेगा। उनका यह कार्य अकार्य कहलायेगा।

संक्षेप में उपरोक्त व्याख्या एवं उदाहरण से प्रकार्य एवं अकार्य में निम्नांकित अन्तर किये जा सकते हैं -

1. प्रकार्य वे कार्य हैं जो सामाजिक सन्तुलन को बनाये रखने में सहायक होते हैं इसके विपरीत अकार्य वह कार्य है जो सामाजिक सन्तुलन को बिगाड़ते हैं।

2. प्रकार्य की प्रकृति सकारात्मक होती है और अकार्य की प्रकृति नकारात्मक होती है।

3. प्रकार्य सामाजिक व्यवस्था को स्वस्थ्य रखते हैं जबकि अकार्य सामाजिक व्यवस्था में विकार उत्पन्न करते हैं।

4. प्रकार्य सामाजिक व्यवस्था के लिए हितकर होते हैं जबकि अकार्य अहितकर होते हैं।

5. प्रकार्य समाज द्वारा मान्य एवं स्वीकृत होते हैं जबकि अकार्य को मान्यता प्राप्त नहीं होती और अस्वीकृत होते हैं।

6. प्रकार्यो को समाज में प्रशंसा एवं प्रोत्साहन मिलता है जबकि अकार्य को निन्दा और तिरस्कार मिलता है।

उपरोक्त प्रकार्य और अकार्य की सम्पूर्ण व्याख्या और अन्तर से स्पष्ट है कि दोनों समाज में अलग-अलग ढंग से कार्य करते हैं। प्रकार्य की प्रकृति सकारात्क होती है जबकि अकार्य की प्रकृति नकारात्मक होती है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रकार्य ऐसे होते हैं जो प्रगट कार्य भी करते हैं और अन्तर्हित प्रकार्य भी करते हैं। संक्षेप में प्रगट प्रकार्य और अन्तर्हित प्रकार्य का विवरण निम्नवत् है –

प्रगट प्रकार्य -

प्रगट कार्य वे निरीक्षित परिणाम हैं जो व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य में अपना योगदान देते हैं और जो कि व्यवस्था में अंश ग्रहण करने वालों के द्वारा मान्य तथा इच्छित होते है।

अन्तर्हित प्रकार्य -

अन्तर्हित प्रकार्य न तो मान्य होते हैं और न ही इच्छित। दूसरे शब्दों में अन्तर्हित प्रकार्य ऐसी स्थिति तथा परिणामों को उत्पन्न करते हैं जिसके विषय में इस प्रकार्य को करने वाले ने न कभी सोंचा था और न ही उसकी इच्छा की थी। अन्तर्हित प्रकार्यो में

प्रेरणा, परिस्थिति एवं परिणामकर्ता का जाना-पहचाना नहीं होता। अन्तर्हित प्रकार्य के तो बड़े दूरगामी परिणाम हो सकते हैं जिसकी इच्छा या कल्पना तक उस कर्ता ने कार्य को करते समय नहीं की थी। परन्तु अन्तर्हित प्रकार्य किसी न किसी प्रगट प्रकार्य का ही परिणाम होता है, पर उस परिणाम के सम्बन्ध में कर्ता की कोई पूर्वधारणा नहीं होती और न ही उस परिणाम को प्राप्त करने के उद्देश्य से वह कार्य करता है। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है।

स्वयं सहायता समूह की सदस्य महिलायें समूह की गतिविधियों को सुचारूरूप से चलाने के लिए नियमित बैठकों का संचालन करती हैं या बैठकें आयोजित करती हैं। यह कार्य उनका प्रगट प्रकार्य है, पर इसी प्रगट प्रकार्य के कुछ अन्तर्हित प्रकार्य भी हो सकते हैं, जैसे नियमित होने वाली बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए उस गांव के सम्बन्धित ब्लाक की महिला खण्ड विकास अधिकारी पहुँच जाये। उसे देखकर और विचारों को सुनकर किसी एक महिला के मन में विचार आये कि वह तो पढ़ लिखकर योग्य नहीं हो पाई परन्तु वह अपनी लड़की को जरूर पढ़ायेगी और उच्च शिक्षा दिलाकर अपनी लड़की को सर्विस करने योग्य बनायेगी। उस महिला अधिकारी को देखने के बाद उक्त महिला का यह निर्णय कर लेना ही अन्तर्हित प्रकार्य होगा।

केन्द्र सरकार द्वारा संचालित स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों का गठन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन परिवारों के लिए होता है जिससे वह अपनी निम्न आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। समूह का गठन एवं समूह में किये जाने वाले क्रियाकलाप समूह के सदस्यों के द्वारा संचालित होते हैं। सदस्यों के अतिरिक्त समूह को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकारी विभाग एवं गैर सरकारी संस्थायें अपना मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। समूह के अन्दर विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप किये जाते हैं, इनमें कुछ क्रियाकलाप अपना प्रभाव प्रकार्य के रूप में दिखाते है तो कुछ अकार्य के रूप में अर्थात् समूह को सुचारू रखने में कुछ प्रकार्यात्मक पक्षों का योगदान है तो कुछ अकार्यात्मक पक्ष समस्यायें उत्पन्न करते हैं जिससे समूह की प्रगति और उन्नति के मार्ग

में अवरोध या रूकावट पैदा हो जाती है। अतः स्वयंसहायता समूह के प्रकार्यात्मक और अकार्यात्मक पक्षों पर चर्चा करना उचित प्रतीत होता हैं इसलिए सर्वप्रथम यहाँ प्रकार्यात्मक पक्षों की चर्चा की जा रही है। तत्पश्चात अकार्यात्मक पक्षों का विवरण दिया गया है।

स्वयं सहायता समूह के प्रकार्यात्मक पक्ष -

स्वयं सहायता समूह के प्रकार्यात्मक पक्ष निम्नवत् है -

गैर सरकारी संगठनों (एन0जी0ओ0) की भूमिका -

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों के संचालन में समर्पण की भावना दायित्व बोध एवं सेवा भाव कार्यकर्ताओं में जितना अधिक होता है सफलता उतनी ही अधिक और गुणवत्तापूर्ण होती है। इस क्षेत्र में अनुभवी तथा निष्ठावान गैर-सरकारी संगठनों की सेवाएं उपयोगी एवं महत्वपूर्ण हैं। स्वयं सहायता समूहों के गठन तथा विकास में इनकी प्रमुख भूमिका होती है। समूहों के गठन, उनकी देख-रेख तथा मार्गदर्शन एक पूर्णकालिक कार्य है। एन0जी0ओ0 अपने सुविधादाता के माध्यम से इस दिशा में प्रभावी भूमिका का निर्वाहन करते हैं। इस संगठनों के चयन में इनके अनुभवों, विशिष्टियों तथा इनके पास उपलब्ध अवस्थापना तंत्र तथा कर्मियों आदि का ध्यान रखा जाता है।

गैर-सरकारी संगठन का अर्थ-

देश में गैर-सरकारी संगठनों के इतिहास पर नजर डालें तो विदित होता है कि प्राचीन काल से ही स्वैच्छिक कार्य और समाज सेवा की गौरवशाली परंपरा रही है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि परोपकार, गरीबों, दुखीजनों की सेवा और जरूरतमंदों की सहायता भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है और समाज में धर्म-कर्म की भाषा में इसे पुण्य की संज्ञा दी गई है।

आजादी के बाद देश में मुख्य सबसे बड़ी समस्या गांवों में आधारमूत सुविधाओं की

कमी होना था, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सरकार गांवों में हर प्रकार की बुनियादी सुविधाओं (शिक्षा-स्वास्थ्य, आवास, पानी) के लिए प्रयास करती रही है। देश के अलग-अलग क्षेत्रों के विकास के लिए क्षेत्र आधारित योजनाएं तथा विभिन्न प्रकार के लक्ष्य समूह आधारित कार्यक्रम चलाए जाते रहे हैं। हांलाकि आजादी के बाद गांवों की तस्वीर काफी हद तक बदली है, शिक्षा स्वास्थ्य, संचार, सड़क सुविधाओं का विकास हुआ है परन्तु जो लक्ष्य एक निश्चित अवधि में प्राप्त होने चाहिये थे, हम उसमें सफल नहीं हुए हैं।

ज्यादातर योजनाओं एवं कार्यक्रमों की असफलता का प्रमुख कारण यही रहा है कि योजनाओं एवं कार्यक्रमों को बनाते समय वहां के स्थानीय लोगों की समस्या एवं उनकी रूचि व भागीदारी की अनदेखी की गई है। अधिकतर योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लक्ष्य पूरा न करने का प्रमुख कारण लोगों को इनकी जानकारी का अभाव एवं अधिकारियों की उदासीनता रही है। नियोजित विकास के प्रारंभ से ही समाजवादी दर्शन के अनुरूप विकास कार्यक्रमों के नियोजन और संचालन का दायित्व मुख्य रूप से सरकारी तंत्र यानी नौकरशाही को सौंपा गया है। लगभग चार दशक के अनुभव के बाद यह महसूस किया जाने लगा है कि जन साधारण की भागीदारी के बिना स्थानीय संसाधनों का उपयोग अच्छी तरह से नहीं किया जा सकता है और न ही जनसाधारण की सहायता और रूचि के बिना कोई योजना एवं कार्यक्रम सफल हो सकता है।

गैर सरकारी संगठनों का ग्रामीण विकास में योगदान-

पिछले कुछ वर्षो में शिक्षा एवं सूचना के प्रसार की बदौलत ही स्वयं सेवी संस्थाओं एवं गैर-सरकारी संगठनों ने सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में उल्लेखनीय भूमिका निभाते हुए अनेक सरकारी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में हर संभव योगदान देती रही है। किन्तु इनमें से अधिकतर का कार्यक्षेत्र महानगरों एवं शहरों में ही रहा है। परन्तु आज स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महती भूमिका निभा रहे हैं एवं ग्रामीण विकास में अपना विशिष्ट योगदान दे रहे है।

गैर सरकारी संगठन स्थानीय लोगों के साथ ही मिलकर बनते है वे अपनी स्थानीय समस्याओं को हल करने के लिए प्रयासरत रहते हैं गांवों में साक्षरता का अभाव एवं गरीबी के कारण लोग सरकार की योजनाओं एवं ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में रूचि नहीं लेते है। योजनाओं को ठीक ढंग से लागू करने, ग्रामीण क्षेत्रों में अवसर उपलब्ध करवाने तथा गरीबों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यापक नेटवर्क की आवश्यकता पड़ती है। गैर-सरकारी संगठन इस लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यापक भूमि का निभा सकते हैं। विदेशी वित्तीय संस्थान एवं दानदाता संस्थाएं भी गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से ग्रामीण विकास में रूचि दिखा रही है। विश्व बैंक तथा उसकी समकक्ष की संस्थाएं निरंतर गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से अधिकाधिक वित्त प्रदान कर रही हैं। विश्वव्यापी गरीबी की समस्या को देखते हुए विश्व स्तर पर गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से गरीबी निवारण एवं ग्रामीण कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। विभिन्न देशों में संचालित गरीबी निवारण परियोजनाओं में गैर-सरकारी संगठनों के योगदान को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ने एक औपचारिक तंत्र का गठन किया है, जो सीधे गैर-सरकारी संगठनों से संपर्क रखता है।

ग्रामीण विकास एवं गरीबी निवारण परियोजनाओं में गैर-सरकारी संगठन अधिक कुशलता से कार्य कर सकते है क्योंकि इन कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर सरकारी तंत्र की कमी देखी गई है। दक्षिणी एशिया में 1990-2000 के दशक में गरीबों की संख्या 47.4 करोड़ से बढ़कर करोड़ हो गई है। यद्यपि यह प्रतिशत के रूप में 45 से घटकर 40 रह गया है। भारत सरकार ने अपनी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जहां सरकारी व निजी क्षेत्र की सेवा प्रदान करने की क्षमता अपर्याप्त एवं अकुशल है वहां गैर-सरकारी संगठन सरकारी प्रयासों को ज्यादा कुशलता से लागू कर सकते हैं।

ग्रामीण विकास में किसी भी योजना एवं कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि विभिन्न संगठनों में लोगों की सक्रिय भागीदारी कितनी रही। विकास के कार्यो

में स्वयं सेवी संगठनों द्वारा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर कार्य किये जाते हैं। ये संगठन सरकारी प्रयासों तथा विकास के कार्यो को ग्रामीण विकास के साथ जोड़कर करते है। आज गैर-सरकारी संगठनों का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है। आज प्रत्येक कार्य में गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी ली जा रही है और प्रत्येक प्रकार के कार्य में गैर-सरकारी संगठन सक्रिय हैं।

विभिन्न राज्यों में गैर-सरकारी संगठनों का योगदान

आज कई गैर-सरकारी संगठनों ने कई क्षेत्रों में लोगों की भागीदारी से ऐसे कार्य किये जो सरकारी प्रयासों के 50 वर्ष बाद भी हासिल नहीं किए है। राजस्थान में पीने और सिंचाई के पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तालाब बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों की कायापलट करने में स्वयं सेवी संगठनों की भूमिका को राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। और इसको सफल देखकर देश में 'वाटरशैड' के प्रोजेक्ट चलाये जा रहे हैं। बिहार में उठा सुलभ शौचालय आंदोलन देश भर में फैल कर स्वच्छता को बढ़ावा देकर ऐतिहासिक काम कर रहा है। इसने ग्रामीणों के साथ मिलकर स्थानीय आवश्यकताओं एवं संसाधनों के अनुरूप कई प्रकार के शौचालय विकसित कर पर्यावरण सुधार के साथ समाज सुधार में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज अनेक क्षेत्रों में कई गैर-सरकारी संगठन उल्लेखनीय काम कर रहे है। पंजाब और हरियाणा के गांवों में 'समन्वय डॉट कॉम वेलफेयर सोसाइटी' नामक गैर सरकारी संगठन ने इंटरनेट सुविधाओं के द्वारा वहाँ के गांवों को विश्व मानचित्र में अंकित कराया है। उड़ीसा प्रान्त के एक गैर सरकारी संगठन 'वालेन्ट्री एक्शन फार रूरल रिकंस्ट्रशन' (वार) द्वारा 'नाबार्ड' के सहयोग से किसान क्लब बनाकर वहाँ के किसानों को आर्थिक प्रगति दिलाने में सफलता हासिल की है। इसी प्रकार ''सेवा'' जो महिलाओं द्वारा चलाया गया एक गैर-सरकारी संगठन है, जो गरीब महिला सदस्यों के पतियों के लिए जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा तथा संपत्ति बीमा की योजनाएं चलाता है। इसमें गरीबों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसी प्रकार पर्यावरणविद् की सुनीता नारायण ने पेय पदार्थो में निर्धारित मानक से अधिक कीटनाशकों की जानकारी देकर जनता के स्वास्थ्य से

खिलवाड़ करने वालों को चेताया है। इसके अलावा एड्स जैसी बीमारी पर भी विदेशी व देशी सहायता से अनेक गैर-सरकारी संगठन कार्य कर रहे है। आज भी बाल-शिक्षा, बाल मजदूरी उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण, महिला साक्षरता, लिंग अनुपात, महिला सशक्तीकरण, स्वरोजगार, एड्स जैसी अनेक समस्याएं है जो कि गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से काफी हद तक दूर हो रही है।

आठवीं से लेकर दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं में गैर सरकारी संगठनों को काफी महत्व दिया गया है। शिक्षा और सूचना के प्रसार के कारण इनकी संख्या में वृद्धि के साथ -साथ इनका कार्य क्षेत्र एवं जिम्मेवारियां भी बढ़ गई है। भारत देश में ज्यादातर योजनाओं में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में नाबार्ड और कापार्ट के माध्यम से गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर चलाई जा रही है। गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका और उसकी उपयोगिता का उल्लेख करते समय कापार्ट की भूमिका उल्लेखनीय हैं कापार्ट एक ऐसी संस्था है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र विशेषज्ञ, रोजगार मंत्रालय के अधिकारी, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल है। ये विभिन्न कार्यक्रमों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करती है।

4. गैर सरकारी संगठनों की वर्तमान स्थिति -

पिछले दो दशकों से अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर गैर सरकारी संस्थाओं का व्यापक विस्तार देखा जा सकता है। एक अनुमान के तहत यह माना जा रहा है कि लगभग बारह लाख गैर-सरकारी संस्थाएं भारत में विद्यमान हैं (पीआरआईए, 2002) भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अनुसार, 1985 के बाद लगभग तीन गुने से भी अधिक नये गैर सरकारी संस्थानों को फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूसन रेगुलेटरी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत किए गए है। 1985-86 में एफसीआरए खाते सिर्फ 7000 गैर सरकारी संस्थानों को उपलब्ध हैं, जो 2001 में बढ़कर 22,9240 हो गए हैं। राजधानी दिल्ली में सोसाइटी एक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थाओं की संख्या लगभग 84000 बताई जाती है। यद्यपि गैर सरकारी

संस्थान, सोसाइटी (1860) के अलावा अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत की जा सकती हैं। जैसे-भारतीय ट्रस्ट अधिनियम (1882), भारतीय कंपनी अधिनियम (1956), अनुसूची 25, सहकारी समिति एवं ऋण अधिनियम (1904) इन अधिनियमों के बावजूद काफी संख्या में गैर सरकारी संगठन या समूह अपंजीकृत स्थानीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। एक नये अध्ययन के अनुसार, भारत में लगभग आधे से अधिक कार्यरत गैर लाभकारी व गैर सरकारी संस्थाएं कही भी पंजीकृत नहीं है, (पीआरआईए-2002) अध्ययन यह भी दर्शाता है अधिकांश पंजीकृत गैर सरकारी संस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट (1860) के अन्तर्गत पंजीकृत है व ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत हैं।[1] परन्तु अधिकतर संगठन तो कुछ समय सक्रिय रहकर दम तोड़ देते हैं और कुछ संगठन तो ऐसे हैं जो समाज सुधार के लिए बनाए गए हैं जो भ्रष्टाचार जैसी बीमारी को खत्म करने के लिए प्रयास करते हैं।

उपर्युक्त उल्लिखित आंकड़ों के आधार पर निश्चय ही यह कहा जा सकता है कि भारत के गैर सरकारी संगठनों का सही आकलन एवं स्वरूपों की जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि वास्तविक संख्या उनसे काफी अधिक है।

गैर सरकारी संगठनों का लघु वित्त के क्षेत्र में योगदान -

आज बढ़ती बेरोजगारी एवं घटते रोजगार के कारण ग्रामीण क्षेत्र में निम्न आय वर्ग की वित्त की मांग बढ़ रही है जबकि औपचारिक क्षेत्र की संस्थाएं इनकी पूर्ति की पूरक व सहायक के रूप में काम करती है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की वित्त की मांग एवं पूर्ति में अन्तर को कम करने का कार्य करेगी तथा इससे ग्रामीण गरीबी को दूर करने में सहयोग मिलेगा।

1992 में लघु वित्त सेवा को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने के बाद इस क्षेत्र में

---

1. कुमार, प्रदीप - स्थानीय विकास में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग, योजना, फरवरी 2007, अंक-11, पेज 37।

गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका बढ़ गई है। समुदायों को संगठित करने, उनकी बचत क्षमता बढ़ाने तथा साख प्रदान करने में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका स्वीकार करने के बाद नाबार्ड ने भी इनके सहयोग को बढ़ाना प्रारम्भ कर दिया है। नाबार्ड इन संगठनों का सहयोग, क्षमता का निर्माण, प्रशिक्षण तथा स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहन देने एवं वित्तीय मध्यस्त की भूमिका निभाने में ले रहा है। गैर सरकारी संगठन सामाजिक समूह बनाकर सामाजिक पूंजी निर्माण में विशेष योगदान दे रहे है। इससे सदस्यों की साख में वृद्धि हुई है तथा वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं के प्रति इनका विश्वास बढ़ा हैं इस प्रकार गैर सरकारी संगठन लाभार्थियों को उधार लेने वाले में बदलने में सफल रहे है। इस प्रकार से गरीबों एवं वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं के बीच कडी का काम करते हुए इन्हें जोड़ने में सफल हुए है। गैर-सरकारी संगठन स्वयं सहायता समूह को प्रशिक्षण भी देते हैं ताकि वे बैंकों से समान शर्तो पर लेन-देन कर सकें। इनके वित्तीय मध्यस्थ की भूमिका निभाने के बाद बैंकों से गरीबों को पर्याप्त ऋण मिलने लगा है। आर्थिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए शीर्ष वित्तीय संस्थाओं जैसे-नाबार्ड, सिड़बी, आई०डी०बी०आई० आदि ने गैर सरकारी संगठनों की सहायता के लिए अनेक योजनाएं आरम्भ की हैं ये बैंक बिना ब्याज या कम ब्याज या अनुदान के रूप में वित्त देकर इनकी सहायता करते हैं।

इस प्रकार गैर-सरकारी संगठन समाज के साथ मिलकर उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को सूक्ष्म वित्त देकर उनकी आर्थिक प्रगति की जा रही है। जिसमें गैर सरकारी संगठन का महत्वपूर्ण योगदान है। ये संस्थायें अपने फैसीलेटर (सुविधादाता) रखते हैं जो ग्रामीण जनों के बीच जाकर उन्हें स्वयं सहायता समूह एवं सूक्ष्म ऋण की प्रत्येक गतिविधियों से परिचित कराकर उनका मार्गदर्शन करते हैं तथा सुविधादाता महिलाओं के विकास के लिए सम्पूर्ण प्रयास करते हैं और उनका मार्गदर्शन कर जागरूक करने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं।

प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों का योगदान -

प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र में पाँच गैर सरकारी संगठन समाज की विभिन्न समस्याओं जैसे-गरीबी, भुखमरी, बाढ़ आपदा, सूखा राहत, महिला शिक्षा व जागरूकता, स्वास्थ्य आदि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों का गठन विशेषकर महिलाओं के समूह बनाने में अपना विशिष्ट योगदान दे रहे हैं। मौदहा विकास खण्ड में लगभग दस गैर सरकारी संगठन समाज कार्य में संलग्न है। किन्तु प्रमुख रूप से पाँच सस्थायें कार्यरत हैं जिनके द्वारा किये जा रहे समाज विकास के कार्य प्रगति कर रहे हैं जो निम्नवत् हैं -

1. बुन्देलखण्ड ग्रामोदय सेवा संस्थान, मौदहा।
2. सेन्टर फार एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेन्ट स्टूडीज, मौदहा।
3. ग्रामीण सेवा संस्थान, मौदहा।
4. नेहरू ग्रामीण युवा विकास क्लब, मौदहा।
5. अन्त्योदय सेवा संस्थान, सिसोलर।

उपरोक्त गैर सरकारी संगठनों के द्वारा इस विकास खण्ड में लगभग 463 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है एवं इनके गठन की प्रक्रिया निरन्तर जारी है। ये एन०जीओ० समूह गठन से लेकर समूह के स्वरोजगार स्थापित होने तक समूह के सदस्यों का मार्गदर्शन करते हैं। इसके अलावा समूहों को प्रशिक्षण देना, स्वास्थ्य जानकारी देना, महिला सशक्तीकरण आदि जागरूकता के कार्यो में सराहनीय योगदान देते हैं।

आज सामाजिक, आर्थिक, जीवन से जुड़ी ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसमें गैर-सरकारी संगठन काम नहीं कर रहे हों, विशेषकर ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण एवं जनचेतना जागरण कुछ ऐसे विशिष्ट क्षेत्र हैं जहां इनकी उपलब्धियां सरकारी क्षेत्र से कहीं अधिक हैं। चूंकि ये संगठन जन सहयोग, जन सहभागिता, जन संपर्क

पर अपना ध्यान केन्द्रित करते हुए लोगों के बीच रहकर कार्य करते हैं, इसलिए इनकी पहुंच और विश्वसनीयता आम लोगों में सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अपेक्षा अधिक है। एक दूसरी विशेषता इनकी कार्यविधि एंव कार्यनीति में लचीलापन एवं तीव्र निर्णय की प्रक्रिया है। अधिक स्वतन्त्र होने के कारण ये संगठन नए कार्यक्रमों के प्रयोग एवं परीक्षणों के लिए अधिक योग्य एवं सक्षम है। आज गैर–सरकारी संगठनों का दायरा बहुत बढ़ गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवन संरक्षण आदि अनेक क्षेत्रों में देश-विदेश के अनेक भागों में अनेक संगठन सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, और काफी हद तक अपने मिशन में सफल भी रहे हैं। वैश्वीकरण एवं निजीकरण की दौड़ में गैर–सरकारी संगठन ही विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाओं की अव्यवहारिक नीतियों को जनता के सामने प्रकाश में ला रहे हैं।

निःसंदेह ही इन संगठनों को अधिक से अधिक दायित्व और अवसर उपलब्ध कराकर, विशेष रूप से ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सकता है।

बैंकों का योगदान -

भारत वर्ष गाँवों का देश है। यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग दो तिहाई भाग गांवों में ही निवास करता है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को ग्रामीण अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यदि गांवों पर ध्यान नहीं दिया गया तो भारत की प्रगति नहीं हो सकती हैं अतः गॉव के सर्वांगीण विकास के बिना देश के विकास की कल्पना करना व्यर्थ है। इस परिदृश्य में यह बात बहुत ही समीचीन है कि भारतीय गांवों में जीवन यापन कर रही अधिकांश जनसंख्या बेरोजगारी और आय के न्यून स्तर के कारण निर्धनता के दुश्चक्र में जकड़ी हुई है। ग्रामीण परिवेश में जीविकोपार्जन और आय अर्जन का प्रमुख स्रोत कृषि क्षेत्र ही रहा है। परन्तु भारत में कृषि मानसून पर आधारित होने के कारण यहाँ के अधिकांश लोग विशेषकर ग्रामीण समुदाय के लोग कृषि से अपेक्षित लाभ नहीं उठा पाते हैं जिससे उनके

सामने ऋण ग्रस्तता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इन कारणों से ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणस्तता का मुख्य कारण कम आय व निर्धनता पैत्रक ऋण, प्राकृतिक संकट, सामाजिक व्यय, पशुओं आदि की मृत्यु, मुकदमेबाजी की प्रवृत्ति, साहूकारों की कुरीतियों, मुद्रास्फीति, जनसंख्या में वृद्धि तथा अन्य साधनों से आय का न होना है। हमारे देश में अभी भी बहुत से लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। अतः उनके जीवन स्तर में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न रोजगार परक योजनायें चलाकर बैंकों द्वारा सूक्ष्म ऋण प्रदान किया जा रहा है।

सूक्ष्म ऋण का अर्थ -

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों का गठन करके ग्रामीण जनों विशेषकर महिलाओं को समूह के माध्यम से बैंकों द्वारा सूक्ष्म ऋण देने की व्यवस्था की गई है। सूक्ष्म ऋण (माइक्रो फायनेंस) देने में बैंकों का विशेष योगदान रहा है।

सूक्ष्म ऋण या सूक्ष्म वित्त वह छोटी-छोटी ऋण राशियां होती हैं जो अत्यधिक गरीब लोगों को दी जाती है। जिससे वह अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई छोटा-मोटा काम शुरु कर सके। सामान्यतः इसमें वह लोग शामिल होते हैं, जिनके पास बैंकों से ऋण पाने के बदले गिरवीं रखने के लिए कुछ भी नहीं होता है, बैंकों की प्रतिभूति की समस्या से निपटने के लिए सूक्ष्म वित्त प्रणाली में ऋण पाने वाले लोगों को एक समान बनाया जाता है। समूह की तरफ से सामूहिक गारंटी दी जाती है। इस प्रकार व्यक्तिगत गारंटी या प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं होती है। सूक्ष्म वित्त दुनिया के सर्वाधिक गरीब लोगों विशेषकर महिलाओं को भयावह गरीबी से मुक्ति दिलाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। आज से 30 वर्ष पहले दुनिया के लिए सूक्ष्म ऋण की अवधारणा बिल्कुल अनजानी सी थी लेकन आज दुनिया के न सिर्फ विकासशील देशों बल्कि कुछ विकसित देशों में भी गरीबी उन्मूलन और कमजोर वर्गो के सशक्तिकरण के माध्यम के रूप में इनकी पहचान बन चुकी

है। आज दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में 1.2 अरब गरीब लोगों को छोटे-छोटे ऋण मिल रहे हैं।

सूक्ष्म ऋण एवं स्वयं सहायता समूह -

सूक्ष्म वित्त को जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुँचाने के लिए भारत में मुख्य रूप से स्वयं सहायता समूह माध्यम का उपयोग किया जा रहा है। वास्तव में सूक्ष्म वित्त को वित्तीय समावेश का एक निहायत कारगर जरिया माना जाता है। इसे न केवल भारत बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी अपनाया गया है। वर्ष-2005 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार बांगला देश के मोहम्मद युनूस को सूक्ष्म वित्त के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है। सूक्ष्म वित्त के उनके ग्रामीण बैंक माडल ने बांग्लादेश में आज लाखों वंचित लोगों को आर्थिक सामाजिक रूप से समर्थ, सक्षम एवं आत्मनिर्भर बना दिया है।

सूक्ष्म वित्त समूहों अथवा व्यक्ति को प्रदान किये जाते हैं। समूहों में स्वयं सहायता समूह साख संघ, संयुक्त देनदारी समूह आदि शामिल हैं। विश्व के अलग-अलग देशों में अलग-अलग विधि अपनायी जाती है, लेकिन उद्देश्य यही होता है कि गरीब लोगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सके ताकि ये अपनी आय बढ़ाकर अपना जीवन स्तर बेहतर कर सकें। भारत में वर्ष-2006-07 के बजट में 3,85,000 स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म वित्त से लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। नाबार्ड के अनुसार भारत में करीब तीन करोड़ महिलाओं ने सूक्ष्म ऋण योजना का लाभ उठाकर 22 लाख छोटे-छोटे व्यवसाय शुरु किये हैं।

ग्रामीण गरीब परिवारों को सूक्ष्म ऋण देकर उनकी निम्न आर्थिक स्थिति को सुधारने में बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान है। बैंक बचत को प्रोत्साहन देते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपनी बचत को बैंकों में जमा करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। पूंजी निर्माण की दृष्टि से भी बैंकों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, क्योंकि जनता से प्राप्त जमा राशि का उत्पादन के लिए उचित विनियोग करना बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य हैं इस प्रकार बचत

को प्रोत्साहन देकर तथा पूंजी-निर्माण की गति को तेज करके बैंक ग्रामीण विकास एवं देश के विकास में प्रत्यक्ष योगदान देते हैं। जन-विक्षेपों के द्वारा धन को एकत्र करने तथा चालू ऋणों एवं विनियोगों के रूप में उद्योग के लिए अतिरिक्त पूंजी की व्यवस्था करने की दिशा में बैंकों ने अपनी कार्य कुशलता एवं क्षमता में पर्याप्त वृद्धि की है।

भारत में बैंकों का विकास एवं प्रगति -

भारत में कृषि एवं लघु उद्योगों के विकास के अन्तर्गत बैंकों को अपने साधनों एवं कार्यो का विकास करने का उपयुक्त अवसर प्राप्त हुआ है। भारत में जुलाई 1969 में 14 तथा 1980 में बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से बैंक कार्यालय का अत्यन्त तेजी से विस्तार हुआ है। विशेषरूप से इस दिशा में उन्नीस न्यू बैंक आफ इण्डिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिए जाने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 से घटकर 19 रह गई है। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपनी बैंक शाखाओं की संख्या में आशा से अधिक वृद्धि की है। इसमें अधिकांश कार्यालय ग्रामीण तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में खोले गये हैं। स्टेट बैंक तथा उसके सात सहायक बैंक पहले से ही राष्ट्रीयकृत थे। जुलाई, 1969 में देश के चौदह अन्य बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये ऐसे बैंक थे जिनकी जमा राशियां उस समय 50 करोड रुपये या इससे अधिक थीं। उस समय यह कहा गया था कि भविष्य में निजी क्षेत्र के बैंकों को भी यदि उनकी जमा राशियां 200 करोड़ रुपये या इससे अधिक हो जाती हैं तो राष्ट्रीयकृत किया जा सकता है। अतः अप्रैल 1980 में निजी क्षेत्र के ऐसे छः बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जिनकी राशियां 200 करोड़ रुपये या इससे अधिक थीं। इस प्रकार यह विवाद ही प्रायः समाप्त हो गया है तथा अब बैकिंग क्षेत्र को उपलब्ध वित्तीय साधनों का 95 प्रतिशत भाग राष्ट्रीयकृत बैंक के नियंत्रण में है। अब देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 28 से घटकर न्यू बैंक ऑफ इण्डिया के पंजाब नेशनल बैंक में विलय के बाद अब यह संख्या 27 रह गयी है। उदारीकरण की नीति के अन्तर्गत मार्च 1992 से बैंकों के प्रति सरकारी नीति में परिवर्तन हुआ है। अन्य निजी क्षेत्र के बैंकों

का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया तथा विदेशी बैंकों को भी यहां कार्य करने की अनुमति दी गयी। राष्ट्रीयकरण के बाद इन बैंकों ने संतोषजनक प्रगति की है। न केवल इनकी जमा राशियों में वृद्धि हुई हैं बल्कि इनके द्वारा दिये गये ऋणों में भी आशातीत वृद्धि हुई है। शाखा प्रसार तथा विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र में नये बैंक कार्यालयों के प्रसार में तो अत्यन्त सराहनीय प्रगति हुई है।

स्वयं सहायता समूहों की प्रगति में विभिन्न बैंकों का योगदान -

स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म ऋण प्रदान करके ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बैंकों का सराहनीय योगदान रहा हैं संक्षेप में ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विभिन्न बैंकों की भूमिका को क्रमवार निम्नवत् विश्लेषित किया जा रहा है-

भारतीय रिजर्व बैंक -

भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था का एक केन्द्रीय बैंक है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल, 1935 तथा राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी, 1949 को किया गया। चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक है, इसलिए इसका कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है। यही कारण रहा है कि यह बैंक जनता से कोई लेन-देन सीधे नहीं करता, अपितु जनता एवं रिजर्व बैंक के बीच देश का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया तथा अन्य राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंक संपर्क पुल का कार्य करते हैं। इस संदर्भ में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इतनी व्यस्तताओं के बावजूद भी रिजर्व बैंक ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास हेतु कृषि साख की व्यवस्था, व्यापारिक बैंकों का उचित विकास, वित्त स्रोत के रूप में असंगठित क्षेत्र पर नियंत्रण तथा सहकारी बैंकों की स्थापना एवं विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) -

देश में कृषि एवं ग्रामीण वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और साथ ही विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के क्रियाकलापों में उचित समन्वय स्थापित करने के लिए 12 जुलाई, 1982 को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना की गई। नाबार्ड का भारतीय रिजर्व बैंक से सीधा संबंध है। नाबार्ड की प्रारम्भिक चुकता पूंजी 100 करोड़ रुपये थी, जिसमें भारत सरकार और रिजर्व बैंक का बराबर का योगदान था। नाबार्ड ने देश में कृषि के अर्द्धसामंती, अर्द्धपूंजीवादी और पुरातन ढांचे में पिस रहे छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखकर स्वयं सहायता समूहों को व्यवस्थित ऋण व्यवस्था से जोड़कर उन्हें एक नई पहचान दी है। वस्तुतः भारत में नाबार्ड ने ही पिछले एक दशक में सूक्ष्म वित्त आन्दोलन को तैयार और पोषित किया है। जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि सूक्ष्म वित्त अत्यधिक गरीब लोगों को दी जाने वाली छोटी कर्ज राशियां होती है। इसमें समूहों में संगठित गरीब लोगों को छोटा-मोटा काम करने में मदद मिलती है।

नाबार्ड ने स्वयं सहायता समूहों के जरिये बैंकिग सेवा को गरीबों, खासकर महिलाओं तक पहुँचाने की अहम् जिम्मेदारी को गम्भीरता से निभाया है। वर्ष 1992 में मात्र 500 स्वयं सहायता समूहों से शुरु किया गया। नाबार्ड का यह कार्यक्रम आज 25 लाख समूहों तक पहुँच चुका है। वर्ष-2006-07 के दौरान 3.85 लाख स्वयं सहायता समूहों को ऋण व्यवस्था से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया लेकिन वर्ष के अंत तक यह ऑकड़ा 3.12 लाख नये और 2.41 लाख पहले से मौजूद स्वयं सहायता समूहों तक पहुँच गया। इस दौरान इन समूहों को विभिन्न बैंकों के जरिये 2922 करोड़ रुपये का ऋण मिला जिसमें से 1161 करोड रुपये नाबार्ड ने बैंकों को पुनर्वित के तौर पर उपलब्ध कराया। 31 मार्च 2007 तक कुल 25.5 लाख स्वयं सहायता समूहों को कुल मिलाकर 14320 करोड़ रुपये का बैंक ऋण प्रदान किया गया। इसमें से नाबार्ड ने 5320 करोड़ रुपये बैंकों को पुनर्वित के रूप में उपलब्ध कराया। नाबार्ड के अनुसार भारत में करीब तीन करोड़ महिलाओं ने सूक्ष्म ऋण योजना का लाभ उठाकर 22 लाख छोटे-छोटे व्यवसाय शुरु किये हैं।

भारतीय स्टेट बैंक -

रिजर्व बैंक द्वारा ग्रामीण साख व्यवस्था की जॉच करने हेतु सन् 1955 में गठित गोरवाला समिति के निष्कर्षो को ध्यान में रखते हुए 1जुलाई, 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई। भारतीय स्टेट बैंक मूलतः एक वाणिज्य बैंक के सभी कार्य करता है। परन्तु इंपीरियल बैंक का उत्तराधिकारी होने के कारण यह ऐसे सब कार्य भी करता है। जो इंपीरियल बैंक द्वारा किए जाते थे। साधारण बैंकिग कार्यो के अतिरिक्त यह उन सभी स्थानों पर जहां रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग के कार्यालय नहीं हैं, रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करता है। स्टेट बैंक की स्थापना करते समय इसे ग्रामीण साख की व्यवस्था में सहायता देने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिग के विकास संबंधी कार्य भी सौंपे गये थे। ग्रामीण विकास के उद्देश्यों की पूर्ति करने में स्टेट बैंक निरन्तर प्रयत्नशील रहा है। अपनी स्थापना के बाद स्टेट बैंक ने इन क्षेत्रों में संतोषजनक प्रगति भी की है।

प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र में दो स्टेट बैंक हैं। 1 शाखा ग्रामीण क्षेत्र में एवं 1 नगरीय क्षेत्र में है जो निरंतर अपनी सुविधायें प्रदान कर रहा है। स्टेट बैंक के द्वारा स्वयं सहायता समूह योजना की जमा धनराशि के समान, दो गुना, तीन गुना या चार गुना तक किसी भी प्रयोजन हेतु कर्ज दिया जाता है। इसके अलावा अन्य आकर्षण सुविधाओं में समूह के सदस्यों को मकान बनाने/मरम्मत कराने हेतु समूह के बचत का 10 गुना तक ऋण दिया जाता है। तथा प्रति सदस्य अधिकतम ऋण रु0 50,000/- है। एस0बी0आई0 की इस क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों को ऋण सुविधा देने में महत्वपूर्ण भूमिका है। एस0बी0आई0 के द्वारा ग्रामीण निर्धन परिवारों जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करते है उनको समूहों के माध्यम से विभिन्न स्वरोजगारों के लिए ऋण प्रदान किया गया है। महिलाओं के समूहों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। महिलायें समूह बनाकर सूक्ष्म ऋण प्राप्त कर रही हैं और अपने परिवारों का आर्थिक विकास कररही है। स्टेट बैंक का ध्येय वाक्य है - आइये साथ बढ़े- समूह बनाये एवं सामूहिक उन्नति करें।

इलाहाबाद बैंक -

इलाहाबाद बैंक की स्थापना 24 अप्रैल 1865 में उ0प्र0 राज्य के इलाहाबाद शहर में हुई थी। इलाहाबाद बैंक एक वाणिज्य बैंक के सभी कार्य करता है। यह बैंक भी राष्ट्रीय बैंक की श्रेणी में आता हैं इलाहाबाद बैंक द्वारा समाज के दुर्बल वर्गो जैसे-भूमिहीनों श्रमिकों, बंधक मजदूरों, छोटे किसानों और कारीगरों की समस्याओं की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अलावा कृषि उपकरणों को खरीदने के लिए ऋण की सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड आदि के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। इलाहाबाद बैंक की स्वयं सहायता समूह के स्वरोजगारियों को लघु वित्त देने में महती भूमिका है। यह बैंक प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र का अग्रणी बैंक होने के कारण यहाँ के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रवर्तक बैंक भी है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक -

भारत में ग्रामीण साख की कमी को दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने 26 सितम्बर, 1975 को एक अध्यादेश जारी करके देशभर में क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना की घोषणा की। जिसके तहत 2 अक्टूबर, 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। आर0आर0बी0 की स्थापना का मुख्य उद्देश्य छोटे एवं सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों, कारीगरों तथा छोटे उद्यमियों को उधार एवं अन्य प्रकार की वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराना था। इन बैंकों को अनुसूचित व्यापारिक बैंक का संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। किन्तु इनकी व्यापारिक बैंकों से निम्नांकित कुछ बिन्दुओं पर भिन्नता है :-

इनका कार्यक्षेत्र राज्य के एक या कुछ जिलों तक सीमित होता है।

बैंक छोटे कृषकों, भूमिहीनों श्रमिकों, ग्रामीण दस्तकारों एवं सीमांत कृषकों को ऋण सुविधा प्रदान करता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वर्तमान में सिक्कम एवं गोवा के अतिरिक्त सभी राज्यों में कार्य

कर रहे हैं। 30 जून 2000 को 23 राज्यों में 480 जलों के अन्तर्गत 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 14,459 शाखाएं कार्य कर रही थीं। जिनमें से 12,158 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में थी।

प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की 7 शाखायें हैं जिसमें 2 नगरीय एवं 5 ग्रामीण क्षेत्रों में है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संदर्भ में यह स्पष्ट करना उचित प्रतीत होता है कि उ0प्र0 राज्य के सात जनपदों क्रमशः हमीरपुर, जालौन, महोबा, बाँदा, चित्रकूट, मिर्जापुर तथा सोनभद्र जनपद के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो हमीरुपर जालौन तथा महोबा में छत्रसाल ग्रामीण बैंक, बाँदा-चित्रकूट में तुलसी ग्रामीण बैंक तथा मिर्जापुर व सोनभद्र जनपद में विंध्यवासिनी ग्रामीण बैंक के नाम से कार्यरत थे। परन्तु 2007 में उपरोक्त इन सभी जनपदों में कार्यरत तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का आपस में विलय करने के बाद इनको त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम दिया गया। जो वर्तमान में उपरोक्त सातों जनपदों में त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से कार्यरत है। इस ग्रामीण बैंक का प्रधान कार्यालय जनपद-जालौन के उरई नगर में स्थित है। इस बैंक की उपरोक्त सातों जनपदों में 208 शाखायें है।

स्वयं सहायता समूहों के विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विशेष महत्व व योगदान रहता है। इन बैंकों की शाखायें गांव में होने से ग्रामीणजनों विशेषकर महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी है। गॉव में ही रहकर महिलायें आसानी से बैंकिंग व्यवस्था से परिचित हो जाती है। ग्रामीण महिलायें शहर या कस्बे के बैंक में जाकर बैंकिंग कार्यप्रणाली को करने में हिचकिचाहट महसूस करती है। किन्तु ग्रामीण बैंकों की शाखायें गांवों में ही होने से महिलाओं के लिए बैंकिंग प्रणाली बहुत आसान हो गई है। वे बहुत आसानी और बिना झिझक से बैंकों की गतिविधियों से परिचित होकर सहभागी हो रही है और समूह के

माध्यम से सामाजिक, आर्थिक विकास कर रही है। क्षेत्रीय ग्रमीण बैंकों ने ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण करने के साथ-साथ उनमें जागरूकता लाने का महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

सहकारी बैंक -

भारत में सहकारी संस्थाएं 20वीं शताब्दी की देन है। भारत में सहकारी बैंकों की संरचना में तीन स्तर सम्मिलित हैं।

प्राथमिक सहकारी समितियाँ -

यह ग्रामीण या लोक स्तर पर कृषि क्षेत्र की अल्पकालीन ऋणों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए गठित की जाती है। गांव के कोई भी दस व्यक्ति मिलकर ऐसी समिति की स्थापना कर सकते है। सामान्यतः यह कृषि क्षेत्र में उत्पादन कार्य के लिए एक वर्ष की अवधि का अल्पकालीन ऋण देती है। वर्तमान में देश में 93 हजार प्राथमिक सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं।

केन्द्रीय सहकारी बैंक या जिला सहकारी बैंक -

भारत में यह बैंक दो प्रकार के हैं, प्रथम जिनकी सदस्यता केवल सहकारी प्राथमिक समितियों को ही मिल सकती है तथा द्वितीय जिनकी सदस्यता प्राथमिक सहकारी समितियों तथा व्यक्तियों दोनों को ही मिल सकती है। इस बैंक द्वारा वे सभी कार्य संपादित किए जाते हैं जो एक व्यापारिक बैंक द्वारा किए जाते है। 1995-96 के दौरान ऐसे बैंकों की संख्या 363 थी। ये बैंक मुख्यतः राज्य सहकारी बैंक से ऋण लेकर अपनी चालू पूंजी में वृद्धि करते हैं तथा प्राथमिक सहकारी समितियों को ऋण देते हैं।

राज्य सहकारी बैंक -

यह राज्य का शीर्ष सहकारी बैंक होता है और राज्य के मुख्यालय पर स्थापित होता है। इसकी अंश पूंजी केन्द्रीय सहकारी बैंक, राज्य सरकार एवं जनता द्वारा मिलाकर तैयार की जाती है। इस बैंक का मुख्य कार्य केन्द्रीय सहकारी बैंक (या जिला सहकारी बैंक) को ऋण सुविधाएं प्रदान करना है। वर्तमान में देश में 28 राज्य सहकारी बैंक कार्य कर रहे हैं।

प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र में एक सहकारी बैंक है जो केवल नगरीय क्षेत्र में है। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी बैंकों की शाखायें नहीं है। स्वयं सहायता समूहों को वित्त प्रदान करने में यहां के सहकारी बैंक की भूमिका नगण्य रही है। जिसका कारण है कि सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली आज भी रुढ़िवादिता एवं परम्परागत अवधाराओं को अपनाए हुए है। जबकि सार्वजनिक निजी एवं विदेशी क्षेत्र के बैंक बैंकिग क्षेत्र में हो रहे दिन-प्रतिदिन के परिवर्तनों को अपने यहाँ लागू कर रहे है। अतः प्रतिस्पर्धात्मक रूप से ये बैंक आज भी पिछड़े हुए है।

भूमि विकास बैंक या भूमि बंधक बैंक -

भारत में दीर्घकालीन कृषि वित्त प्रदान करने के लिए इस प्रकार के बैंकों की स्थापना की गई है। यह बैंक कृषक की भूमि गिरवी रखकर, ऋण सुविधाएं प्रदान करते हैं। यह ऋण कुएं खुदवाने, पंपसेट लगवाने, खेती संबंधी यंत्र और ट्रैक्टर खरीदने आदि के लिए दिए जाते हैं। 30 जून, 1995 को 20 केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक एवं 717 प्राथमिक भूमि विकास बैंक कार्य कर रहे थे।

प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र में भूमि विकास बैंक की एक शाखा कार्यरत है। परन्तु इस बैंक की भी स्वयं सहायता समूहों को वित्त देने में भूमिका नगण्य है। क्योंकि यह बैंक ऋण

देने के लिए पहले व्यक्तियों की भूमि को बंधक अर्थात् गिरवी रखता है। लेकिन स्वयं सहायता समूह योजना केवल गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के लिए है। निर्धन और निम्न जीवन स्तर वाले व्यक्तियों के पास भूमि की उपलब्धता न के बराबर होती है या फिर भूमि बिल्कुल नही होती है। ऐसी स्थिति में भूमि विकास बैंक ऋण देने में अक्षम होते हैं। जिससे इन बैंकों की ग्रामीण विकास में भूमिका कम है।

उपरोक्त बैंकों के अलावा कुछ व्यापारिक बैंक एवं निजी क्षेत्र के बैंक भी सूक्ष्म ऋण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जिनमें आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफडी बैंक, यूटीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि बैंक है। परन्तु अध्ययन क्षेत्र में इन बैंकों की शाखायें न होने के कारण इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया तथा त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का ही विशेष रूप से ग्रामीण विकास में योगदान है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण विकास हेतु बैंक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इन क्षेत्रों में कृषि आधारित सहायक उद्योग-धंधों यथा-डेयरी पशुपालन, मत्स्यपालंन, मुर्गीपालन, वृक्षारोपण या सामजिक वानिकी, दुग्ध उद्योग, मधुमक्खी पालन, सुअर पालन, बकरी पालन, भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रम, फल विकास कार्यक्रम, सिंचाई विकास कार्यक्रम इत्यादि के विकास हेतु आसान शर्तो पर वित्त की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास हेतु भी सहायता प्रदान की है। इसके अन्तर्गत बीड़ी बनाने वाले, खादी ग्रामोद्योग, बुनकरों, लुहारों, चर्मकारों तथा शिल्पियों को आसान किस्तों पर भारी छूट के साथ ऋण उपलब्ध कराया गया है। ग्रामीण विकास में बैंक की भूमिका इस परिप्रेक्ष्य में भी सराहनीय है कि 30 जून, 2001 को बैंकों की कुल शाखाओं का लगभग आधा भाग ग्रामीण क्षेत्रों में था। इसकी विवेचना निम्न तालिका द्वारा की जा रही है –

तालिका-1

क्र0 सं0	बैंक	कुल बैंक शाखाओं में ग्रामीण शाखाओं का प्रतिशत
1	स्टेट बैंक एवं सहयोगी बैंक	44.1
2	राष्ट्रीयकृत बैंक	42.3
3	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	83.6
4	कुल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	51.9
5	अन्य भारतीय अनुसूचित बैंक	21.9
6	कुल अनुसूचित बैंक	49.4
7	कुल गैर -अनुसूचित बैंक	33.3
	कुल व्यापारिक बैंक	49.4

स्रोत- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एनुअल रिपोर्ट्स

तालिका-2

भारत में स्वयं सहायता समूह बैंक सम्पर्क कार्यक्रम के रूझान

क्र0सं0	वर्ष	ऋण से जुड़ी स्वयं सहायता समूहों की संख्या	बैंक के द्वारा निर्गत ऋण राशि (करोड रु0 में)
1	1998-99	32995	57.07
2	1999-00	114775	192.98
3	2000-01	263825	480.87
4	2001-02	461478	1026.34
5	2002-03	717360	2048.67
6.	2003-04	942000	3240.38
7.	2004-05	161476	6898.00
8.	2005-06	2200000	11398.00

स्रोत- नाबार्ड, आर0बी0आई0 की वार्षिक रिपोर्ट-2005-06

उपरोक्त तालिका दो से स्पष्ट है कि लगभग 22 लाख स्वयं सहायता समूहों को लगभग 11398 करोड़ रुपये की ऋण राशि उपलब्ध करायी गयी। इनकी वापसी दर भी लगभग शत-प्रतिशत रही है। इससे पहले कभी भी इतने बड़े पैमाने पर और इतनी अच्छी वापसी दर रिकार्ड के साथ सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। भारत में वर्ष-2006-07 के बजट में अन्य 385000 स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म वित्त से लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। नाबार्ड के अनुसार भारत में करीब तीन करोड़ महिलाओं ने सूक्ष्म ऋण योजना का लाभ उठाकर 22 लाख छोटे-छोटे व्यवसाय शुरु किये हैं।

उपरोक्त वर्णित प्रकार्यात्मक पक्षों की भूमिका स्वयं सहायता समूहों के संदर्भ में अहम् है। इन पक्षों के अतिरिक्त कुछ सरकारी विभागों की भी भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। या ये कहा जाये कि सरकारी विभागों के द्वारा ही योजना की समस्त गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाया जाता है और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। स्वयं सहायता समूहों के क्रियान्वयन में जो सरकारी विभाग अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे है। उनका संक्षेप में विवरण निम्नवत् है -

सरकारी विभागों का योगदान -

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी0आर0डी0ए0)

जिला ग्राम्य विकास संस्थान, ग्राम्य विकास विभाग (अनुभाग-2) उ0प्र0 शासन, का एक संस्थान है, जो जिला स्तर पर प्रशिक्षण देता है। यह संस्थान जनपद-हमीरपुर के मौदहा कस्बे में स्थित है। इसका कार्यक्षेत्र जनपद हमीरपुर और महोबा तक है। इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी। वर्ष 1989 से अब तक लगातार कृषि प्रसार एवं ग्राम्य विकास की विभिन्न योजनाओं जैसे-गरीब उन्मूलन, पंचायती राज संस्थाओं आदि को प्रशिक्षण दिया गया है। वर्ष-2005-06 में परिवार कल्याण एवं जनसंख्या नियंत्रण के

साथ-साथ अपने कार्य क्षेत्र जनपद-हमीरपुर एवं महोबा में चल रही स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। संस्थान के द्वारा कृषकों को स्थाई कृषि उत्पादकता बढ़ाने एवं मृदा उर्वरता कायम रखने हेतु कृषि तकनीक की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है। जनपद के अन्य विभागों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों/गोष्ठिया/कार्यशालाओं में भी संस्थान के विषय विशेषज्ञों द्वारा अपने अनुभवों एवं विषयों से प्रतिभागियों को लाभान्वित कराया जाता है।

इस प्रकार समूह के द्वारा सदस्यों को प्रशिक्षण देकर ग्रामीण विकास में योगदान देने के लिए जिला ग्राम्य विकास संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका दृष्टिगोचर हो रही है।

पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका -

योजना में आरम्भिक चरणों से ही पंचायती राज संस्थाओं को संलिप्त किया गया है। तथा जनप्रतिनिधियों के सहयोग की अपेक्षा की गयी है। स्वरोजगारियों के चयन, क्रियाकलापों के चयन और अनुश्रवण में उनकी भूमिका रेखांकित की गयी है। सर्वेक्षण के उपरान्त गरीबी की सीमा रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को चिन्हित सूची का अनुमोदन ग्राम सभा की खुली बैठक में किया जाता है। बैंक से अपेक्षा की जाती है कि वे ऋण वितरण की सूचना ग्राम प्रधान को देंगे तथा प्रत्येक माह देय किश्तों की सूचना भी ग्राम प्रधान को उपलब्ध करायेंगे। इससे ग्राम सभायें, योजना के अनुश्रवण और वसूली में अपना योगदान कर सकती है। पंचायत स्वरोजगारियों को समय से बैंकों को ऋण की देय धनराशि की अदायगी हेतु प्रेरित कर सकती है। जिन ग्राम पंचायत क्षेत्रों में योजना के अन्तर्गत बैंक वसूली ८० प्रतिशत से कम हो सकती है। उस ग्राम पंचायत से योजना का क्रियान्वयन स्थगित किया जा सकता है।

सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि ग्राम पंचायते समूह गठन में भी सहयोग देंगी

तथा समूह गठन और विकास के निमित्त ग्राम सभाओं को योजना के संसाधनों से 500 रु० की धनराशि प्रति समूह की दर से उपलब्ध कराई जा सकती है। इस धनराशि को ग्राम सभाएं अपने विकास कार्यो में लगायेंगी। इस प्रकार योजना के अन्तर्गत ग्राम सभाओं को आय का एक अतिरिक्त स्रोत भी मिल गया है।

उपरोक्त वर्णित प्रकार्यात्मक पक्षों के अलावा स्वयं सहायता सूमह के क्रियान्वयन एवं गतिविधियों को सुचारू रखने में कुछ बाधायें या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इन उत्पन्न समस्याओं को ही समूह के अकार्य के रूप में जाना जाता है। स्वयं सहायता समूह के अकार्यात्मक पक्ष को निम्नवत स्पष्ट किया जा रहा है -

स्वयं सहायता समूह के अकार्यात्मक पक्ष -

स्वयं सहायता समूह के अकार्यात्मक पक्ष निम्नवत हैं -

समूह अवधारणा को भली-भॉति समझ न पाना -

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजार योजना के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों की अवधारणा गरीबी उन्मूलन की अत्यन्त कारगर योजना साबित हो सकती है क्योंकि यह योजना सामूहिक सहयोग के द्वारा विकास पर आधारित है। सम्मिलित प्रयास और सम्मिलित अनुभवों का उपयोग सामूहिक विकास की सुन्दर परिकल्पना है। परन्तु समूह के सदस्य विषय वस्तु की मूल भावना को समझ नहीं पाते है। उसका कारण है कि योजना के क्रियान्वयन में लगे व्यक्ति चाहे वह सरकारी अधिकारी हों या उनके द्वारा नियुक्त सुविधादाता हों, या फिर एन०जी०ओ० व उनके सुविधादाता हों सभी के अन्दर समर्पण का अभाव रहता है तथा योजना में निहित गरीबोत्थान की भावना से कार्य करने की बजाय योजना से स्वयं को लाभान्वित करने के प्रयासों व उपायों पर ध्यान केन्द्रित रहता है। अतः इस कारण समूह के सदस्यों को योजना की मूल भावनाओं का ज्ञान नहीं हो पाता तथा सरकार द्वारा दी जा रही छूट की योजना के रूप में परिचय कराया जाता है। समूह गठन के समय और गठन के पश्चात समूह के सदस्यों में योजना की मूल भावनाओं की समझ

विकसित नही हो पाती। इसके पीछे कभी अशिक्षा को कारण माना जाता है तो कभी महिलाओं में जागरूकता का अभाव माना जाता है, जबकि योजना के अन्तर्गत न केवल समूह को आर्थिक गतिविधियों तक सीमित रखा गया है बल्कि समूहों के माध्यम से लोगों विशेषकर महिलाओं को शिक्षित करना, सामाजिक चेतना जागृत कर अनेक कुप्रथाओं को दूर करना, नशा मुक्त समाज की रचना करना तथा सम्मिलित प्रयासों से समग्र विकास की परिकल्पना की गई है। परन्तु समूह के सदस्य योजना की मूल भावना से परिचित नहीं हो पाते या ये कहा जाय कि सुविधादाता द्वारा उन्हें परिचित कराया नहीं जाता जिससे लोगों का सम्पूर्ण ध्यान सरकार द्वारा दी जा रही छूट (सब्सिडी) का फायदा उठाने तक ही सीमित रहता है जिससे अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाते हैं।

समूह में आय उर्पाजक क्रियाकलाप न करना -

स्वयं सहायता समूह के गठन का उद्देश्य होता है कि समूह में आय उपार्जन गतिविधियों को करके सदस्यों की आर्थिक उन्नति हो। परन्तु समूह के सदस्यों द्वारा समूह गठन का उद्देश्य होता है कि सरकार द्वारा दी जा रही छूट का फायदा उठाया जाय। इसलिए समूह की गतिविधि के चयन पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया जाता है बल्कि फैसिलेटर द्वारा बतायी गई गतिविधियों से उसका चुनाव किया जाता है। जिसमें सरलता से बिना कुछ किये प्रोजेक्ट का धन आहरण किया जा सके। जैसे-दूध डेयरी, बकरी पालन आदि प्रोजेक्ट इसलिए ज्यादा अपनाये जाते है। क्योंकि इन प्रोजेक्ट में पशु खरीदने की बजाय पहले से ही रह रहे पशुओं को दिखा दिया जाता है ओर उनके स्थान को बदलकर टैग लगवा दिया जाता है तथा पैसे ले दे कर फर्जी बिल लगाकर प्रोजेक्ट की इतिश्री कर दी जाती है। समूहों की इन्हीं नकारात्मक गतिविधियों के कारण बैंककर्मी भी लाभान्वित होते हैं। चूंकि समूहों द्वारा योजना से मिले धन को आय उर्पाजक कार्यो में नहीं लगाया जाता। परिणामस्वरूप उनकी उन्नति नहीं हो पाती है। सदस्यों द्वारा धन का बंटवारा करके घर-गृहस्थी के कार्यो में लगा दिया जाता है तथा मिलने वाली छूट का बहुत बड़ा हिस्सा बैंकों व योजना क्रियान्वयन में लगे लोगों के बीच बंट जाता है। जिससे पैसे की

वापसी समय पर नहीं हो पाती है। बैंक मैनेजर कमीशन लेकर समूह द्वारा परिसम्पतियों के सृजन की झूंठी रिपोर्ट देता है तथा मैनेंजर समूह द्वारा धन के दुरुपयोग की रिपोर्ट लिखकर सरकार द्वारा दी गई छूट को खारिज कर देता है तथा पूरे आहरित धन पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर आर०सी० निकाल देता है। ऐसी स्थिति में समूह के सदस्य सरकारी धन को आफत कहते हैं और गांवों से पलायन के लिए विवश हो जाते हैं।

वित्तीय प्रबन्धन की भली-भॉति जानकारी न होना -

ग्रामीण महिलायें और पुरुष अशिक्षा और जागरूकता के अभाव में बैंकिंग प्रणाली से अपरिचित होते हैं। समूह में जो सदस्य थोड़ा बहुत पढ़े होते हैं उन्हें अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष बनाया जाता है परन्तु ये बैंक की गतिविधियों को समक्ष नही पाते हैं विशेषकर महिलायें बैंकिंग प्रणाली से अनभिज्ञ होती है। जागरूक सदस्य तो धीरे-धीरे सभी गतिवधियों से स्वयं को परिचित करा लेते हैं परन्तु यह अनभिज्ञता उन सदस्यों में देखी जा सकती है जिनमें पूर्ण रूप से जागरूकता का अभाव है एवं सुविधादाता ही वित्तीय प्रबन्धन को देखते हैं। ऐसी स्थिति में बैंक कर्मी सुविधादाता से मिलकर अपना आर्थिक विकास करते हैं एवं समूह में सदस्यों से वित्तीय प्रबन्धन की जानकारी न होने से समूह की आर्थिक प्रगति व विकास नहीं हो पाता।

सेकेण्ड ग्रेडिंग के बाद बैंक से सम्पर्क न करना -

समूह की दूसरी ग्रेडिंग हो जाने के बाद समूह के सदस्य बैंक से सम्पर्क कम कर देते है या फिर बैंक जाना ही बंद कर देते हैं। अतः समूह के संचालन में लगे सुविधादाता तब तक समूह और बैंक के बीच सम्पर्क का माध्यम रहते हैं जब तक सेकेण्ड ग्रेडिंग के बाद बैंक द्वारा प्रोजेक्ट में धन स्वीकृत एवं वितरित नहीं हो जाता। धन वितरण के बाद सुविधादाता को शेष मानेदय प्राप्त हो जाता है तब वह उक्त समूह की ओर देखता नहीं है अर्थात् वह समूह से अपना सम्पर्क तोड देता है। ऐसी स्थिति में समूह के सदस्य बैंकों से अपना सम्पर्क बंद कर देते हैं क्योंकि वह बैकिग प्रणाली से भी अनभिज्ञ होते हैं।

प्रोजेक्ट के लिए मिले धन को स्वरोजगार में न लगाकर अपने व्यक्तिगत कार्यो में उपयोग कर लिया जाता है जिससे दूसरी ग्रेडिंग के बाद बैंक की उपयोगिता सदस्यों को उचित नहीं लगती। अतः बैंक जाना बंद कर देते हैं फलस्वरूप समूह में अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते है।

बैंक रिकवरी न दे पाना -

समूह के सदस्यों के द्वारा किसी प्रोजेक्ट के नाम पर प्राप्त धन को किसी सामूहिक गतिविधि में लगाने की जगह आपस में धन को बॉट लिया जाता है। इसलिए उस धन से कोई आय सृजित नही हो पाती परिणामस्वरूप समूह से धन की रिकवरी नही हो पाती। सरकार द्वारा व्यक्तिगत ऋण के दुरुपयोग को रोकने के लिए सामूहिक ऋण योजना चलाई गई परन्तु अपने निजी स्वार्थो के परिणामस्वरूप व्यक्ति अपेक्षित लाभ लेने में सफल नही हो पाते है। समूह के माध्यम से स्वरोजगार करने के लिये मिलने वाले धन को आपस में बाँट लेने के बाद समूह के सदस्यों में उनकी कोई पकड़ नहीं रह जाती है। समूह के कुछ सदस्य पैसा लेकर गॉव से पलायन कर जाते है शेष जो सदस्य पैसा वापस भी करना चाहते है तो इसलिये वापस नहीं करते क्योंकि उन्हें पता होता है कि अपने हिस्से का पैसा जमा करने के बाद भी शेष धन पर समूह के सभी सदस्यों की बराबर की जवाब देही होती है। इन कारणों से धन की रिकवरी नहीं हो पाती है।

सुविधादाता (फैसीलेटर) का पूर्णतया प्रशिक्षित न होना -

सुविधादाता चाहे जिला ग्रामीण विकास अधिकरण (डी0आर0डी0ए0) द्वारा नियुक्त किये गये हो या फिर एन0जी0ओ0 के द्वारा नियुक्त किये गये हो वह पूर्णतया प्रशिक्षित नहीं होते है। सुविधादाता को पूर्ण प्रशिक्षित किये बिना सामाजिक उत्थान की भावना का समावेश नहीं हो सकता। जब तक वह पूर्णरूपेण प्रशिक्षित नहीं होगें तब तक वह ग्रामीण व्यक्तियों का उचित मार्गदर्शन करने में असफल रहेंगे। समूह गठन से लेकर समूह के आर्थिक क्रियाकलापो में फैसीलेटर की अहम भूमिका होती है। एक सफल प्रशिक्षण प्राप्त

सुविधादाता समूह की अवधारणा से लेकर सामाजिक विकास तक का मार्गदर्शन कर सकता है। परन्तु सुविधादाता द्वारा समूह के व्यक्तियों को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता और समूह की योजना से भलीभांति परिचित नहीं करा पाता। बिना सकारात्मक सोंच से किये गये कार्य से परिणाम सकारात्मक नहीं आ सकता। इसलिये सुविधादाता को पूर्ण प्रशिक्षित किये बिना एवं पूर्ण समर्पण की भावना के अभाव में वास्तविक परिणाम परिलक्षित नहीं हो पाते है।

स्वयं सहायता समूह में कार्यरत महिलाओं में जागरूकता का अभाव -

स्वयं सहायता समूहों में कार्यरत महिलाओं में जागरूकता का अभाव पाया जाता है। क्योंकि स्वर्णजंयती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहो की अवधारणा केवल ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए है जो गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा में जीवन-यापन करते हैं। गांवों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले ज्यादातर पिछड़ी और अनु०जाति के लोग ही होते है। अतः इन वर्गो की महिलाओं में जागरूकता का नितान्त अभाव पाया जाता है। इस वर्ग की महिलायें अपनी निम्न आर्थिक स्थिति की वजह से शिक्षा से वंचित रह जाती हैं जिससे वह सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों से अनभिज्ञ रहती हैं। शिक्षित न होने के कारण वह अपना एवं अपने परिवार के विकास में वृध्दि नहीं कर पातीं। यह उचित ही कहा गया है कि शिक्षा प्रगति के सारे पथ खोलती है। परन्तु ग्रामीण अशिक्षित महिलायें सामाजिक विकास में अपनी सहभागिता पूर्णरूपेण नही कर पाती है। जिससे वह प्रगति के पथ में अग्रसर नहीं हो पाती हैं।

ग्रामीण महिलायें अशिक्षा की वजह से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो पाती है। जिससे वह पारिवारिक हिंसा की शिकार होती हैं। एक जागरूक महिला में अपने ऊपर हो रहे शोषण और हिंसा का प्रतिकार करने के लिए साहस उत्पन्न हो जाता है परन्तु अजागरूक महिला अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को अपना दुर्भाग्य मान लेती है और उसे चुपचाप सहन करती रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह शैक्षिक रूप से

मजबूत नहीं होती है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा व महिला शिक्षा को अत्यधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जिससे वह शिक्षित होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सके।

प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र बुन्देलखण्ड के अति पिछड़े क्षेत्र में आता है। यहाँ महिलाओं में शिक्षा का स्तर अन्य क्षेत्रों और अन्य राज्यों की अपेक्षा सर्वाधिक कम है। अशिक्षा की वजह से यहाँ की महिलायें अभी भी रुढ़िगत विचारों से स्वयं को समाहित किये हुए है। जिसके चलते वह अपनी पुरातन एवं परम्परावादी सोंच को कायम रखे हैं। वे मानती हैं कि उनका काम चूल्हें चौके तक ही सीमित है। घर से बाहर के काम पुरुषों के होते हैं क्योंकि महिला को घर से बाहर निकलना उचित नहीं समझा जाता है। हालांकि इन मिथकों में कुछ परिवर्तन परिलक्षित हो रहे हैं। परन्तु यह अपवाद स्वरूप ही है। समूह की महिलायें योजना की समस्त गतिविधियों से परिचित नहीं हो पाती है। उनका एक मात्र उद्देश्य रहता है कि समूह योजना से अपनी निम्न आर्थिक स्थिति में सुधार कैसे हो और कितना शीघ्र हो जिससे उनका पूरा ध्यान इसी ओर ही आकर्षित रहता है। समूह की महिलायें विकास सम्बन्धी सारे कार्यो को परिणाम तक पहुँचा सकती हैं परन्तु अपनी अनभिज्ञता के चलते वह विकास परक योजनाओं को समझ नहीं पाती है। यहां कि महिलायें स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से विकास सम्बन्धी कार्यो में अपना योगदान दे जरूर रही हैं, परन्तु पूर्ण रूप से महिला जागरूकता के लक्ष्य को प्राप्त करने में अभी मंजिल दूर ही है।

सामाजिक निषेध -

ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के सामाजिक निषेध रहते हैं। 21वीं सदी में जहाँ मानव चाँद-सितारों की सैर करने की तैयारी कर रहा है, वहीं ग्रामीण परिवेश में महिलाओं के बारे में अभी भी संकुचित और संकीर्ण मानसिकता बनी हुई है। हमारे समाज में मानवीय धारणाएं विशेषकर महिलाओं के प्रति सहृदयता सहिष्णुता व समानता अभी भी मध्यकालीन असभ्यता और बर्बरता में स्वस्थ नहीं हो पाई है। समाज की घृणित विचारधारा उन्हें पुरुषों

की बराबरी के पद पर आसीन नहीं होने दे रही हैं। सैद्धान्तिक रूप से चाहे जो कह लिया जाये लेकिन व्यवहारिक रूप में महिलायें अधिक शोषित हो रही है। ग्रामीण परिवेश में महिलायें विभिन्न सामाजिक कुरीतियों और मान्यताओं से जकड़ी हुई है। अभी भी ग्रामीण अंचलों में महिलाओं का घर से अकेले बाहर जाना उचित नहीं समझा जाता है। आज भी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है वह चाहे शिक्षा हो या फिर स्वास्थ्य। महिलाओं को समानता का अधिकार प्राप्त नहीं है। ग्रामीणजन आज भी दकियानूसी मान्यताओं से ग्रसित है, विभिन्न कुप्रथाओं, सामाजिक असमानता, जातीय वर्ग भेद (छुआछूत), पर्दाप्रथा आदि सामाजिक बुराइयाँ महिला विकास में बाधक है। ग्रामीण पुरुष प्रधान समाज ने महिलाओं पर पर्दा-प्रथा जैसी कुरीति को उनके थोप दिया है। जिससे उनके सामने सीखने का अवसर नहीं आ पाता है। किसी के घर की बेटी और किसी के घर की बहू होने जैसी बातों से महिलाओं को मर्यादा के बन्धन में जकड़ दिया जाता हैं इन सामाजिक कुरीतियों व मान्यताओं के चलते ग्रामीण महिलायें प्रत्येक क्षेत्र सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक शैक्षिक आदि में असमानता का शिकार होती हैं। सामाजिक मान्यताओं और निषेधों का पालन न करने पर अधिकतर महिलाओं को घरेलू हिंसा का शिकार बनाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष प्रधानता या वर्चस्व का उदाहरण कन्या भ्रूण हत्या से मिलता हैं जिसके पीछे पुरुषवादी सोंच, अशिक्षा एवं जागरूकता का अभाव है।

निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक कुरीतियाँ, मान्यतायें, पुरुष-प्रधानता महिला विकास में बाधक हैं इन सामाजिक कुप्रथाओं के चलते महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहां महिलाओं के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जाता है जिससे महिलायें सामाजिक विकास में अपनी सशक्त भागीदारी करने में अग्रणी नहीं हो पाती है। उपरोक्त असमानताओं और सामाजिक निषेधों के चलते ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में आज भी बिल्ली रास्ता रोके खड़ी है यहाँ बिल्ली से तात्पर्य रुढ़िवादी सोंच से है।

समूह के सदस्यों में आपसी मनमुटाव या द्वेष पनपना -

स्वयं सहायता समूह की अवधारणा सामूहिक सोंच और सामूहिक सहयोग के द्वारा ही सुदृढ़ और बलवती होती है। समूह में होने वाली सभी गतिविधियों में सभी सदस्य समान रूप से क्रियाकलापों के द्वारा सामूहिक उन्नति करते हैं। परन्तु आज व्यक्तिगत स्वार्थ ने सभी रिश्तों और सम्बन्धों में सामूहिक उन्नति की सोंच को बदल दिया है। अपने निजी स्वार्थो के चलते व्यक्तियों में सर्वजन हिताय की विचारधारा के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो गया है। स्वयं सहायता समूह के संचालन हेतु एक प्रबन्धकीय समिति का चुनाव होता हैं जिसमें अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष व सचिव के पद होते हैं जो समूह के सदस्यों द्वारा समूह गठन के बाद ये दायित्व सर्वसम्मति से किन्हीं तीन सदस्यों को दिये जाते हैं। परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की कमी के चलते महिलायें विचारों से न तो परिपक्व हो पाती हैं और न ही समूह की कार्यप्रणाली जिसमें विशेषकर बैंकिंग प्रक्रिया से अनभिज्ञ होने के कारण समूह की उन महिलाओं से झगड़ा कर लेती है, जो उपरोक्त दायित्वों को निभा रही होती है। अर्थात् ग्रामीण महिलाओं को जानकारी के अभाव में यह लगता है कि ये पद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनके माध्यम से अधिकारियों तक में अपनी साख बनाई जा सकती है। इसलिए उक्त पदों पर स्वयं आसीन होने के लिए वह संघर्ष करने लगती हैं। ऐसा करने के लिए महिलाओं को उनके परिवार के सदस्य प्रेरित या बाध्य करते हैं। जिससे उन्हें लगता है कि सम्पूर्ण योजना के धन पर उनका अपने घर की महिला के माध्यम से कब्जा हो जायेगा।

इसके अतिरिक्त समूह खाते में राशि जमा करने पर भी आपस में द्वेष और मनमुटाव की स्थिति जन्म ले लेती हैं नियमित बचत के द्वारा जो पैसे इकट्ठे किये जाते हैं, उस पर किसी न किसी महिला के अविश्वास हो जाने पर कि, यह पैसा बैंक में नियमित जमा न होकर अनियमित या मनमर्जी से जमा होता होगा। ऐसी स्थिति में वह अन्य सदस्यों पर अविश्वास कर बैठती हैं और अपनी बचत के पैसे वापस लेकर समूह से सदस्यता समाप्त कर लेती हैं। जिससे समूह की प्रगति रूक जाती है और फिर से समूह

गठन की प्रक्रिया की जाती है। जिससे महिलाओं का स्वयं का अहित तो होता ही है और गांव का विकास भी प्रभावित होता है।

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की उदासीनता -

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूह की अवधारणा का क्रियान्वयन सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के मार्गदर्शन में संचालित होता है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण गरीबों को अपनी निम्न आर्थिक स्थिति को सुधारने और ग्रामीण विकास में अपनी मजबूत दावेदारी प्रस्तुत करने में सहायता प्राप्त हो। परन्तु इस योजना से सम्बन्धित अधिकारीगण अपने दायित्वों और कर्तव्यों को भलीभॉंति नहीं निभाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और जागरूकता की कमी का लाभ उठाकर ये ग्रामीण जनता को बेवकूफ बना देते है। गॉवों के भोले लोग डरकर और संकोच करके इनसे ज्यादा मिलने से बचते हैं। महिलाओं के साथ यह समस्या विशेषकर होती है क्योंकि महिलायें अशिक्षा की वजह से अधिकारियों का सामना करके उनसे किसी समस्या को बताने में शर्म और संकोच महसूस करती हैं। जिससे वह अपने गांव में हो रही अनियमितताओं से उनको परिचित नहीं करा पाती हैं।

समूह की होने वाली प्रत्येक बैठकों में अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होती है परन्तु अधिकारीगण समय पर न पहुँचकर कोई उचित मार्गदर्शन नहीं दे पाते हैं। इसी प्रकार समूह की ग्रेडिंग तय करते समय अधिकारीगण लापरवाही बरतते हैं और कभी-कभी तो एन०जी०ओ० के सुविधादाता द्वारा बताये गये समूह सदस्यों के नाम पर ही समूह की ग्रेडिंग करके अंक प्रदान कर दिये जाते हैं और समूह का गठन कर दिया जाता है। जिसमें एनजीओ और अधिकारियों की मिलीभगत होती है। कार्यालय में बैठे-बैठे ही सारी कागजी कार्यवाही पूरी कर ली जाती है। इसी प्रकार बैंक अधिकारी और कर्मचारियों की उदासीनता वित्त ऋण प्रदान करने में देखी जा सकती है। ये अधिकारी विशेषकर बैंक मैनेजर ग्रामीण अनपढ़ महिलाओं को ऋण देने में लापरवाही बरतते हैं और निश्चित अवधि में ऋण

स्वीकृत नहीं करते हैं। बैंक अधिकारी और ब्लाक अधिकारी की सांठ-गांठ होने पर ऋण उन लोगों को ही जल्दी और समय पर दिया जाता है। जिनकी ब्लॉक और बैंक में पहचान होती है। ये अधिकारीगण ग्रामीण भोलीभाली महिलाओं को कागजी कार्यवाही का हवाला देकर सालों उनको स्वरोजगार के लिए इन्तजार करवाते हैं। जहां महिलायें जागरूक हो जाती हैं। वहाँ ये अधिकारी सचेत होकर अपने कर्तव्यों को निभाते हैं परन्तु जहाँ महिलायें घूंघट की आड़ लिये रहती है। अर्थात् उनमें किसी असंतुलित प्रक्रिया और समस्या के बारे में बात करने का साहस नहीं हो पाता है वहाँ अधिकारियों की उदासीनता प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लगती है और विकास कार्यो में उचित उपलब्धि नहीं हो पाती है।

भ्रष्टाचार -

सदाचार अर्थात् सद्आचरण ही मनुष्य को समाज में पहचान दिलाता है। परन्तु जब यह आचार लोभ से ग्रसित हो जाता है, तब वह भ्रष्ट हो भ्रष्टाचार के रूप में सामने आता है। अनुचित साधनों के द्वारा धन की वृद्धि ही भ्रष्टाचार का केन्द्र बिन्दु है। समाज में फैली भ्रष्टाचार रूपी बीमारी किसी भी संस्थान के पूरे तंत्र को अपने आगोश में लेकर उसे खोखला कर देने में सक्षम हैं।

वर्तमान समाज पूर्णरूप से भ्रष्टाचार से ग्रसित है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार आज भी 26 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सरकार द्वारा समय-समय पर गरीबी उन्मूलन के लिए विभिन्न रोजगारपरक योजनायें चलाई जा रही हैं परन्तु सम्पूर्ण शासन तंत्र में भ्रष्ट लोगों का कब्जा हो जाता है जो सम्पूर्ण योजना को प्रभावित करता है। भ्रष्टाचार ने हमारे देश की विकास प्रक्रिया को इतना धीमा कर दिया है कि हम दिन-प्रतिदिन विकसित देशों से पीछे होते चले जा रहे हैं।

ग्रामीण विकास हेतु सरकार द्वारा विभिन्न रोजगार परक योजनायें क्रियान्वित की जा रही है। भारत निर्माण ग्रामीण विकास का मजबूत उदाहरण है। परन्तु ये सम्पूर्ण योजनायें पूर्णतः लागू होकर अपेक्षित परिणाम देने में सफल नहीं हो पाती है। जिसके पीछे प्रमुख

कारण भ्रष्टाचार है। सरकारी तन्त्र में चाहे वह ऊपर से लेकर नीचे तक किसी स्तर पर हो सभी भ्रष्ट है। प्रत्येक छोटे और बड़े कार्यो को करवाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सर्वप्रथम कमीशन या घूस ली जाती है। तत्पश्चात् वे उस कार्य को करते हैं और कभी-कभी तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि पैसे लेने के बाद भी लोगों का काम नहीं हो पाता है। हालांकि भ्रष्टाचार का स्वरूप पूरे समाज में विद्यमान है। अर्थात् प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। परन्तु यहाँ मात्र इस योजना विशेष की ही चर्चा की जा रही है।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण गरीबों की आर्थिक उन्नति करने में बेहद कारगर योजना साबित हो सकती है। लेकिन इस योजना के क्रियान्वयन से सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में योजना की मूल भावना के प्रति समर्पण का अभाव पाया जाता है। वह चाहे डी०आर०डी०ए० के अधिकारी हों या विकास खण्ड और बैंक के अधिकारी हों सभी के अन्दर सम्पूर्ण धन मे से कुछ भाग हड़पने की भावना निहित रहती है। सबसे ज्यादा प्रकाश में आने वाली बात बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा कमीशन लेना है। इसके अलावा गैर सरकारी संगठन के लोग इन सभी अधिकारियों से मिलकर ग्रामीण जनता विशेषकर अशिक्षित महिलाओं को स्वरोजगार हेतु मिले धन से कुछ प्रतिशत हड़प लेते हैं। भ्रष्टाचार का स्वरूप इतना बढ़ गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य रहने वाले लोग भी इसका शिकार हो गये हैं। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों में भी सरकारी धन को हड़पने की भावना निहित हो गयी हैं यह ज्यादातर पुरुषों के समूह में होता है। क्योंकि अशिक्षित महिलायें यह नहीं जान पाती हैं कि योजना के धन को कैसे हड़पा जाय। पुरुषों में भ्रष्टाचार का बोलबाला अधिक होता है। ग्रामीण पुरुषों को जो सरकारी अनुदान इस योजना के माध्यम से प्रदान किया जाता है, उसको पाने के लिए वे सम्पूर्ण प्रयत्न कर देते हैं। धन मिल जाने के बाद स्वरोजगार से ध्यान हटा देते हैं और पैसा लेकर गांव से पलायन कर जाते हैं। ऐसा अधिकतर पुरुषों के समूहों में होता है। परन्तु ग्रामीण महिलायें ऐसा करने में सक्षम नहीं होती हैं। उनके अन्दर जिम्मेदारी का भाव

निहित होता है। शायद यही कारण है कि महिलाओं के समूह गठन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है।

समूहों में उत्पन्न समस्याये -

उपरोक्त नकारात्मक पहलुओं के अतिरिक्त समूहों में कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिनसे कई समस्याये प्रकट हो जाती है और अपना अकार्यात्मक प्रभाव दिखाने लगती हैं।

ऐसा देखा गया है कि कुछ समूह प्रथम ग्रेडिंग प्राप्त करने के बाद भी निम्न कारणों से खाता बंद कर देते हैं -

1. आपसी मेलजोल की कमी हो जाना।
2. अशिक्षित अध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर न कर सकने के कारण धन निकासी हेतु बार-बार बैंक आना संभव न होना।
3. समूह की ज्यादातर सदस्यों का अशिक्षित होना।
4. परिवार के अन्य सदस्यों के अनावश्यक दबाव की वजह से संभावित कर्जे से बचाव हेतु अनुदान राशि प्राप्त करने के पश्चात समूह की सदस्यता से हट जाना।
5. ग्रेडिंग पश्चात प्रशिक्षण का अभाव होना।

इसके अलावा बैंकों को भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बैंक शाखा प्रबन्धक से सम्पर्क करने पर निम्न मुद्दे उभरकर आए हैं -

1. समूहों में डिफाल्टर व्यक्तियों को भी सदस्य बनाया जाता है।
2. समूहों के सदस्यों के अशिक्षित होने के कारण नियमों एवं रिकार्डो के रख-रखाव का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है।
3. ग्रेडिंग के समय समूह के सदस्य पूर्ण संख्या में नहीं आ पाते हैं।

षष्ठम अध्याय

तथ्यों का विश्लेषण-

- ❖ व्यवसाय का विवरण
- ❖ समूह के क्रियाकलाप हेतु जानकारी
- ❖ कृषि के अलावा कार्य करने की दशायें
- ❖ पर्दा-प्रथा अनुसरण की स्थिति
- ❖ बैंक असुविधाओं का स्वरूप
- ❖ विकासपरक योजनाओं के क्रियान्वयन में महिलाओं की भूमिका
- ❖ शोषण के विविध स्वरूप
- ❖ महिला जागरूकता एवं प्रभाव

अध्याय-षष्ठम्

तथ्यों का विश्लेषण

प्रस्तुत अध्याय में अध्ययन से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण किया जा रहा है। अध्ययन में सूचनाओं के संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है, जिसके माध्यम से प्राप्त सूचनाओं का वर्गीकरण किया गया। इसके उपरान्त सारिणियों के माध्यम से तथ्यों का विश्लेषण किया गया है -

सारणी संख्या-6.1

उत्तरदात्रियों का कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करने सम्बन्धी विवरण

क्र0सं0	कार्य के स्वरूप	संख्या	प्रतिशत
1.	कृषि-मजदूरी	121	30.25
2.	आंगनबाड़ी कार्य	74	18.50
3.	प्राईमरी स्कूलों में मध्यान्ह भोजन बनाने का कार्य	39	9.75
4.	अन्य कोई कार्य	54	13.50
5.	कोई कार्य नहीं करतीं	112	28.00
	योग	400	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 6.1 में उत्तरदात्रियों का कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करने सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत किया गया है। कार्य के स्वरूपों को कृषि मजदूरी, आंगनबाड़ी कार्य, प्राइमरी स्कूलों में मध्यान्ह भोजन बनाने का कार्य, अन्य कोई कार्य तथा कोई कार्य नहीं करती हैं ये वर्गीकृत किया गया है। आंगनबाड़ी कार्य के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकत्री, सहायिका तथा आशा बहू के पद के कार्यो को रखा गया है। इसी प्रकार अन्य कोई कार्य

के अन्तर्गत सिलाई कार्य, छोटी-मोटी दुकान का कार्य, ईट-भट्टा में कार्य करना आदि को सम्मिलित किया गया है।

सारणी का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक प्रतिशत 30.25 प्रतिशत कृषि मजदूरी करने वाली उत्तरदात्रियों का है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलायें पुरूषों के समकक्ष ही श्रमबल करती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में महिला का दिन ईंधन चारा तथा पानी की तलाश में लम्बी दौड़ के साथ शुरू होता है। चूल्हे-चौके से लेकर खेत-खलिहानों में हाड़तोड मेहनत करने तक महिलाओं की सहभागिता रहती है। कृषि कार्यो में महिलायें अपने पतियों के साथ बराबर हांथ बटाती हैं। कृषि के इतर वह श्रमिक के रूप में भी कार्य करती है। महिलायें प्रत्येक स्तर तक मजदूरी करके अपने परिवार का जीवन यापन करती हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम महिला श्रमिकों का एक जीता जागता उदाहरण है। जिसमें वह दिन भर मजदूरी करने के बाद घर वापस लौटती है। ग्रामीण महिलाओं का श्रमिक के रूप में प्रतिशत अधिक होने का एक कारण यह भी है कि गांवों में अधिकतर पिछड़ी और अनु०जाति के लोग निवास करते हैं इनका आर्थिक स्तर निम्न होता है। अपने निम्न आर्थिक स्तर में सुधार लाने के लिए महिलायें मजबूरन श्रम-बल अधिक करती हैं।

18.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियां आंगनबाड़ी कार्यो में संलग्न हैं। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय द्वारा संचालित आंगनबाड़ी योजना के माध्यम से महिलायें अपना पंजीकरण करवाके ग्रामीण स्वास्थ्य में विशिष्ट योगदान देती है। ग्रामीण महिलायें आंगनबाड़ी कार्यकत्री, सहायिका तथा आशा बहू के पदों पर आसीन होकर ग्रामीण बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य की देख-रेख करती हैं। आंगनबाड़ी के माध्यम से महिलायें अपने परिवार का आर्थिक सशक्तीकरण कर रही हैं। हालांकि इस कार्य से महिलाओं को वेतन अपेक्षाकृत बहुत कम प्राप्त होता है परन्तु आज बढ़ती मंहगाई में गृहस्थी के बोझ को थोड़ा कम करने में सहायता जरूर मिलती है। आंगनबाड़ी का कार्य करने के लिए बहुत पढ़ी-लिखी महिला न भी हो तो वह भी आसानी से इन दायित्वों का निर्वाहन कर सकती है। महिला एंव बाल विकास में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों की अहम भूमिका होती है। ग्रामीण महिलायें अपनी इस भूमिका को बखूबी निभा रही है।

प्राइमरी स्कूलों में मध्यान्ह भोजन बनाने का कार्य करने वाली उत्तरदात्रियों का 9.75 प्रतिशत हैं जो सर्वाधिक कम भी है। केन्द्र सरकार की प्राइमरी स्तर पर प्राथमिक शिक्षा राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम केन्द्र सरकार की (मिड-डे-मील) योजना ग्रामीण क्षेत्रों में लाभदायक सिद्ध हुई है। गरीब परिवारों के बच्चों को भोजन देकर विद्यालय नियमित आने का यह अत्यन्त कारगर उपाय है। इससे बच्चों की विद्यालय आने में तो वृद्धि हुई ही है साथ ही ग्रामीण गरीब और विशेषकर निराश्रित महिलाओं को गांव में ही रहकर सरलता से रोजगार सुलभ हुआ है। ग्रामीण महिलायें प्राइमरी विद्यालयों में दोपहर का भोजन पकाने का कार्य करती हैं जिसके बदले उन्हें पारश्रमिक प्राप्त होता हैं। जिससे वह अपना खर्च चलाती हैं। हालांकि मिड-डे-मील बनाने वाली महिलाओं का प्रतिशत कम ही है क्योंकि एक गांव में एक ही प्राइमरी विद्यालय होता है एक विद्यालय में बच्चों के लिए भोजन बनाने के लिए लगभग दो महिलायें ही पर्याप्त होती हैं अतः एक गांव में दो महिलाओं को ही रोजगार प्राप्त होता है।

अन्य कोई कार्य करने वाली उत्तरदात्रियों का 13.5 प्रतिशत है। अन्य कार्य के अन्तर्गत ग्रामीण महिलायें कपड़े सिलाई का कार्य, परचून और सब्जी आदि की दुकान चलाने का कार्य एवं ईट-भट्‌टों में मजदूरी करने का कार्य करती हैं। उपरोक्त कार्यो में महिलाओं को दो कार्य सिलाई और परचून व सब्जी की दुकान का कार्य केवल वर्ष भर उपलब्ध रहता है परन्तु ईट-भट्‌टों में ईट बनाने का कार्य केवल सीजन में ही उपलब्ध होता है। ग्रामीण महिलायें उपरोक्त दो कार्यो में सिलाई करने वाले कार्य को प्राथमिकता देती हैं। दूसरो के कपड़े सिलकर वह अपने परिवार की आजीविका चलाती है। किन्ही-किन्ही परिवारों के लिये यह कार्य बहुत बड़े आर्थिक संबल के रूप में कार्य करता है। क्योंकि अन्य कार्यो में घर से ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है परन्तु इस कार्य के लिये थोड़े पैसों से ही काम चल जाता है और सिलाई करने के बदले में काफी पैसे मिल जाते हैं जिससे उनके परिवार का गुजारा ठीक प्रकार से चलता है।

कोई कार्य नहीं करने वाली उत्तरदात्रियों का 28 प्रतिशत है जो कृषि मजदूरी करने वाली उत्तरदात्रियों के समकक्ष ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक परम्परा आज भी विद्यमान है कि यदि घर में कोई बड़ी महिला जिसे घर की महिलाओं में बड़ा पद प्राप्त हो अगर वह घर के बाहर के सभी कार्यो का सम्पादन स्वयं करती है तो वह घर की अन्य महिलाओं को बाहर जाने देना उचित तब तक नहीं समझती है जब तक वह अपने दायित्वों को भलीभांति निभाने में सक्षम हैं और ऐसा ज्यादातर स्वर्ण वर्ग की महिलाओं के साथ ही होता है हालांकि पिछड़े और अनु०जाति की महिलाओं में भी इसी परम्परा को निभाया जाता है परन्तु यह सवर्णो की अपेक्षा कम ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरूष प्रधानता के चलते महिलायें घर की दहलीज से बाहर एक निश्चित उम्र वृद्धि हो जाने के बाद ही निकलती है अर्थात् नयी-नवेली महिलायें शीघ्र घर के बाहर के कार्यो को नहीं करती है। परन्तु आज इस विचारधारा में कमी आई है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलायें वह सभी कार्य करने लगी हैं जो पुरूषों के एकाधिकार मानते जाते थे। वह घर से लेकर बैंकिग प्रणाली तक को समझने और करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

इस प्रकार महिलायें कृषि के अलावा उन सभी कार्यो को बड़ी सफलता से कर रही हैं जो उनकी पहुंच और अधिकारों से बहुत दूर थे। महिलायें आज पुरुषों से कंधा से कंधा मिलाकर प्रत्येक क्षेत्र में अपना योगदान देकर विकास को एक नयी दिशा प्रदान कर रही है।

सारणी संख्या 6.2

उत्तरदात्रियों के पति के परम्परागत व्यवसाय सम्बन्धी विवरण

वर्गगत

व्यवसाय	भेंड-बकरी पालन		सुअर पालन		मुर्गी पालन		दुग्ध व्यवसाय		अन्य कोई		परम्परागत व्यवसाय नहीं करते		योग	
वर्ग	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
सवर्ण	-	-	-	-	-	-	-	-	17	51.51	16	48.48	33	8.25
पिछड़ी	7	3.82	-	-	-	-	9	4.91	40	21.85	127	69.39	183	45.75
अनु0जाति	-	-	9	10.11	-	-	-	-	7	7.86	73	82.02	189	22.25
मुस्लिम	7	7.36	-	-	9	9.47	-	-	8	8.42	71	74.73	95	23.75
योग	14	3.5	9	2.25	9	2.25	9	2.25	72	18	287	71.75	400	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 6.2 में उत्तरदात्रियों के पति के परम्परागत व्यवसाय सम्बन्धी विवरण को प्रस्तुत किया गया है। व्यवसाय को भेंड-बकरी पालन, सुअर पालन, मुर्गीपालन, दुग्ध व्यवसाय, अन्य कोई तथा परम्परागत व्यवसाय नहीं करते हैं में वर्गीकृत किया गया है। अन्य कोई व्यवसाय के अन्तर्गत बढ़ईगिरी, लुहारगिरी, कुम्हारगिरी (मिट्टी के बर्तन बनाना) सब्जी उत्पादन, पुरोहिती जैसे कार्यो को शामिल किया गया है। इसी प्रकार वर्ग के क्रम में सवर्ण, पिछड़ी, अनु0जाति तथा मुस्लिम को सम्मिलित किया गया है। जिसमें 8.25 प्रतिशत उत्तर दात्रियाँ स्वर्ण वर्ग से है, 45.75 प्रतिशत पिछड़े वर्ग से, 22.25 प्रतिशत अनु0जाति से तथा शेष 23.75 प्रतिशत मुस्लिम वर्ग से है। व्यवसाय के क्रम में देखें तो 3.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पति सुअर पालन का काम करते है, 2.25 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पति मुर्गी पालन करते हैं, 2.25 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पति दुग्ध व्यवसाय (भैंस पालन), 18 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पति अन्य कोई व्यवसाय करते हैं तथा शेष 71.75 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पति कोई परम्परागत व्यवसाय नहीं करते हैं।

सम्पूर्ण सारणी का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक प्रतिशत ऐसी उत्तरदात्रियों का है जिनके पति अन्य कोई कार्य करते है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी पारम्परिक व्यवसायों का महत्व है। जो ग्रामीण गरीबों के आय का साधन है। अपनी आजीविका के लिए ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग शहरी चाकाचौंध से दूर अपनी पुरानी पारम्परिक कार्य व्यवस्था का पालन करते हैं। ग्रामीण जीवन में आज भी जातिगत परम्परागत व्यवसायों को किया जाता है जैसे-कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, लुहार लोहे से सम्बन्धित औजार जिसमें कृषि कार्यो से सम्बन्धित उपकरण बनाते हैं, बढ़ई लकड़ी से सम्बन्धित विभिन्न उपकरणों को बनाते हैं, काछी शाक-सब्जी का उत्पादन करके आजीविका चलाते हैं। नाई अभी भी लोगों के बाल काटते हैं और विवाह के अवसर पर सभी गतिविधियों को सम्पादित कराते हैं। ग्रामीण जीवन में ये सभी जातिगत कार्य आज भी किये जाते हैं और लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन भी यही कार्य हैं। 3.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पति भेंड बकरी पालने का कार्य करते हैं। सुअर पालन, मुर्गी पालन और

दुग्ध व्यवसाय का प्रतिशत समान है। ऐसी उत्तरदात्रियों का प्रतिशत सर्वाधिक है जिनके पति कोई परम्परागत व्यवसाय नहीं करते है।

गांवों में उपरोक्त वर्णित परम्परागत व्यवसाय विद्यमान तो हैं परन्तु औद्योगीकरण और मशीनीकरण के कारण गांवों के परम्परागत व्यवसायों में कमी आई है कुटीर उद्योगों का पतन हुआ है जिससे अधिकतर ग्रामीण गरीब जनता गांवों से पलायन करके शहरों की तरफ जा रही है। यही कारण है कि परम्परागत व्यवसाय को करने वालों की संख्या में कमी दृष्टिगोचर हो रही है।

वर्ग के क्रम में सारणी पर दृष्टिपात करने पर स्पष्ट होता है कि सवर्ण वर्ग की उत्तरदात्रियों का प्रतिशत सर्वाधिक है जिनके पति अन्य कोई कार्यो को करते हैं। सवर्ण वर्ग में ब्राह्मण जाति के लोग अपने परम्परागत कार्यो जिसमें पूजन, हवन, यज्ञ कर्मकाण्ड (पुरोहिती), विवाह आदि को आज भी कराते है। इसके अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं करते हैं। सवर्ण वर्ग के लोग अन्य वर्गो की अपेक्षा और कोई कार्य नहीं करते हैं क्योंकि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में क्षत्रिय, ब्राह्मणों में निम्न स्तर के कार्यो को करने में झिझक और शर्म महसूस करते है। सवर्ण वर्ग की आर्थिक स्थिति निम्न स्तर की हो जाने के बाद भी अनस्तरीय कार्य जो उनकी जाति के आधार पर अमर्यादित और असम्मानजनक समझे जाते हैं, उन्हे नहीं करते हैं। शायद यही कारण है कि प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र में सवर्ण वर्ग में आने वाली जातियां विशेषकर क्षत्रिय जाति अपनी जमीनों (कृषि योग्य भूमि) को या तो गिरवीं रख रहे हैं या फिर बेंच रहे हैं। श्रम बल की कमी आ जाने से अर्थात मेहनत और परिश्रम न करने की वजह से अपेक्षाकृत लाभ नहीं मिल पाता है जिससे इन जातियों में यह स्थिति उत्पन्न हो रही है।

पिछड़े वर्ग में यदि परम्परागत व्यवसाय को देखें तो भेंड़-बकरी पालने और दुग्ध व्यवसाय करने वाली उत्तरदात्रियों का प्रतिशत लगभग समान है जिनके पति इन कार्यो को करते है पिछड़ी वर्ग में अहीर और गड़रिया जाति के लोग ही ज्यादा इस व्यवसाय को करते हैं। दुग्ध व्यवसाय इनका परम्परागत व्यवसाय है जो आज भी पूरी तरह से विद्यमान

है। पिछड़े वर्ग में अन्य कार्य करने वाली उत्तरदात्रियां ऐसी है जिनके पति सब्जी उत्पादन से लेकर बढ़ईगिरी, लुहारगिरी, कुम्हारगिरी जैसे कार्यो को करते है। परम्परागत व्यवसाय न करने वाली उत्तरदात्रियों की संख्या सर्वाधिक है जिनके पति किसी भी तरह का परम्परागत व्यवसाय नहीं करते हैं। वह मजदूरी, औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य या फिर कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं।

अनु०जाति में परम्परागत व्यवसाय के क्रम में सुअर पालन व्यवसाय ऐसा है जो मात्र अनु०जाति की जमादार जाति के द्वारा किया जाता है। शायद यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसी कार्य के चलते इस जाति को सामाजिक दर्जे में निम्न स्तर प्राप्त है। परन्तु यह प्रतिशत न के बराबर ही है। क्योंकि इन जातियों में आज जागरूकता आई है। ये अपने अधिकारों के प्रति सचेत एवं जागरूक हुये है और सरकार द्वारा भी इन्हे अपने सामाजिक दर्जे को बढ़ाने में मदद दी जा रही है। अन्य कोई कार्य करने का प्रतिशत सर्वाधिक कम है क्योंकि ये जातियां अधिकतर श्रमिक वर्ग में आती हैं इसलिये ये कृषि श्रमिक या मजदूरी जैसे कार्यो को ही करती हैं।

मुस्लिम वर्ग में देखे तो भेंड बकरी पालने, मुर्गी पालने जैसे व्यवसाय सम्मिलित है। जो इस संवर्ग का परम्परागत व्यवसाय भी है। इन दोनों व्यवसायों का प्रतिशत लगभग समान है। अन्य कोई व्यवसाय में यह वर्ग भी ग्रामीण क्षेत्रों मे कृषि-श्रमिक के रूप में कार्य करता है इसके अतिरिक्त इस वर्ग की महिलाओं के पति गांव सेस बाहर जाकर शहरों या कस्बो में धनी लोगों के यहाँ ड्राइवरी जैसे ट्रक ड्राइवर, कार ड्राइवर बस ड्राइवर आदि के रूप में कार्य करते हैं। यह वर्ग भी परम्परागत व्यवसायों को नहीं अपनाता है क्योंकि यह वर्ग भी गांव से पलायन कर शहरों में मजदूरी करता है।

इस प्रकार सर्वाधिक प्रतिशत उन उत्तरदात्रियों का है जिनके पति परम्परागत व्यवसाय नहीं करते है। आज औद्योगिकीकरण मशीनीकरण और नगरीकरण ने ग्रामीण क्षेत्रों को भी प्रभावित किया है। ग्रामीण जन अपने परम्परागत व्यवसायों और कुटीर उद्योग धंधों को बंद करके नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं, इसलिये गांव में ही रहकर रोजगार के अवसर समाप्त हो रहे हैं।

सारणी संख्या-6.3

स्वयं सहायता समूह की जानकारी सम्बन्धी विवरण

क्र0सं0	स्रोत	संख्या	प्रतिशत
1.	परिवार के सदस्य से	73	18.25
2.	महिला मित्र से	111	27.75
3.	संस्था पदाधिकारी से	202	50.50
4.	संचार साधनों से	14	3.50
	योग	400	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 6.3 में उत्तरदात्रियों को स्वयं सहायता समूह की जानकारी सम्बन्धी विवरण को प्रस्तुत किया गया है। जानकारी सम्बन्धी स्रोतो को परिवार के सदस्य से जानकारी, महिला मित्र से जानकारी किसी संस्था पदाधिकारी से जानकारी तथा संचार साधनों से जानकारी को सम्मिलित किया गया है। संचार साधनों में टेलीविजन रेडियो, टेलीफोन या मोबाइल फोन को शामिल किया गया है। इसके अलावा समाचार पत्र व पत्रिकाओं से भी जानकारी मिलने को शामिल किया गया है जिसको संचार साधनों वाले कालम ही वर्गीकृत किया जा रहा है।

सम्पूर्ण सारणी का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक संख्या ऐसी उत्तरदात्रियों की है जिनको समूह की जानकारी किसी संस्था पदाधिकारी द्वारा मिली है। इन महिलाओं का 50.05 प्रतिशत है जो आधे से अधिक है। संस्था पदाधिकारियों से तात्पर्य गैर-सरकारी संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों से है। एन0जी0ओ0 अपने सुविधादाता रखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर फैसीलेटर ग्राम सभा की खुली बैठक का आयोजन करके समस्त ग्रामवासियों को समूह का महत्व एवं लाभ बताते हैं। इनका मार्गदर्शन पाकर ग्रामीण

जन समूह बनाकर सामूहिक स्वरोजगार करते है और अपनी आर्थिक प्रगति करते है। ग्रामीण महिलाओं को गैर-सरकारी संगठनों के द्वारा स्वरोजगार स्थापित करने, बैंक की गतिविधियों आदि से भली भांति परिचित कराया जाता है। महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों की अहम भूमिका होती है। ये ग्रामीण महिलाओं और उनके परिजनों को विकास परक योजनाओं से भलीभांति जागरूक कराते हैं और इनसे प्रेरित होकर महिलायें विकास के कार्यो में सहभागी हो रही हैं।

इसी प्रकार महिला मित्रों से समूह की जानकारी मिलने वाली उत्तरदात्रियों का 27.75 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सूचना का प्रसारतन्त्र कहा जाता है। आज भी ग्रामीण जीवन में कुछ परम्परायें अपने अस्तित्व में हैं जैसे- छोटी-छोटी बातों चाहे वह सुखद या दुखद कैसी भी हों तुरन्त महिलायें एक दूसरे के घर जाकर सहभागी होती हैं। गांवों में अभी शहरों की तरह औपचारिक सम्बन्धों का उदय नहीं हुआ हैं। गांवों में प्रत्येक क्षेत्रों में अनौपचारिकता रहती है। महिलायें एक दूसरे के घर जाकर विभिन्न आयोजनों में शामिल होती है। एक दूसरे के सुख-दुख में सहभागी होना ग्रामीण जीवन की पहचान है। जब एक महिला किसी दूसरी महिला से मिलती है तो गांव में होने वाली गतिविधियों के विषय में आपस में चर्चा जरूर करती है यही कारण है कि महिलाओं को अपनी सहेलियों से समूह के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त हुई है। इससे एक बात और स्पष्ट होती है कि ग्रामीण महिलायें स्वार्थी नहीं होती हैं। वह केवल अपना ही हित नहीं करतीं वरन पास-पड़ोस की अन्य महिलाओं को हितकारी एवं कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराती हैं।

18.25 प्रतिशत उत्तरदात्रियों को स्वयं सहायता समूह की जानकारी अपने परिवार के सदस्यों से प्राप्त हुई हैं। ऐसा उन्हीं परिवारों में होता है जो जागरूक है। जागरूक परिवारों को विकासपरक योजनाओं की जानकारी समय-समय पर किसी न किसी माध्यम से होती रहती है जो अपने घर की बहू-बेटियों को अवगत कराते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में घर के

सदस्यों की प्रत्येक निर्णय प्रक्रिया में अहम भूमिका होती है। पारिवारिक सदस्यों में महिलायें भी हो सकती है क्योंकि घर की बुजुर्ग महिलायें बाहर आ-जाकर समाज में हो रही सभी घटनाओं के की जानकारी रखती है। पूर्व में परिवार के बड़े-बुजुर्गो द्वारा महिलाओं को घर से बाहर जाकर कार्य करने वह भी ऐसे कार्य जो गांव से बाहर जाकर किये जाये, उन पर प्रतिबंध रहता था। कही-कही आज भी ऐसी विचारधारा के परिवार देखे जा सकते हैं परन्तु आज ग्रामीण परिवार पूर्व की अपेक्षा जागरूक हुए है वह अपने घर की महिलाओं को समाज के विविध क्षेत्रों में कार्यरत होने में सहायता पहुँचा रहे हैं। विशेषकर पिछड़ी और अनु०जातियों के सदस्य ज्यादा जागरूक हुये हैं। क्योंकि पूर्व में इन जातियों को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता था और इनका शोषण भी किया जाता था। परन्तु आज इन वर्गो का सामाजिक सशक्तीकरण हुआ है। यह वर्ग अपने घर की महिलाओं को समाज कार्यो में सहभागी कराकर पूर्व की सोंच में परिवर्तन ला रहा है और विकास योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को समाज में उच्च स्थान दिलाने में अग्रसर हैं जो महिला सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है।

3.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों को संचार साधनों एवं समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है। यह प्रतिशत सर्वाधिक कम है जिसके पीछे मात्र एक ही कारण प्रतीत होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा एवं जागरूकता का अभाव पाया जाता है इसके अलावा पिछड़ी और अनु०जातियों में अर्थाभाव होता है। अपनी निम्न आर्थिक स्थिति के चलते वह उचित संसाधनों जैसे टेलीविजन, सेटेलाइट चैनलों को दिखाने वाले जैसे डिश टी०वी० टाटा स्काई आदि का प्रबन्ध नहीं कर पाते हैं जिससे महिलाओं को समाज में हो रहीं विभिन्न गतिविधियों की जानकारी नहीं मिल पाती हैं। सवर्ण और मुस्लिम वर्ग की महिलाओं में थोड़ा जागरूकता आ जाने पर ऐसी गतिविधियों से परिचित हो जाती हैं। एकाध परिवारों में टेलीविजन उपलब्ध होने पर महिलाओं को सामाजिक गतिविधियों की जानकारी हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो के समाचार पहुंचाने प्रमुख भूमिका होती है रेडियों में प्रसारित होने वाले विविध क्षेत्रों के कार्यक्रम ग्रामीणों को जानकारी प्रदान करते हैं।

विशेषकर कृषि जगत से सम्बन्धित जानकारियों की बहुलता रहती है। जिन परिवारों में समाचार पत्र की पहुंच होती है यदि महिलायें शिक्षित है तो पढ़कर ऐसी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। किन्ही-किन्ही परिवारों में टेलीफोन और मोबाइल के माध्यम से उनके रिश्तेदारों, सगे सम्बन्धियों के द्वारा जानकारी प्राप्त होती है। परन्तु उपरोक्त सभी साधनों की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों में अपवाद स्वरूप ही होती है। इस प्रकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से ग्रामीण महिलायें समाज विकास में अपनी मजबूत दावेदारी प्रस्तुत कर रही हैं और विकासपरक योजनाओं के द्वारा अपना आर्थिक सशक्तीकरण कर रही हैं।

सारणी संख्या-6.4

पर्दा-प्रथा अनुसरण सम्बन्धी विवरण

क्र0सं0	मापदण्ड	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	127	31.75
2.	नहीं	273	68.25
	योग	400	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 6.4 में उत्तरदात्रियों के पर्दा प्रथा अनुसरण सम्बन्धी विवरण को प्रस्तुत किया गया है। जिसमें 31.75 प्रतिशत उत्तरदात्रियां पर्दा प्रथा का अनुसरण करती है एवं 68.25 प्रतिशत उत्तरदात्रियां पर्दा प्रथा का अनुसरण नहीं करती हैं।

ग्रामीण जीवन में महिलायें आज भी पर्दा प्रथा का अनुसरण करती हैं। पर्दा-प्रथा की समस्या मुगल काल की देन है। यह समस्या मुगलों के शासन करने के बाद ही उदय हुई। क्योंकि वैदिक कालीन नारी स्वच्छन्द थी, वह पुरूषों के साथ सामाजिक कार्यो में बराबर सहभागी होती थी। सभी सामाजिक अधिकार प्राप्त थे। परन्तु जब भारत में मुगलों का आक्रमण हुआ तब से महिलाओं के अधिकारों में कटौती कर दी गई। पर्दा की समस्या भारतीय नारी के उन्नति के मार्ग में बाधक बनती है। पर्दा प्रथा का प्रचलन शहरों की अपेक्षा गांवों में अधिक होता है। पर्दा के कारण ही ग्रामीण महिलाओं को सीखने के अवसर प्रापत नहीं हो पाते है। ग्रामीण महिला के विकास में पर्दा प्रथा की समस्या एक बहुत अवरोध है।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूह की अवधारणा महिलाओं के आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को पर्दा जैसी गम्भीर समस्या को कम करने में सहायता प्राप्त हो रही है। क्योंकि योजना को विधिवत संचालित करने के लिये महिलाओं को विभिन्न गतिविधियों को सुचारू करना पड़ता है जैसे-समूह की बैठक करना, बैठक की अध्यक्षता करना, समूह खाते के धन को गांव से बाहर जाकर बैंकों में जमा करना, विभिन्न प्रशिक्षणों में सहभागी होना आदि। इन सब गतिविधियों को करने के लिये महिलायें पर्दे का त्याग कर देती हैं। यदि महिलायें घूंघट के अन्दर से ही समस्त गतिविधियों में सहभागी होंगी तो न वह अपना विकास कर पायेंगी और न समाज का। क्योंकि पर्दे के अन्दर रहकर उन्हें सीखने का अवसर प्राप्त नहीं होगा।

समूह की इस योजना ने निश्चित ही ग्रामीण क्षेत्रों में पर्दा प्रथा की समस्या को कम किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्दा का अनुसरण कम करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों की भी अहम भूमिका है। इनके सुविधादाता सर्वप्रथम ग्रामीण महिलाओं के बीच जाकर घूंघट से बाहर आकर बात करने के लिये प्रेरित करते हैं। दूसरा एकाकी परिवारों ने भी पर्दा-प्रथा को कम किया है क्योंकि जब महिला संयुक्त परिवार में रहती है तो कई ऐसे बड़े पद होते

हैं जिनके सामने उसे घूंघट करना पड़ता है परन्तु जब वह एकाकी परिवार में रहती है तो उसके ऊपर ऐसे कोई बंधन नहीं होते है। ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त परिवारों की अपेक्षा एकाकी परिवार की महिलायें पर्दा कम करती है।

आज ग्रामीण महिलायें भी इस योजना के माध्यम से पर्दे के बाहर निकलकर नये अवसरों को खोज रही है। समूह की समस्त गतिविधियों को करने के लिये महिलायें परदे का त्याग करती हैं शायद यही कारण है कि पर्दा-प्रथा का अनुसरण न करने वाली उत्तरदात्रियों का प्रतिशत सर्वाधिक है।

सारणी संख्या-6.5

समूह खाते में राशि जमा करने की व्यवस्था सम्बन्धी विवरण

क्र0सं0	स्रोत	संख्या	प्रतिशत
1.	स्वयं की मजदूरी की आय से	175	43.75
2.	घर खर्चो में कटौती करके	177	44.25
3.	पति की आय से	33	8.25
4.	अन्य साधनों से	15	3.75
	योग	400	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 6.5 में उत्तरदात्रियों द्वारा समूह खाते में राशि जमा करने की व्यवस्था सम्बन्धी विवरण को प्रस्तुत किया गया है। धन के स्रोतों को स्वयं की मजदूरी की आय से घर खर्चो में कटौती करके, पति की आय से तथा अन्य साधनों से वर्गीकृत किया गया है। जिसमें 43.75 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ स्वयं की मजदूरी की आय से धन की

व्यवस्था करती हैं, 44.25 प्रतिशत घर खर्चो में कटौती करके, 8.25 प्रतिशत पति की आय से तथा शेष 3.75 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ अन्य साधनों से पैसों की व्यवस्था करती हैं। अन्य साधनों में शाक-सब्जी का उत्पादन करके, घर में दूध-घी की उपलब्धता होने पर उसका विपणन करके आदि को सम्मिलित किया गया है।

सारणी पर अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक संख्या ऐसी उत्तरदात्रियों की है जो घर खर्चो में कटौती करके समूह के खाते से लिये पैसों की व्यवस्था करती है। महिलायें अधिकांशतः पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करती हैं। महिलाओं में अधिक सहनशीलता और संवेनदनशीलता होती है। इसीलिए महिलाओं को प्राचीन काल से ही गृह-लक्ष्मी देवी-तुल्य और अनेक पूजनीय नामों से सम्मालित किया जाता रहा है। गृह-लक्ष्मी से लेकर अन्नपूर्णा तक का स्थान महिलाओं को प्राप्त है। महिलायें घर की पूरी जिम्मेदारी का वहन करती है। आज शहरों में भूमण्डलीकरण और बढ़ते उपभोक्तावाद ने जहाँ महिलाओं के बीच नित-नई आवश्यकताओं और इच्छाओं को बढ़ावा दिया है वहीं ग्रामीण परिवेश में जीवन-यापन करने वाली महिलायें वैश्वीकरण और शहरी चकाचौंध व मॉलशापिंग व्यवस्था से कोसों दूर है। वे मात्र धोती और रोटी के लिए अथक परिश्रम करती हैं जिससे उनके परिवार को दो जून की रोटी मिलती रहे। शहरी संस्कृति में महिलायें पैसे को पानी की तरह उपयोग करती हैं वही ग्रामीण जीवन में महिलाये थोड़े में ही गुजारा कर लेती हैं। इनमें धन को संचित करने का स्वभाव होता है। ग्रामीण महिलायें अपनी घर-गृहस्थी की चीजों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार रखती है अर्थात् थोड़े में ही काम चला लेती हैं। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा बचत करने का स्वभाव अधिक होता है जो उन्हें यह प्रकृति प्रदत्त मिलता है। शायद यही वजह है कि महिलाओं को गृहलक्ष्मी की उपमा दी गई है। समूह की महिलाएं अधिकतर अपने घर के खर्चो में कटौती करके समूह खाते में पैसा जमा करती है क्योंकि वह घर की समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है जिससे उन्हें यह जानकारी होतीहै कि किन चीजों में कटौती करके पैसो को बचाया जा सकता है।

स्वयं की मजदूरी की आय से धन की व्यवस्था करने वाली उत्तरदात्रियों का प्रतिशत भी घर खर्चो में कटौती करने वाली महिलाओं के लगभग समान है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं कृषि एवं कृषि से संबंधित प्रत्येक कार्यो में अगृणी रहती है इसके अलावा कृषि श्रमिक के रूप में भी कार्य करती हैं। ग्रामीण महिला का दिन चूल्हे-चौके से शुरू होता है जहां वह ईधन लाने से लेकर पशुओं के चारा-पानी आदि की व्यवस्था करती है इसके अलावा वह खेत-खलिहानों में मजदूरी करके पूरा दिन व्यतीत कर देती है। घर ससे लेकर बाहर तक के कार्यो में महिलाओं की सम्पूर्ण भागीदारी निहित है। वह खेतिहर मजदूर से लेकर श्रमिक वर्ग तक के कार्यो में अपना सम्पूर्ण योगदान देती है। ग्रामीण विकास के लिए चल रही विभिन्न रोजगार परक योजनाओं जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी पुरूषों के समान होती है जिसमें वह अथक श्रम बल करके पैसे प्राप्त कर पाती हैं। ग्रामीण महिलायें असंगठित क्षेत्रों में दिन भर कार्य करती हैं इसके अतिरिक्त वह जमीदारों साहूकारों के यहाँ घरेलू कार्यो को करती हैं। जिससे रोजनदारी के रूप में वह पारिश्रमिक प्राप्त करती हैं। पूर्व में यह पारिश्रमिक वस्तुओं या फिर कुछ अनाजों के रूप में दिया जाता था। परन्तु आज किसी भी कार्य के बदले में पैसे ही मिलते हैं। अपने विविध क्षेत्रों में किये गये कार्यो से महिलाये जो मजदूरी या पारिश्रमिक पाती है उन्हीं पैसों को वह संभालकर रखती है जिससे आवश्यकता पड़ने पर उस धन का उपयोग करती हैं।

पति की आय से समूह खाते में पैसे जमा करने वाली उत्तरदात्रियों का प्रतिशत न के बराबर ही है अर्थात् बहुत कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलायें अपने पारिश्रमिक का उपयोग बहुत कम कर पाती हैं क्योंकि उनके पति उनसे पैसे लेकर खर्च कर डालते हैं जिससे महिलाओं के पास धन का अभाव रहता है। लेकिन जब पुरुष कमा कर लाता है तो उस धन पर महिलाओं का अधिकार उतना नहीं रहता है जितना पुरूषों का महिलाओं के धन पर रहता है। एक कारण और प्रतीत होता है कि पुरुषों में बुरी आदतों जैसे-जुआं

खेलना, गांजा, शराब, सिगरेट, बीड़ी, अफीम आदि मादक द्रव्य व्यसनों का सेवन करना। इन बुरी आदतों से ग्रामीण पुरुषों के पास धन का अभाव रहता है। और शायद ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी होने का भी यही कारण है। ग्रामीण पुरुष जो बाहर जाकर शहरों में औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य करते हैं पर अपनी बुरी आदतों के चलते जो पैसे मेहनत और मजदूरी से प्राप्त होते है वे वही गवां डालते है। जब घर वापस जाते हैं तो थोड़े बहुत पैसे ही लेकर जाते हैं जो निम्न आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये अपर्याप्त होते हैं।

अन्य साधनों के द्वारा समूह खाते में धन जमा करने वाली उत्तरदात्रियों का प्रतिशत सर्वाधिक कम है। अन्य साधनों में दूध-घी, शाक सब्जी को बेंचकर ही महिलायें धन कमा सकती हैं परन्तु यह उपलब्धता पर निर्धारित करता है। क्योंकि पशुओं को रखने और उनके चारे-पानी की सम्पूर्ण व्यवस्था करने के लिये धन की आवश्यकता होती है। सब लोग पशुओं को नहीं रख पाते है क्योंकि गाय और भैंसे बहुत महंगी मिलती है। जो निम्न आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के लिए जटिल कार्य है। परन्तु कुछ लोगों के पास गाय भैंस, भेड़, बकरी रहती है जिससे वह दूध, घी, मट्ठा आदि बेंचकर अपनी आजीविका चलाते है। घी के पैसों पर अधिकतर महिलाओं का अधिकार होता है क्योंकि घी बनाने में महिलाओं की ही प्रमुख भूमिका होती है और सम्पूर्ण श्रम बल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जियों का उत्पादन भी प्रत्येक मौसम में किया जाता हैं सब्जी बेंचकर महिलायें धन एकत्र कर लेती हैं जो उनकी आवश्यकताओं पर काम आता है।

सारणी संख्या-6.6

समूह की कार्यप्रणाली के लिए मार्गदर्शन देने सम्बन्धी विवरण

क्र0सं0	स्रोत	संख्या	प्रतिशत
1.	डी0आर0डी0ए0 फैसीलेटर	168	42.00
2.	एनजीओ पदाधिकारी या सुविधादाता	170	42.50
3.	ग्राम प्रधान व सचिव	16	4.00
4.	ब्लाक अधिकारी (बी0डी0ओ0)	46	11.50
	योग	400	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 6.6 में समूह की कार्य प्रणाली के लिये मार्गदर्शन देने सम्बन्धी विवरण को प्रस्तुत किया गया है। जिसमें समूह में कार्य करने वाली महिलाओं को मार्गदर्शन देने में डी0आर0डी0ए0 सुविधादाता, एन0जी0ओ0 पदाधिकारी व सुविधादाता ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव तथा ब्लाक अधिकारी (बी0डी0ओ0) को सम्मिलित किया गया है। जिसमें 42 प्रतिशत डी0आर0डी0ए0 सुविधादाता मार्गदर्शन करते हैं, 42.5 प्रतिशत एन0जी0ओ0 पदाधिकारी व उनके सुविधादाता मार्गदर्शन प्रदान करते है, 4 प्रतिशत ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव मार्गदर्शन करते है तथा शेष 11.5 प्रतिशत ब्लाक अधिकारी (बी0डी0ओ0) समूह की महिलाओं का मार्गदर्शन करते हैं।

सम्पूर्ण सारणी पर दृष्टिपात करने पर स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक प्रतिशत गैर-सरकारी संगठनों का है। जो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के समूह बनाते है और समय-समय पर समूह के सदस्यों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। गैर-सरकारी संगठनों ने ग्रामीण विकास में सराहनीय योगदान दिया है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जन संपर्क करते

हैं महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के गठन में गैर सरकारी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रामीण परिवेश में रहने वाली महिलाओं में एक तो शिक्षा की कमी होती है दूसरा जागरूकता का अभाव होता है। ऐसी स्थिति में समूह के संचालन और प्रबन्धन में एन०जी०ओ० का समूह की महिलाओं को उचित मार्गदर्शन मिलता है। समूह की प्रत्येक गतिविधियों में एन०जी०ओ० द्वारा सुविधादाता अधिकतर सहभागी होते है। ये समूह के बीच ऐसे घुल-मिल जाते हैं जैसे उसी गांव के निवासी हों। महिलाओं को समूह का खाता खुलवाने से लेकर खाते में नियमित बचत करके जमा करने तक का मार्गदर्शन देते हैं।

इसी प्रकार जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डी०आर०डी०ए०) भी अपने सुविधादाता (फैसीलेटर) नियुक्त करता है। समूह की महिलाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने में डी०आर०डी०ए० सुविधादाताओं का प्रतिशत भी एन०जी०ओ० के बराबर ही है। क्योंकि दोनों का कार्य, भावना व उद्देश्य एक ही है। जो कार्य एन०जी०ओ० पदाधिकारी व सुविधादाता करते हैं वही कार्य डी०आर०डी०ए० से नियुक्त सुविधादाता भी करते है। दोनों का लक्ष्य एक ही है। इसीलिये दोनों का प्रतिशत भी समान है। ये समूह गठन व समूह की बैठकों का आयोजन करते हैं तथा स्वरोजगार स्थापित करवाने में सहयोग करते है। ये समूह की सदस्य महिलाओं को बैठकें करने से लेकर प्रशिक्षण में सहभागी होने के लिये मार्गदर्शन देते है। समूह की महिलाओं को विभिन्न प्रशिक्षणों में सहभागी होने के लिये ये गांव-गांव जाकर जानकारी देते हैं तथा पूर्ण मार्गदर्शन देते हैं। इनसे प्रेरित होकर महिलायें स्वरोजगार स्थापित करने से पूर्व होने वाले प्रशिक्षणों में सहभागी होती है और समूह की सम्पूर्ण कार्य प्रणाली में एन०जी०ओ० व डी०आर०डी०ए० सुविधादाताओं का सम्पूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त होता है। ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से मिलने वाले मार्गदर्शन का प्रतिशत सर्वाधिक कम है क्योंकि ग्राम प्रधान के पास गांव से सम्बन्धित विभिन्न विकासपरक योजनाओं को संचालन करवाने का दायित्व होता है। विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिये ग्राम प्रधान को समय-समय पर होने वाली पंचायतों की बैठकों में सहभागी होना पड़ता है तथा गांव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये कर्तव्यनिष्ठ

रहना पड़ता है। अतः प्रधान के पास किसी एक योजना विशेष के लिये सम्पूर्ण समय दे पाना असम्भव होता है। गांव में संचालित होने वाले समस्त कार्यो का लेखा-जोखा रखना ग्राम सचिव का कार्य एवं दायित्व होता है जिससे वह समूह के लिये मार्गदर्शन करने में कम योगदान दे पाते है। समूह मार्गदर्शन में अधिकतर महिला ग्राम प्रधान का योगदान देखा जा सकता है क्योंकि महिला प्रधान समूह की सदस्य भी हो सकती है। समूह की सदस्य होने के नाते वह समूह की प्रत्येक गतिविधियों में सहभागी होती है और अपना मार्गदर्शन देती हैं। पंचायतों के माध्यम से समूह का मार्गदर्शन किया जाता है क्योंकि गांव के विकास के लिये समस्त योजनायें पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वित होती है। सभी योजनाओं पर पंचायतों की देख-रेख होती है।

समूह के सदस्यों को मार्गदर्शन प्रदान करने में खण्ड विकास अधिकारी का भी योगदान रहता है। प्रत्येक समूह गठन से पूर्व उस समूह की ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग के अन्दर कुछ मानकों को रखा जाता है जिसके आधार पर प्रश्नावली बनाई जाती है और उस प्रश्नावली के प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को नंबर प्रदान किये जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर देने वाले समूह सदस्यों को अंक प्रदान किये जाते है। जो मानकीकरण में खरे उतरते हैं उन्हे ही प्रथम ग्रेडिंग में पास किया जाता है और समूह गठन के लिये होने वाली प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिये अधिकृत कर दिया जाता है। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया को संचालित करने के लिये खण्ड विकास अधिकारी (बी०डी०ओ०), बैंक मैनेजर व डी०आर०डी०ए० का एक प्रतिनिधि भाग लेते है। समूह का मार्गदर्शन करने के लिए बी०डी०ओ० की अहम भूमिका होती हैं। यह समूह के विभिन्न प्रशिक्षणों की अध्यक्षता भी करते हैं और अपना योगदान भी देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होने वाली प्रत्येक योजनाओं की जानकारी बी०डी०ओ० को होती है तथा ब्लाक में सम्पूर्ण लेखा जोखा होता है। समूह की बैठकों में कभी-कभी बी०डी०ओ० अध्यक्षता करते हैं और समूह की महिलाओं को आयसृजक गतिविधियों से जागरूक कराकर स्वरोजगार स्थापित करने तक में सहायता प्रदान करते हैं। समूह की समस्त गतिविधियों में ब्लाक अधिकारी का उचित मार्गदर्शन प्राप्त होता है।

इस प्रकार स्वयं सहायता समूह की सदस्य महिलाओं को समूह की कार्य प्रणालियों को सुचारू ढंग से नियोजित करने एवं संचालन करने में गैर-सरकारी संस्थाओं, डी0आर0डी0ए0 के सुविधादाताओं पंचायत प्रतिनिधियों तथा ब्लाक अधिकारियों का समय-समय पर उचित मार्गदर्शन प्राप्त होता है जिससे उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता प्राप्त होती है।

सारणी संख्या-6.7

बैंकों में आने वाली असुविधाओं सम्बन्धी विवरण

क्र0सं0	स्वरूप	संख्या	प्रतिशत
1.	कमीशनखोरी	167	41.75
2.	अशिष्ट व्यवहार	99	24.75
3.	कार्य का निष्पादन समय पर न करना	64	16.00
4.	समस्या नहीं आती	70	17.50
	योग	400	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 6.7 में उत्तरदात्रियों को बैंकों में आने वाली असुविधाओं सम्बन्धी विवरण को प्रस्तुत किया गया है। जिसमें असुविधाओं के स्वरूपों को क्रमशः कमीशन खोरी, अशिष्ट व्यवहार, कार्य का निष्पादन समय पर न करना तथा समस्या नहीं आती है में वर्गीकृत किया गया है। अशिष्ट व्यवहार के अन्तर्गत झिड़की देकर भगा देने (रुखा व्यवहार) को शामिल किया गया है। जिसमें 41.75 प्रतिशत उत्तरदात्रियों को कमीशनखोरी की समस्या का सामना करना पड़ता है, 24.75 प्रतिशत को अशिष्ट व्यवहार का सामना करना पड़ता है, 16 प्रतिशत को कार्य का निष्पादन समय पर न होने का सामना करना पड़ता है तथा शेष 17.50 प्रतिशत उत्तरदात्रियों को बैंको में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है अर्थात् कोई समस्या नहीं आती है।

सम्पूर्ण सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि सर्वाधिक प्रतिशत ऐसी उत्तरदात्रियों का है जिनको बैंकों में अपने कार्यो को करवाने के लिए कमीशन देना पड़ता है। अपने कार्य को समय पर करवाने के लिए अनाधिकृत रूप से जो पैसा बैंककर्मी को दिया जाता है उसे कमीशन या रिश्वत कहते हैं। पूर्व में यह रिश्वत या घूसखोरी के नाम से प्रचलित था परन्तु अब यह सम्पूर्ण धन में से प्रतिशत के रूप में लिया जाता है। इसलिए यह कमीशन कहलाता है। इसे ही भ्रष्टाचार कहते हैं। स्वयं सहायता समूह की सदस्य महिलायें पूर्णतया बैंक के माध्यम से ही अपनी इस योजना को बलवती करती है। समूह का खाता खुलवाने से लेकर समूह में किये गये स्वरोजगार के माध्यम से अर्जित धन को खाते में जमा करने तक वह बैंक से बराबर सम्बद्ध रहती है। स्वयं सहायता समूह योजना के लिए जो पैसा सरकार के द्वारा आता है वह बैंक को दिया जाता है, बैंक के माध्यम से वह स्वरोजगारी तक पहुँचता है। सम्पूर्ण योजना लागत में लगभग ढाई लाख से तीन लाख रुपये तक लग जाते है। जिसमें 1,25,000.00 अनुदान के रूप में दिया जाता है, शेष लागत वाले धन को सामूहिक रूप से सदस्यों द्वारा बैंक से लोन (ऋण) लिया जाता है। इस सम्पूर्ण राशि को आहरण करने के लिए समूह की महिलाओं को कमीशन जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है।

बैंक कर्मी समूह के धन को सदस्यों को देने के लिए सर्वप्रथम अपना कमीशन मांगते हैं जो अधिकृत रूप से वैध नहीं होता है। परन्तु ग्रामीण महिलाओं को अशिक्षा और जागरूकता की कमी के चलते कमीशन के बारे में जनाकरी नहीं हो पाती है। जो थोड़ा-बहुत जागरूक है अर्थात् सामने वाले से बात करने की सामर्थ्य रखती है तो उनको तरह-तरह के बहानों के द्वारा टाल दिया जाता है। बैंक कर्मी 10 से 15 प्रतिशत तक कमीशन लेते हैं। कमीशन लेने के लिए वह विभिन्न तर्कों को दे देते हैं। वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको जानकारी होती है कि बहुत बड़ी राशि समूह को सरकार द्वारा अनुदान (सब्सिडी) के रूप में दी जाती है। कमीशन को इस प्रकार समझा जा सकता है जैसे-एक समूह को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 10 सदस्यों को 2,50,000/-रु0

परियोजना लागत के दिये गये, जिसमें से 20,000/- बैंक कर्मी ने कमीशन के रूप में 2,50,000/- में से ले लिये जो सम्पूर्ण राशि का 8 प्रतिशत हुआ। जो अनाधिकृत एवं अवैध है। शीघ्र धन प्राप्त करके समूह के सदस्य अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकें। इसलिए उन्हें यह कमीशन देना पड़ता है। ग्रामीण अशिक्षित महिलायें भ्रष्टाचार के इस रूप को समझ नहीं पाती है और इस गम्भीर समस्या का सामना करती है। भ्रष्टाचार का बोलबाला सर्वत्र व्याप्त है। ग्रामीण परिवेश में रहने वाली भोली-भाली महिलाएं भी इसका शिकार होती है। जिसके पीछे प्रमुख कारण उनका पढ़ा-लिखा न होना है। अशिक्षा की वजह से वह बैंकिंग प्रणाली से अनभिज्ञ होती है। और उन्हें कमीशन या रिश्वत जैसी विकराल समस्या का सामना करना पड़ता है।

अधिकतर ग्रामीण महिलायें स्वभावगत सीधी, संकोची व सरल प्रकृति की होती हैं। ग्रामीण परिवेश के कारण उनके अन्दर उन गुणों का प्रवेश नहीं हो पाता जो उन्हें चतुर, चालाक व वाकनिपुण बनाते हैं। जो एक शहरी पढ़ी-लिखी महिला में विद्यमान होते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि सरकारी तंत्र में होने वाली अव्यवस्था के विरुद्ध उनमें बोलने का साहस नहीं आ पाता है। जिसका कारण है अशिक्षा एवं जागरूकता की कमी। शायद यही कारण है कि अधिकतर महिलाओं को बैंककर्मियों के अशिष्ट व्यवहार का सामना करना पड़ता है। जब किसी समूह की महिलायें समूह का कार्य करवाने के लिए बैंक जाती हैं तो उन्हें बैंक कर्मियों के अशिष्ट व्यवहार का बहुधा सामना करना पड़ता है। जब महिलायें उस कार्य को करने के लिए बैंक कर्मी से कहती हैं तो वह उस कार्य में रुचि न लेते हुए उनको बाहर बैठकर प्रतीक्षा करने के लिए कहते हैं। प्रतीक्षारत महिलायें जब दुबारा बैंककर्मी के सामने जाती है तो वह उनको झिड़कते हुए व रुखे व्यवहार के साथ यह कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है अभी मुझे आवश्यक कार्य करने हैं, इसलिए तुम लोग कल आना। दिन भर प्रतीक्षा करने के बाद महिलायें वापस अपने गांव लौट जाती हैं। इस प्रकार बैंककर्मियों द्वारा समूह की महिलाओं को दो-तीन बार परेशान करने के बाद ही उस कार्य को किया जाता है।

बैंक कर्मियों द्वारा समूह की योजना से सम्बन्धित कागजी कार्यवाही अर्थात् फाइलों का समय पर निष्पादन नहीं किया जाता है। जिसके पीछे मात्र एक ही कारण प्रतीत होता है कि किसी भी प्रकार से सदस्यों से पैसे मिल जायें। धन के लालच में बैंककर्मी समूह की महिलाओं के कागजों यथा स्वरोजगारी आवेदन पत्र, शपथ-पत्र, खाता खोलने हेतु समूह का प्रस्ताव, समूह की नियमावली व गैर-सरकारी संस्था अथवा ग्राम प्रधान द्वारा परिचय पत्र आदि में कमियां बताकर उन कागजों की फाइल को अपूर्ण सिद्ध कर देते हैं और उनके काम को करने के लिए मना कर देते हैं। ऐसी स्थिति में अनपढ़ गरीब ग्रामीण महिलायें बैंक कर्मियों से पूंछती हैं कि बाबू जी यह काम कैसे होगा? तब बैंक कर्मी पैसे लेकर स्वयं उन कार्यो को करने का विश्वास दिलाते हैं। जब पैसे मिल जाते है। तो वह कहते हैं कि क्योंकि परेशान हो रही हो तुम लोगों का काम तो जरूर हो जायेगा। मात्र थोड़े पैसों के लिए बैंक कर्मी कई-कई महीनों समूह की महिलाओं की फाइलों का निष्पादन नहीं करते हैं जिससे उन्हें समूह का गठन एवं संचालन करने में असुविधा होती है तथा विकास कार्यो में रुकावट आ जाती है।

बैंकों में आने वाली उपरोक्त असुविधाओं और समस्याओं का सामना न करने वाली उत्तरदात्रियों का प्रतिशत हालांकि पर्याप्त तो है परन्तु यह अपवाद स्वरूप ही है। ऐसी महिलायें जो शिक्षित है और साथ ही साथ जागरूक भी है उन्हें बैंकों में उपरोक्त समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। क्योंकि उनके अन्दर इस अव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने का साहस आ जाता है एवं वह जानती है कि किस प्रकार समाज में किसी स्तर तक अव्यवस्थाएं व्याप्त हैं। अतः कुछ ऐसी जागरूक महिलायें है जो निपुणता के साथ अपना कार्य करवाने में सफल हो जाती है और बैंकों की असुविधाओं का सामना करने में स्वयं को बचा लेती है।

सारणी संख्या-6.8

निर्मित वस्तु को बाजार तक पहुँचाने की सुविधा सम्बन्धी विवरण

क्र0सं0	स्रोत	संख्या	प्रतिशत
1.	परिवार के किसी सदस्य पर आश्रित रहती हैं	177	44.25
2.	संस्था पदाधिकारी सहायता करते हैं	–	–
3.	स्वयं किसी प्रदर्शनी/हाट में ले जाती हैं	159	39.75
4.	अन्य कोई	64	16.00
	योग	400	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 6.8 में उत्तरदात्रियों द्वारा निर्मित वस्तु को बाजार तक पहुँचाने की सुविधा सम्बन्धी विवरण को प्रस्तुत किया गया है। जिनके द्वारा सुविधा प्राप्त होती है उनको क्रमशः परिवार के किसी सदस्य पर आश्रित रहती हैं, स्वयं किसी मेले या हाट में ले जाती हैं, या अन्य कोई में वर्गीकृत किया गया है। सुविधा पहुँचाने वाले में गैर सरकारी संस्थाओं को वर्गीकरण में रखा गया था। परन्तु गैर-सरकारी संस्थाओं का उक्त कार्य में सहयोग न होने की वजह से वर्गीकरण में शामिल नहीं किया गया है। अन्य कोई के अन्तर्गत गॉव से दूध ले जाने वाले दूधिये को शामिल किया गया है। जिसमें परिवार के सदस्य पर आश्रित रहने वाली उत्तरदात्रियों का 44.25 प्रतिशत है। स्वयं किसी मेले व हाट में ले जाने वाली उत्तरदात्रियों का 39.75 प्रतिशत है तथा 16 प्रतिशत अन्य साधनों से सुविधा प्राप्त होती है।

सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि सर्वाधिक प्रतिशत ऐसी उत्तरदात्रियों का है जिनको परिवार से सहायता मिलती है। समूह में किये गये स्वरोजगार के द्वारा जिस वस्तु

का उत्पादन किया जाता है उसके विपणन के लिए किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त नहीं है। इसलिए विपणन के लिए महिलायें अपने परिवार के सदस्यों पर आश्रित रहती हैं। क्योंकि ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा की कमी होने की वजह से वे बाजार व्यवस्था को समझने में असमर्थ होती है। इसलिए वह निर्मित सामान को स्वयं बाजार तक पहुँचाने में असमर्थ होती है जिससे वह अपने घर के सदस्यों के माध्यम से बाजार में निर्मित सामान को पहुँचाती हैं।

समूह के माध्यम से किये जाने वाले स्वरोजगार में दुग्ध व्यवसाय की अधिकता रहती है। जिसमें महिलायें सामूहिक रूप से भैंसपालन का कार्य शुरु करती है। भैंस पालन के कार्य से वह प्रचुर मात्रा में घी और मावा (खोवा) बना लेती है। जिसे वह स्वयं किसी मेले या फिर हाट, बाजार में ले जाकर बेंचती है। इस कार्य को वह स्वयं इसलिए करती हैं क्योंकि घी और खोवा बेचने में उन्हें किसी दुकान का सहारा नहीं लेना पड़ता है और न ही दुकान के शो पीस में रखवाने की आवश्यकता पड़ती है। महिलायें नियमित लगने वाली हाट में स्वयं डलियों में ले जाकर बाजार में बैठ जाती हैं और दिन भर में वह 15-20 किग्रा० खोवा और 5 किग्रा० घी बेंच लेती है। इसी प्रकार सब्जी उत्पादन करके महिलाएं नजदीक के कस्बे में लगने वाली साप्ताहिक बाजार में गॉव से आकर सब्जियाँ बेंचकर अपनी आजीविका चलाती है।

अन्य साधनों में समूह की महिलायें गाँव-गांव जाकर दूध लेने वाले दूधियें का सहारा लेती है। भैंस पालन करने वाली उत्तरदात्रियाँ या तो अपने ही गांव के दूधियें को या फिर अन्य किसी गांव के दूधिये को दूध बेंचती हैं डेयरी उद्योग के माध्यम से महिलायें प्रतिदिन सुबह-सुबह होने वाले दूध को दूध वाले को बेंच देती है एवं शाम के दूध से घी और मावा बनाती है। इस प्रकार वह बिना किसी सरकारी सुविधा के स्वयं या फिर पारिवारिक सदस्यों के द्वारा विपणन करवाती है। विपणन हेतु सरकारी सहायता न मिलने की वजह से शायद यही कारण है कि समूह में सब्जी उत्पादन और भैस पालन के स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाता है जिसमें महिलाये स्वयं किसी कठिनाई के बिना विपणन कर सकती हैं।

सारणी संख्या-6.9

विपणन एवं तकनीकी सम्बद्धताओं पर योगदान सम्बन्धी विवरण

क्र०सं०	स्रोत	संख्या	प्रतिशत
1.	एन०जी०ओ०	199	49.75
2.	ब्लाक अधिकारी	193	48.25
3.	कोई अन्य	8	2.00
	योग	400	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 6.9 में विपणन एवं तकनीकी सम्बद्धताओं पर योगदान सम्बन्धी विवरण को प्रस्तुत किया गया है। विपणन एवं तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिनका योगदान रहता है उनको क्रमशः एन०जीओ०, ब्लॉक अधिकारी तथा कोई अन्य में वर्गीकृत किया गया है। कोई अन्य के अन्तर्गत ग्राम प्रधान तथा ग्रामीण उद्योगों से सम्बन्धित गॉव के ही जानकार व्यक्तियों को शामिल किया गया है।

सारणी पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट है कि 49.75 प्रतिशत योगदान एनजीओ का है, 48.25 प्रतिशत योगदान ब्लॉक अधिकारी का है तथा शेष 2 प्रतिशत ग्राम प्रधान एवं ग्राम के ही व्यक्तियों का हैं सारणी के अवलोकन के द्वारा कहा जा सकता है कि सर्वाधिक प्रतिशत गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) का है। स्वयं सहायता समूहों के गठन से लेकर उनको स्वरोजगारों के माध्यम से लाभान्वित कराने तक में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संस्था पदाधिकारी व उनके सुविधादाता गॉव-गॉव जाकर समूह बनाने के लिए महिलाओं को प्रेरित करते हैं। स्वरोजगार हेतु जो परियोजना रिपोर्ट बनाई जाती है उसमें

गैर-सरकारी संस्थाओं की अहम भूमिका होती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्वरोजगारों जैसे-सब्जी उत्पादन, बकरी पालन, भैंस पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, दाल प्रतिशोधन आदि के लिए एनजीओ अपने सुविधादाता के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगारों के लिए होने वाले प्रशिक्षणों में सहभागी होने के लिए प्रेरित करते हैं तथा अपने उचित मार्गदर्शन के द्वारा समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण से प्राप्त होने वाले लाभों को भी बताते हैं। ये महिलाओं को बताते हैं कि प्रशिक्षण कर लेने के बाद वे समस्त जानकारियाँ महिलाओं को हो जायेंगी जो उनके स्वरोजगार करने एवं उनके द्वारा उत्पादित सामान के विपणन में सहायता पहुँचायेगी। एनजीओ से प्रेरित होकर ग्रामीण महिलायें अपने घर-गृहस्थी के कार्यो को शीघ्रता से करने के बाद प्रशिक्षणों में सहभागी होने के लिए निकटतम कस्बे या शहरों में जाती है जहां प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाता है। ग्रामीण महिलाओं को अपने विचारों से प्रेरित करके उनको प्रशिक्षणों में सहभागी कराने में महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अतिरिक्त एनजीओ पदाधिकारी व सुविधादाता समय-समय पर स्वयं ही गोष्ठियों और सभाओं के आयोजनों के माध्यम से समूह की सदस्य महिलाओं को तकनीकी ज्ञान व विचारों से अवगत कराते रहते हैं।

ब्लॉक अधिकारी का योगदान भी लगभग एनजीओ के समकक्ष ही है। क्योंकि समूह गठन करने के लिए सर्वप्रथम ब्लॉक अधिकारी (बी0डी0ओ0) को ही गॉव में जाना पड़ता है। एक समूह गठन के लिए बी0डी0ओ0 को दो बार उस समूह के सदस्यों से मिलना पड़ता है जिसमें वह समूह के सदस्यों से पूंछते है कि समूह क्यों बना रहे हो इससे क्या लाभ होगा आदि। हालांकि ब्लॉक अधिकारी के पास अन्य कार्यो की वजह से समयाभाव रहता है परन्तु वह उस सीमित समय में ही महिलाओं को समूह से सम्बन्धित जानकारियों को देते हैं एवं किस प्रकार समूह के द्वारा कैसे स्वरोजगारों को किया जाय जिससे अधिकतम लाभ प्राप्त हो आदि जानकारियां प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त यह प्रशिक्षणों में मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता भी करते हैं। जिसमें वह अपने विचारों और ज्ञान के माध्यम से समूह की महिलाओं को तकनीकी प्रणालियों से अवगत कराते हैं। ये महिलाओं

को बताते हैं कि तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद वे किये गये कार्यो से अपेक्षित लाभ प्राप्त कर सकती है।

इसी प्रकार ग्राम प्रधान तथा गांवों में किये जाने वाले ऐसे कार्य जिन पर किसी-किसी व्यक्ति को प्रकृति प्रदत्त ज्ञान अथवा जानकारी होती है। वह चाहे महिला हो या पुरुष। वह अपने गुणों के माध्यम से समूह की बैठक में जानकारी देते हैं। हालांकि ऐसे लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक कम है। क्योंकि ग्राम प्रधान के पास समय का अभाव रहता है और जो व्यक्ति सभी की उन्नति के बारे में निःस्वार्थ भाव से योगदान करते हैं ऐसे पूरे गांव में विरले ही होते हैं। परन्तु कहीं-कहीं ग्राम प्रधान अपने व्यस्ततम समय में भी ऐसी गतिविधियों में योगदान देते हैं। ग्रामीण जनों में दो प्रकार के लोग सहयोग करते हैं एक तो वे जो गांव में ही रहते हैं और कृषि, बागवानी, पशुपालन आदि क्षेत्रों के विशिष्ट जानकार होते हैं वे अपना योगदान समय-समय पर देते हैं। दूसरे वे लोग होते हैं जो उस गांव के ही होते हैं जो किसी नौकरी या फिर संयोग से स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण देने जैसी गतिवधियों में संलग्न होते हैं। जब वह छुट्टी में अपने गॉव घर आते हैं तो वह अपने गांव के समूह के सदस्यों को उन सभी तकनीकी और व्यावहारिक जानकारियों से अवगत कराते हैं जो उन्हें स्वरोजगार में प्रगति करने में सहायक होते हैं। परन्तु ऐसे लोग अपवादस्वरूप ही होते हैं इसलिए सर्वाधिक कम प्रतिशत ऐसे लोगों का ही है जो इन गतिविधियों में अपना योगदान देते हैं।

सारणी संख्या-6.10

उत्तरदात्रियों को ग्रामीण विकास की योजनाओं की जानकारी सम्बन्धी विवरण

क्र0सं0	मापदण्ड	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	253	63.25
2.	नहीं	147	36.75
	योग	400	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 6.10 में उत्तरदात्रियों को ग्रामीण विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी सम्बन्धी विवरण को प्रस्तुत किया गया है। जिसमें 63.25 प्रतिशत उत्तरदात्रियों को योजनाओं की जानकारी है तथा 36.75 प्रतिशत उत्तरदात्रियों को योजनाओं की जानकारी नहीं है।

सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्रामीण विकास के लिए सरकार द्वारा विभिन्न रोजगार परक एवं विकास से सम्बन्धित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। भारत निर्माण के नाम से ग्रामीण विकास की समग्र योजनाओं जिसमें आवास, जल विद्युतीकरण, सड़क, दूरसंचार, रोजगार तथा सिंचाई जैसी अभिनव योजनायें चलाई जा रही हैं।[1] इन योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायतों के माध्यम से गांव में होता है। ग्रामीण विकास के उद्देश्य से सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी समस्त ग्रामवासियों को नहीं हो पाती है। शिक्षा की कमी एवं जागरूकता के अभाव में ग्रामीण एकाध योजनाओं को ही जान पाते हैं। परन्तु आज स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार गारंटी

---

1. ग्रामीण विकास से सम्बन्धित सभी योजनाओं का विवरण परिशिष्ट खण्ड में दिया जायेगा।

योजना जैसी रोजगार परक योजनाओं के लागू हो जाने से प्रत्येक ग्रामवासी महिला और पुरुष सभी को इन योजनाओं की जानकारी हो गई है। महिलाओं में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से नई चेतना का उदय हो रहा है। समूह ने उन्हें घर से निकलकर बाहर की दुनियां देखने का अवसर प्रदान किया है। उनमें जागरूकता का प्रभाव परिलक्षित हो रहा है। शायद यही कारण है कि दिन भर असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने के बाद आज महिलायें विकास कार्यो में सहभागी हो रही हैं। महिलाओं को घूंघट की आड़ से हटकर कुछ नया सीखने और समझने का अवसर प्राप्त हुआ है। शिक्षा की पर्याप्त कमी होने के बावजूद भी महिलाओं ने ग्रामीण विकास से सम्बन्धित योजनाओं और कार्यो की जानकारी हासिल की है। उनकी इस जागरूकता का प्रभाव उनके प्रतिशत से स्पष्ट हो रहा है। इसीलिए ग्रामीण विकास की योजनाओं की जानकारी रखने वाली महिलाओं का प्रतिशत अधिक है।

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की कमी, जागरूकता का अभाव आदि के चलते कुछ वर्ग महिलाओं का ऐसा भी होता है जिन्हें अपने घर के कार्यो जैसे-भोजन बनाना, ईधन की व्यवस्था करना, पशुओं की देखभाल करना तथा उनके चारा पानी की व्यवस्था करना आदि कार्यो के चलते उन्हें पूरा दिन समय ही नहीं मिलता कि वह अन्य किसी कार्यो के बारे में जानकारी उपलब्ध करें। घर से लेकर खेत व खलिहान में खटने वाली महिलाओं को समयाभाव रहता है। समूह में कार्यरत महिलाये जिनको विकासपरक योजनाओं की जानकारी नहीं है। उसका कारण है कि अधिकतर ऐसी महिलायें अनभिज्ञ है जो 45 वर्ष से ऊपर हो गई हैं अर्थात् जिनमें वृद्धावस्था के लक्षण विद्यमान होने लगे हैं। शोधार्थिनी द्वारा जब इस प्रश्न को महिलाओं से किया गया तो उन्होंने उत्तर में कहा कि 'अब कहीं बूढ़े सुआ (तोता) पढ़ते हैं।' अर्थात् अब उम्र बढ़ चली है अब जानकारी करके क्या होगा। शिक्षा की पर्याप्त कमी और पिछडेपन के प्रभाव से महिलाओं को समस्त क्षेत्रों की जानकारी नहीं हो पाती है। परन्तु स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं में नई चेतना का उदय हो रहा है जो उनको विकास कार्यो में सहभागी बनाने में सहायक होगा।

सारणी संख्या-6.11

ग्रामीण विकास के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन न होने सम्बन्धी विवरण

क्र०सं०	स्रोत	संख्या	प्रतिशत
1.	सर्वप्रथम समूह की बैठक में चर्चा करके सर्वसम्मति बनाई	118	29.50
2.	ग्राम प्रधान या ग्राम सचिव से बात की	163	40.75
3.	सम्बन्धित ब्लाक के अधिकारी से बात की	82	20.50
4.	जिला स्तर पर आवाज उठाई	37	9.20
	योग	400	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 6.11 में ग्रामीण विकास के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन न होने सम्बन्धी विवरण को प्रस्तुत किया गया है। योजनाओं का क्रियान्वयन न होने के लिए उत्तरदात्रियों द्वारा किये गये प्रयासों को क्रमशः सर्वप्रथम समूह की बैठक में चर्चा करके सर्वसम्मति बनाई, ग्रांम प्रधान या ग्राम सचिव से बात की, सम्बन्धित ब्लाक के अधिकारी से बात की तथा जिला स्तर पर आवाज उठाई में वर्गीकृत किया गया है। जिसमें समूह की बैठक में चर्चा करने वाली उत्तरदात्रियों का 29.50 प्रतिशत है। ग्राम प्रधान तथा सचिव से बात करने वाली उत्तरदात्रियाँ 40.75 प्रतिशत है, ब्लॉक अधिकारी (बी०डी०ओ०) से बात करने वाली 20.50 प्रतिशत है तथा 9.25 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने जिला स्तर पर आवाज उठाई है।

सम्पूर्ण सारणी पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक प्रतिशत ऐसी उत्तरदात्रियों का है जिन्होंने अपने ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से योजनाओं के क्रियान्वयन न होने पर बात की है। क्योंकि समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायतों के माध्यम से

होता है। ग्राम प्रधान की देख-रेख में सभी कार्य सम्पन्न होते है। अतः ग्रामीण विकास में पंचायतों की अहम भागीदारी होती है। इसलिए प्रत्येक क्षेत्र के कार्यो के लिए पंचायत अध्यक्ष की जवाबदेही होती है। यदि गांव में विकास परक और रोजगार परक योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है तो समस्त ग्रामवासी पंचायत प्रतिनिधियों से यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व में तो पंचायत अध्यक्ष सूचना देने में आनाकानी करते थे और जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को डॉट-फटकार कर भगा देते थे परन्तु आज सूचना के जनाधिकार के प्रभावी होने से आज कोई भी व्यक्ति ग्रामीण हो या नगरीय किसी भी क्षेत्र की सूचना प्राप्त कर सकता है। हालांकि इसकी प्रासंगिकता ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की कमी और जागरूकता के अभाव में अपर्याप्त है। परन्तु फिर भी महिलायें स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सभी क्षेत्रों की जानकारी करने में सक्षम हो रही है।

स्वयं सहायता समूह की बैठक में आय-सृजक गतिविधियों के अलावा अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक गतिविधियों की चर्चा भी की जाती है। समूह की सदस्य महिलायें नियमित रूप से समूह की बैठकें आयोजित करती है। ये बैठकें पाक्षिक या मासिक होती है। ज्यादातर ग्रामीण अंचलों में मासिक बैठकों का आयोजन किया जाता है क्योंकि समूह खाते के लिए जो पैसा जमा किया जाता है वह महिलाओं द्वारा मासिक रूप से जमा किया जाता है। इसलिए मासिक बैठकों का आयोजन किया जाता है। समूह की बैठकों में समस्त कार्य प्रणालियों की चर्चा की जाती है। जिसमें ग्रामीण विकास से सम्बन्धित रोजगारपरक और कल्याणमुखी योजनाये भी शामिल होती है। गांव के विकास और महिलाओं के विकास के लिए कौन-कौन सी योजनायें हैं जो इन दोनों के लिए लाभकारी हैं। यदि इनका क्रियान्वयन नहीं होता है तो महिलायें समूह के माध्यम से इन विषयों पर चर्चा करती हैं जिससे समग्र विकास संभव हो सके। यह तभी संभव है जब समूह की महिलायें जागरूक होंगी। जागरूक महिलायें अपना एवं अपने ग्राम व समाज का विकास करने में अहम् भूमिका निभाती है। स्वयं सहायता समूह की महिलायें समूह के माध्यम से नई चेतना लाने में सफलता हासिल कर रही है।

ग्रामीण विकास की समस्त योजनायें विकास खण्ड के माध्यम से गांवों में लागू होती है। ग्रामीण विकास से सम्बन्धित समस्त योजनाओं की जानकारी खण्ड विकास कार्यालय में उपलब्ध होती हैं। सभी योजनाओं को लागू करवाने और उन पर सभी प्रकार की जानकारी रखने के लिए खण्ड विकास अधिकारी का दायित्व होता है। खण्ड विकास अधिकारी का यह कर्तव्य होता है कि विकास खण्ड के अन्तर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों में विकास एवं रोजगार परक योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी रखें एवं उनका क्रियान्वयन सुचारू ढंग से निर्धारित होता रहे है। जिससे ग्रामीण विकास में प्रगति हो तथा ग्रामीण निर्धन परिवारों को लाभ प्राप्त होता रहे। परन्तु जब इन योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होता है तो जागरूक ग्रामीण महिलायें जो समूह की सदस्य भी होती है इस सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी से बात करती हैं। ग्रामीण महिलायें यह तो जान ही जाती है कि विकास सम्बन्धी योजनायें विकास खण्ड के माध्यम से पंचायतों के द्वारा लागू होती है। इसलिए वे ब्लॉक के अधिकारी को गॉव में व्याप्त अनियमितताओं की जानकारी देती है जिससे व्याप्त अव्यवस्था में सुधार हो एवं गांव का विकास हो।

जिला स्तर पर आवाज उठाने वाली उत्तरदात्रियों का प्रतिशत सर्वाधिक कम है। क्योंकि ग्रामीण महिलायें इतनी शिक्षित नहीं होती हैं कि वह जिला मुख्यालय तक बिना किसी अवरोध के एक बार में ही पहुँचकर अधिकारियों से मिल सके और समस्या को लिखित ज्ञापन के रूप में दे सकें। इसके दो कारण प्रतीत होते हैं। एक तो शिक्षा की कमी व जागरूकता का अभाव एवं दूसरा कारण है ग्रामीण महिलाओं को जिला मुख्यालय तक उनके परिवारों द्वारा जाने की छूट न देना। परन्तु फिर भी कुछ जागरूक महिलायें हैं जो समूह के माध्यम से सामूहिक रूप से एकत्रित होकर जिला मुख्यालय में अपनी बात अधिकारियों के प्रत्यक्ष रखती हैं आज विकास परक एवं रोजगार परक योजनाओं के कार्यो की समीक्षा करने के लिए जिला स्तर पर अधिकारी एवं विकास खण्ड स्तर पर अधिकारी गांवों में जाते हैं तथा खुली बैठकों का आयोजन करके उक्त योजनाओं से सम्बन्धित समस्याओं की जानकारी लेते हैं।

ग्रामीण विकास में महिलाओं की कार्य भूमिका में परिवर्तन आया है। वे अपने अधि
ाकारों के प्रति जागरूक हुई है और विकास कार्यो में अपना प्रमुख योगदान दे रही है। महिलाओं के अन्दर सर्वांगीण विकास की भावना निहित होती है। वे स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्वयं का तो आर्थिक विकास कर रही हैं साथ ही वे सार्वजनिक जीवन की समृद्धि एवं पंचायतों के विकास में भी योगदान दे रही हैं।

सारणी संख्या-6.12

योजनाओं के सही क्रियान्वयन के लिए किये गये कारगर उपायों सम्बन्धी विवरण

क्र0सं0	स्रोत	संख्या	प्रतिशत
1.	धरना-प्रदर्शन किया	153	38.25
2.	जनसभा व रैली निकाली	110	27.50
3.	सम्बन्धित अधिकारियों का घेराव किया	103	25.75
4.	अन्य कोई उपाय	34	8.50
	योग	400	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 6.12 में उत्तरदात्रियों द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन न होने पर किये गये कारगर उपायों सम्बन्धी विवरण को प्रस्तुत किया गया हैं किये गये प्रयासों को क्रमशः धरना-प्रदर्शन किया, जनसभा व रैली निकाली, सम्बन्धित अधिकारियों का घेराव किया तथा अन्य कोई उपाय में वर्गीकृत किया गया है। जिसमें धरना-प्रदर्शन करने वाली उत्तरदात्रियों का 38.25 प्रतिशत है, 27.50 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने जनसभा व रैली निकाली, 25.75 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने सम्बन्धित अधिकारियों का घेराव किया तथा 8.5

प्रतिशत ने अन्य कोई उपाय किये हैं। अन्य कोई उपाय के अन्तर्गत स्कूल, अस्पताल में तालाबंदी करने को शामिल किया गया है।

सारणी पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट है कि ग्रामीण विकास के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन न होने पर स्वयं सहायता समूह एवं गांव की अन्य महिलाओं ने योजनाओं को लागू करवाने व उनसे अपेक्षित लाभ मिलने के लिए सर्वप्रथम संबंधित व्यक्तियों व अधिकारियों से बात की जैसा कि सारणी संख्या 6.11 में विवरण दिया गया है। परन्तु महिलाओं द्वारा किये गये प्रयास पूर्णतया सफलता नहीं दिला पाये। अतः ग्रामीण महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 'चिंगारी' नामक महिला संगठन का गठन किया जिसमें समूह की एवं कई गांवों की महिलाओं ने भागीदारी करके ग्रामीण विकास के लिए चलाई गई योजनाओं के क्रियान्वयन न होने पर जिला मुख्यालय में संगठित होकर धरना-प्रदर्शन किया। चिंगारी संगठन अभी हाल ही में अस्तित्व में आया है। यह बुन्देलखण्ड के बाँदा जनपद के 'गुलाबी गैंग' की तरह ही कार्य करता है। क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर ग्रामीण महिलाओं द्वारा चिंगारी नाम से बनाए गये संगठन के द्वारा समय-समय पर अधिकारियों के सामने धरना-प्रदर्शन किया जाता है। महिलाएं ब्लॉक से लेकर जिला मुख्यालय तक में रैलियों और सभाओं का आयोजन करती हैं। रैली निकालकर महिलायें क्षेत्रीय समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनायें चलाई जाती हैं परन्तु प्रशासन की उदासीनता और भ्रष्टाचार के चलते योजनायें सम्पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाती हैं। यदि लागू भी हो जाती हैं तो उनमें कुछ न कुछ कमियाँ अवश्य व्यापत रहती हैं। इन योजनाओं को लागू करवाने के लिए ग्रामीण महिलाएं जागरूक हुई है। ये महिलाएं समाज विकास एवं सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर आगे आई हैं और रैली, गोष्ठी व सभाओं का आयोजन करके अपनी मांगे पूरी करवा रही हैं।

योजनाओं का भलीभाँति क्रियान्वयन न होने पर ग्रामीण महिलाओं ने अधिकारियों का घेराव करके उनसे मांग की। जिला मुख्यालय पहुँचकर महिलाये विकास योजनाओं से सम्बन्धित अधिकारियों का घेराव करके ज्ञापन देती हैं। अधिकारियों का घेराव और उनके विरुद्ध नारेबाजी की जाती है क्योंकि सरकारी कार्यो में अधिकतर बड़े या छोटे अधिकारी उदासीन होते हैं। वह कार्यो को देखने समय पर नहीं पहुँचते है जिससे कई प्रकार की अनियमिततायें व्याप्त हो जाती है। प्रशासन की उदासीनता के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं का लाभ नहीं हो पाता है।

अन्य उपायों के अन्तर्गत ग्रामीण महिलाओं ने तालाबन्दी जैसे विकल्पों को अपनाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी से लेकर जू०हाईस्कूल स्तर तक ही विद्यालय शिक्षा की दृष्टि से सुलभ होते हैं। परन्तु उनमें भी अधिकतर अध्यापकों की कमी रहती है। जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति में महिलाओं के अथक प्रयासों के बाद भी जब स्कूलों में अध्यापकों की तैनाती नहीं होती तो महिलाओं ने विद्यालय में ताला डालकर प्रदर्शन करना शुरु किया और अध्यापक की मांग के लिए अनशन पर बैठने जैसे कारगर उपायों को अपनाया। इसी प्रकार स्वास्थ्य की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों का अभाव होने की वजह से वहाँ भी महिलाओं ने ताला डालकर सी०एम०ओ० एवं डी०एम० का घेराव करके अपनी मांगपूर्ति करवाई। महिलाये ग्रामीण विकास में अहम् भूमिका निभा रही हैं। सर्वांगीण ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की सभी क्षेत्रों में पर्याप्त भागीदारी हो रही है। जो महिला सशक्तीकरण की दिशा में मजबूत कदम है।

सारणी संख्या-6.13

उत्तरदात्रियों के शोषण सम्बन्धी विवरण

क्र०सं०	मापदण्ड	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	103	25.75
2.	नहीं	297	74.25
	योग	400	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 6.13 में उत्तरदात्रियों के शोषण सम्बन्धी विवरण को प्रस्तुत किया गया है। जिसमें 25.75 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का शोषण होता है तथा 74.25 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का शोषण नहीं होता है। शोषण न होने वाली महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। क्योंकि प्रस्तुत अध्ययन स्वयं सहायता समूहों में कार्य करने वाली महिलाओं का है। स्वयं सहायता समूहों की अवधारणा गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के लिए है। निम्न आर्थिक स्थिति में पिछड़े और निम्न जातियों के लोग आते हैं। ऐसे परिवारों की महिलायें शोषण की शिकार कम ही होती है क्योंकि यह वर्ग मेहनत मजदूरी करने वाला होता है जहां महिलाओं के दिन की शुरुआत हाड़तोड़ मेहनत से शुरु होती है और रात सोते समय तक अनगिनत कार्यो को करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में पति-पत्नी के बीच व उसके परिवार के सदस्यों में तालमेल बैठा रहता है। क्योंकि श्रम-बल की अधिकता रहती है। जिससे लोगों के पास समयाभाव रहता है। निम्न जातियों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति सवर्णो की अपेक्षा कुछ ठीक रहती हैं। परन्तु सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आने वाली जातियों में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य तथा मुस्लिमों में महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की होती है। इन जातियों में महिलाओं को हिंसा का शिकार बनाया जाता है तथा शोषण किया जाता है। पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीति को महिलाये परम्परा के रूप में अपनाती हैं क्योंकि ऐसा करने के लिए वह बाध्य होती हैं। सवर्ण जातियों में महिलायें अभी भी शोषण की शिकार होती हैं।

सारणी संख्या-6.14

शोषण के स्वरूप सम्बन्धी विवरण

क्र0सं0	शोषण का स्वरूप	संख्या	प्रतिशत
1.	शारीरिक	37	9.25
2.	मानसिक	25	6.25
3.	आर्थिक	23	5.75
4.	ये सभी	18	4.50
5.	शोषण नहीं होता	297	74.25
	योग	400	100

प्रस्तुत सारणी 6.14 में उत्तरदात्रियों पर हो रहे शोषण के स्वरूप सम्बन्धी विवरण को प्रस्तुत किया गया है। शोषण के स्वरूपों को क्रमशः शारीरिक, मानसिक, आर्थिक ये सभी एवं शोषण नहीं होता है में वर्गीकृत किया गया है। जिसमें 9.25 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का शारीरिक शोषण होता है। 6.25 प्रतिशत का मानसिक शोषण होता है, 5.75 प्रतिशत महिलाओं का आर्थिक शोषण होता है, 4.50 प्रतिशत का ये सभी शोषण होते हैं तथा शेष 74.25 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का कोई शोषण नहीं होता है। शोषण के स्वरूपों में शारीरिक के अन्तर्गत मारपीट को रखा गया है। मानसिक के अन्तर्गत गाली-गलौज व यातनायें देने को शामिल किया गया है, आर्थिक के अन्तर्गत धन सम्बन्धी कष्टों अर्थात पैसे न देने को शामिल किया गया है, सभी प्रकार के शोषण में उपरोक्त तीनों प्रकार के शोषण को सम्मिलित किया गया है।

सम्पूर्ण सारणी पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक प्रतिशत ऐसी

उत्तरदात्रियों का है जो शारीरिक शोषण की शिकार होती है। महिलायें उदासीन पर्यावरण में शाश्वत रूप से रहती हैं। रक्षात्मक कानून के बावजूद भी इन अपराधों का सूचकांक ऊँचाई को छू रहा है। अधिकतर महिलायें घरेलू हिंसा की शिकार होती है। देश आजाद हुआ, शिक्षा का प्रसार हुआ, विकास के साथ-साथ मानवाधिकारों जैसे मुद्दों पर बहस होने लगी परन्तु महिलाओं की स्थिति में सुधार परिलक्षित नहीं हुए। महिलायें जिसे अपना घर, अपना परिवार कहती हैं। वहां ही वह असुरक्षित होती है। एशियाई देशों की अधिकतर महिलाएं, अत्यधिक घरेलू हिंसा का मुकाबला करती हैं। बांग्लादेश श्रीलंका, भारत, नेपाल और पाकिस्तान में पत्नी हिंसा या सख्त पिटाई आज आम बात है।[2] अधिकतर महिलायें अपने पतियों द्वारा पीटी जाती हैं। महिलाओं के साथ मार-पीट जैसी घटनायें कभी-कभी घर के बड़े बुजुर्गो की सेवा न करने, बच्चों की देखभाल न करने आदि के कारणों से होती है।

मानसिक शोषण के अन्तर्गत महिलाओं का शोषण उनके परिवार के लोगों के द्वारा ही होता है। पारिवारिक हिंसा या शोषण मानसिक शोषण से ही शुरु होता है। जिसमें प्रारम्भ में महिला को मानसिक रूप से तोड़ने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए अपशब्दों का प्रयोग, गाली-गलौज करना, उपेक्षित व्यवहार करना, बातचीत बंद कर देना तरह-तरह की यातनायें आदि दी जाती है। मानसिक शोषण करने में सास, ननद, जेठानी एवं पति की भूमिका रहती है। परन्तु ऐसा संयुक्त परिवार में ही होता है। संयुक्त परिवार में सदस्यों की अधिकता रहती है जिससे हर एक की अपनी अपेक्षाएं रहती हैं इन अपेक्षाओं को पूरा न कर पाने अर्थात सबकी सेवा न कर पाने के कारण घर में महिलाये मानसिक रूप से टूट जाती हैं। अक्सर देवरानी-जेठानी के झगड़े आम बात हो गई है जिसमें वह एक दूसरे को गाली देना, अपशब्द कहना यहाँ तक कि मारपीट तक हो जाती है। ऐसी स्थिति में दोनों आपस में बातचीत बंद कर देती है। इस तरह के कई मानसिक कष्टों को महिलाएं सहन करती है। रिश्तेदारों से लेकर पड़ोसी तक कई प्रकार के मानसिक शोषण करते हैं।

---

2. मानवाधिकार : नई दिशायें पेज 150, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत, 2006।

आर्थिक शोषण अधिकतर पति या सास-ससुर द्वारा होता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अगर संयुक्त परिवार है तो घर का मुखिया ससुर होता है अगर एकाकी परिवार है तो पति मुखिया होता है। महिलाओं के खर्च मांगने पर अधिकतर उन्हें खर्च देने से इंकार कर दिया जाता है। क्योंकि संयुक्त परिवार में सास की भूमिका अहम् होती है। वह यदि अपनी बहू से नाराज है या फिर उसे कम पसन्द करती है तो वह अपने पति को पैसे नहीं देने देती है। यही स्थिति पतियों की होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष दिनभर गली-मुहल्लों में बैठकर स्वयं तो पान-मसाला, गुटका आदि खाने में एक दिन में 15 से 20 रुपया बरबाद कर डालेगा इतना ही नहीं जुआँ, ताश, शराब, गांजा आदि की लत होने पर 50 से 100 रु0 तक बरबाद कर देगा। परन्तु जब पत्नी पैसे मांगेगी तो उसे यह कहके मना कर देगा कि उसके पास पैसे नहीं है। ज्यादा मांगने या कहने पर वह अपनी पत्नी को मारने पीटने और अपशब्दों का प्रयोग भी करने लगता है। ग्रामीण महिलायें अर्थ की समस्या को भी सहन करती है।

उपरोक्त सभी प्रकार के शोषणों को सहन करने वाली उत्तरदात्रियों का प्रतिशत सर्वाधिक कम है क्योंकि बहुत कम महिलाओं को एक बार में ये सभी यातनायें दी जाती हैं। शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक शोषण की शिकार महिलायें अधिकतर आत्महत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दे देती हैं। तीनों प्रकार का शोषण अधिकतर संयुक्त परिवारों में होता हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि महिलायें परिवार के ही अन्दर सर्वाधिक शोषित होती हैं।

शोषण न होने वाली उत्तरदात्रियों का प्रतिशत सर्वाधिक है। क्योंकि महिलाएं निम्न जाति स्तर की होने पर अधिक मेहनत करती हैं। श्रम-बल की अधिकता रहने की वजह से वह शोषण का शिकार नहीं हो पाती है और एकाकी परिवारों के प्रचलन के कारण भी महिलाओं के शोषण में कमी आई है।

सारणी संख्या-6.15

शोषण से सम्बन्धित व्यक्ति का विवरण

क्र०सं०	शोषण का स्वरूप	संख्या	प्रतिशत
1.	पति	74	18.50
2.	सास-ससुर	15	3.75
3.	देवर-ननद	9	2.25
4.	बच्चे	8	2.00
5.	शोषण नहीं होता	297	74.25
	योग	400	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 6.15 में शोषण से सम्बन्धित व्यक्तियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। शोषण करने वाले व्यक्तियों में क्रमशः पति, सास-ससुर, देवर-ननद तथा अन्य लोगों को शामिल किया गया है। अन्य कोई के अन्तर्गत उत्तरदात्रियों के युवा लड़के, भाई-भाभी और पड़ोसियों को शामिल किया गया है। जिसमें 18.50 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का शोषण उनके पतियों द्वारा होता है। 3.75 प्रतिशत का सास-ससुर के द्वारा 2.25 प्रतिशत का देवर-ननद के द्वारा तथा 1.25 प्रतिशत का अन्य लोगों के द्वारा शोषण होता है। सर्वाधिक संख्या शोषण न होने वाली उत्तरदात्रियों की है। इनका 74.25 प्रतिशत है।

सम्पूर्ण सारणी पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट होता है कि महिलाओं का शोषण उनके पतियों द्वारा सर्वाधिक होता है। यह शोषण युवा वर्ग में अधिक होता है। वह चाहे किसी भी जाति से सम्बन्धित हो, नई-नवेली बहुओं के साथ अधिकतर उनके पति अपशब्द, गाली देना और मारपीट जैसी घटनायें करते हैं। आये दिन छोटी-छोटी बातों को लेकर पति-पत्नी का झगड़ा होना आम बात हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा वर्ग के पुरुष दिन भर ताश,

जुआं, शराब, गुटका जैसे व्यसनों को अपनाकर अपना समय व्यतीत करते है। जब घर पहुँचते हैं तो अपनी पत्नी पर तो तरह-तरह के रौब दिखाते हैं। अच्छा भोजन न बनाने को लेकर अपमानित करते हैं तो कहीं उसके मायके वालों को लेकर व्यंग्य कसने जैसे व्यवहार को करते हैं जिससे महिला का सामाजिक और मानसिक शोषण होता है। पतियों द्वारा महिलायें कई तरह से सताई जाती है। सर्वाधिक पति शराब पीकर अपनी पत्नियों को परेशान करते हैं।

संयुक्त परिवार प्रणाली में मुखिया की अहम् भूमिका होती है। महिलायें अधिकतर सास-ससुर के द्वारा प्रताड़ित की जाती है। महिलाओं से अधिक कार्य लेना तथा उन्हें भोजन कम देना ग्रामीण सास की यह परम्परा होती है। सास विभिन्न तानों के द्वारा अपनी बहू को कोसती है। महिलाओं का मानसिक शोषण अधिकतर उनकी सास के द्वारा होता है। इसी प्रकार देवर-ननद भी अपनी भाभियों का शोषण करते हैं। भोजन रुचिकर न होने के लिए महिलाओं के ऊपर उनके देवरों द्वारा व्यंग्य कसे जाते हैं। जिसमें जेठानी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। देवरानी-जेठानी अक्सर घर के कार्यो को लेकर झगड़ा करती हैं जिसमें एक दूसरे को प्रताड़ित करके शोषण करती है। इसके अलावा विधवा और तलाकशुदा महिला की स्थिति अत्यन्त दयनीय होती है। क्योंकि उनके सामने कई समस्यायें व्याप्त हो जाती है। यदि विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के बच्चे भी होते हैं तो कहीं-कहीं तो उनके लड़कों द्वारा शोषण किया जाता है जिसमें आर्थिक शोषण प्रमुख रूप से होता है पर यह अपवादस्वरूप ही होता है। इसके अतिरिक्त तलाकशुदा महिलाओं के साथ उनके भाई-भाभी दुर्व्यवहार करते हैं व पड़ोसी भी उनका शोषण करते हैं। तरह-तरह के तानों और व्यंगों के द्वारा महिलाओं का शोषण होता है। महिलाओं के शोषण में सामाजिक, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक शोषण उनके घर-परिवार के सदस्यों द्वारा ही होता है। कभी काम अधिक लेकर शोषण किया जाता है तो कभी खर्चे न देकर। विभिन्न प्रकार से महिलाओं का शोषण हो रहा है।

सारणी संख्या-6.16

पारिवारिक जीवन में समूह की सदस्यता के प्रभाव सम्बन्धी विवरण

क्र०सं०	स्रोत	संख्या	प्रतिशत
1.	आर्थिक निर्भरता प्रभावित हुई	73	18.25
2.	निर्णय की स्वतन्त्रता बढ़ी	224	56
3.	दैनिक क्रियाकलाप प्रभावित हुये	87	21.75
4.	कोई प्रभाव नहीं हुआ	16	4
	योग	400	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 6.16 में उत्तरदात्रियों के पारिवारिक जीवन में समूह की सदस्यता के प्रभाव सम्बन्धी विवरण को प्रस्तुत किया गया है। पारिवारिक जीवन में होने वाले प्रभावों को क्रमशः आर्थिक निर्भरता प्रभावित हुई, निर्णय की स्वतन्त्रता बढ़ी, दैनिक क्रियाकलाप प्रभावित हुए तथा कोई प्रभाव नहीं हुआ में वर्गीकृत किया गया है। जिसमें 18.25 प्रतिशत उत्तरदात्रियों की पति एवं परिवार से आर्थिक निर्भरता कम हुई है, 56 प्रतिशत स्वयं निर्णय लेने के लिए स्वतन्त्र हो गई हैं, 21.75 प्रतिशत के दैनिक क्रियाकलाप प्रभावित हुए हैं तथा 4 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं हुआ है।

सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्रामीण महिलायें पूर्णतया अपने पति या परिवार के इशारों पर चलती थीं उन्हें सामाजिक कार्यो को करने की छूट प्राप्त नहीं थी। परन्तु आज ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता के चलते महिलायें घर से निकलकर बाहर के कार्यो को कर रही हैं जिसमें स्वयं सहायता समूह की अवधारणा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलायें नये कीर्तिमान स्थापित कर रही है। स्वयं सहायता समूह की अवधारणा का प्रभाव उनके परिवारिक जीवन के कई आयामों पर हो रहा है।

पूर्व में जहाँ महिलायें अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए स्वतन्त्र नहीं थीं वही आज वह अपने व्यक्तिगत मामलों को स्वयं हल कर रही है। समूह की सदस्यता लेने के बाद सर्वाधिक छूट महिलाओं को निर्णय लेने की स्वतन्त्रता में मिली है। इसीलिए इसका प्रतिशत सर्वाधिक यानी कि आधे से अधिक है। आज प्रत्येक क्षेत्रों में महिलायें स्वयं निर्णय लेती हैं। उचित और अनुचित का निर्णय वे स्वयं करती हैं।

समूह की सदस्यता ग्रहण करने के बाद निश्चय ही महिलाओं के दैनिक क्रियाकलाप प्रभावित होते हैं क्योंकि समूह में महिलाओं को कई गतिविधियों को करना पड़ता है। स्वरोजगार हेतु किये जाने वाले कार्यो में अधिक समय देना पड़ता है। जिसमें कभी-कभी वे परिवार के सदस्यों के कोपभाजन का शिकार बनती हैं परन्तु यह संयुक्त परिवार में ही होता है वह भी एकाध परिवारों में। समूह के माध्यम से निम्न जीवन स्तर में रहने वाली महिलाओं के दैनिक क्रियाकलापों में परिवर्तन परिलक्षित हो रहे हैं। स्वयं सहायता समूह योजना का मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने का है। महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण करके उन्हें सामाजिक दर्जे में वृद्धि प्रदान करके सामाजिक विकास में सहयोगी बनाने का इस समूह का उद्देश्य है। समूह के द्वारा आय-सृजक गतिविधियों को करके महिलायें आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है। जिससे उनकी अपने पति और परिवार पर निर्भरत कम हुई है। क्योंकि पहले पति और सास-ससुर पर ही निर्भर रहना पड़ता था परन्तु महिलायें स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर हो रही हैं वे किसी दूसरे पर आर्थिक रूप से निर्भर रहने के लिए अब बाध य नहीं है। वह खुद कमा रही है और खुद खर्च कर रही हैं।

परन्तु कुछ महिलायें ऐसी भी हैं जिन पर समूह का कोई प्रभाव नही हुआ है। एक तो वे हैं जिन्हें समूह के माध्यम से सिर्फ आर्थिक रूप से ही सशक्त होना है। अर्थात् ध ान संचय ही करना है अपने बारे में किसी दृष्टिकोण को नहीं देखना है मात्र धन अर्जन करना ही उद्देश्य है। दूसरी वे महिलायें है जिन्होंने नये समूह का ही गठन किया है। वह अभी अपनी समूह को परिपक्व कर रही हैं। समूह की सदस्यता ग्रहण किये ज्यादा समय नहीं हुआ है जिससे वह अन्य गतिविधियों को कर सकें।

सारणी संख्या-6.17

समूह के माध्यम से चेतना सम्बन्धी विवरण

क्र०सं०	स्रोत	संख्या	प्रतिशत
1.	पारिवारिक	49	12.25
2.	सामाजिक	209	52.25
3.	आर्थिक	95	23.75
4.	राजनैतिक	47	11.75
	योग	400	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 6.17 में समूह के माध्यम से उत्तरदात्रियों में चेतना सम्बन्धी विवरण को प्रस्तुत किया गया है। चेतना के स्तरों को क्रमशः पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक व वर्गीकृत किया गया है। जिसमें 11.75 प्रतिशत उत्तरदात्रियों में पारिवारिक चेतना आई है 52.25 प्रतिशत में सामाजिक चेतना आई है, 23.75 प्रतिशत में आर्थिक चेतना आई है तथा 12.25 प्रतिशत में राजनैतिक चेतना का उदय हुआ है। पारिवारिक चेतना के अन्तर्गत सहयोग, सामंजस्य, उदारता तथा देखभाल को शामिल किया गया है। सामाजिक चेतना में शिक्षा, स्वावलम्बन संस्कार तथा रुढ़िवादिता का बहिष्कार को शामिल किया गया है, आर्थिक चेतना में धन संचय, पैसों का लेन-देन बचत तथा आर्थिक सामाजिक दर्जे में वृद्धि को शामिल किया गया है इसी प्रकार राजनैतिक चेतना के अन्तर्गत सामयिक राजनीति दल से सम्बन्धित तथा सक्रिय राजनीति को शामिल किया गया है।

सम्पूर्ण सारणी का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि सर्वाधिक प्रतिशत ऐसी उत्तरदात्रियों का है जिनको सामाजिक चेतना का ज्ञान हुआ है। यह प्रतिशत आधे से अधिक है। सामाजिक चेतना अधिक होने का कारण प्रतीत होता है कि यह योजना गरीबी

रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए है जिसमें निम्न सामाजिक स्थिति वाली जातियाँ ही आती है। आर्थिक कमी के चलते इन जातियों का सामजिक विकास नहीं हो पाता है। स्वयं सहायता समूह की अवधारणा ने उन्हें सामाजिक दृष्टि से मजबूती प्रदान की है। समूह की सदस्यता लेने के बाद पिछड़ी और निम्न जातियों की महिलाओं को घर की दहलीज से बाहर निकलकर नई दुनिया देखने, नया सीखने और नये कीर्तिमान स्थापित करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। समूह के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं कई मिथकों को तोड़ने में कामयाब हुई है। वह बालिका अशिक्षा, मादाभ्रूण हत्या आदि सामाजिक बुराइयों को दूर कर रही हैं। उनमें स्वयं तो पढ़ने-लिखने की ललक पैदा हुई है। अपितु वह अपने बच्चों को भी शिक्षा दिलाने में आगे आई है। वह खुद संस्कारित होकर अपने बच्चों व परिवार को संस्कारवान बना रही हैं। महिलाओं के अन्दर समूह की सदस्यता के बाद सामाजिक रुढ़िवादिता का बहिष्कार करने का साहस आया है। पर्दा-प्रथा जैसी सामाजिक कुरीति को कम करने में सफलता प्राप्त हुई है। महिलाओं में समूह के माध्यम से स्वावलम्बन व स्वाभिमान की वृद्धि हो रही है। ग्रामीण महिलाओं में आज सामाजिक चेतना का प्रादुर्भाव हुआ है। सर्वाधिक चेतना शिक्षा के क्षेत्र में हुई है आज ग्रामीण महिलाओं शिक्षा के प्रति विशेष जागरूक हुई हैं क्योंकि वे समझ गई है कि शिक्षा ही वह मजबूत हथियार है जिसके बल पर सभी लड़ाई लड़ी जा सकती है।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों की आवश्यकता मुख्यतया अर्थ प्रधान अवधारणा है। सामाजिक विकास के साथ ही इसमें महिलाओं का आर्थिक विकास भी होता है। क्योंकि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबों की निर्धनता से मुक्ति दिलाना है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं में धन का संचय करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है। क्योंकि समूह खाते में नियमित बचत करके मासिक रूप से समूह में धन जमा किया जाता है। जिसमें महिलाओं के अन्दर पैसों को जोड़कर या बचाकर रखने की आदत हो जाती है। धन संचय की प्रवृत्ति से पारिवारिक-आर्थिक जरूरतें समय-समय पर पूरी होती है। इस प्रकार धन को जमा करने की आदत में वृद्धि

होती है फिर भी यह धीरे-धीरे स्वभाव में आ जाता है। इसी प्रकार से एक दूसरे को ध
ान की आवश्यकता पड़ने पर पैसों को लेने और देने की प्रवृत्ति की भावना आ जाती है।

स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलायें अपने परिवार के आर्थिक-सामाजिक दर्जे में वृध्दि कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता अत्यधिक कठिन होती है। विशेष रूप से खेती, व्यवसाय तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है। इस बात का फायदा स्थानीय साहूकार अथवा महाजन उठाते हैं और अपनी शर्तो पर जरूरतमंद लोगों को ऋण उपलब्ध कराते हैं। परन्तु स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण महिलायें स्वरोजगारों को अपनाकर अपने परिवारों को इस कुचक्र में फंसने से बचा रही हैं। महिलायें समूह के माध्यम से अपने परिवारों का आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में वृध्दि दर्ज करा रही है।

ग्रामीण महिलाओं में पारिवारिक चेतना प्रकृति प्रदत्त विद्यमान होती है। महिलायें अधिकांशतः परिवारिक दायित्वों का निर्वहन करती है। वे बच्चों और बड़ों की देखभाल करती है। पारिवारिक कार्यो और मजदूरी जैसे कार्यो में सहयोग करती है। दया, उदारता, करुणा, त्याग आदि की उपमा महिलाओं को दी जाती है। महिलाओं में अत्यधिक सहनशीलता है इसीलिए वह विपरीत परिस्थितियों में भी अपने परिवार के साथ सामंजस्य बैठाती है। महिलाओं में इन गुणों का विकास प्राकृतिक रूप से ही होता है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वह नई दुनिया देखने, घर से बाहर निकलने, कुछ नया सीखने व करने में सहायता प्राप्त हो रही है। महिलाओं में परिवार के प्रति नई सोंच व समझ विकसित हो रही है। जिससे वह अपने परिवार का विकास कर रही है।

राजनैतिक चेतना तो महिलाओं में पंचायत व्यवस्था के उपरान्त ही आ गई थी। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण देकर उनकी भागीदारी को सुदृढ़ कर दिया गया था। आज ग्रामीण महिलायें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पंचायतों में भागीदारी कर रही है। ग्रामीण महिलायें जहां चुनकर तो पंचायतों में आ जाती थी। लेकिन शासन उनके पतियों द्वारा होता था। परन्तु आज वह सक्रिय होकर अपनी मजबूत दावेदारी प्रस्तुत कर रही हैं

ग्रामीण महिलाओं में आज सशक्त नेतृत्व करने की क्षमता विद्यमान हो गई है। यहाँ तक अनपढ़ महिलायें भी विकास कार्यो को बखूबी निभा रही है। महिलाओं में दल विशेष की राजनीति करने का जज्बा पैदा हुआ है। जहाँ वह पुरुषों के हांथों की कठपुतली बनकर रह जाती थी, वहीं आज सक्रिय रूप से राजनीति में भागीदारी कर रही हैं। ग्रामीण अशिक्षित महिलायें समूहों के माध्यम से एक सुलझी हुई राजनीति करने के गुण सीख रही हैं पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण होने से वह अपनी सशक्त भागीदारी करके ग्रामीण विकास में लगातार वृद्धि दर्ज करा रही हैं। समूह के माध्यम से ग्रामीण निर्धन एवं अशिक्षित महिलाओं में सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक राजनैतिक चेतना की वृद्धि हो रही है। महिलायें जागरूक होकर अपने अधिकारों को जान रही है। और नई चेतना के द्वारा अपने समाज का विकास कर रही है।

सारणी संख्या-6.18

समूह के माध्यम से दैनन्दनी में परिवर्तन सम्बन्धी विवरण

क्र0सं0	स्रोत	संख्या	प्रतिशत
1.	समय का महत्व	162	40.50
2.	प्रतिष्ठा की चेतना	151	37.75
3.	शुचिता का ध्यान	54	13.50
4.	जीवन शैली में परिवर्तन	33	8.25
	योग	400	100

प्रस्तुत सारणी संख्या 6.18 में समूह के माध्यम से उत्तरदात्रियों की दैनन्दिनी में परिवर्तन सम्बन्धी विवरण को प्रस्तुत किया गया है। दैनन्दनी में आने वाले परिवर्तनों को क्रमशः समय का महत्व प्रतिष्ठा की चेतना, शुचिता का ध्यान तथा जीवन शैली में परिवर्तन

में वर्गीकृत किया गया है। जिसमें 40.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों को समय का महत्व हुआ है, 37.75 प्रतिशत को प्रतिष्ठा की चेतना आई, 13.5 प्रतिशत को शुचिता का ध्यान हुआ तथा 8.25 प्रतिशत उत्तरदात्रियों को जीवन शैली में परिवर्तन आया।

सारणी का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि सर्वाधिक महिलाओं को समूह के माध्यम से समय के महत्व का ज्ञान हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे तो महिलायें अधिकतर घरेलू कार्यो में व्यस्त रहती हैं। परन्तु एकाकी परिवारों में सदस्यों की कमी रहने के कारण महिलाओं पर काम का बोझ कम रहता है। जिससे महिलायें फुरसत के क्षणों में अपना समय बेकार ही व्यतीत कर देती है। समूह की सदस्यता ग्रहण करने के बाद महिलाओं को समय का ज्ञान हुआ हैं। घर के कार्यो और समूह के द्वारा किये जाने वाले स्वरोजगार के लिए महिलायें दिन भर व्यस्त रहती है। ग्रामीण महिलाओं को अब समझ में आने लगा है कि समय बहुत कीमती है क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता है।

ग्रामीण परिवेश में निम्न जातियों को महिलाओं को सामाजिक दृष्टि से हेय समझा जाता था। उनकी खराब आर्थिक स्थिति के कारण तरह-तरह के कार्य साहूकारों ओर महाजनों के यहां बेगार के रूप करवाये जाते थे। जिसे वह पुरुखों से चली आ रही परम्परा का दर्जा देते थे। महिलाओं को काम के बदले पारिश्रमिक के रूप में वस्तु या अनाज दे दिया जाता था। उच्च जातियों के द्वारा निम्न जातियों की महिलाओं को अस्पृश्य कहा जाता था अर्थात् छुआ-छूत जैसी कुरीति समाज में व्याप्त थी और आज भी व्याप्त है। परन्तु आज महिलायें प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक जाति की गरीबी रेखा में जीवन-यापन कर रही है। वह चाहे सवर्ण हो, पिछड़े वर्गो से हों या फिर अनुसूचित जातियों की महिलायें हो यदि गरीबी रेखा के अन्दर आती है तो वे समूहों का गठन करके समस्त गतिविधियों में एक साथ बैठकर निर्णय लेती हैं और सभी कार्यो में बराबर सहभागी होती है। साथ बैठने सामूहिक रूप से कार्य करने से उनके विचारों में परिवर्तन आया हैं और समाज की नजरों में भी उच्च हुई हैं। समूह के द्वारा किये गये अच्छे कार्यो से महिलाओं की अपने घर परिवार में तो प्रतिष्ठा बढ़ती ही है साथ ही गांव और समाज में भी प्रतिष्ठा दी जाती है।

स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं में विशेषकर निम्न जाति की महिलाओं में शुचिता (साफ-सफाई) के प्रति जागरूकता आई है। ये महिलायें अपने घरों, बच्चों आदि की सफाई में विशेष ध्यान देती हैं और स्वयं भी व्यवस्थित तरीके से रहती है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई ज्यादा नहीं रह पाती है। इसलिए महिलाये शुचिता का ध्यान रखने लगी है। इसके अलावा एनजीओ पदाधिकारी व सुविधादाता समय-समय पर समूह की सदस्य महिलाओं के घर जाते रहते हैं जिससे महिलायें अपने घरों को व्यवस्थित रखती है।

आज स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं में एक नई चेतना का उदय हुआ है। ग्रामीण महिलाये घर की दहलीज से बाहर निकलकर नये प्रतिमानों को स्थापित कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलायें जब समूह के कार्यो के लिए गॉव से शहर आती हैं तो वह शहर की कई चीजों को अपने जीवन पद्धति में उतार लेती है। आज ग्रामीण महिलाओं की जीवन शैली में परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं। गवेषिका ने अपने अध्ययन के दौरान ग्रामीण महिलाओं की जीवन शैली में आये परिवर्तनों को अवलोकन के आधार पर देखा। जब समूह की महिलायें प्रशिक्षण के लिए अपने गांव से शहर या कस्बे में जाती हैं तो उनके परिधान और लिबास में परिवर्तन देखा जा सकता है। पूर्व में महिलायें जहां सौन्दर्य प्रसाधनों से अनभिज्ञ होती थी वहीं आज वह तरह-तरह के सौन्दर्य प्रसाधनों का उपयोग कर रही है। ग्रामीण महिलायें जहां साड़ी को साधारण ढंग से पहनती थी वहां आज वह पिन लगाकर साड़ी को स्टाइलिश बनाती है।, पैरों में साधारण चप्पलों की जगह आकर्षक ऊँची हील वाली सैण्डिलों ने ले ली है। इसी प्रकार खान-पान में भी परिवर्तन आया है। ग्रामीण घरों में जहां पहले घी-शक्कर खिलाया जाता था आज नमकीन और विस्कुट पेश किये जाते हैं। गवेषिका ने अध्ययन के दौरान पाया कि ग्रामीण महिलाओं की जीवन शैली में परिवर्तन आया है। क्योंकि कई जगह शिष्टाचार के रूप में चाय और पानी को ट्रे में या फिर प्लेट में रखकर दिया गया तथा नमकीन के साथ चम्मच का प्रयोग भी किया गया। इस सबको देखते हुए यह स्पष्ट है कि आज ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलाओं ने अपनी जीवन-शैली में सुधार किया है। समूहों के माध्यम से वह नये प्रतिमानों को स्थापित कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में लगातार उनकी जीवन शैली में परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं।

प्रस्तुत अध्याय में साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से उत्तरदात्रियों से प्रश्न किये गये। जिसमें कुछ प्रश्नों की सारणी बनाई गई तथा कुछ प्रश्नों को अवलोकन एवं डायरी में बनाये गये प्रश्नों के प्राप्त उत्तरों के आधार पर विश्लेषण किया गया है, जो निम्नवत् हैं –

1. स्वयं सहायता समूह की सदस्यता के लिये आपको कितना समय हो गया ?
2. एक समूह गठन के लिये कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है ?
3. समूह गठन कौन करता है ?
4. समूह गठन के लिये व्यक्तियों अथवा वर्गो का चिन्हांकन होता है ?
5. क्या समूह संचालन के लिये कोई नियमावली होती है ?
6. समूह संचालन के लिये समूह पदाधिकारी का चयन एवं कार्यकाल होता है ?
7. क्या समूह की कोई प्रबन्धकीय समिति होती है ?
8. प्रबन्धकीय समिति का चयन कौन करता है ?
9. समूह सुचारू रूप से संचालित रहे, इसके लिये क्या सभी सदस्यों की सर्व सम्मति आवश्यक है ?
10. आपके समूह का क्या नाम है ?
11. समूह में जो निर्णय लिये जाते हैं, वह सामूहिक होते हैं ?
12. समूह की गतिविधियों को देखने के लिये कोई अधिकारी आते है ?
13. समूह गठन के बाद किस विषय पर चर्चा होती है ?
14. समूह की बैठक कितने दिनों में होती है ?
15. क्या आप प्रत्येक बैठक में भाग लेती हैं ?
16. समूह खाते में जो मासिक पैसा जमा करना होता है वह लगभग कितना होता है ?
17. समूह के सदस्यों को बैंकों से सम्पर्क बनाये रखने के लिये कौन प्रोत्साहित करता है ?
18. समूह से लिये गये ऋण पर कितनी ब्याज देनी होती है ?
19. क्या आपको सी0सी0एल0 (कैश क्रेडिट लिमिट) के बारे में जानकारी है ?

20. एस0जी0एस0वाई योजना से आपको स्वरोजगार के लिये कितना धन प्राप्त होता है?
21. यह धन आपको किसके द्वारा प्राप्त होता है?
22. इस पैसे का उपयोग आपने किस व्यवसाय में किया?
23. क्या इस स्वरोजगार से आपको अप्रेक्षित लाभ मिला है?
24. बैंक से मिलने वाले ऋण पर कितनी ब्याज देय होती है?
25. यह ब्याज आपसे किस प्रकार ली जाती है?
26. किस्त अदा करने की रकम सामूहिक होती है या व्यक्तिगत?
27. क्या ऋण वसूली के लिए आपके ऊपर दबाव डाला जाता है?
28. क्या दुर्घटना के लिए कोई बीमा की योजना है?
29. आपके समूह के बचत खाते किन बैंको है?
30. क्या इन समस्याओं की चर्चा समूह की बैठक में होती है?
31. आपको जिस स्वरोजगार के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है क्या उसका कोई प्रशिक्षण दिया जाता है?

76-95 साक्षात्कार अनुसूची के प्रश्नों की संख्या।

उपरोक्त प्रश्नों से प्राप्त उत्तरों का विश्लेषण निम्न प्रकार से है-

1. प्रस्तुत अध्ययन के लिये 80 स्वयं सहायता समूहों का चयन किया गया था। प्रत्येक समूह से 5 महिलाओं से साक्षात्कार किया गया। प्रश्न के उत्तर में पाया गया कि किसी समूह को गठित हुये तीन वर्ष हो गये थे तो किसी समूह को तीन वर्ष से अधिक अतः पांचों उत्तरदात्रियों में सदस्यता की अवधि समान होती है। यदि किसी कारणवश समूह के सदस्य समूह से सदस्यता समाप्त कर लेते हैं जैसे-ज्यादा बीमार हो जाने पर, मृत्यु हो जाने पर या मन-मुटाव की स्थिति होने पर, अलग हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में समूह के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति करके दूसरी सदस्य महिला का चुनाव कर लिया जाता है जिसकी सदस्यता अवधि समूह गठन के समय से ही मानी जाती है।
2. एक समूह गठन के लिये 15-20 लोग सदस्य हो सकते हैं। परन्तु सुविधा की दृष्टि

से एक समूह में 10 से लेकर 15 सदस्य ही रहते है। उसके दो कारण है-पहला समूह में कम सदस्य होने से आपसी मतभेद या मनमुटाव नहीं होता है तथा दूसरा किये गये स्वरोजगार से अर्जित होने वाले धन की बचत प्रति सदस्य अधिक हो जाती है।

3. समूह गठन की प्रक्रिया बी०पी०एल० परिवारों की सूची के अनुसार होती है। यह सूची ग्राम प्रधान के पास ग्राम पंचायत में उपलब्ध होती है। अधिकतर समूहों का गठन एन०जी०ओ० के द्वारा होता है जिसमें ग्राम प्रधान सहायता करते हैं।

4 समूह गठन के लिये ग्रामीण निर्धन परिवारों जो गरीबी रेखा के नीचे और गरीबी रेखा में जीवन-यापन करते हैं, को ही चयनित किया जाता है। क्योंकि यह योजना बी०पी०एल० परिवारों के लिये ही है। अतः सर्वप्रथम समूह गठन के लिये ऐसे लोगों को ही चिन्हित किया जाता है जो निर्धन एवं गरीब होते हैं।

5. समूह गठन एवं संचालन के लिये सर्वप्रथम यह आवश्यक होता है कि समूह की गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिये नियमावली बना ली जाये। अतः सर्वप्रथम नियमावली बनाई जाती है जिसमें समूह की संरचना, बैठकों को आयोजित करने का दिन, समय, बचत, ऋण का लेन-देन बैंक में बचत खाता आदि बिन्दुओं को समाहित किया जाता है।

6. समूह संचालन के लिये समूह के सदस्यों को ही पदाधिकारी के रूप में चयनित किया जाता है। जिसमें अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष के पद होते है। ये पद समूह के सदस्यों के द्वारा ही चयनित होते हैं। इनका कार्यकाल 1 वर्ष या 2 वर्ष की अवधि तक होता है उसके पश्चात् समूह के अन्य सदस्यों को यह अवसर प्रदान किया जाता है। परन्तु इस पद के लिये समूह में एक दुस्प्रकार्य देखा जा सकता है। इस पद को पाने के लिये समूह के सदस्यों में कभी-कभी आपसी तालमेल बिगड़ जाता है जिसमें समूह की कार्य प्रणाली प्रभावित होती है। यदि समूह के सदस्य ऐसी स्थिति में समझदारी और सजगता से निर्णय नहीं ले पाते तो समूह टूटने की स्थिति में पहुँच जाता है।

7. समूह की प्रबन्धकीय समिति का होना नितान्त आवश्यक होता है क्योंकि किसी भी कार्य को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिये उसका प्रबन्धन आवश्यक होता है। अतः प्रबन्धन के लिये प्रबन्धकीय समिति होती है जिसमें (अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष) का चयन होता है जो समूह के प्रबन्धन को सुचारू रखते है। प्रबन्धकीय समिति को समूहों की बैठकों का आयोजन, संचालन, पैसे का रख रखाव ऋण का लेन-देन बचत को बैंक खाते में जमा करवाने आदि का दायित्व होता है।

8 प्रबन्धकीय समिति का चयन समूह के सदस्य करते हैं। क्योंकि उन्हें आपस में एक-दूसरे के बारे में जानकारी होती है कि कौन किस जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी कर सकता है। कभी-कभी प्रबन्धकीय समिति का चयन एन0जी0ओ0 द्वारा भी कर दिया जाता है। ऐसा तभी होता है जब समूह के सदस्य आपस में निर्णय न कर पाने की स्थिति में होते हैं। ऐसी स्थिति में समूह का प्रगट प्रकार्य देखा जा सकता है। समूह के सदस्य जब स्वयं निर्णय नहीं ले पाते तो वह एन0जी0ओ0 के ऊपर छोंड देते हैं कि समूह में किसे क्या कार्य करना चाहिये। एन0जी0ओ0 के द्वारा बनाई गई समिति से समूह के सदस्यों को यह लाभ प्राप्त होता है कि वह दुराग्रह और आपसी मतभेदों के उत्पन्न होने की समस्या से बच जाते हैं।

9. समूह के संचालन के लिये सभी सदस्यों में आपसी सर्व सम्मति का होना नितान्त आवश्यक है। क्योंकि समूह की अवधारणा सामूहिक उन्नति पर है। इसलिये समूह के माध्यम से किये जाने वाले प्रत्येक क्रिया कलापों में सभी सदस्यों के विचारों की सहमति होना आवश्यक होता है। यदि सभी सदस्य विस्तृत रूप से विचार-विमर्श करके एकमत से समूह गठन एवं संचालन करते हैं तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं।

10. समूहों के नाम को जानने के बाद बहुत रूचिकर बात प्रकाश में आती है। समूह के नाम चार प्रकार से रखे जाते हैं।

1. नारी दैवीय शक्ति के नाम पर।
2. क्षेत्रीय धार्मिक स्थलों के नाम पर।

3. वर्ग या जाति के नाम पर।

4. जातिगत धार्मिक स्थलों व संत-फकीरों क नाम पर।

समूह के सदस्यों के द्वारा अपने समूह का नाम उपरोक्त चार स्तरों के आधार पर रखा जाता है जैसे- नारी दैवीय शक्ति के नाम पर-दुर्गा, काली, लक्ष्मी, वैष्णों देवी आदि। इसी प्रकार क्षेत्रीय धार्मिक स्थलों के नाम पर जैसे-महाराजा, बाबा मंशानाथ बाबा, खेरेपति, मस्तान बाबा, पशराम बाबा, हरदेवलाला, मढ़ीदाई आदि। इसी प्रकार वर्ग या जाति के नाम पर जैसे-मछुआ स्वयं सहायता समूह (केवट जाति) प्रजापति स्वयं सहायता समूह (कुम्हार जाति), विश्वकर्मा स्वयं सहायता समूह (बढ़ई जाति) आदि। इसी प्रकार जातिगत धार्मिक स्थलों व संत-फकीरों के नाम पर जैसे-भगतबाबा स्वयं सहायता समूह (यादव जाति) के संत एवं उनका समाधि मन्दिर) हजरत शहीद बाबा स्वयं सहायता समूह (मुस्लिम वर्ग के फकीर व धार्मिक स्थल आदि।

11. स्वयं सहायता समूह की अवधारणा सामूहिक सोंच और उन्नति पर आधारित है। समूह में जो भी निर्णय लिये जाते हैं वह सामूहिक अर्थात् समूह के सभी सदस्यों के द्वारा लिये जाते है। प्रत्येक सदस्य बराबर का भागीदार है इसलिये किसी भी सदस्य से पक्षपात पूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता है। स्वयं सहायता समूह सामूहिक उद्देश्य की का पूर्ति एक महत्वपूर्ण साधन है इसलिये सभी सदस्यों में सर्वसम्मति आवश्यक है।

12. समूह की गतिविधियों को देखने, क्रिया-कलापों हेतु उचित मार्ग दर्शन देने के लिये एन0जी0ओ0 के पदाधिकारी व उनके सुविधादाता तथा डी0आर0डी0ए0 के सुविधादाता समय-समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर प्रतिनिधित्वपूर्ण मार्गदर्शन समूहों को प्रदान करते है। समूह के विकास और प्रगति पर एन0जी0ओ0 की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। समूह के समस्त क्रिया कलापों को सुचारू ढंग से सुनियोजित करने के लिये एन0जी0ओ0 व डी0आर0डी0ए0 फैसीलेटर (सुविधादाता) महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ग्रामीण अशिक्षित महिलाओं को समूह के माध्यम से समाज विकास में योगदान देने के लिये जागरूक करने के लिये गैर-सरकारी संगठन निरन्तर प्रयासरत

हैं। इसके अलावा कभी-कभी समूह को देखने कोई अधिकारी पहुंच जाते है जो समूह की समस्त गतिविधियों की समीक्षा करते हैं। लेकिन अधिकारीगण एकाध समूहों का ही निरीक्षण करते हैं। परन्तु एन0जी0ओ0 सभी समूहों में नियमित निरीक्षण व मार्गदर्शन देते हैं।

13. समूह गठन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण गरीबों की कार्य क्षमता पर आधारित अनेक लघु उद्योगों की स्थापना करके गरीबी से मुक्ति और छुटकारा प्राप्त करने का है। अतः समूह की गतिविधियों में मुख्यतः अर्थ प्रधान क्रिया-कलापों को करने पर बल दिया जाता है। इसलिये आर्थिक सोंच ज्यादा बलवती होती है। परन्तु आर्थिक गतिविधियों के साथ-साथ सामाजिक जिसमें शिक्षा स्वास्थ्य आदि विषयों पर चर्चा की जाती है एवं मुद्दा बनाया जाता है साथ ही राजनीतिक गतिविधियों को भी सम्मिलित किया जाता है। ग्रामीण महिलाओं के द्वारा पंचायतों के माध्यम से होने वाले ग्रामीण विकास की जानकारी व योजनाओं का विवरण भी समूह के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है।

14. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलायें श्रम बल आधारित कार्यो को अधिक करती हैं तथा असंगठित क्षेत्रों में उनकी भागीदारी सर्वाधिक होती हैं। इसलिये ग्रामीण महिलायें अधिक व्यस्त रहती है। वह समूह की बैठकों का आयोजन माह में एक बार ही करती है। आवश्यक गतिविधियों हेतु वह बैठक को निश्चित समय से पूर्व भी कर लेती है परन्तु यह आवश्यकता पड़ने पर ही होता है। आकस्मिक बैठक विशेष परिस्थितियों में ही बुलाई जाती है।

15. समूह की प्रत्येक बैठक में सहभागी होना समूह के सभी सदस्यों का प्राथमिक कर्तव्य होता है। समूह की बैठक में सहभागी होना अत्यन्त आवश्यक है। सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। क्योंकि सामूहिक निर्णय में सारे सदस्यों की सहमति ली जानी आवश्यक होती है। कोई भी निर्णय जो समूह के हित में लिया जाता है, उसकी जानकारी सभी सदस्यों को हो तथा समूह की आर्थिक स्थिति जैसे कुल बचत, कुल अंतःऋण वापसी एवं कुल पूंजी की जानकारी के लिये उपस्थिति रहना अनिवार्य होता

है। वैसे तो सभी सदस्य उपस्थिति होते हैं। परन्तु जिन महिलाओं के साथ अवरोध लगे होते हैं वह या तो किसी प्रकार से पहुंच जाती है या फिर समूह की सदस्य महिलाओं से बैठक में न पहुंच पाने के लिये क्षमा मांग लेती है। धीरे-धीरे वह उन परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर लेती हैं जो उनके मार्गकी अवरोधक थीं।

16. समूह की भावना सामूहिक उन्नति पर है। स्वयं सहायता समूह में बचत सदस्यों की समूह की भावना का परिचायक है। समूह खाते में बचत का जो पैसा जमा किया जाता है वह सदस्यों की आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुये तय किया जाता है कि प्रति सदस्य कितने रु० जमा होंगे। क्योंकि यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिये है। किसी समूह के सदस्य 15 रु० मासिक जमा करने की स्थिति में होते है तो कोई समूह 50 रु० या अधिक करने की स्थिति में। यह सदस्यों की आर्थिक स्थिति के ऊपर होता है कि वह प्रत्येक माह बचत खाते में कितने पैसे दे सकते हैं उसी आधार पर प्रत्येक समूह के सदस्य बचत राशि को तय करते हैं।

17. समूह के सदस्यों को बैंको से सम्पर्क रखने के लिये एन०जी०ओ० प्रोत्साहित करते हैं। ग्रामीण अशिक्षित महिलाओं को बैंकिग प्रणाली का ज्ञान नहीं होता है। समूह खाते में धन जमा करना व आहरण करने के लिये एन०जी०ओ० सुविधादाता उनकी सहायता करते हैं। एन०जी०ओ० के माध्यम से ही उन्हें ज्ञात होता है कि बैंक में नियमित बचत के पैसे जमा करने से उनके पैसो में निरंतर वृद्धि होती हैं।

18. स्वयं सहायता समूह के सदस्य अपने बचत के पैसों से आन्तरिक ऋण का लेन-देन करते हैं। बीमारी, शादी, आकस्मिक कार्य आदि के लिये समूह के सदस्य एक दूसरे से ऋण लेते हैं। जिस पर 24 प्रतिशत ब्याज वार्षिक दर से प्रति सदस्य देना होता है, जिसे ग्रामीण भाषा में 2 रु० सैकड़ा कहते है। आन्तरिक ऋण के लेन-देन से समूह के सदस्यों को साहूकारों के कर्जे से मुक्ति मिलने की सुविधा प्राप्त हुई है। समूह के सदस्य आपस में ही एक दूसरे की धन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

19. समूह के सभी सदस्यों को सी0सी0एल0 (कैश क्रेडिट लिमित) की जानकारी होती है क्योंकि सर्वप्रथम समूह के धन और रिवाल्विंग फण्ड की बैंक द्वारा सी0सी0एल0 बनाई जाती है। उसी पैसे को समूह के सदस्य आवश्यकता पड़ने पर निकालते है। अतः सी0सी0एल0 की जानकारी प्रत्येक सदस्य को होती है। हालांकि ग्रामीण महिलायें इंग्लिश की इस भाषा से अनभिज्ञ होती हैं परन्तु इसके अर्थ को वह या तो सुविधादाता से समझ लेती हैं या फिर बैंक मैनेजर से जानने का प्रयास करती है।

20. एस0जी0एस0वाई0 एक ऋण-सह-अनुदान कार्यक्रम है। यद्यपि एस0जी0एस0वाई0 में ऋण प्रमुख अंग होता है तथा अनुदान एक लघु तथा सहायता का तत्व होता है। इस योजना के अन्तर्गत अनुदान की दर समान होती है, जो परियोजना लागत की 30 प्रतिशत होती है तथा इसकी अधिकतम सीमा रु0 7500 होती है। अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिये 50 प्रतिशत होता है। तथा इसकी अधिकतम सीमा रुपये 10000 होती है। स्वरोजगारियों के स्वयं सहायता समूह के लिये अनुदान की दर परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत होती है। तथा इसकी अधिकतम सीमा रु0 1.25 लाख होती है। शेष राशि परियोजना लागत के लिये बैंक से ऋण लिया जाता है।

21. एस0जी0एस0वाई0 की सम्पूर्ण ऋण राशि डी0आर0डी0ए0 के माध्यम से बैंक को दी जाती है। अनुदान राशि ब्लॉक को रिवालिंग फण्ड के रुप में दी जाती है जो सी0सी0एल0 बनाकर बैंक को दे दी जाती है। जिसे समूह के सदस्य आवश्कतानुसार आहरण एवं जमा करते है। इस प्रकार सम्पूर्ण धन बैंकों के माध्यम से सदस्यों को प्राप्त होता है।

22 एस0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह को जो धनराशि प्राप्त होती है उससे समूह के सदस्य विविध उद्योगों को स्वरोजगार के रूप में अपनाते है। प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र के स्वयं सहायता समूहों के द्वारा स्वरोजगार हेतु भैंसपालन, बकरीपालन, मुर्गीपालन, दलिया, उद्योग, दाल प्रतिशोधन, सब्जी उत्पादन जैसे स्वरोजगारों को अपनाया गया है। इन स्वरोजगारों का विधिवत वर्णन अध्याय चतुर्थ में दिया गया है।

23 स्वयं सहायता समूह की अवधारणा का उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। समूहों को स्वरोजगार के माध्यम से लाभ प्राप्त हो रहा है भले ही अपेक्षा से कम हो परन्तु पूर्व की निम्न आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिये स्वयं सहायता समूह एक कारगर उपाय साबित हो रहा है।

24. बैंक से मिलने वाले ऋण पर 7.5 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक वार्षिक ब्याज दर समूह के सदस्यों से ली जाती है। इसे किश्तों के रूप में लिया जाता है।

25. बैंक ऋण देने पर ऋण की वसूली किश्तों के रूप में सदस्यों से लेता है। किश्त त्रैमासिक या अर्द्धवार्षिक दोनों हो सकती है। बैंक समूहों की अदायगी पर निर्भर करते हैं कि वह किश्त किस प्रकार लेंगे। इस प्रकार समूह के सदस्यों को तीन महीने या छः महीने के हिसाब से किश्त बैंको द्वारा भेजी जाती है।

26. किश्त अदा करने की जिम्मेदारी समूह के सभी सदस्यों पर सामूहिक रूप से होती है क्योंकि स्वरोजगार के लिये धन सामूहिक रूप से समूह के सदस्यों को दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य सामूहिक उन्नति का है अतः ऋण अदायगी भी सामूहिक रूप से होती है। जिससे किसी एक सदस्य पर ऋण का बोझ भी नहीं पड़ता है।

27. ऋण वसूली के लिये समूह पर दबाव नहीं डाला जाता क्योंकि अधिकतर समूह ऋण अदायगी कर देते है। एकाध समूह जो धन वापसी नहीं कर पाते है। उन्हें बैंको द्वारा डिफाल्टर (चूककर्ता) की सूची में रख दिया जाता है। जिससे समूह की कार्य प्रणाली रूक जाती है और समूह टूट जाते है। ऐसी स्थिति से बचने के लिये। अधिकतर समूह ऋण अदायगी कर देते है।

28. दुर्घटना हेतु बीमा की योजना बैंको द्वारा परियोजना के आधार पर की जाती है। भैंसपालन, बकरीपालन, मुर्गीपालन जैसे स्वरोजगार के लिये बीमा की योजना है शेष स्वरोजगारों के लिये बीमा योजना का प्रावधान नहीं है। समूह के सदस्यों का बीमा अभी इस विकासखण्ड के अन्तर्गत प्रकाश में नहीं आया है।

29. स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के बचत खाते राष्ट्रीकृत बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में है। अन्य किसी बैंको की भूमिका नहीं है। राष्ट्रीकृत बैंक जिसमें स्टेट बैंक आफ

इण्डिया तथा इलाहाबाद बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण है तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का समूहों को ऋण देने में विशेष योगदान है।

30. स्वयं सहायता समूह के सदस्य बैंको में आने वाली समस्याओं की चर्चा समूह की बैठक में करते हैं। इसके अलावा कुछ जागरूक महिलाओं द्वारा कमीशनखोरी और अशिष्ट व्यवहारों की चर्चा लिखित शिकायत द्वारा तहसील दिवस में दी गई। बैंक की खराब कार्य-प्रणाली को लेकर महिलाओं ने बैंको के सामने धरना-प्रदर्शन एवं नारेबाजी की। किसी-किसी समूह की महिलायें अपने अथक प्रयासों से बैंक मैनेजर को स्थानान्तरण कराने तक में सफल हुई हैं।

31. स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को अपनायें जाने वाले स्वरोजगार से पूर्णतया लाभ प्राप्त हो इसके लिये शासन द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र के स्वयं सहायता समूहों का प्रशिक्षण जिला ग्राम्य विकास संस्थान, मौदहा में आयोजित किया जाता है। यह प्रशिक्षण संथान दो जनपदों क्रमशः हमीरपुर व महोबा के स्वयं सहायता ससमूहों के सदस्यों को प्रशिक्षण देता है। समय-समय पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों से समूह के सदस्य कृषि, बागवानी, डेयरी उद्योग एवं तकनीकी ज्ञान प्राप्त करते हैं जिसमें महिलायें बढ़-चढ़कर भागीदारी करती हैं।

76-95 स्वयं सहायता समूह की अवधारणा महिलाओं के आर्थिक विकास के साथ-साथ सामजिक विकास को करने में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। समूह की सदस्यता ग्रहण करने के बाद महिलाओं का घर परिवार में स्थान श्रेष्ठ हो गया है क्योंकि समूह के द्वारा महिलायें अपने घर व गांव का नाम रोशन कर रही हैं यहां तक कि अखबारों व टी०वी० चैनलों में समाचार के माध्यम से यश प्राप्त कर रही हैं। कुछ ऐसे स्वरोजगारों को अंजाम दे रही हैं जिससे उनकी पहचान देश स्तर पर कायम हो रही है जिससे वह दूसरों की दृष्टि में सम्माननीय स्थान प्राप्त कर रही है। समूह के माध्यम से महिला अपने अधिकारों को जान रही है। महिला अधिकारिता को प्राप्त करके वह समाज विकास में अपना योगदान दे रही है। समूह की सदस्यता से जो महत्वपूर्ण प्रगति हुई वह महिलाओं का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना। समूह के माध्यम से

महिलायें सामाजिक बुराइयों जैसे-नशाबंदी, पर्दा-प्रथा, जातिगत छुआ-छूत महिला हिंसा व शोषण आदि के खिलाफ जागरूक हुई हैं और अपने अधिकारों के लिये संघर्ष करने का साहस आया है। समूह की सदस्यता से महिलायें अपने घरों को साहूकारों के कर्ज से बचाने में सफल हो पाई है। समूह के द्वारा ही उन्हें उनकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। समूह से ऋण लेकर वह साहूकारों के चंगुल से बचने में सफल हो रही हैं समूह के द्वारा ही महिलायें आर्थिक व सामाजिक रूप समर्थ व सक्षम होकर स्वावलम्बी हो रही है। उनके अन्दर स्वयं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हुआ है। ग्रमीण महिलाओं ने समूहों के माध्यम से जो संगठन तैयार किये है उसे नारी शक्ति बलवती हुई है और सामाजिक एकता में वृद्धि हुई है। निश्चित ही स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, दृष्टि से सशक्तीकरण हो रहा है।

सप्तम् अध्याय

निष्कर्ष एवं सुझाव

अध्याय सप्तम्

निष्कर्ष एवं सुझाव

प्रस्तुत अध्ययन 'ग्रामीण विकास में महिलाओं की भागीदारी एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (हमीरपुर जनपद के मौदहा विकास खण्ड के स्वयं सहायता समूह के विशेष संदर्भ में) पर आयोजित किया गया। अध्ययन को छः अध्यायों में विभक्त किया गया है। प्रथम अध्याय में प्रस्तावना, द्वितीय अध्याय में पद्धतिशास्त्र, तृतीय अध्याय उत्तरदाताओं की सामाजिक पृष्ठभूमि से सम्बन्धित है, चतुर्थ अध्याय में स्वयं सहायता समूह में महिलाओं की भागीदारी, पंचम अध्याय में स्वयं सहायता समूह का प्रकार्यात्मक एवं अकार्यात्मक पक्ष का विवरण दिया गया है छठे अध्याय में तथ्यों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तावना को तीन खण्डों में विभक्त किया गया है। खण्ड क में महिला सशक्तीकरण खण्ड ख में पंचायतीराज एवं खण्ड ग में स्वयं सहायता समूह की विवेचना की गयी है। देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में ग्रामीण विकास एक आधारभूत अभिन्न अंग है। यह भी कहा जा सकता है कि ग्रामीण विकास ही राष्ट्रीय विकास है। यह सर्वविदित है कि हमारे देश की जनसंख्या का आधा भाग महिलाएं हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को स्वीकार किया गया है क्योंकि महिला एवं पुरुष विकासरूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। महिलाएं राष्ट्र के विकास में उतना ही महत्व रखती हैं जितना पुरुषों का है। अतः देश का समग्र विकास महिलाओं की भागीदारी के बगैर संभव नहीं है।

समाज में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। महिलाओं की शक्ति का समुचित उपयोग करने एवं सम्मानीय स्थान देने पर वे राष्ट्र के विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित कर सकती हैं। यह सच है कि ग्रामीण महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़े बिना किसी समाज, राज्य एवं देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक विकास की कल्पना भी नही की जा सकती है।

यद्यपि ग्रामीण महिलाओं के जीवन-स्तर में सुधार धीमी गति से हुआ है, जिसका

मुख्य कारण ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का सीमित प्रभाव रहा है। इन कार्यक्रमों का लाभ दूर-दराज के इलाकों तक नही पहुँच पाया है। इसलिये योजना के प्रारूप में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लाभ से महिलाओं को वंचित नहीं रखा जाए और सामान्य विकास कार्यक्रमों के साथ-साथ महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम भी चलाए जाएं। सामान्य विकास कार्यक्रमों में आर्थिक जैंडर संवेदनशीलता परिलक्षित की जानी चाहिए।

भारत का दीर्घकालीन इतिहास है, अन्य कई देशों से भी अधिक दीर्घ जिसमें नारी के प्रति व्यवहार में प्रसंशा और श्रद्धा से तिरस्कार और दुर्व्यहार तक अस्थिरता दर्ज है। वैदिक साहित्य के प्रमाण बताते हैं कि भारतीय समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा, धर्म, राजनीति, संपत्ति व उत्तराधिकार के अधिकार प्राप्त थे। पुरुषों के समान स्वतन्त्रता और शील तथा सम्मान की रक्षा करना एक महान कर्तव्य माना जाता था। वैदिक युग में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। मध्ययुग में पितृसत्तात्मक और पुरूष प्रधान समाज में स्त्री-पुरुष में असमानता स्वीकृत हो गयी थी। लिंगभेद के आधार पर स्त्री-पुरूष की भूमिका निर्णित थी और स्त्रियों की स्थिति घर के चार दीवारी के अन्दर तक ही थी। यह युग महिलाओं की स्थिति की दृष्टि से एक कलंक का युग माना जाता है। अंग्रेजों के समय में शिक्षा-सुधार के प्रयास, पश्चिमी उदारमतवाद, मानवतावाद और लोकतंत्र, स्वतंत्रता-समानता की वजह एवं स्वतन्त्रता के बाद महिलाओं के अधिकारों को देने के लिये भारतीय समाज सुधारकों के योगदान जैसे प्रभाव से महिलाओं के स्थान एवं भूमिका में परिवर्तन आया है। स्वाधीनता आंदोलन से उत्साहित और समाज सुधारकों के समर्पित प्रयासों द्वारा विगत सौ वर्षो ने पिछली कई शताब्दियों से महिलाओं के विरूद्ध की गई गलतियों के सुधार हेतु प्रयत्नशील, पुनरुत्थानशील भारत को देखा है। स्वतंत्रता आन्दोलन में अनेक उच्च्व मेधावी महिलाओं के साथ-साथ सामान्य महिलाओं ने भी भाग लिया और आंदोलन की अगली कतार में रही। भारतीय इतिहास के इस दौर के अनुभवों से पश्चिमी शिक्षा और उदार आदर्शो की बढ़ती जानकारी महिलाओं के भेदभाव के सभी रूपों को

समाप्त करने की जरूरत पर अन्तर्राष्ट्रीय ध्यान से देश के भीतर सामाजिक चेतना में वृद्धि हुई।

विश्व इतिहास इस बात का साक्षी है कि महिला पुरूष की तुलना में अपने अधिकारों के संदर्भ में सदैव उपेक्षित रही है, इसलिए प्रत्येक समाज में महिलाओं के साथ शोषण, अन्याय और अत्याचार होता रहा है। इस शोषण के पीछे उनमें व्याप्त अशिक्षा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जागरूकता की कमी, पुरूष प्रधान मानसिकता, रूढ़िवादिता तथा आर्थिक आधार पर पुरूषों पर निर्भर रहना आदि कारण उत्तरदायी रहे हैं।

1970 से शुरू होने वाले दशक में यूरोप और अमेरिका की अनेक जागरूक महिलाओं ने अनुभव किया कि महिलाओं में मताधिकार आन्दोलनों और उनकी स्थिति के प्रति उदारवादी एवं समाजवादी दोनों विचार परम्पराओं में इतनी सजगता के बावजूद स्थिति पश्चिमी संस्कृति के भीतर महिलाओं की पराधीनता का अंत करने की दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हो पायी। तभी महिला-अधिकारों के लिए एक नये आन्दोलन का सूत्रपात हुआ।

विदेशों में जो महिला आन्दोलन चल रहा है उसके पीछे कुछ पुख्ता कारण हैं वहाँ आधुनिकता, तार्किकता, प्रजातंत्र, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं तकनीकी शिक्षा का प्रभाव है। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं ने अपने अधिकारों की मांग की है। सन् 1960 के दशक में यूरोप में क्रान्तिकारी नारीवादी का जन्म हुआ। यह नया नारीवाद केवल कानूनी मानता नहीं चाहता और न यह वर्ग के मुद्दे को उठाता है। उसका यह कहना है कि महिलाओं का दमन जैविकीय आधार पर किया जाता है।

भारतीय आधुनिक महिला आन्दोलन को पश्चिम के महिला आन्दोलन से पृथक करके नहीं देखा जा सकता। भारत के विभिन्न भागों में अलग-अलग नारी संगठन तो प्रायः बीसवीं सदी के शुरू में अस्तित्व में आ गये थे। अखिल भारतीय स्तर पर कार्य करने वाले दो उल्लेखनीय संगठन 'वूमेन्स इण्डियन एशोसिएशन' तथा 'नेशनल काउंसिल ऑफ विमेन' महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। देश भर में 60 और 70 के दशक में हमारे यहाँ नारी आन्दोलन ने एक नया स्वरूप धारण किया। कुछ नये मंच हमारे सामने आये इनमें स्त्री

मुक्ति संगठन, नारी समता मंच, नारी अत्याचार विरोधी मंच, बुन्देलखण्ड में बनांगना, गुलाबी गैंग एवं चिनगारी महिला संगठन आदि सम्मिलित है। इन संगठनों का विरोध महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, बलात्कार, शोषण, हिंसा, दहेज हत्या, परिवार में मारपीट, कामकाजी महिलाओं की समस्याओं, वेश्यावृत्ति, निम्न जाति की महिलाओं का शोषण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं से हैं।

नारी शोषण या नारी समस्या मूलतः पुरूष प्रधान समाज और समाज की दोहरी मानसिकता से जनित है। पुरूष समाज में सदैव से एक बुर्जुवा की तरह शोषक और महिलायें सदैव से ही सर्वहारा की तरह शोषित रही हैं। किसी भी सभ्य समाज की स्थिति उस समाज में महिलाओं की दशा देखकर ज्ञात की जा सकती है। महिलाओं की स्थिति ही वह सपना है जो समाज की दशा और दिशा को स्पष्ट कर देता है। सन् 2001 में भारत की कुल जनसंख्या 1,02,70,15,247 हो गई, जिसमें 53,12,77,078 पुरूष तथा 49,57,38,169 महिलाएं है। जो कुल आबादी का 48.27% है। देश के इतने बड़े भाग का जीवन यदि शोषित, उपेक्षित और दोयम दर्जे का हो तो स्पष्ट है कि ऐसे समाज के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

महिलाओं के विकास के आधारभूत मानदंडो में अब सरकारी दृष्टिकोणों भी काफी बदलाव आया है। जहाँ स्वतन्त्रता प्राप्ति से वह कल्याण और विकास के सवालों में उलझी थी। आज वहीं महिलाओं के सशक्तीकरण के प्रयासों को तेजी देने के लिये तैयार है। आठवीं पंचवर्षीय योजना विकास प्रक्रिया में समान साझेदार एवं प्रतिभागी के रूप में महिलाओं पर विशेष बल देते हुए महिला सशक्तीकरण की दिशा में और आगे बढ़ी है।

सशक्तीकरण का अर्थ किसी कार्य को करने या रोकने की क्षमता से है, महिला सशक्तीकरण का आशय नारी के अपने अधिकार, सम्मान एवं योग्यता में संवर्धन की ओर अग्रसर करना है। महिला सशक्तीकरण का तात्पर्य महिलाओं को पुरूषों के बराबर वैध ाानिक, राजनीतिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्ता से है।

महिलायें पुरूषों से कुछ मायने में पिछड़ गई थी परिणामस्वरूप साधनों पर पुरूषों का स्वामित्व एंव अधिकार हो गया तथा महिलाओं को अवसरों और संसाधनों से वंचित कर दिया गया। इसलिये आज सन्तुलन को बनाये रखने के लिये महिला सशक्तीकरण आवश्यक हो गया है, महिलाओं में व्याप्त अशिक्षा, अधिकारों के प्रति उदासीनता, आर्थिक, निर्भरता तकनीकी अज्ञानता, स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता, सामाजिक कुरीतियों एवं पुरूषों का महिलाओं पर प्रभुत्व आदि समस्याओं को दूर करना आवश्यक है। महिला सशक्तीकरण के माध्यम से समाज में नारी की अस्मिता के विकास में आने वाले अवरोधों के खिलाफ एक सामाजिक चेतना को जागृत करना है।

महिला सशक्तीकरण आधुनिक जीवन में सामाजिक न्याय की जड़ों को मजबूत करता है। समाज के रवैये में बुनियादी परिवर्तन लाकर महिलाओं के विवेक, सामर्थ्य एवं योग्यताओं को मिलने वाली चुनौतियों के बीच उन्हें प्रोत्साहित करना है। अपनी क्षमताओं को पहचानकर और उन्हें काम में लाकर व्यवहार में परिणित करना जिससे वे समाज के उत्थान में योगदान कर सकती है। महिलाओं का सशक्तीकरण एक लगातार चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है, इसका मूल उद्देश्य यह है कि हाशिये के लोगों को मुख्यधारा में लाया जा सके और सत्ता-संरचना में भागीदार बनाया जा सके।

परन्तु महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में बाधाये भी है जिनमें मुख्यता महिलाओं में व्याप्त अशिक्षा, अधिकारों के प्रति उदासीनता, आर्थिक, निर्भरता, तकनीकी अज्ञानता, स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता, सामाजिक कुरीतियां एवं विचार तथा पुरूषों का महिलाओं पर प्रभुत्व ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो महिला सशक्तीकरण में अवरोधक का कार्य करते हैं। बावजूद इस सबके महिला सशक्तीकरण के लिय विविध आयामों में शिक्षा वह आयाम है जो महिला सशक्तीकरण के सभी रास्ते खोलती है। अतः महिलाओं में चेतना जागृत करने के लिये उन्हे शिक्षित करना अति आवश्यक है। विभिन्न संस्कृतियों, लोकाचारों, धर्मो, अर्थव्यवस्थाओं, पर्यावरणों, प्रशासन तंत्रो, परम्पराओं एवं बच्चों के लालन-पालन में महिलाओं की उचित भागीदारी आवश्यक है।

सरकार ने महिलाओं को सही मायने में सशक्त बनाने की दृष्टि से महिलाओं के लिये विशिष्ट कानून बनाये हैं, जिनका उद्देश्य तमाम बातों के साथ-साथ सामाजिक भेद-भाव से उन्हे संरक्षण प्रदान करना और समान अवसर प्रदान कराना है। महिलाओं के विकास के लिये कई योजनायें चलाई गई जिनमें महिला समृद्धि योजना, इंदिरा महिला योजना, महिलाओं हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना तथा संविधान का तिहत्तरवां और चौहत्तरवां संशोधन जिसके अन्तर्गत महिलाओं के लिये पंचायतों व नगर निकायों के चुनावों में सभी श्रेणियों में सभी स्तरों पर एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया।

1975 में विश्व महिला सम्मेलन में कहा गया था कि दुनियां की सारी आमदनी में 50 प्रतिशत आय महिलाओं की होती है। इसलिये महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देकर ग्रामीण विकास में उनकी भागीदारी सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया गया था। यू०एन०एफ०पी०ए० रिपोर्ट 'स्टेट ऑफ वर्ल्ड पापुलेशन 2005' के अनुसार भारत के स्थानीय प्रशासन में 10 लाख से अधिक महिलाओं के प्रवेश से अभूतपूर्व क्रांति हुई है। रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय स्तर पर अधिक महिलाओं द्वारा पंचायतों में जनकल्याण की नीतियों को प्राथमिकता दी जा रही है जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, सड़क निर्माण प्रमुख है। स्वयं महासचिव कोफी अन्नान ने अपनी रिपोर्ट 'इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ विमैन एण्ड मैन इन डिसीजन मेकिंग' में यह स्वीकार किया है कि पंचायतों में महिलाओंकी उपस्थिति से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए है। महिलाओं ने पंचायतों को सामुदायिक मांगों विशेषतः स्कूल, घर तथा स्वास्थ्य के प्रति उत्तरदायी बना दिया है। महिलाओं की उपस्थिति ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को सम्भव बना दिया है तथा महिला नागरिकों के लिये सरकारी सेवाएं प्राप्त करना सरल हो गया है और वे अपने अधिकारों की मांग कर रही हैं। जहां महिलाओं का नेतृत्व है वहां यह पूरी संभावना है कि वे महिलओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नीतियां क्रियांवित करायेंगी। (अन्नानः2006/17)

यद्यपि बुन्देलखण्ड में महिला प्रतिनिधि अंधविश्वास पर्दाप्रथा तथा रूढ़िवादी विचार धाराओं के कारण सक्रिय नहीं हो पाती थी जिसके मूल में मुख्यतः अशिक्षा एवं जागरूकता का अभाव ही रहा है। परन्तु धीरे-धीरे शिक्षा के बढ़ते हुये स्तर एवं जागरूकता के कारण इस स्थिति में परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है जो महिलाओं के लिये विकास में अपनी सशक्त भागीदारी सुनिश्चित कराने में महत्वपूर्ण होगा। आज महिलाएं पंचायतों में आरक्षण के तहत समाज विकास में प्रत्येक स्तर पर अपनी भागीदारी करके समाज का सर्वांगीण विकास कर रही हैं।

पंचायत व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण देकर उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित की गयी है। इसके अलावा उनका आर्थिक सशक्तीकरण करने के प्रयास भी किये गये है। जिसमें स्वयं सहायता समूह को माध्यम के रूप में अपनाया जा रहा है। भारत में विश्व का सबसे अधिक विस्तृत व व्यापक सूक्ष्म ऋण (माइक्रो फाइनेंस) कार्यक्रम चल रहा है जो आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं को स्वावलम्बी व आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है जिसमें दूरस्थ गांवों की महिलाएं स्वयं सहायता समूह में संगठित होकर आय उन्मुख उद्योग संचालित कर स्वावलम्बी बन रही हैं। सरकार ऐसे स्वयं सहायता समूह को माइक्रो फाइनेंस देकर सहयोग कर रही है, जिनमें राष्ट्रीय महिला कोष (आर०एम०के० नेशनल क्रेडिट फंड फॉर विमैन) गरीब महिलाओं को उनके जीवन-यापन तथा संबंधित गतिविधियों के लिये क्रेडिट प्रदान कर रहा है। स्वयं सहायता समूहों के संचालन से महिलाओं में जागरूकता, आत्मसम्मान और विश्वास में वृद्धि हो रही है।

स्वयं सहायता समूहों का गठन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित 'स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस०जी०एस०वाई०) के अन्तर्गत किया गया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण गरीबों के स्वरोजगार के लिये चल रहा एक मुख्य कार्यक्रम है। पूर्ववर्ती समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०) और इसके सहायक कार्यक्रमों अर्थात स्वरोजगार के लिये ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण (ट्रायसेम), ग्रामीण क्षेत्रों में महिला बाल विकास (ड्वाकरा), ग्रामीण क्षेत्रों में औजार-किटों की

आपूर्ति (सिट्रा) और मिलियन वेल्स स्कीम (एम0डब्लू0एस0) के अलावा गंगा कल्याण योजना (जी0के0वाई0) की पुनः संरचना करने के बाद 01.04.1999 को यह 'स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के नाम से नया कार्यक्रम शुरू किया गया।

वर्तमान समय में भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास की दिशा में स्वयं सहायता समूह को आम आदमी के विकास के माध्यम के रूप में देखा जा रहा है जिसमें महिलायें सर्वोच्च वरीयता में हैं। इसके महत्व को अधिक से अधिक क्षेत्रों में एक सक्रिय प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। आज महिला सशक्तीकरण के लिये सरकार द्वारा विभिन्न योजनायें चलाई जा रही हैं जिनका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को जागरूक तथा आत्मनिर्भर बनाना है इसके लिये प्रत्येक ग्राम को इकाई मानकर महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिसमें मुख्य भूमिका समूहों के सदस्यों की ही है, सरकारी सहायता तो उनके मार्गदर्शन आदि के लिये है, मुख्य लक्ष्य तो महिलाओं को आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी तथा जागरूक एवं नेतृत्व क्षमता प्रदान करना है, जिससे ग्रामीण विकास में उनकी मजबूत भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

द्वितीय अध्याय पद्धतिशास्त्र है-भारत में महिलाओं की प्रस्थिति से संबंधित अध्ययनों की प्रचुरता रही है। महिलाओं की प्रत्येक स्थितियों पर समाज-वैज्ञानिकों ने समय-समय पर अध्ययन किये हैं। सरकार भी महिलाओं की सशक्तीकरण एवं जागरूकता सम्बन्धी अध्ययनों एवं योजनाओं को समय-समय पर प्रतिपादित एवं क्रियान्वित कर रही है। ग्रामीण महिलायें समाज विकास में योगदान देकर भागीदारी सुनिश्चित करा रही हैं। इस दृष्टि से बुन्देलखण्ड के हमीरपुर जनपद के अति पिछड़े क्षेत्र मौदहा विकासखण्ड के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को समझने के लिये अध्ययन की आवश्यकता है। प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र में महिलाओं की प्रस्थिति एवं जागरूकता सम्बन्धी अभी तक कोई अध्ययन नहीं हुआ है। यह क्षेत्र बालिकाओं एवं महिलाओं के सम्बन्ध में अत्यन्त रूढ़िवादी रहा है तथा महिला विकास व जागरूकता प्रभावित रही है जिससे ग्रामीण विकास एवं समाज में महिलाओं की भागीदारी नगण्य रही है। यह क्षेत्र बुन्देलखण्ड का अति पिछड़ा एवं अशिक्षित

क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र की महिलाओं में क्या शिक्षा के प्रति जागरूकता व्याप्त हुई है। क्या उनके अन्दर सामाजिक चेतना का उदय हो पाया है। पंचायत में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है तो क्या इस क्षेत्र की महिलायें आरक्षण के विषय में जागरूक हैं और आरक्षण का लाभ ले पा रही हैं। यह जानने का प्रयास प्रस्तुत अध्ययन में किया गया है ऐसे क्षेत्रों की महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन सुदृढ़ हो पाया है, ऐसी महिलाओं का अध्ययन करना अति महत्वपूर्ण है। अध्ययन का लक्ष्य केन्द्रित रखने के लिये इसके कुछ उद्देश्य बनाए गए तथा उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये अध्ययन की उपकल्पनाएं बनाई गई।

अध्ययन को सफल बनाने हेतु कुछ अनुसंधान प्रविधियों का सहारा लिया गया। जिसके अन्तर्गत अध्ययन की दृष्टि से मौदहा विकास खण्ड में ग्रामीण रोजगार हेतु चल रही स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों में कार्यरत ग्रामीण महिलाओं को केन्द्र में रखा गया है जिनकी संख्या 400 है। इन महिलाओं का निरीक्षण अर्द्ध सहभागी विधि के माध्यम से किया गया है। सूचनाओं के संकलन हेतु व्यक्तिगत साक्षात्कार का सहारा लिया गया है। साक्षात्कार के दौरान अनुसूची के माध्यम से सूचनायें संग्रहीत की गई। 95 प्रश्नों की साक्षात्कार अनुसूची में सभी प्रकार के प्रश्नों को इस प्रकार रखा गया जिससे ग्रामीण महिलाओं की मनोवृत्तियों, परिस्थितियों, जागरूकता एवं ग्रामीण विकास में सशक्त भागीदारी करने सम्बन्धी चेतना को जाना जा सके। प्रस्तुत अध्ययन में स्वयं सहायता समूहो का चयन विषय की आवश्यकता एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये दैव निदर्शन विधि से लाटरी प्रणाली द्वारा किया गया है तथा उत्तरदात्रियों का चयन सुविधापूर्ण निदर्शन के द्वारा किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन को उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थित चित्रकूटधाम मण्डल के अन्तर्गत आने वाले जनपद हमीरपुर के मौदहा विकासखण्ड में केन्द्रित किया गया है। हमीरपुर जनपद शिक्षा की दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा जनपद है तथा जनसंख्या की दृष्टि से भी पिछड़ा है मौदहा विकासखण्ड हमीरपुर जनपद के अति पिछड़े

क्षेत्र में आता है इसका मुख्यालय तहसील मुख्यालय मौदहा में ही है। मौदहा का क्षेत्रफल 84443 हेक्टेयर है तथा कुल आबादी 1,51,274 है। यहाँ कुल साक्षरों की संख्या 66015 है।

तृतीय अध्याय में उत्तरदाताओं की सामाजिक पृष्ठभूमि का विवरण दिया गया है। इस अध्याय में ग्रामीण सामाजिक संरचना एवं परिवेश को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है तथा ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों जैसे–परिवार विवाह, जातीय संस्तरण आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति आदि को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है जिसमें महिलायें निवास करती हैं।

मौदहा विकास खण्ड की सामाजिक व्यवस्था का प्रमुख आधार जाति है। यहाँ जाति व्यवस्था का स्वरूप काफी दृढ़ है। उच्च्व जातियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य प्रमुख हैं जिनमें वैश्य प्रमुखतः नगरो तक ही केन्द्रित हैं। गांव में उच्च्व जातियों में क्षत्रियों की संख्या सर्वाधिक है। हालांकि इस विकासखण्ड के गांवों में मुस्लिम भी बहुतायत से हैं। मध्यम या पिछड़ी जातियों में केवट, अहीर, काछी, कुम्हार आदि प्रमुख हैं। अनुसूचित जातियों में लगभग सभी जातियां इसस क्षेत्र में हैं। यहाँ महिलाओं की सामाजिक स्थिति जातिगत आधारों पर भिन्न-भिन्न है।

जातीय स्तर के अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि स्वयं सहायता समूह में सवर्ण वर्ग की 8.25 प्रतिशत, पिछड़े वर्ग की 45.75 प्रतिशत, अनुसूचित जाति की 22.25 प्रतिशत तथा मुस्लिम वर्ग की 23.75 प्रतिशत उत्तरदात्रियों की भागीदारी हैं।

इस क्षेत्र में संयुक्त परिवार प्रणाली है। परन्तु अब आधुनिकीकरण के प्रभाव से संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है और एकाकी परिवार प्रणाली अस्तित्व में आ रही है। पारिवारिक पृष्ठभूमि के अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि 70.25 प्रतिशत उत्तरदात्रियां एकाकी परिवार से सम्बन्धित हैं एवं 29.75 प्रतिशत संयुक्त परिवार में रहती है।

यहाँ पारम्परिक विवाह प्रणाली का प्रचलन है। आज भी यहाँ माता-पिता के संरक्षण में कन्या का विवाह सुयोग्य वर चुनकर किया जाता है। परिवार तथा रिश्तेदारों और सगे

सम्बन्धियों की उपस्थिति में विभिन्न संस्कारो द्वारा कन्यादान किया जाता है। इस क्षेत्र में दहेज प्रथा सबसे बड़ी समस्या है जिसके चलते लड़कियों को अभिशाप माना जाता है। दहेज प्रथा का बोल-बाला उच्च्व जातियों में अधिक है, निम्न जातियों में इस प्रथा का प्रचलन बहुतायत नहीं हैं।

वैवाहिक स्थिति के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि स्वयं सहायता समूह में सर्वाधिक सहभागिता विवाहित महिलाओं की है जो 83.75 प्रतिशत है। विधवा महिलायें 6.75 प्रतिशत हैं, तलाकशुदा 5.25 प्रतिशत है तथा सर्वाधिक कम सहभागिता अविवाहित उत्तरदात्रियों की है।

पूर्व में यहाँ महिलाओं की शैक्षिक स्थिति निम्न स्तर की थी जिसके पीछे सामाजिक पिछड़ापन एवं कुप्रथाएं ही रही हैं। यहाँ शैक्षिक स्तर बहुत उच्च्व स्तर का नहीं है जिसकी पीछे इस क्षेत्र का पिछड़ा और अविकसित होना है। यहाँ साक्षरता का प्रतिशत अन्य जगहों की अपेक्षा काफी कम है। परन्तु अब धीरे-धीरे इस क्षेत्र में सामाजिक परिवर्तन परिलक्षित हो रहे हैं एवं महिला शिक्षा की स्थिति में सुधार हो रहा है और यहाँ के लोगों के बीच शैक्षिक जागरूकता का अभ्युदय हुआ है। जिससे वह अपनी लड़कियों की शिक्षा के प्रति जागरूक हो गये हैं।

उत्तरदात्रियों के शैक्षिक स्तर का आयु के आधार पर अवलोकन किया गया जिससे यह ज्ञात हुआ कि सर्वाधिक 35-49 वर्ष की उत्तरदात्रियों का प्रतिशत है 23-34 वर्ष की 35.75 प्रतिशत, 18-24 वर्ष की 10.25 प्रतिशत तथा 50 से ऊपर आयु वर्ग की 2.25 प्रतिशत उत्तरदात्रियां है। जिनमें सर्वाधिक प्राइमरी स्तर तक की शिक्षा का प्रतिशत है। जू0हाईस्कूल 27.75 प्रतिशत हाईस्कूल 6 प्रतिशत, इण्टर 5.75 प्रतिशत स्नातक 6 प्रतिशत तथा अशिक्षित उत्तरदात्रियों का 20.25 प्रतिशत है।

उत्तरदात्रियों के पति की शिक्षा के स्तर के अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि अशिक्षतों का प्रतिशत 28.25 प्रतिशत है जो महिलाओं की अपेक्षा अधिक है। इसी प्रकार प्राइमरी स्तर की शिक्षा पुरूषों में महिलाओं की अपेक्षा कम है जो 32.25 प्रतिशत है, जू0हाईस्कूल

17.75 प्रतिशत है यह भी महिलाओं की अपेक्षा कम है। हाईस्कूल और इण्टर तक की शिक्षा का प्रतिशत पुरूषों में महिलाओं की अपेक्षा अधिक है जो 8.50 व 9.25 प्रतिशत है। लेकिन पुरूषों की स्नातक स्तर की शिक्षा महिलाओं से कम है जो 4 प्रतिशत ही है।

इस क्षेत्र में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति बहुत उच्च स्तर की नहीं रही है। एकाध नाम ही राजनीतिक क्षेत्र में प्रकाश में है। पूर्व में यहाँ महिलाओं को राजनीतिक क्रिया-कलापों के निर्णयों से पूर्णतः विलग रखा जाता था यही कारण है कि वर्तमान में इस क्षेत्र में एक भी महिला सांसद या विधायक नहीं है। परन्तु 73वें संशोधन के परिणाम स्वरूप प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के कारण महिलाये पंचायतों में चुनकर आ रही हैं जिससे उनकी राजनीतिक भागीदारी सुदृढ़ हो रही है।

महिला आन्दोलनों, शिक्षा एवं संचार के प्रभाव स्वरूप आज यहाँ भी महिलाएं इन्दिरा गांधी, सोनिया गांधी, मायावती आदि राजनीतिक महिलाओं के नक्शेकदम पर चलना चाहती हैं। वे भी सक्रिय राजनीति से जुड़कर देश सेवा करना चाहती है, यही कारण है कि आज इस क्षेत्र में भी महिलाएं राजनीतिक संगठनों से जुड़ रही हैं। साथ ही राजनीति के प्रत्येक स्तर पर भागीदारी के लिये तैयार हैं।

इस विकासखण्ड का क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। पूर्व में यहाँ महिलाओं की आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी कृषि कार्यो तक ही सीमित रही। परन्तु वर्तमान दौर में मंहगाई बढ़ी है, जागरूकता एवं समय की मांग के अनुसार यहाँ की महिलाएं तेजी से कृषि कार्यो के इतर अन्य आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न हो रही है। विशेषकर इस क्षेत्र में महिलाओं का स्वयं सहायता समूहों में भागीदारी का प्रतिशत बढ़ा है। आज जब महिला जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरूष के बराबर है तब इस क्षेत्र में भी इसका प्रभाव नजर आ रहा है, आज यहां भी महिलायें नौकरी, व्यवसाय आदि आर्थिक क्रियाकलापों में सफलतापूर्वक भागीदारी कर रही है।

उत्तरदात्रियों के पति के व्यवसाय के अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि 27.75 प्रतिशत कृषि कार्यो में संलग्न रहते हैं, 50.25 प्रतिशत अन्य कोई कार्य करते है, तथा 22 प्रतिशत

उत्तरदात्रियों के पति कोई कार्य नहीं करते हैं। कृषि योग्य भूमि के विवरण से स्पष्ट हुआ है कि 28.75 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के 2-4 बीघा भूमि है, 23 प्रतिशत के 5-8 बीघा, 3.5 प्रतिशत के 9-15 बीघा तथा 44.75 प्रतिशत परिवार भूमिहीन है। खेती से होने वाली वार्षिक आय से स्पष्ट हुआ हैकि 10 प्रतिशत महिलाओं के परिवार को 5-9000 रु0 की वार्षिक आय होती है, 35 प्रतिशत को 10-14000 की आय, 9.75 प्रतिशत को 15-19000 की आय होती है तथा 45.25 प्रतिशत को कोई आय नहीं होती है।

यहाँ की सांस्कृतिक व्यवस्था धर्म आधारित है। फलस्वरूप यहाँ के लोग परम्पराओं का पालन भी पूरी मजबूती से करते हैं। यहाँ की प्रमुख विशेषता यह है कि ऋतुओं के अनुसार पृथक-पृथक तीज-त्यौहार, पर्व और मेलों का आयोजन होता है। यहाँ कि महिलाओं की सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थिति अधिक समृद्ध है। यहाँ की महिलायें व्रत एवं त्यौहारों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती है।

यहाँ की प्रशासनिक सुविधाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सेवाएं, सामाजिक संस्थायें, बैंक आदि हैं जो यहाँ के लोगों को अपनी सुविधा प्रदान कर रहे हैं। यह क्षेत्र अत्यन्त पिछड़ा होने के बाद भी आज विकास के पथ पर अग्रसर है। भौगोलिक परिस्थितियों एवं अन्य कारकों के कारण यहाँ विकास का पहिया देर से घूमा जिसका परिणाम यहां के सामाजिक आर्थिक जीवन पर पड़ा और इससे सर्वाधिक यहां कि महिलाएं प्रभावित रही हैं। परन्तु आज यहाँ की महिलायें पुरूषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर समाज विकास में योगदान दे रही है। आज इस क्षेत्र की महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुदृढ़ हुई है, राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलायें आगे आकर अपना योगदान दे रही हैं। अब वे निःसंकोच राजनीतिक गतिविधियों में सहभागी हो रही है। आर्थिक क्षेत्र में यहाँ की महिलाएं कृषि से लेकर अन्य क्षेत्रों में जिसमें स्वयं सहायता समूह की विशेष अवधारणाओं में अपनी उपयोगिता सिद्ध करा रही है। सांस्कृतिक या धार्मिक कृत्यों में तो वे सदैव से आगे रही हैं। इस प्रकार यहाँ की महिलाओं में ये परिवर्तन एक सुखद भविष्य का आभास कराते हैं जब यहां कि महिलाएं भी शिक्षित सबल व आत्मनिर्भर हो जायेंगी।

चतुर्थ अध्याय में स्वयं सहायता समूह में महिलाओं की भागीदारी का विवरण दिया गया है। भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम सन् 1954 में सरकार ने ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरूवात की, लेकिन महिलाओं की वास्तविक भागीदारी का प्रारम्भ सन् 1974 में हुआ। महिलाओं की व्यवहारिकता एवं निपुणता को प्रदर्शित करने के लिए गरीबी निवारण एवं विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता पर बल दिया गया। ग्रामीण विकास के अन्तर्गत महिला रोजगार के प्रसार से महिलाओं की समाज के सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में सहभागिता बढ़ी है। भारत में पिछले तीन दशकों से महिलाओं की कार्य सहभागिता का प्रतिशत निरन्तर बढ़ रहा है। जैसा कि सन् 1995 में मानव विकास रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की कार्य सहभागिता दर अधिक है।

भारत सरकार ने ग्रामीण विकास में महिला रोजगार की भागीदारी बढ़ाने के लिये समय-समय पर नीतियों का निर्माण किया है। देश के ग्रामीण विकास में महिला रोजगार की महत्ता को सर्वोपरि समझते हुये केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा महिला रोजगार के विकास हेतु पिछले कुछ दशकों से अथक प्रयास किये जा रहे हैं जिसमें स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना महिला डेयरी परियोजना महिला स्वयं सिद्धा योजना आदि प्रमुख है।

एस0जी0एस0वाई0 योजना के तहत गठित स्वयं सहायता समूह एक सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वैच्छिक रूप से एकत्र हुए व्यक्तियों का समूह है। यह ग्रामीण गरीबों का समूह है जो गरीबी से उबरने हेतु स्वेच्छा से अपने को समूह के रूप में संगठित करते हैं समूह एक ऐसा आधार है जो वैयक्तिक प्रयासों, रूचियों, एवं आवश्यकताओं को सामूहिक प्रक्रिया के रूप में संगठित एवं संचालित करता है। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण लोगों विशेषतया महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में लाभप्रद सिद्ध हो रहा है। समूह से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक उन्नति के साथ-साथ समग्र सामाजिक, भौतिक तथा मानवीय प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है।

समूह गठन के पूर्व यह आवश्यक है कि ग्रामीण महिलाओं को जागरूक होना चाहिये जिससे वे समूह के उद्देश्यों और इससे होने वाले लाभों को स्पष्ट कर सके। जागरूक

महिलायें अपनी समस्याओं को स्पष्ट रूप से समझ सकती हैं तथा उन्हे दूर करने हेतु स्वयं प्रयास करने के लिये प्रेरित हो सकती हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों का गठन निर्धारित प्रक्रिया एंव मानकों के अनुसार होता है। तदोपरान्त इनका विकास किया जाता है। परिवर्तशीलता के विभिन्न चरणों यथा-गठन, नियमावली, निर्माण, बचत, आन्तरिक ऋण तथा क्षमता संवर्धन आदि से गुजरकर स्वयं सहायता समूह बैंक के सम्पर्क में आते हैं और उन्हें आर्थिक क्रियाकलाप हेतु बैंक ऋण एवं शासकीय अनुदान की सहायता प्राप्त होती है। अनुदान सहायता सामूहिक या समूह सदस्यों को व्यक्तिगत दोनों रूपों में प्राप्त होती है यह तय करना समूह सदस्यों का काम है कि वे किस प्रकार क्रियाकलाप का संचालन करना चाहते हैं और किस प्रकार की सहायता चाहते है। समूह गठन सदस्यों का चयन सामाजिक संगठन एक विस्तृत और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होता है जिसकी पूर्ण जानकारी और क्रियान्वयन योजना की सफलता का आधार होता है।

पूर्व में महिलाओं की विकास कार्यो में भागीदारी नहीं होती थी क्योंकि उन्हें अवसर उपलब्ध नहीं कराये जाते थे। महिलाओं की सहभागिता कृषि कार्यो हेतु तक ही सीमित थी। कृषि क्षेत्र में महिला श्रमिकों द्वारा किये जाने वाले अनेक कार्य निराई-गुड़ाई, बुवाई, चारे की कटाई, खेत-खलिहानों से अनाज निकलवाने आदि तक सीमित रही है परन्तु वर्तमान में महिलायें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इन नियमों को तोड़ने में सफलता प्राप्त कर रही है। महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्यताएं इस परम्परा को तोड़ते हुए समूह के रूप में बखूबी काम कर रही हैं। महिलाओं ने समूहों के माध्यम से ऐसे कार्य भी शुरू किए हैं जो अब तक पुरूषों के एकाधिकार के कार्य माने जाते थे। इनके द्वारा तैयार की गई सामग्री का स्थानीय स्तर पर विपणन भी होता है। अब ग्रामीण महिलायें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण विकास को एक नई दिशा प्रदान कर रही हैं और समाज में अपनी सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करा रही हैं।

पंचम अध्याय में स्वयं सहायता समूह का प्रकार्यात्मक एवं अकार्यात्मक पक्ष का विवरण दिया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि समूह में कौन से पक्ष का प्रकार्य के रूप में कार्य करते हैं और कौन से पक्ष अकार्य की भूमिका करते हैं। इस अध्याय के अन्तर्गत स्पष्ट किया गया है कि किसी भी समाज या संस्कृति की स्थिरता व निरन्तरता उसके विभिन्न तत्वों या इकाइयों का संगठन व व्यवस्था तभी संभव है जब ये विभिन्न तत्व या इकाइयां अपना-अपना योगदान इस संगठन या व्यवस्था को बनाए रखने में दें। यह योगदान ये इकाइयां अपनी-अपनी निर्धारित या पूर्व निश्चित, भूमिका को करते हुये ही करती हैं या कर सकती हैं यही उन तत्वों या इकाइयों का प्रकार्य है, और भी स्पष्ट रूप में समाज के विभिन्न निर्माणक तत्व या इकाइयां समाज व्यवस्था या संगठन को बनाए रखने के लिये जो निर्धारित भूमिका अदा करते हैं या अपना-अपना योगदान देते हैं उसे 'प्रकार्य' कहा जाता है। परन्तु कुछ इकाइयाँ या तत्व आशा के विपरीत भी कार्य करते हैं। ये इकाइयां या तत्व भी कार्य ही करते हैं, पर ऐसा कार्य करते हैं जो सामाजिक व्यवस्था या संगठन को ठेस पहुंचाने वाले कार्य होते हैं अर्थात् उनके कार्यो के द्वारा समाज-व्यवस्था या संगठन का सन्तुलन कुछ न कुछ बिगड़ जाता है इसीलिए उनके ऐसे कार्यो को 'अकार्य' कहते हैं।

सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न तत्व प्रत्यक्षतः दो दिशाओं में क्रियाशील हो सकते हैं। प्रथम तो वह इस प्रकार क्रियाशील हो सकते हैं जिससे सामाजिक व्यवस्था का सन्तुलन सुदृढ़ हो जाये, उसका सामाजिक व्यवस्था के साथ अनुकूल हो जाये या अनुकूलन करना सम्भव हो जाये या सरल हो जाये। दूसरे वे इस प्रकार क्रियाशील हो सकते हैं जिससे सामाजिक व्यवस्था का सन्तुलन बिगड़ जाये उसका सामाजिक व्यवस्था के साथ अनुकूलन न हो सके या अनुकूलन करना संभव न रह जाये या कठिन हो जाये। प्रथम प्रकार की क्रियाशीलता को प्रकार्य कहते हैं और दूसरे प्रकार की क्रियाशीलता को अकार्य कहते है।

केन्द्र सरकार द्वारा संचालित स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों का गठन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन परिवारों के लिये होता है जिससे

वह अपनी निम्न आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। समूह का गठन एवं समूह में किये जाने वाले क्रियाकलाप समूह के सदस्यों के द्वारा संचालित होते हैं। सदस्यों के अतिरिक्त समूह को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकारी विभाग एवं गैर सरकारी संस्थायें अपना मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। समूह के अन्दर विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप किये जाते हैं, इनमें कुछ क्रियाकलाप अपना प्रभाव प्रकार्य के रूप में दिखाते हैं तो कुछ अकार्य के रूप में अर्थात समूह को सुचारू रखने में कुछ प्रकार्यात्मक पक्षों का योगदान है तो कुछ अकार्यात्मक पक्ष समस्याएं उत्पन्न करते हैं जिससे समूह की प्रगति और उन्नति के मार्ग में अवरोध या रूकावट पैदा हो सकती है।

समूह के प्रकार्यात्मक पक्षों के रूप में जो अपना योगदान देते हैं उनकी चर्चा बिन्दुवार करना उचित प्रतीत होता है।

1. गैर-सरकारी संगठनों (एन0जी0ओ0) की भूमिका।
2. बैंको का योगदान।
3. सरकारी विभागों का योगदान
4. पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

उपरोक्त प्रकार्यात्मक पक्ष स्वयं सहायता समूहों के क्रियान्वयन एवं संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करते हैं। परन्तु समूह के संचालन में कुछ तत्व व इकाइयां अपना अकार्य भी दिखाते हैं। समूह के अकार्यात्मक पक्षों का विवरण बिन्दुवार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

1. समूह अवधारणा को भली-भाँति न समझना।
2. समूह में आय उपार्जक क्रियाकलाप न करना।
3. वित्तीय प्रबन्धन की भली-भांति जानकारी न होना।
4. सेकेण्ड ग्रेडिंग के बाद बैंक से सम्पर्क न करना।
5. बैंक रिकवरी न दे पाना।
6. स्वयं सहायता समूह में कार्यरत महिलाओं में जागरूकता का अभाव।

7. महिलाओं के लिये सामाजिक निषेध।

8. समूह के सदस्यों में आपसी मनमुटाव या द्वेष पनपना।

9. सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उदासीनता।

10. भ्रष्टाचार।

इस प्रकार स्वयं सहायता समूहों के संचालन में प्रकार्यात्मक पक्ष और अकार्यात्मक पक्ष अपनी-अपनी भूमिका अदा करते हैं। परिणामतः समूह में प्रकार्यों के द्वारा लाभ प्राप्त होता है तो अकार्य समूह की प्रगति और उन्नति में बाधक बनते हैं। बावजूद इन सबके स्वयं सहायता समूह की अवधारणा ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण करने में बहुत हद तक सफल हो रही है तथा समूह में प्रकार्यात्मक पक्षों की भूमिका व योगदान बहुतायत से है। अकार्यात्मक पक्ष अपना प्रभाव सीमित रूप से ही दिखा पाते है। जहाँ अकार्यात्मक पक्षों का प्रभाव अधिक दृष्टिगोचर होने लगता है वहाँ समूह में विघटन उत्पन्न होने लगता है या फिर समूह टूट जाते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में समूह गठन एवं संचालन के लिये प्रकार्यात्मक पक्षों की भूमिका अधिक देखी जा सकती है।

अध्याय-6 में अध्ययन से प्राप्त सूचनाओं या आंकड़ों का विश्लेषण सारणियों के माध्यम से किया गया है। अध्ययन से प्राप्त तथ्य निम्न हैं -

1. अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि उत्तरदात्रियों के पति अभी भी परम्परागत व्यवसायों को अपनाते हैं जो जाति के क्रम में भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यवसाय है। (सारणी संख्या 6.1)

2. जब उत्तरदात्रियों का कृषि कार्य करने के अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की गई तो पाया गया कि अधिकांश उत्तरदात्रियां कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करती हैं। (सारणी संख्या 6.2)

3. स्वयं सहायता समूह की जानकारी होने सम्बन्धी विश्लेषण किया गया तो सर्वाधिक उत्तरदात्रियों को समूह की जानकारी गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से प्राप्त हुई। (सारणी संख्या 6.3)

4. जब उत्तरदात्रियों में पर्दा-प्रथा के अनुसरण सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की गई तो पर्दा न करने वाली उत्तरदात्रियों का प्रतिशत अधिक पाया गया जो 68.25% है तथा अभी भी पर्दा-प्रथा का अनुसरण करने वाली उत्तरदात्रियों का 31.75 प्रतिशत पाया गया। (सारणी संख्या 6.4)

5. अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि स्वयं सहायता समूह के बचत खाते में पैसे जमा करने के लिये अधिकांश उत्तरदात्रियां अपने घर के खर्चो में कटौती करती हैं, घर खर्चो में कटौती करने के अतिरिक्त अन्य प्रयास भी करती हैं। (सारणी संख्या 6.5)

6. अधिकतर उत्तरदात्रियों को स्वयं सहायता समूह के संचालन में एन0जी0ओ0 का सहयोग एंव मार्गदर्शन प्राप्त होता है। (सारणी संख्या 6.6)

7. स्वयं सहायता समूह की उत्तरदात्रियों को बैंक में विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसमें सर्वाधिक कमीशनखोरी की समस्या है।(सारणी संख्या6.7)

8. समूह के माध्यम से उत्पादित या निर्मित वस्तु को बाजार में बेंचने सम्बन्धी जानकारी से स्पष्ट हुआ है कि अभी भी ग्रामीण महिलायें अपने परिवारों पर आश्रित रहती हैं। (सारणी संख्या 6.8)

9. समूह में उत्पादित वस्तु के विपणन के लिये सरकारी तथा गैर-सरकारी योगदान की जानकारी प्राप्त की गई जिसमें एन0जी0ओ0 की सहभागिता अधिक देखी गई। (सारणी संख्या 6.9)

10. जब यह जानने का प्रयत्न किया गया कि ग्रामीण महिलाओं में विकासपरक योजनाओं की संचेतना है या नहीं तो अधिकतर उत्तरदात्रियों को ग्रामीण विकास की जानकारी थी उन्हें योजना को समझने और जानने का स्तर ग्रामीण भाषा में ही पाया गया। (सारणी संख्या 6.10)

11. जब यह जानने का प्रयत्न किया गया कि ग्रामीण विकास के लिये गांव में योजना आने के बाद भी लागू नहीं हो रही है तो उत्तरदात्रियों से जानकारी हुई कि उन्होंनें योजना क्रियान्वयन के लिये क्या-क्या प्रयास किये।(सारणी सं0 6.11)

12. स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने समूह के माध्यम से अपने गांव में योजनायें लागू करवाने और उन्हें सुचारू रखने के लिये कई प्रकार के प्रयास किये। (सारणी संख्या 6.11.)

13. ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं का शोषण अभी भी होता है यद्यपि समूह की उत्तरदात्रियों में शोषण न होने वाली महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। (सारणी संख्या 6.13)

14. सर्वाधिक उत्तरदात्रियों को शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ता है। (सारणी संख्या 6.14)

15. अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अधिकतर महिलाओं का शोषण उनके पतियों द्वारा ही किया जाता है। (सारणी संख्या 6.15)

16. जब समूह की सदस्य महिलाओं में यह जानने का प्रयत्न किया गया कि समूह की सदस्यता के बाद उनका पारिवारिक जीवन किस प्रकार प्रभावित हुआ है तो स्पष्ट हुआ कि अधिकतर महिलायें अब निर्णय लेने के लिये स्वयं स्वतन्त्र हो गई है। (सारणी संख्या 6.15)

17. स्वयं सहायता समूह की सदस्यता ग्रहण करने के बाद अधिकतर उत्तरदात्रियों में सामाजिक चेतना का उदय हुआ है। (सारणी संख्या 6.17)

18. स्वयं सहायता समूह की सदस्यता ग्रहण करने के बाद ग्रामीण महिलाओं की दैनिन्दनी में परिवर्तन को जानने से स्पष्ट हुआ है कि अधिकतर उत्तरदात्रियाँ अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कायम रखने के लिये जागरूक हुई हैं। (सारणी संख्या 6.18)

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य केन्द्रित रखा गया है। इस दृष्टि से निम्न तथ्य अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं-

1. स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में शिक्षा के स्तर को जानने का प्रयत्न किया गया। निश्चित रूप से ग्रामीण महिलाओं में महिला शिक्षा में वृद्धि हो रही है।

2. आज स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं में शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक जागरूकता आ रही है।

3. स्वयं सहायता समूह ने ग्रामीण महिलाओं में एक नये जोश और आत्म विश्वास को उत्पन्न किया है।

4. आज विशेषकर ग्रामीण महिलाओं का स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक सशक्तीकरण हो रहा है।

5. ग्रामीण महिलायें समूह की सदस्यता ग्रहण करने के बाद अपने अधिकारों विशेषकर आर्थिक क्षेत्र के प्रति जागरूक हुई हैं। वे समूह के द्वारा अपने कर्त्तव्यों का निर्वाहन भली-भांति कर रही है।

6. समूह की सदस्यता ग्रहण करने के बाद ग्रामीण महिलाओं में सर्वाधिक निर्णय लेने की स्वतन्त्रता में वृद्धि हुई है क्योंकि समूह के कार्य सभी महिलायें सामूहिक रूप से करती हैं जिससे समस्त जिम्मेदारियों को निभाने के लिये स्वयं का निर्णय ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है।

उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए कुछ उपकल्पनाएं भी निर्मित की गई थी। अध्ययन से प्राप्त तथ्यों के आधार पर उपकल्पनाओं का सत्यापन किया गया-

1. सारणी संख्या 3.1,6.10 तथा 6.11 से प्रथम् उपकल्पना सत्य होती है कि ग्रामीण विकास योजनाओं की जानकारी महिलाओं को होना तथा साथ ही योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करवाने के लिये प्रयत्न करना। शिक्षित महिलाओं में ही उच्चाधिकारियों से बात करने का साहस उत्पन्न हो पाया है।

2. सारणी संख्या 3.2, 6.4 तथा 6.9 द्वितीय उपकल्पना को सत्य करती है कि ग्रामीण महिलायें अभी भी पर्दा-प्रथा जैसी कुरीति को समाप्त करने में सफलता नहीं हासिल कर पाई हैं क्योंकि स्वयं सहायता समूह में नई बहुओं को सदस्यता नहीं लेने दी जाती है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में अविवाहित लड़कियों के प्रति अभी जागरूकता सम्बन्धी चेतना अपर्याप्त है। समूह की सदस्यता सर्वाधिक अविवाहित लड़कियों में

कम पाई गई है क्योंकि उनको घर से बाहर जाने की स्वतन्त्रता अधिक नहीं रहती है। इस क्षेत्र के समूह की सदस्य महिलायें अपने द्वारा निर्मित वस्तु के विपणन के लिये दूसरों पर अधिक निर्भर रहती हैं अन्य राज्यों और क्षेत्रों की महिलाओं की भांति अभी विपणन हेतु जागरूक नहीं हो पाई हैं।

3. सारणी संख्या 6.3, 6.8 तथा 6.9 तृतीय उपकल्पना की पुष्टि करती है कि ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह को जानने, समझने, गतिविधियों को चलाने हेतु मार्गदर्शन देने तथा विपणन हेतु किसी न किसी की मदद जरूर लेनी पड़ती है। अभी महिलायें इतनी जागरूक व आत्मनिर्भर नहीं हो पाई हैं कि वह स्वयं बिना किसी मार्गदर्शन के अपने समूह को व्यवस्थित ढंग से सुचारू रखे और एक नई पहचान बनायें।

4. प्रश्न संख्या 94,95 तथा 97 से चतुर्थ उपकल्पना का सत्यापन होता है कि आज ग्रामीण महिलायें स्वयं सहायता समूह की अवधारण से अपनी एवं अपने परिवार को आर्थिक समृद्धि प्रदान कर रही हैं। जिससे वे आत्मनिर्भर तो हुई ही हैं साथ ही महिलाओं में आत्मविश्वास भी जागृत हुआ है। समूह के माध्यम से वे कई गतिविधियों को कर रही हैं जो अभी तक उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं थे।

5. प्रश्न संख्या 90,91,92, तथा 93 पंचम उपकल्पना की पुष्टि करते हैं। निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि केन्द्र सरकार द्वारा संचालित स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना महिलाओं के लिये रोजगार व सशक्तीकरण का एक व्यापक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से समूहों का गठन करके ग्रामीण महिलाएं आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रों में सशक्त हो रही है साथ ही उनमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता भी आई है। जो महिला सशक्तीकरण की दिशा में सहायक है।

6. प्रश्न संख्या 79,86 तथा 96 से छठवीं उपकल्पना सिद्ध होती है कि स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर किसी विषय, परिस्थिति एवं समस्या पर

स्वयं निर्णय लेने की शक्ति को पैदा किया है। निश्चित ही स्वयं सहायता समूह योजना के माध्यम से महिलाओं का सशक्तीकरण हो रहा है। समूह के माध्यम से महिलायें ग्रामीण विकास को एक नई दिशा एवं गति प्रदान कर रही है तथा ग्रामीण विकास में अपनी सशक्त भागीदारी कर रही है।

सुझाव-

प्रस्तुत अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण महिलाओं में सशक्तीकरण को बढ़ावा देने और स्वयं सहायता समूह के सफल क्रियान्वयन हेतु कुछ सुझाव प्रस्तुत हैं-

1. ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं तथा शैक्षिक उपकरणों का होना आवश्यक है जिससे लड़कियों की शिक्षा के प्रति रूझान में वृद्धि हो।
2. ग्रमीण क्षेत्रों के विद्यालयों में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जाय। ग्रामीण प्राइमरी शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
3. महिला शिक्षा के प्रसार के लिये गांव-गांव में महिला समितियों का गठन करके उन्हें बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा जाए तो इससे भी महिला साक्षरता के अभियान को गति प्राप्त हो सकती है।
4. गांव की शिक्षित युवतियां, शिक्षिकाएं तथा पंचायतों में चुनी गई महिलायें अपने आस-पास के इलाकों में नव चेतना एवं जागृति लाने का काम करें।
5. महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न रूढ़िगत परम्पराओं एवं प्रथाओं जैसे-पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुर्नविवाह, निषेध आदि का उन्मूलन कर उन्हें आत्म निर्भर बनाने का प्रयास किया जाये।
6. महिलाओं की सशक्तीकरण के लिये आवश्यक है कि पुरूष मानसिकता की दोहरी नीति समाप्त कर महिलाओं को समाज का एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग मानते हुये समान-भाव एवं समानाधिकार की भावना जागृत की जाये।
7. पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण विकास एवं कल्याणपरक योजनाओं की जानकारी समस्त ग्रामवासियों तक पहुंचायें जाने की व्यवस्था होनी चाहिये। यह जानकारी पंचायत भवन में सूचना पट पर अंकित की जानी चाहिये।

8. समूह गठन का लक्ष्य समूहों की संख्या के बजाय उनकी गुणवत्ता पर ज्यादा हो।
9. प्रत्येक माह में कम से कम एक बार नॉन बैंकिग दिवस पर बैंक व ब्लाक के अधि ाकारी/कर्मचारी का फील्ड में जाकर स्वरोजगारियों की समस्या का निस्तारण करना चाहिये।
10. सफल समूहों के क्रियाकलापों का प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिये तथा संभव हो तो उक्त समूहों की महिलाओं के द्वारा किये गये कार्यो की वीडियोग्राफी ग्रामीण महिलाओं को दिखाया जाना चाहिये जिससे उनमें नई चेतना और जोश की वृद्धि हो। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में अनुकरण करने की प्रवृत्ति प्रबल होती है।
11. गैर-सरकारी संगठनों को सक्रिय भागीदार करके कार्यक्रमों एवं योजनाओं को तय करने में सहयोग लिया जाये।
12. ग्रामीण महिलाओं को बैंकिग प्रक्रिया में संलग्न होने के लिये गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से अधिक जागरूक किया जाय।
13. एक ही समूह को उनकी इच्छानुसार दो या अधिक गतिविधियों हेतु चुनना तथा लाभार्थियों को निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाये।
14. समूह की अशिक्षित महिला सदस्यों की कार्य कुशलता बढ़ाने हेतु विशेष कार्यक्रमों का चयन एवं क्रियान्वयन हो।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि स्वयं सहायता समूह महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण तथा सराहनीय कदम साबित हुआ है। जिसके तहत ग्रामीण महिलाओं का सशक्तीकरण का प्रयास निरन्तर जारी है। इस योजना के माध यम से ग्रामीण रूढ़िवादी सोंच व आर्थिक-सामाजिक परिवेश में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आये हैं और हमारे समाज एवं समुदाय ने अब महिलाओं के कार्य करने की क्षमता को पहचानना आरम्भ किया है। महिलायें अब परिवार की देखभाल के साथ-साथ कई ऐसे उत्पादक कार्यो को करने लगी हैं जो पूर्व में उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर समझे जाते थे। आज वे स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उनका सफल संचालन एवं क्रियान्वयन कर रही है। परिणाम

स्वरूप ग्रामीण महिलाओं में स्वरोजगार के प्रति उत्साह, लगन, आत्मविश्वास व नेतृत्व की क्षमता एवं भावना विकसित हुई है। इससे सिद्ध हो चुका है, कि पुरूषों के साथ-साथ महिलायें एक महत्वपूर्ण स्तम्भ की तरह कार्य करती हैं और वह किसी भी क्षेत्र में पुरूषों से कम नहीं है। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि ग्रामीण महिलाओं की कार्य करने की क्षमता को और अधिक सशक्त किया जाए। जिससे ग्रामीण विकास में महिलायें अपनी भागीदारी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा सकें तथा उनके द्वारा किये गये कार्यों को मुद्रा में मापा जा सके। महिलाओं का सशक्तीकरण एक अनवरत और गतिशील प्रक्रिया है।

ग्रामीण महिलाओं को संगठित होकर गरीबी से लड़ने, उनके अंदर बचत की तथा लेन-देन की भावना पैदा करने, साहूकारों के शोषण से मुक्ति पाने तथा अपनी उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करते हुये स्वरोजगार से जोड़ने में स्वयं सहायता समूहों की विशिष्ट एवं सराहनीय भूमिका है। अतः विकास की प्रक्रिया में स्वयं सहायता समूहों के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अपनाया जाना श्रेष्ठकर होगा।

आज ग्रामीण महिलायें स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण विकास को नई सोंच व दिशा प्रदान कर रही है साथ ही अपना आर्थिक सशक्तीकरण करने में सफल हो रही है। आवश्यकता इस बात की है कि समस्त ग्रामीण महिलायें विकास प्रक्रिया की संवाहक बने और ग्रामीण विकास में अपना विशिष्ट योगदान देकर भागीदारी सुनिश्चित करें।

ग्रामीण विकास में महिलाओं की भागीदारी
एक समाजशास्त्रीय अध्ययन
(हमीरपुर जनपद के मौदहा विकास खण्ड के स्वयं सहायता समूह के विशेष संदर्भ में)

पर्यवेक्षक
डॉ० जे०पी० नाग

शोधार्थिनी
मैत्रेयि

साक्षात्कार अनुसूची

1. नाम...
2. आयु...
3. वर्ग-सवर्ण, पिछडी, अनु0जाति, मुस्लिम (जाति.........................)
4. शैक्षिक स्थिति-
   (1) अशिक्षित (2) प्राइमरी (3) जू0हाईस्कूल (4) हाईस्कूल (5) इण्टर (5) स्नातक या ऊपर
5. आपके पति की शैक्षिक स्थिति क्या है ?
   (1) अशिक्षित (2) प्राइमरी (3) जू0हाईस्कूल (4) हाईस्कूल (5) इण्टर (5) स्नातक या ऊपर
6. आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है?
   (1) अविवाहित (2) विवाहित (3) तलाकशुदा (4) विधवां
7. आपके विवाह के कितने वर्ष हो गये हैं?
   (1) 1 वर्ष (2) 3 वर्ष (3) 5 वर्ष (4) अधिक
8. आपके कितने बच्चे हैं -
   (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 से अधिक (5) संतान नहीं है
9. आप अपनी संतानों का क्रमवत विवरण दें -
   पुत्र (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 से अधिक
   पुत्री (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 से अधिक
10. सबसे छोटे एवं सबसे बड़े पुत्र/पुत्रियों की आयु क्या है?
   ....
11. आप किस परिवार में रहती है -
   (1) संयुक्त (2) एकाकी
12. यदि संयुक्त परिवार है तो सदस्यों संख्या कितनी है -
   (1) 4-6 (2) 6-8 (3) 8-10 (4) 10 से अधिक
13. आपके पति का व्यवसाय क्या है ?
   (1) कृषि (2) अन्य कोई कार्य (3) कोई कार्य नहीं
14. क्या आपके पति के पास कृषि योग्य भूमि है?
   (1) हाँ (2) नहीं
15. यदि है तो कितनी ?
   (1) 2 -4 बीघा (2) 5-8 बीघा (3) 9-15 बीघा या अधिक (4) भूमिहीन
16. क्या भूमि सिंचित हैं?
   (1) हाँ (2) नहीं
17. खेती से होने वाली वार्षिक आय क्या है?

(1) 5000-9000 (2) 10000-14000 (3) 15000 से 19000 (4) 20000+अधिक
(5) कोई आय नहीं

18. क्या कृषि के अलावा आपके पति कोई परम्परागत व्यवसाय करते हैं?
(1) हाँ (2) नहीं

19. यदि हाँ तो कौन सा व्यवसाय है?
(1) भेड़-बकरी पालन (2) सुअर पालन (3) मुर्गी पालन (4) दुग्ध व्यवसाय
(5) अन्य कोई (6) परम्परागत व्यवसाय नहीं करते

20. कृषि सम्बन्धी कार्यो में आपका योगदान रहता है?
(1) हाँ (2) नहीं

21. कृषि के अतिरिक्त आप और कोई कार्य करती हैं?
(1) हाँ (2) नहीं

22. यदि हाँ तो क्या ?
(1) कृषि-मजदूरी (2) आंगनवाड़ी कार्य (3) प्राइमरी स्कूलों में मध्यान्ह भोजन बनाने का कार्य
(4) अन्य कोई कार्य (5) कोई कार्य नहीं करते हैं।

23. आपको स्वयं सहायता समूह के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त हुई?
(1) परिवार के सदस्य से (2) महिला मित्र से (3) किसी संस्था पदाधिकारी से
(4) संचार साधनों से

24. आप समूह से जुड़ने के लिए कैसे प्रेरित हुई?
(1) समूह से जुड़ी अन्य महिलाओं के द्वारा (2) किसी संस्था पदाधिकारी द्वारा
(3) स्वयं उत्साहित होकर (4) समूह का कोई प्रेरक प्रसंग सुनकर

25. स्वयं सहायता समूह से जुड़े आपको कितना समय हो गया?
(1) 6 माह या 6 माह से कम (2) एक वर्ष (3) दो वर्ष (4) तीन वर्ष (4) अधिक

26. एक समूह गठन के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है?
(1) 5-10 (2) 10-15 (3) 15-20 (4) अधिक

27. समूह गठन कौन करता है?
(1) ग्राम प्रधान / ग्राम सचिव (2) सरकारी कर्मचारी (3) एन0जी0ओ0 (4) अन्य

28. क्या समूह गठन के लिए व्यक्तियों अथवा वर्गो का चिन्हांकन होता है?
(1) हाँ (2) नहीं

29. क्या समूह संचालन के लिए कोई नियमावली होती है?
(1) हाँ (2) नहीं

30. समूह संचालन के लिए समूह पदाधिकारी का चयन एवं कार्यकाल होता है-
(1) हाँ (2) नहीं

31. क्या समूह की कोई प्रबन्धकीय समिति होती है?
(1) हाँ (2) नहीं

32. प्रबन्धकीय समिति का चयन कौन करता है?
(1) समूह के सदस्य (2) एन0जी0ओ0 (3) खण्ड विकास अधिकारी (4) अन्य

33. आपके समूह का क्या नाम है?

....

34. समूह सुचारू रूप से संचालित रहे क्या इसके लिए सर्व सम्मति होना आवश्यक है?

35. समूह में जो निर्णय लिये जाते हैं वह सामूहिक होते हैं?
(1) हाँ (2) नहीं

36. समूह की गतिविधियों को देखने के लिए कोई अधिकारी आते हैं?

(1) हाँ (2) नहीं

37. यदि हाँ तो निम्न में से कौन अधिकारी -

(1) बी0डी0ओ0 (2) बैंक अधिकारी (3) ग्राम विकास अधिकारी (4) एन0जी0ओ0/डी0आर0डी0ए0 फैसीलेटर

38. समूह गठन के बाद किस विषय पर चर्चा होती है?

(1) आर्थिक (2) सामाजिक (3) राजनीतिक (4) अन्य

39. समूह की बैठक कितने दिनों में होती है?

(1) एक सप्ताह (2) 15 दिन (3) एक माह या अधिक (4) एक निश्चित तिथि

40. क्या प्रत्येक बैठक में आप भाग लेती हैं?

(1) हाँ (2) नहीं

41. यदि नहीं तो क्या कारण हैं?

(1) पति नहीं आने देते (2) परिवार का अन्य कोई सदस्य नहीं आने देता

(3) बैठक में कुछ नहीं होता (4) अन्य कोई कारण

42. यदि बैठक में जाने की अनुमति नही मिलती तो किस प्रकार बैठक में पहुँचती हैं?

(1) आपत्ति करने वाला काम पर गया होता है। (2) गॉव से बाहर होता है?

(2) किसी के घर काम का बहाना लेकर जाती हैं (4) आर्थिक तंगी का हवाला देकर

43. क्या आप पर्दा-प्रथा का अनुसरण करती है?

(1) हाँ (2) नहीं

44. समूह की गतिविधियों को चलाने में पर्दा-प्रथा समस्या बनती है?

(1) हाँ (2) नहीं

45. आपका समूह प्रभावशाली एवं सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए आपका मार्गदर्शन कौन रहता है?

(1) डी0आर0डी0ए0 फैसीलेटर (2) एन0जी0ओ0 पदाधिकारी

(3) ग्राम प्रधान या सचिव (4) ब्लाक अधिकारी

46. समूह खाते में जो पैसा मासिक जमा करना होता है वह लगभग कितना होता है?

(1) 10/-रु0 प्रति सदस्य (2) 15/-रु0 प्रति सदस्य (3) 20/-रु0 प्रति सदस्य (4) अधिक

46. समूह खाते के लिए जो राशि जमा करनी होती है उसकी व्यवस्था कैसे करती हैं?

(1) स्वयं की मजदूरी की आय से (2) घर खर्चो में कटौती करके।

(3) पति की आय से (4) अन्य साधनों से

47. समूह के सदस्यों को बैंकों से सम्पर्क बनाये रखने के लिए कौन प्रोत्साहित करता है?

(1) एन0जी0ओ0/डी0आर0डी0ए0 पदाधिकारी (2) बैंक अधिकारी (3) स्वविवेक

48. समूह से ली गई ऋणराशि पर कितनी वार्षिक ब्याज देनी होती हैं?

(1) 24 प्रतिशत (2) 36 प्रतिशत (3) 60 प्रतिशत या अधिक

49. क्या आपको सी0सी0एल0 (कैश क्रेडिट लिमिट) के बारे में जानकारी है?

(1) हाँ (2) नहीं

50. एस0जी0एस0वाई0 योजना से आपको स्वरोजगार के लिए कितना धन मिलता है?

....

51. इस पैसे का उपयोग आपने किस व्यवसाय में किया?

(1) मछली पालन (2) भेंड-बकरी पालन (3) मुर्गी पालन (4) दुग्ध व्यवसाय (5) अन्य

52. क्या इस स्वरोजगार से आपको अपेक्षित लाभ मिला है?

(1) हाँ (2) नहीं

53. यह धन आपको किसके द्वारा प्राप्त होता है?

(1) डीआरडीए (2) ब्लॉक (3) बैंक (4) ग्राम पंचायत

54. बैंक से मिलने वाले ऋण पर कितनी ब्याज देय होती हैं?
(1) 7.5 प्रतिशत (2) 8.5 प्रतिशत (3) 10 प्रतिशत (4) 12 प्रतिशत (5) अधिक
55. यह ब्याज आपसे किस प्रकार ली जाती है?
(1) मासिक (2) त्रैमासिक (4) अर्द्धवार्षिक (4) वार्षिक
56. क्या ऋण वसूली के लिए आपके ऊपर दबाव डाला जाता है।
(1) हाँ (2) नहीं
57. किस्त अदा करने की रकम सामूहिक होती है या व्यक्तिगत?
(1) सामूहिक (2) व्यक्तिगत
58. क्या दुर्घटना के लिए कोई बीमा की योजना हैं?
(1) हाँ (2) नहीं
59. आपके समूह के बचत खाते किन बैंकों में हैं?
(1) राष्ट्रीयकृत बैंक (2) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 93) सहकारी बैंक
60. क्या आपको बैंक में आने वाली असुविधाओं का सामना करना पड़ता है?
(1) हाँ (2) नहीं
61. यदि हाँ तो किस प्रकार की समस्याएं आती हैं?
(1) कमीशनखोरी (2) अशिष्ट व्यवहार (3) कार्य का निष्पादन समय पर न होना
(4) समस्या नहीं आती
62. क्या इन समस्याओं की चर्चा समूह की बैठक में होती हैं?
(1) हाँ (2) नहीं
63. आपको जिस स्वरोजगार के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है क्या उसका कोई प्रशिक्षण दिया जाता है?
(1) हाँ (2) नहीं
64. यदि हां तो प्रशिक्षण कहां होता है?
(1) गॉव में (2) ब्लाक में (3) जनपद में (4) अन्य
65. विपणन एवं तकनीकी सम्बद्धताओं पर किसका योगदान रहता है?
(1) एन0जी0ओ0 (2) ब्लॉक अधिकारी (3) कोई अन्य
66. आपके द्वारा निर्मित वस्तु को बाजार तक पहुँचाने के लिए कोई व्यवस्था/सुविधा प्राप्त है?
(1) हाँ (2) नहीं
67. यदि नहीं तो फिर उस वस्तु को बाजार तक कैसे पहुँचाती है?
(1) परिवार के किसी सदस्य पर आश्रित रहती हैं (2) संस्था पदाधिकारी सहायता करते हैं
(3) स्वयं किसी मेले/हाट में ले जाती है (4) अन्य कोई
68. ग्रामीण विकास के लिए सरकार ने विभिन्न योजनायें लागू की हैं, क्या आपको इन योजनाओं के बारे में जानकारी है?
(1) हाँ (2) नहीं
69. यदि हां तो आपके गांव में इन योजनाओं पर अमल हो रहा है?
(1) हाँ (2) नहीं
70. यदि नहीं तो इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आपने क्या रूपरेखा बनाई?
(1) सर्वप्रथम बैठक में चर्चा करके सर्वसम्मति बनाई (2) ग्राम प्रधान या ग्राम सचिव से बात की
(3) सम्बन्धित ब्लाक के अधिकारी से बात की (4) जिला स्तर पर आवाज उठाई
71. इन योजनाओं के सही क्रियान्वयन के लिए आपने क्या कारगर कदम उठाये?
(1) धरना-प्रदर्शन किया (2) जनसभा व रैली निकाली
(3) सम्बन्धित अधिकारियों का घेराव किया (4) अन्य कोई उपाय
72. क्या आपका शोषण होता है?
(1) हाँ (2) नहीं

73. यदि हाँ तो यह शोषण कौन करता है ?

(1) पति (2) सास-ससुर (3) देवर/ननद (4) अन्य कोई (5) शोषण नहीं होता

74. शोषण का स्वरूप क्या है ?

(1) शारीरिक (2) मानसिक (3) आर्थिक (4) ये सभी (5) शोषण नहीं होता

75. क्या इस समूह की सदस्यता के माध्यम से आप शोषण के खिलाफ जागरूक हो पाई हैं ?

(1) हाँ (2) नहीं

76. समूह के माध्यम से आप में किस प्रकार की चेतना आई है ?

(1) पारिवारिक (2) सामाजिक (3) आर्थिक (4) राजनैतिक

78. यदि पारिवारिक तो किस प्रकार की ?

(1) सहयोग (2) सामंजस्य (3) उदारता (4) देखभाल

79. यदि सामाजिक तो किस प्रकार की ?

(1) शिक्षा (2) स्वावलम्बन (3) संस्कार (4) रुढ़िवादिता का बहिष्कार

80. यदि आर्थिक तो किस प्रकार की ?

(1) धन संचय (2) पैसों का लेन-देन (3) बचत (4) आर्थिक सामाजिक दर्जे में वृद्धि

81. यदि राजनैतिक तो किस प्रकार की ?

(1) सामयिक राजनीति (2) दल सम्बन्धी (3) सक्रिय राजनीति

82. समूह के माध्यम से आपके जीवन स्तर पर कितनी वृद्धि हुई हैं ?

(1) निम्न वृद्धि (2) मध्यम वृद्धि (3) उच्च वृद्धि (4) बिल्कुल नहीं

83. समूह की सदस्यता से क्या आपका पारिवारिक जीवन प्रभावित हुआ है ?

(1) हाँ (2) नहीं

84. यदि हाँ तो किस प्रकार से ?

(1) आर्थिक निर्भरता प्रभावित हुई (2) निर्णय की स्वतन्त्रता (3) दैनिक क्रियाकलाप प्रभावित हुए

85. इस समूह में आने पर क्या आपकी दैनन्दनी में परिवर्तन आया है ?

(1) हाँ (2) नहीं

86. यदि हाँ तो क्या ?

(1) समय का महत्व (2) प्रतिष्ठा की चेतना (3) शुचिता का ध्यान (4) जीवन शैली में परिवर्तन

87. समूह की सदस्यता से आपकी पारिवारिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

(1) सकारात्मक (2) नकारात्मक (3) तटस्थ

88. क्या समूह की सदस्यता के बाद दूसरों की दृष्टि में आपके जीवन-स्तर में सुधार हुआ है ?

(1) हाँ (2) नहीं

89. इस समूह के माध्यम से क्या आप अपने परिवार को साहूकारों के कर्ज से बचाने में सफल हो पाई हैं ? (1) हाँ (2) नहीं

90. इस समूह के माध्यम से आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो पाई हैं ?

(1) हाँ (2) नहीं

91. क्या आप समूह के माध्यम से नशाबंदी पर्दा-प्रथा और अन्य सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए आवाज उठा पाई हैं ? (1) हाँ (2) नहीं

92. समूह की सदस्यता के बाद क्या आप आत्मनिर्भर हो पाई हैं ?

(1) हाँ (2) नहीं

93. क्या आपको लगता है कि इस समूह के द्वारा आप आर्थिक-सामाजिक रूप में समर्थ, सक्षम एवं स्वावलम्बी हो पाई हैं ? (1) हाँ (2) नहीं

94. क्या आप किसी विषय पर स्वयं निर्णय लेने के लिए सक्षम हो पाई हैं ?

(1) हाँ (2) नहीं

95. क्या आपको लगता है कि संगठित होकर काम करने से आत्मविश्वास एवं जोश की भावना विकसित होती हैं ? (1) हाँ (2) नहीं

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

अमरनाथ : 2007, नारी का मुक्ति संघर्ष, रेमाधव पब्लिकेशन प्रा०लि० नोयडा, गौतम बुद्ध नगर

कुमारी सुशीला : 2005, अबला बनाम सबला, साची प्रकाशन, नई दिल्ली

शर्मा, ऋषभ देव : 2004, स्त्री सशक्तीकरण के विविध आयाम, गीता प्रकाशन, रामकोट हैदराबाद

कौशिक, विमला : वैदिक नारियों की आत्मकथायें, अविराम प्रकाशन, विश्वास नगर, दिल्ली

डॉ० कमला : 1997 ऋग्वेद में नारी, निर्मल पब्लिकेशन्स, शाहदरा, दिल्ली

सप्रू, आर०के० : वूमेन एण्ड डेवलपमेन्ट, आशीष पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली

फादिन्स, उर्मिला एण्ड मलानी इन्द्रा : वूमेन आफ द वर्ल्ड, इल्यूसन एण्ड रियलटी, विकास पब्लिशर्ड हाउस प्रा० लि० नई दिल्ली

प्रसाद, आर०आर० एण्ड जी रजनीकान्त : रूरल डेवलपमेन्ट एण्ड सोशल चेन्ज, वोल्यूम 2, डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली

सिंह, आर०पी० : 1987, सोशियोलॉजी ऑफ रूरल डेवलपमेन्ट इन इण्डिया डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली

जैन, देवकी : इण्डियन वूमेन, पब्लिकेशन डिवीजन, मिन्स्ट्री आफ इन्फारमेशन एण्ड बोर्डकास्टिंग गर्वनमेन्ट आफ इण्डिया, पटियाला हाउस, नई दिल्ली

सुमन, रतिकान्त : महिला सशक्तीकरण और मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली

नाटाणी, प्रकाशनारायण : मानवाधिकार एवं महिलाएं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई, दिल्ली

शर्मा, अरुणा, शुक्ल सरोज कु० : 2006 मानवाधिकारः नई दिशाये मानवाधिकार आयोग नई, दिल्ली

खेतान, प्रभा : स्त्री उपेक्षिता, हिन्द पॉकेट बुक्स, प्रा०लि० नई, दिल्ली

शर्मा, क्षमा : स्त्रीत्ववादी विमर्श समाज और साहित्य, राजकमल प्रकाशन, प्रा०लि०, नई दिल्ली

व्होरा, आशारानी : भारतीय नारीः दशा-दिशा, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली

नरसिम्हन, शकुन्तला : इम्प्रूविंग वूमेन्स एन अल्टरनेविट स्ट्रेटजी फ्राम रूरल इण्डिया, सेज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली

अग्रवाल, ए : 1983, वीमैन्स स्टडी इन एशिया एण्ड पैसिफिकः एन ओवरव्यू आफ करैन्ट स्टेटस एण्ड नीडिड प्रियोरिटीज, ए०पी०डी० क्वालालामपुर

भट्ट ई० : 1989, माइंड आफ वर्क सैल्फ एम्पलाएड वीमेन्स एसोसिएशन अहमदाबाद

चाकी, एस०एम० : 1984, फैमिनिज्म इन ए ट्रेडिशनल सोसाइटी, शक्ति बुक्स, नई दिल्ली

देसाई, एन0 एवं कृष्णराज एम0 : 1987, वीमेन एण्ड सोसाइटी, अजन्ता पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली

गुलाटी, एल : 1981, प्रोफाइल्स इन फीमेल पॉवर्टी, हिन्दुस्तान पब्लिशिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली

जोसे, ए0वी0 : 1989, लिमिटेड औप्शन्स वीमेन वर्कर इन रूरल इण्डिया, एशियन रीजनल टीम फार एम्पलायमेन्ट प्रोमेशन, वर्ल्ड एम्पलायमेन्ट प्रोग्राम, आई0एल0ओ0 नई दिल्ली

मजूमदार, बी0 : 1983, रोल ऑफ रिसर्च इन वीमेन्स डेवलपमेंटः ए केस स्टडी आफ आई0सी0एस0आर0 प्रोग्राम ऑफ वीमेन्स स्टडीज, श्यामा शक्ति वोल्यूम नं0 1 24-42

सिंह, बी0डी0 : प्लानिंग फार रूरल डेवलपमेन्ट एण्ड पॉवर्टी एलीवेशन, मित्तल पब्लिकेशन, नई दिल्ली

गरियाली, जी0के0 वेट्टीवेल, एस0के0 : वूमेन्स ओन द सेल्फ हेल्प मूवमेन्ट ऑफ तमिलनाडू, वेत्री पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली

जी0पालन्थुरई : न्यू पंचायती राज सिस्टम एट वर्क एन एव्यूलेशन, कान्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली

देवपुरा प्रतापमल : ग्रामीण विकास का आधारः आत्मनिर्भर पंचायते, राधाकृष्ण प्रकाशन प्रा0लि0 नई दिल्ली

वासुवेदन, सुलोचना बडथ्वाल, हरीश : 2001, स्वयं सहायता समूह एवं पंचायती राज, लीड ट्रेनिंग एजेन्सी, राष्ट्र जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान नई दिल्ली।

बन्धोपाध्याय, डी, मुखर्जी अमिताभ : महिला पंचायत सदस्यों का सशक्तीकरण, कान्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली

मेश्राम, मुकेश : 2004, स्वयं सहायता समूह एक सामाजार्थिक आन्दोलन, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बाँदा

डोगरा, भारत : 2002, प्राकृतिक संसाधनों के समतामूलक उपयोग पर आधारित गरीबी उन्मूलन व इसमें महिलाओं की भागीदारी, महिलाये आगेआयें तोपूरे समाज का भला है, सोशल चेंज पेपर्स, नई दिल्ली

गुप्ता, एम0एल0 शर्मा डी0डी0 : भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा
: भारतीय समाज एवं सामाजिक संस्थाये साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा

मुकर्जी, आर0एन0 : सामाजिक शोध व साख्यिकी, विवेक प्रकाशन दिल्ली
समाजशास्त्र का सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य, विवेक प्रकाशन दिल्ली

कपाड़िया, के0एम0 : मैरिज एण्ड फैमिली इन इण्डिया (द्वितीय एडीशन) बाम्बे आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस 1958

गिरिअप्पा, एस0 : 1988, रोल आफ वूमेन इन रूरल डेवलपमेन्ट, दया पब्लिकेशन्स हाउस दिल्ली

दाहिया, ओ0पी0 : ग्रामीण समाजशास्त्र, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल

नारायन, एस० : 1988, रूरल डेवलपमेन्ट, थॉट वूमेन्स प्रोग्राम्स इन इण्डिया, दिल्ली

चन्ना, करुणा : 1988 सोशलाईजेशन, एजुकेशन एण्ड वूमेनः एक्सप्लोरेशन इन जेन्टर आइडेन्टी, आरियन्ट लांगमैन लिमिटेड, हैदराबाद

मिश्रा, सरस्वती : 1993, लीगल जस्टिक टू वूमेनः सोशियोलॉजिकल इवॉल्यूशन सोशल वेलफेयर

शर्मा, प्रेमलता : 1988, रूरल वूमेन इन एजूकेशन ए स्टडी ऑफ अण्डर एचीवमेन्ट, स्टर्लिंग पब्लिशर्स, प्रा०लि०, न्यू दिल्ली

इग्नू की पुस्तिकाएं : ई०एस०ओ०-02 (भारत में समाज) खण्ड 1+7
ई०एस०ओ०-03 (समाजशास्त्रीय सिद्धान्त) खण्ड 7+2
ई०एस०ओ०-06 (भारत में सामाजिक समस्याये) खण्ड 3,1,52
ई०एस०ओ०-14 (समाज और स्तरीकरण) खण्ड 5+1

कृष्णकांत, सुमन : इक्कीसवी सदी की ओर, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली

जैतली ममता, शर्मा, श्री प्रकाश : आधी आबादी का संघर्ष राजकल प्रकाशन नई दिल्ली

पाण्डेय, मृणाल : जहाँ औरते गढ़ी जाती हैं, राधाकमल प्रकाशन, प्रा०लि० नई दिल्ली

वार्षिक रिपोर्ट 2006-07 ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

नाबार्ड प्रोग्रेस आफ एस०एच०जी० लिंकेज इन इण्डिया 05-06

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस०जी०एस०वाई०) ट्रेनिंग मैन्युअल फार बैंकर्स एण्ड डी०आर०डी०ए० आफीसियल्स : मिन्स्ट्री आफ रूरल डेवलपमेन्ट, न्यू देहली

ग्रामीण विकास : एक झलक : ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

विकेन्द्रीकरण : एक नई दिशा : पंचायती राज विभाग, उ०प्र० लखनऊ

उत्तर प्रदेश में स्वैच्छिक संगठनों की आचार संहिता : उपवन, उ०प्र० वॉलेण्ट्री एक्शन नेटवर्क, लखनऊ

एस०जी०एस०वाई संचेतना प्रशिक्षण पुस्तिका : जिला ग्राम्य विकास संस्थान, मौदहा-हमीपुर/महोबा

ग्रामीण विकास (कार्य-निष्पादन और नई पहलकदमियां) : ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत ससरकार, नई दिल्ली

पत्रिकाएँ

ग्रामीण भारत : (मासिक समाचार पत्रिका) नेशनल इंस्टीटयूट आफ रूरल डेवलपमेन्ट, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद

गांव की ओर पहरुआ : अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान, भारत जननी परिसर, रानीपुर भट्ट चित्रकूट उ०प्र०

ग्रामीण जीवन के : ग्राम सेविका प्रकाशन, अमीनाबाद, लखनऊ

परिदृश्य (मासिक)
दिशा : सुल्तानपुर-चिलकाना, सहानपुर उ0प्र0
स्वयं सिद्धा (त्रैमासिक पत्रिका) उ0प्र0 महिला कल्याण निगम, गोमती नगर लखनऊ
स्वशक्ति : स्वशक्ति परियोजना, उ0प्र0 महिला कल्याण निगम, गोमती नगर लखनऊ
स्वयं सहायता समूह-महिला सशक्तीकरण की ओर बढ़ते कदम : मार्गदर्शिका महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश
कुरूक्षेत्र, योजना (मासिक पत्रिका): ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
आउटलुक (साप्ताहिक पत्रिका)
इंडिया टुडे
रूपायन (साप्ताहिक)

समाचार पत्र

दैनिक जागरण : महिलाएं व उनकी जिम्मेदारियां, मंगलवार,08.0807 पेज-4
दैनिक जागरण : स्वयं सहायता समूहों को 35 लाख ऋण, कानपुर, मंगलवार 08.11.05
दैनिक जागरण : सीखकर खुद करे घर का काम, कानपुर, बुधवार 03.01.08 पेज-5
दैनिक जागरण : कुदरत से टकराने निकली बुन्देली वीरांगनाएं, लखनऊ शनिवार/12.01.08 पेज-1
अमर उजाला : समूह के माध्यम से आत्मबल में वृद्धि, कानपुर, बृहस्पतिवार, 05.07.07 पेज-8
अमर उजाला : युवतियां नौकरी की बजाय स्वरोजगार पर ध्यान दें, कानपुर शनिवार 05.11.05
सहारा समय : अपनी अदालत में महिलायें, कानपुर 29.05.04 पेज-21
सहारा समय : जब महिलायें बैंक बनायें, कानपुर, 12.06.04 पेज-21
सहारा समय : पैर तले की जमीन, कानपुर, 20.03.04 पेज-21
द हिन्दू : सेल्फ-हेल्प ग्रुप रन्स प्रिजन कैंटीन, सैटरडे, 04.11.06 पेज-4
द हिन्दू : एस0एच0जी0एस0, वूमेन की टू नरेगा सक्सेस, थर्सडे, 02.11.06
हिन्दुस्तान : आधी दुनिया का लम्बा सफर, कानपुर शनिवार 8 मार्च पेज-9
दैनिक भास्कर : गांवों में पांच फीसदी से ज्यादा घटी गरीबी, ग्वालियर, शनिवार 22.09.07 पेज-8

जिला हमीरपुर
अभिमन्यु पब्लिकेशन्स
चौक बाजार, बाँदा
क्र.
विवरण
संकेत
1. जनपद सीमा
2. तहसील सीमा
3. विकास खण्ड सीमा
4. गाँव सीमा
5. रेलवे लाइन
6. नदी
7. जिला
8. तहसील
9. विकास खण्ड
10. ग्राम
मवई
यमुना नदी
कानपुर को
कालपी से
कुरारा
बेरी
जलालपुर
सुमेरपुर
टेढ़ा
बेतिया नदी
उरई से
सरीला
जरिया
गोहाण्ड
बिवाँर
मुस्करा
गहरौली
गुढ़ा
राठ
मलहटा
रागौल
मौदहा
सिसोलर
केन नदी
बाँदा को
कबरई से
मउरानीपुर से
महोबा
फतेहपुर
बाँदा
जालौन
झाँसी
अनुमानित

विकास खण्ड मौदहा
जनपद-हमीरपुर
तहसील हमीरपुर
विकास खण्ड
N
S
1 0 1 2 3 4 K.M.
क्रम सं
विवरण
संकेत
1 जनपद सीमा
2 तहसील सीमा
3 विकास खण्ड सीमा
4 गाँव सीमा/मुख्यालय
5 विकास खण्ड मुख्या.
6 पक्की सड़क
7 कच्ची सड़क
8 रेलवे लाइन
9 नदी
10 जनपद मुख्यालय
11
12
मौदहा
नगर
करहिया
गुरदहा
रवण्डेह
सिसोलर
मुलसी
परदद
अरतरा
मकराँव
पिपरोदा
सिलौली
माचा
मुटनी
इन्देटा
बिगहना
रतौली
पारा
ग्योड़ी
गूढ़ा
बन्नी
भदरवारा
पुरा
खन्ना
रीवन
अकौना
रतवा
सिरसी खुर्द
इछौली
जिगनौड़ा
अकबई
तमौरा
कहरा
पंडुवा
पचैपहरा
छिबौली
सिजवाही
नदारपुर
मेरस्ती
लेवा
पासन
भटोरी
परेहरा
किसवाही
गढ़ा
बैजेमऊ
खैर
बकछा
करबई
खैरी
मसगवाँ
उरी
पाटनपुर
देवकली
सायर
सुहेल
बहेरला
अमोरा
लदार
भमानी
चन्दपुरवा
रौली
खंडेह
कुम्हरिया
भैरवाँ
जखेला
(आर. पी. पाल)
कार्टो ग्राफिक सहा.
(आर. एस. अग्रवाल)
संख्याधिकारी
हमीरपुर
(शंकर लाल)
उप निदेशक (अर्थ एवं सं.)
झाँसी मण्डल झाँसी

ग्रामीण विकास से सम्बन्धित योजनाओं का विवरण

ट्राइसेम (1979-80), आई०आर०डी०पी० (1980-81), ड्वाकरा (1982), उन्नत टूलकिट्स योजना (1992-93), प्रधानमंत्री रोजगार योजना (1994-95), इन्दिरा महिला योजना (1995-96), और स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (1999-2000), ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब मजदूरों, भूमिहीनों श्रमिकों और बेरोजगारों को मजदूरी आधारित रोजगार दिलाने के क्षेत्र आधारित एवं प्रारम्भिक कार्यक्रमों के रूप में ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम (1960-61), ग्रामीण रोजगार कैश कार्यक्रम (1971-72), पाइलट गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (1972-73), सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम (1973-74), मरूस्थल विकास कार्यक्रम (1977-78), काम के बदले अनाज योजना (1977-87), अन्तयोदय योजना (1977-78) आदि को चलाया गया, लेकिन इस प्रकार के बृहद् कार्यक्रमों के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (1980-81), ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गांरटी कार्यक्रम (1983-84), जवाहर रोजगार योजना (1989-90), सुनिश्चित रोजगार योजना (1993-94), जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (1999-2000), सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (2000-2001), कृषि आमदनी बीमा योजना (2003-2004) आदि को संचालित किया गया।

गाँवों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार हेतु ग्रामीण आवासीय योजना (1957-58), ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (1969-70), न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (1974-75), बीस सूत्रीय कार्यक्रम (1975-76), राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम (1982-83), इन्दिरा आवास योजना (1985-86), ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (1986-87), राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम (1986-87), कुटीर ज्योति कार्यक्रम (1988-89), दस लाख कूप योजना (1989-90), सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (1993-94), गांधी ग्राम योजना (1995-96), ग्रामीण सम्पर्क मार्ग योजना (1996-97), स्वजल योजना (1996-97), ग्रामीण पेयजल योजना (1996-97), गंगा कल्याण योजना (1997-98), स्वर्ण जयन्ती ग्राम योजना (1997-98), टेक्नॉलाजी मिशन कार्यक्रम (1998-99), ऋण सह अनुदान आवास योजना (1999-2000), समग्र आवास योजना (1999-2000), प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (2000-2001), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (2000-2001), राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना (2001-2002), स्वजलधारा योजना (2002-2003), सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना (2003-2004) आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम (1970-71), समन्वित बाल विकास योजना (1975-76), प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम (1978-79), अनौपचारिक शिक्षा योजना (1979-80), राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम (1985-86), किशोरी बालिका योजना (1985-86), व्यापक फसल बीमा योजना (1985-86), ग्रामीण कुटी बीमा योजना (1989-90), सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना (1989-90), बाल श्रम उन्मूलन योजना (1994-95), राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (1994-95), राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (1994-95), बालिका समृद्धि योजना (1997-98), प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (1997-98), पल्स पोलियो कार्यक्रम (1997-98), कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना (1997-98), लक्ष्य आधारित खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम (1997-98), महिला स्वशक्ति योजना (1999-2000), अन्नपूर्णा योजना (2000-2001), जनश्री बीमा योजना (2000-2001), सर्वशिक्षा अभियान (2000-2001), महिला स्वयं सिद्धा योजना (2001-2002), महिला स्वधार योजना (2001-2002), शिक्षा गारन्टी, वैकल्पिक तथा अभिनव शिक्षा योजना (2001-2002), वरिष्ठ पेन्शन बीमा योजना (2003-2004), असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना (2003-2004), सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना (2003-2004) आदि योजनाएं प्रमुख हैं।

वर्तमान में संचालित ग्रामीण विकास की प्रमुख योजनाएं-एक दृष्टि में

क्र० सं०	योजना/कार्यक्रम का नाम	प्रारम्भ होने का वर्ष	प्रमुख उद्देश्य
(क) स्वरोजगार विषयक योजनाएं			
1.	स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	अप्रैल, 1999	ग्रामीण गरीबों की पारिवारिक आय को बढ़ाते हुए आधारभूत स्तर पर लोगों की स्थानीय आवश्यकताओं व संसाधनों को सुगमता प्रदान करना
2.	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	सितम्बर, 2001	ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा वहाँ गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना
(ख) मूलभूत सुविधाओं के विस्तार विषयक योजनाएं			
1.	ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम	अप्रैल, 1969	गाँवों में बिजली पहुंचाने सहित वहाँ लघु सिंचाई तथा ग्रामीण उद्योगों, जैसे-उत्पादोन्मुखी कार्यो में सहयोग प्रदान करना
2.	राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम	अप्रैल, 1982	ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए खाना पकाने और रोशनी हेतु गैस की व्यवस्था हित महिलाओं की स्वास्थ्य रक्षा हेतु वायोगैस संयंत्र लगाने हेतु आर्थिक अनुदान एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना
3.	इन्दिरा आवास योजना	मई, 1999	ग्रामीण गरीबों को आवासीय इकाइयों के निर्माण हेतु मैदानी क्षेत्रों में 20,000 रु० तथा दुर्गम क्षेत्रों में 22,000 रुपए का सहायता अनुदान प्रदान करना
4.	ग्रामीण स्वच्छता योजना	अप्रैल, 1986	ग्रामीण लोगों की जीवन शैली में सुधार और महिलाओं की गरिमा बनाए रखने के उद्देश्य से स्वच्छ शौचालय निर्माण एवं स्वास्थ्य सस्म्बन्धी जागरूकता का विस्तार करना
5.	ग्रामीण पेयजल योजना	अप्रैल, 1986	ग्रामीण क्षेत्रों के सभी निवासियों को सुरक्षित पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना
6.	ऋण सहस अनुदान आवास योजना	अप्रैल, 1999	32,000 रु० तक की वार्षिक आय तक के ग्रामीण परिवारों को भवन निर्माण हेतु 40,000 रु० तक ऋण 10,000 रु० तक का अनुदान उपलब्ध कराना
7.	समग्र आवास योजना	अप्रैल, 1999	विशेष रूप से ग्रामीण गरीबों को आवास स्वच्छता तथा पेयजल की समग्र व्यवस्था हेतु सहायता उपलब्ध कराना
8.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	दिसम्बर,2000	1000 तक की आबादी वाले सभी गाँवों को वर्ष 2003 तक 500 तक की आबादी के सभी गॉवों को अच्छी बारहमासी सड़को से जोड़ना
9.	प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	अप्रैल, 2001	ग्रामीण क्षेत्रों पेयजल, आवास तथा लिंक सड़को जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाएं मुहैया कराना

10.	शिक्षा गारन्टी, वैकल्पिक तथा अभिवन शिक्षा योजना	अप्रैल, 2001	गाँवों में एक किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध न होने की दिशा में अभिवन शिक्षा केन्द्र की स्थापना करके शिक्षा की व्यवस्था करना
(ग) सामाजिक सुरक्षा विषयक योजनाएं			
1.	सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना	अप्रैल, 1989	समाज के कमजोर और संवेदनशील वर्गों के 18-60 आयु वर्ग के परिजनों की स्वाभाविक मूल्य पर 5,000 रु० दुर्घटना में मृत्यु पर 25,000 रु० तथा अपंगता की स्थिति में 12,500 रुपए प्रदान कर परिवार को सहायता प्रदान करना
2.	जनश्री बीमा योजना	अगस्त, 2000	सरकारी सहयोग से संचालित इस योजना के अन्तर्गत बीमाधारी व्यक्ति की मृत्यु पर 20,000 रु० तथा विकलांगता पर 50,000 रुपए तक प्रदान कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना
3.	कृषि मजदूर सामाजिक सुरक्षा योजना	दिसम्बर,2001	सरकारी सहयोग से संचालित इस योजना के अन्तर्गत कृषक की स्वाभाविक मूल्य पर 20,000 रु० तथा विकलांगता की स्थिति में 50,000 रुपए तक परिवार को प्रदान करना
4.	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	अप्रैल, 2000	प्राकृतिक आपदाओं के कारण सफल नष्ट होने की दशा में कृषकों को हुई हानि की भरपाई करना
5.	कृषकों हेतु व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना	अक्टूबर,2001	70 वर्ष तक की आयु वाले किसान ऋण कार्ड धारकों को मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में 50,000 रुपए तक की प्रतिपूर्ति करना
6.	शिक्षा सहयोग बीमा योजना	दिसम्बर,2001	गरीबी की रेखा से नीचे गुजर-बसर कर रहे परिवारों के 9 से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को प्रतिमाह 100 रु० की छात्रवृत्ति प्रदान करना
7.	सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना	अप्रैल, 2004	समाज के कमजोर वर्गों को अस्पताल में इलाज पर खर्च हेतु 30,000 रुपए तक की प्रतिपूर्ति तथा दुर्घटना के कारण मृत्यु की दशा में परिवारजनों को 25,000 रु० की राशि प्रदान करना

हिन्दुस्तान, बुन्देलखण्ड संस्करण, 08/03/08, पेज 1

मुट्ठियाँ जब हवा में तनती हैं

दुख, पीड़ा, अत्याचार, बेबसी के खिलाफ भिचीं मुट्ठियाँ जब हवा में तनती हैं तब दुनिया एक नई बनती है। ऐसी ही चंद मुट्ठियाँ उत्तर प्रदेश के कुछ गाँवों में इन महिलाओं ने तानी थीं। न कोई वैज्ञानिक कार्यशैली और न कोई विशेष सरकारी पैकेज। इन महिला ग्राम प्रधानों ने महज इच्छाशक्ति और साहस से अपने गाँव की तस्वीर बदल दी। गैर सरकारी संस्था 'महिला सामाख्या' ने शुक्रवार को लखनऊ में महिला प्रधानों का उत्सव आयोजित किया। इसमें आईं दूजी अम्मा (सबसे आगे) ने बिना किसी पद के इलाहाबाद मंडल के गाँवों में इतना काम किया कि उन्हें वर्ष 1995 के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। दूजी अम्मा ने खुद तो कभी प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ा लेकिन कई महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित जरूर किया। चित्र में उनके साथ में हैं (बाएँ से दाएँ) अभिराजी (बिरहा, इलाहाबाद), सीतेश्वरी (पूर्वादानशाह, औरय्या), श्यामावती (औसमौक, मथुरा), सुमिता (रामूडिहरी, गोरखपुर), पुष्पादेवी (गौहरा, जौनपुर), फूलकली (डेरावारी, इलाहाबाद), सोनिया (निहरी चिरै

छाया : विनय पाण्डेय

खबर पेज 2 पर

दैनिक जागरण, कानपुर, 08/01/08, पेज 15

सामूहिक खेती से महिलाएं बनीं स्वावलंबी

सुबोध कुमार, मुजफ्फरपुर : यदि इरादा पक्का हो तो क्या नहीं हो सकता? नारी को अबला कहने वाले लोग यहां सामूहिक नारी शक्ति की उपलब्धि देख दांतों तले अंगुलियां दबाने को विवश हैं। वास्तव में जिले की सकरा ब्लाक की सैकड़ों महिलाओं ने सामूहिक खेती की एक नई मिसाल कायम की है। आज हाल यह है कि यहां की सैकड़ों महिलाएं इससे न सिर्फ परिवार चला रही हैं, बल्कि रोजी-रोटी के लिए परदेश गए अपने पति व बच्चों से घर की चिंता छोड़ने के लिए चिट्ठी लिख रही हैं। ये उनसे रुपये नहीं भेजने की बात भी कह रही हैं। इनकी साख इतनी है कि खुद बैंक अधिकारी इनके दरवाजे पर पहुंचकर इन्हें ऋण मुहैया कराने का वादा कर रहे हैं, वह भी बिना किसी गारंटर के। इन महिलाओं को रमणी नामक एक संस्था ने यह रास्ता दिखाया। समूह बनाकर खेती करने वाली इन महिलाओं के पास अपनी जमीन न के बराबर है। अधिकतर दूसरे की जमीन बटाई पर लेकर खेती कर रही हैं। जमीन के एवज में उसके मालिक को फसल का आधा हिस्सा देना पड़ रहा है। कुछ महिलाओं ने वार्षिक भुगतान पर जमीन ले रखी है। इसके बदले वे तयशुदा राशि जमीन मालिक को देती हैं। खेती के लिए जमीन चाहे जैसे भी हासिल हुई हो उस पर फसलें लहलहा रही हैं। इनकी उपजाई सब्जी न केवल पटना, दरभंगा व समस्तीपुर जा रही है, बल्कि दिल्ली व कोलकाता जैसे महानगरों में भी पहुंच रही हैं। इन महिलाओं की अधिकांश सब्जियां व्यापारी खेतों से ही खरीद लेते हैं। इसके बाद बची सब्जियां ये खुद स्थानीय बाजारों में बेचती हैं।

प्रेरणा

- दिल्ली व कोलकाता पहुंच रही हैं मुजफ्फरपुर की सब्जियां
- बेटे और पति को लिख रहीं हैं चिट्ठी-'पैसा मत भेजो'

बाढ़ के कारण यहां रबी की फसल पर संकट है। यहां खेतों में आलू, बैगन, टमाटर, गोभी, पत्ता गोभी, मटर, कद्दू की फसल लहलहा रही है। केशोपुर, दुबहा, डिहुली, बेझा, सरमस्तपुर आदि गांवों में एक वर्ष के अंदर शांति समूह, नयन समूह, रोशन समूह, लक्ष्मी समूह, सरस्वती समूह, शिव समूह, रूही समूह सहित कई समूह बन गए हैं। प्रत्येक समूह में दस महिलाएं हैं। ये बैंक से ऋण लेती हैं और आपसी सहयोग से खेती करती हैं। किस खेत में किस फसल की बुआई करनी है या कीट लगने अथवा उपज बढ़ाने के लिए किस दवा का इस्तेमाल किया जाए, इसका निर्णय ये आपसी सहमति से लेती हैं। समूह की महिलाएं रासायनिक की जगह जैविक खाद का इस्तेमाल करती हैं। इससे इनकी सब्जियों की गुणवत्ता अन्य सब्जियों से अधिक रहती है। ये स्वयं ही जैविक खाद भी बनाती हैं। इन समूहों को विकसित करने में मुख्य भूमिका निभाने वाले रमणी संस्था से जुड़े मुकेश रमण ने बताया कि इन महिलाओं को राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा की मदद से ट्रेनिंग भी दिलाई जाएगी।

अमर उजाला, कानपुर, 05/07/07, पेज 8

समूह के माध्यम से आत्मबल में वृद्धि

हमीरपुर। महिलाओं में समूह के माध्यम से आत्मबल की वृद्धि हो रही है। युवा स्वरोजगारी स्वयं सहायता समूह के सदस्य प्रति माह नियमित रूप से बचत जमा करें क्योंकि समूह को ऋण की अदायगी आप लोगों को ही समय से करनी है। यह बात नेहरू युवा केंद्र संगठन उप्र एवं उत्तराखंड के मंडल निदेशक एचसी जोशी ने कही। वह मौदहा ब्लाक के मदारपुर गांव में नेहरू युवा केंद्र द्वारा संचालित युवा स्वरोजगारी स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के बीच अपने विचार व्यक्त कर रहे थे।

मदारपुर गांव में स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे मंडल निदेशक श्री जोशी ने कहा कि समूहों के सदस्य अपना काम निर्विरोध रूप से करें। यदि आप अपना कार्य बेहतर ढंग से करेंगे तो विभाग हर तरह से मदद करने को हमेशा तैयार हैं। उन्होंने बताया कि समूह के सदस्य आत्मनिर्भर बनें क्योंकि कुछ दिन बाद विभागीय सहायता बंद हो जाएगी तथा दुग्ध व्यवसाय से जुड़े समूहों अवस्थापना मद की सामग्री के माध्यम से अतिशीघ्र मदद पहुंचाने वाले हैं।

कार्यों की समीक्षा करते एचसी जोशी।

मंडल निदेशक द्वारा पूछने पर नेहरू युवा केंद्र की जिला युवा समन्वयक शमीम बेगम ने बताया कि मदारपुर गांव में भैंस पालन व्यवसाय से जुड़े समूह नं.3 एवं 28 तथा बकरी पालन व्यवसाय से जुड़े समूह नं.95 को बैंक द्वारा स्वीकृति धनराशि की प्रथम किस्त मिल चुकी है। जिससे समूह के सदस्य भैंस और बकरी आदि खरीद कर ले आए हैं। समूह के कुछ सदस्यों ने मंडल निदेशक को बताया कि उनके द्वारा खरीदे गए पशुओं का बैंक द्वारा अभी तक बीमा नहीं कराया गया है।

स्थलीय निरीक्षण के दौरान मदारपुर में एसजीएसवाई के सुपरवाइजर रामप्रकाश एवं राजेश कुमार वर्मा तथा कंप्यूटर प्रोग्रामर राजेंद्र कुमार तथा मदारपुर के युवा मंडल अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधान आकिल अहमद और सभी समूहों के सदस्य मौजूद रहे।

मौदहा क्षेत्र से लौटकर मंडल निदेशक जोशी ने नेहरू युवा केंद्र कार्यालय में अभिलेखों का निरीक्षण किया एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

अमर उजाला, कानपुर, 26/11/06, पेज 8

समूहों को 70 लाख से अधिक का ऋण

शिविर

- समूहों को ऋण देने में त्रिवेणी ग्रामीण बैंक सबसे पीछे रहा
- नेहरू युवा केंद्र के समूहों के सदस्यों में काम करने की ललक

मौदहा (हमीरपुर)। नेहरू युवा केंद्र से संचालित युवा स्वरोजगारी स्वयं सहायता समूहों के सौ समूहों में से चार वर्ष बीतने के बाद इलाहाबाद बैंक ने 18 समूहों को 70 लाख से अधिक का ऋण वितरित किया है। समूहों को ऋण वितरण में त्रिवेणी ग्रामीण बैंक सबसे पीछे हैं।

विकास खंड कार्यालय में इलाहाबाद बैंक के शाखा प्रबंधकों का एक दिवसीय शिविर जिला प्रबंधक अग्रणी बैंक पीके लाल की अध्यक्षता में लगा। इसमें नेहरू युवा केंद्र के एसजीएसवाई के 18 स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रदान करने के लिए उनकी पत्रावलियां पूर्ण करवाई। इस अवसर पर जिला प्रबंधक अग्रणी बैंक ने स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आप वास्तविक रूप से अपनी गरीबी दूर करना चाहते हैं तो फाइनेंस द्वारा मिली धनराशि को आप अपने चयनित व्यवसाय में ही खर्च करें। प्रबंधक ने कहा कि तीन दिन बराबर क्षेत्र में जाने के बाद उन्हें समझ में आया कि नेहरू युवा केंद्र के स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों में काम करने की ललक है। इसलिए अब उन्हें ऋण देने में देर नहीं करनी चाहिए। नेहरू युवा केंद्र की जिला समन्वयक श्रीमती शमीम बेगम ने बताया कि 18 समूहों की प्रथम एवं द्वितीय ग्रेडिंग पूर्ण हो चुकी है और सभी समूहों की सब्सिडी भी बैंक में दी जा चुकी है। उन्होंने युवा स्वरोजगारियों को ऋण की धनराशि से अपना चयनित व्यवसाय करके धनार्जन करने का आह्वान किया ताकि गरीबी से छुटकारा मिल सके। उन्होंने समूहों के विकास के लिए एलडीएम के प्रयासों की भी सराहना की। इस अवसर पर इलाहाबाद बैंक खन्ना के प्रबधक एससी सोनकर, इलाहाबाद बैंक मौदहा के प्रबंधक आरएन निगम, विकास कुमार फील्ड ऑफीसर, अनूप कुमार श्रीवास्तव क्षेत्रीय कार्यालय अधिकारी आदि ने समूहों की पत्रावलियां पूर्ण करवाई। इस शिविर में ग्राम पढोरी के तीन समूह, मदारपुर के चार, उर्दना के दो, रीवन के तीन, भवानी के दो, गहरौली खुर्द के दो तथा छिमौली का एक समूह का कार्य पूर्ण किया गया। शिविर में एसजीएसवाई के सुपरवाइजर राजेश कुमार, रामप्रकाश तथा एसजीएसवाई की शानो परवीन, राजेंद्र कुमार, जिला संयोजक अंबिका प्रसाद तथा एसजीएसवाई के समस्त मोटीवेटर मौजूद रहे।

अमर उजाला, कानपुर, 26/12/06, पेज 8

बीहड़ के गांवों की समस्या देख भड़क उठी 'चिनगारी'

हम जागे हैं तुम भी जागो : डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करती चिनगारी संगठन की महिला कार्यकर्ता और धरना स्थल पर एसडीएम को सौंपा गया समस्याओं का पुलिंदा। फोटो- अमर उजाला

अमर उजाला ब्यूरो

हमीरपुर। केन नदी के बीहड़ों से निकला महिलाओं का 'चिनगारी' संगठन शुक्रवार को मुख्यालय में शोला बनकर बरपा। ट्रकों और ट्रैक्टरों में भरकर आई दर्जन भर से अधिक गांवों की महिलाओं ने लक्ष्मीबाई तिराहे से जुलूस की शक्ल में नगर में प्रवेश किया। 'हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं' 'अफसर नेता सोते हैं, गांव में गरीब रोते हैं' 'संगठन में शक्ति है, सारी दुनिया झुकती है' जैसे नारों के साथ निकली सैकड़ा भर से अधिक महिलाओं ने विपरीत परिस्थितियों में जीवन गुजार रहे ग्रामीणों की समस्याओं के लिए शासन-प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए जमकर कोसा। बाद में गोल चबूतरे में धरना दे बैठी इन महिलाओं ने मौके पर पहुंचे एसडीएम सदर को मौदहा के चौबीसी क्षेत्र की समस्याओं से संबंधित 64 पन्नों का पुलिंदा सौंपा।

मौदहा तहसील के सिसोलर गांव में क्षेत्रीय महिलाओं का चिनगारी नाम का संगठन कुछ ही दिनों में अस्तित्व में आया है। इस संगठन ने पिछले दिनों गढ़ा गांव के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की मांग को लेकर ताला डालकर क्रमिक अनशन किया था। संगठन का दो दिन पूर्व क्षेत्रीय सम्मेलन भी हुआ था। इसमें आस-पास के गांवों की सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन में इलाके की समस्याओं को लेकर मुख्यालय में धरना-प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया था। इसी कड़ी में आज सिसोलर, भुलसी, गढ़ा, परेहटा, खैर, भैंसमरी, बक्छा, छानी, पढोहरी, लेवा व टोला गांवों की एक सैकड़ा से अधिक महिलाएं ट्रैक्टरों और ट्रकों के जरिए मुख्यालय आईं।

'गुलाबी गैंग' की तरह रहा 'चिनगारी' के प्रदर्शन का खौफ

हमीरपुर। क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर ग्रामीण महिलाओं द्वारा चिनगारी नाम से बनाए गए संगठन के प्रदर्शन ने शुक्रवार को कुछ देर के लिए प्रशासन को सकते में डाल दिया। बगैर पूर्व सूचना के महिलाओं की भीड़ के सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने की भनक मिलते ही पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया।

बांदा जनपद में गुलाबी गैंग के नाम से बने महिलाओं के संगठन द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले धरना-प्रदर्शन और अधिकारियों के घेराव से यहां के प्रशासनिक अधिकारी भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। फिर चिनगारी नाम के इस नए संगठन के अचानक अस्तित्व में आने और समस्याओं को लेकर इस मौसम में इतनी महिलाओं की भीड़ के साथ प्रदर्शन करने की खबर प्रशासन के लिए चौंकाने वाली थी। कुछ ही पल में पुलिस विभाग और एलआईयू सक्रिय हो गई।

प्रदर्शनकारियों की अगुवाई करने वालों से पूरे माजरे की जानकारी ली गई। इसके बाद एसडीएम सदर को अवगत कराया गया। सूचना पर वह बिना देर किए मौके पर पहुंच गए। शहर के नक्शे से अनजान ग्रामीण महिलाओं में प्रदर्शन करने को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला। दिन के ढाई बजे मुख्यालय आईं इन महिलाओं का प्रदर्शन चर्चा का विषय बना रहा। उधर, इस प्रदर्शन के दौरान ही सूचना का अधिकार टास्क फोर्स अधिनियम 05 के जिला मीडिया प्रभारी देशराज रत्नाकर ने सामूहिक रूप से प्रदर्शनकारियों को इस अधिनियम के विषय में जानकारी दी।

चिनगारी संगठन की क्षेत्रीय संयोजिका कु. गार्गी सिंह, कमला (भैंसमरी), माया (सिसोलर) की अगुवाई में लक्ष्मीबाई तिराहे से हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर निकली महिलाओं का हुजूम नारे लगाते हुआ बस स्टैंड पहुंचा। यहां से फिर कचहरी की ओर मुड़ गया। इसके बाद डीएम कार्यालय के बाहर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। इसके बाद महिलाओं ने गोल चबूतरे पर धरना दिया। क्षेत्रीय संयोजिका का कहना था कि सिसोलर क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं पंगु हो चुकी हैं। तमाम मरीज अस्पताल आने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। सड़कें खस्ताहाल पड़ी हुई हैं। स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती नहीं है। मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। बेरोजगार ग्रामीण पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। इस धरने की सूचना पर मौके पर पहुंचे एसडीएम सदर वीके गुप्ता को संगठन ने मौदहा तहसील के चौबीसी क्षेत्र की समस्याओं से संबंधित 64 पन्ने की पूरी फाइल सौंपी। इस फाइल में दस सूत्री मांग पत्र भी था। इसमें मुख्य रूप से जनपद को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने, रोजगार गारंटी योजना का सही क्रियान्वयन कराए जाने, वृद्धा व विधवा पेंशन लाभार्थियों के खाते में भिजवाए जाने, नलकूपों की व्यवस्था किए जाने, पढोहरी गांव में मिड डे मील के 36 कुंतल गेहूं के घपले की जांच की मांग की, सिसोलर पावर हाउस में ओसीबी मशीनें लगवाए जाने, सूखे पड़े तालाबों को भरे जाने के साथ ही अलग-अलग गांवों की समस्याओं के ज्ञापन सौंपे।

सहारा समय, कानपुर, 12/06/2005, पेज 21

जब महिलाएं बैंक बनाएं

राजेंद्र बंधु

मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले के ग्राम गडबाड़ा और उसके आसपास के क्षेत्र की आदिवासी महिलाओं की मेहनत और प्रयासों का परिणाम है 'चेतना महिला बचत सहकारी संस्था मर्यादित' बैंक जो अपने आप में एक मिसाल है। सितंबर २००१ में पंजीकृत यह बैंक महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाया गया है जिसकी सदस्य और पदाधिकारी महिलाएं ही हैं।

महिला सशक्तिकरण के नाम पर देशभर में गैर सरकारी संस्थाओं के अलावा अब कई शासकीय विभागों द्वारा भी गांवों में स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा रहा है। बैंक के रूप में विकसित झाबुआ के ये स्वयं सहायता समूह यहां सक्रिय संस्था 'आदिवासी चेतना शिक्षण समिति' द्वारा चलायी जा रही एक परियोजना के अंतर्गत गठित किये गये थे जो अब आर्थिक गतिविधियों के दायरे से बाहर निकलकर ग्रामसभा और गांव के विकास कार्यों में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मध्यप्रदेश से पूर्व इस तरह के प्रयास राजस्थान में 'सखी समिति' अलवर और गुजरात में 'सेवा' संस्था अहमदाबाद द्वारा किये गये थें।

महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए गठित इस बैंक में क्षेत्र में सक्रिय १५० स्वयं सहायता समूहों से चुनिंदा महिलाओं को शामिल किया गया है। बैंक की अध्यक्ष रोशनी खराड़ी बताती हैं 'यहां गठित समूहों के बचत खाते राष्ट्रीयकृत बैंकों में हैं। हमने अनुमान लगाया कि क्षेत्र के सभी समूहों की बचत राशि लाखों में हैं, जो इन बैंकों में जमा है। इसलिए अपना ही बैंक बनाकर पूरी धनराशि इसी में जमा करने का विचार सामने आया।' झाबुआ ब्लाक के ३० गांवों के १५० समूह आदिवासी चेतना शिक्षण समिति के सहयोग से गठित किये गये हैं। समिति के सचिव बेनेडिक बताते हैं 'गैर सरकारी संस्थाएं मुख्यतया अनुदान और परियोजनाओं पर ही निर्भर रहती हैं। परियोजनाओं के पूरा होने के साथ ही उनका काम भी समाप्त हो जाता है। हमारी समिति ने सतत और लोगों की सहभागिता से चलने वाली योजनाओं को संचालित करने पर विशेष बल दिया है। महिला बचत समूहों को एक व्यवस्थित और लाभकारी रूप में चलाने के लिए समूह की महिलाओं ने एक बैंक की ज़रूरत महसूस की। उनकी मांग पर बने इस बैंक पर उन्हीं का पूरा नियंत्रण है।

जेपी त्रिपाठी

महिलाओं के इस बैंक की स्थापना की प्रक्रिया करीब दो साल पहले शुरू हुई थी, जब स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने बैंकों में आने वाली दिक्कतों की चर्चा अपनी बैठक में की थीं। ग्राम गडबाड़ा के 'मालती महिला बचत समूह' की हकरीबाई इस बैंक की उपाध्यक्ष हैं। आदिवासी समुदाय की इस निरक्षर महिला की जुबान पर न सिर्फ अपने समूह का हिसाब-किताब है, बल्कि गांव के सभी समूहों की आर्थिक दशा, उनकी बैठकों के मुद्दे और लिये गये निर्णयों को भी वे बखूबी समझा सकती हैं।

इस बैंक की स्थापना में ग्राम गडबाड़ा की आदिवासी महिलाओं की विशेष भूमिका रही है। अकेले गांव में ही महिलाओं के आठ समूह चल रहे हैं। हर समूह में १२ से २० महिला सदस्य हैं, जो अपनी नियमित बैठक करती हैं। 'मालती महिला बचत समूह', 'हरमा महिला समूह', 'रमिला महिला समूह' इत्यादि कुछ ऐसे समूह हैं, जिनका लेन-देन एक से पांच लाख के बीच है। पिछले दो सालों में लगातार सूखा पड़ने के बावजूद ये महिलाएं अपने परिवार को साहूकारी कर्ज से बचाने में कामयाब रही हैं। इन्हें अपने समूह से आसानी से कम ब्याज पर कर्ज मिल जाता है। गांव में सभी समूहों में कुल मिलाकर १२५ महिलाएं हैं। यानी गांव के हर परिवार से कम से कम एक महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य है। इससे एक ओर जहां गांव के सभी परिवारों को आर्थिक संबल मिला है वहीं महिलाओं का एक संगठन भी सामने आया।

ये महिलाएं सिर्फ अपने समूह के आर्थिक कार्यक्रम तक ही सीमित नहीं हैं। वे विकास की संवाहक के रूप में भी सामने आयी हैं। रमिला बचत समूह की पुनकीबाई कहती हैं कि 'अब हम अकेले नहीं है, हमारी संख्या बहुत है। हम ग्रामसभा में भी अपनी बात रखती हैं।

अध्यक्ष रोशनी खराड़ी इसके सभी हिसाब-किताब और लिपिकीय कार्य संभालती हैं। अब तक इस बैंक में ३० समूहों के बचत खाते खोले जा चुके हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा इस बैंक को पांच लाख रुपये की राशि आवंटित किये जाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है।

स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं ने बैंक की स्थापना कर यह साबित किया कि महिलाएं चूल्हे-चौके से बाहर आकर बैंक चलाने में भी सक्षम हैं। ◆

THE HINDU, THIRUVANANTHAPURAM, 02/11/2006

"SHGs, women key to NREGA success"

Women's participation in social auditing is vital, says Sonia Gandhi

Special Correspondent

- "If money is spent judiciously it can change the face and lives of rural India"
- Government committed to implementation of the policies for uplift of the poor

NEW DELHI: United Progressive Alliance (UPA) chairperson Sonia Gandhi on Wednesday sought women's participation in the social auditing of the National Rural Employment Guarantee Scheme to make it more effective.

Delivering the valedictory address at a workshop of State Secretaries and Programme Coordinators of the National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) Districts, organised by the Union Rural Development Ministry here on Wednesday, Ms. Gandhi said monitoring should be an integral part of the scheme and suggested that women and self-help groups could play an in important role in making it a success.

Assuring that there would be no dearth of money in implementation of the scheme, Ms. Gandhi said if the money was spent judiciously it could change the face and lives of rural India. However, this could be done only through a social audit, she added.

Spelling out the priorities of the UPA Government as enlisted in the National Common Minimum Programme (NCMP), she said high on the list was bridging the gap between the rich and the poor as also removal of disparities between the rural and urban regions.

She said the Government was committed to the implementation of the policies for the uplift of the poor and the backward.

Ms. Gandhi said the National Rural Health Mission, Bharat Nirman, Sarva Shiksha Abhiyan, Prarambhik Shiksha Kosh, Mid Day Meal scheme and now the NREG Scheme were some policies aimed at bridging the divide between the privileged and the under-privileged. According to her, enactment of the Right to Information Act was another important step in this direction.

Extension of scheme

Expressing satisfaction over the implementation of the rural development schemes, Ms. Gandhi, however, said some States needed to put in more effort. Here, the district programme coordinators could play a major role, she added.

Earlier, inaugurating the workshop, Union Rural Development Minister Raghuvansh Prasad Singh said the NREGA would be extended to more districts in the second phase of its implementation. He said that his Ministry had approached the Planning Commission for selection of districts for extension of the scheme.

This was being done following a demand from several States. So far, 1.36 crore people have been provided employment, of the 1.40 crore people who sought employment under the NREGA.

The Minister said 3,663 mandays of work had been provided under the programme, adding that 50 per cent of the funds allocated for the current year have already been released.

STRESS ON MONITORING: *UPA chairperson Sonia Gandhi at the national workshop on the National Rural Employment Guarantee Act in New Delhi on Wednesday.* — PHOTO: ANU PUSHKARNA

स्वयं सहायता समूह की महिलायें बैठक करते हुए

विभिन्न स्वयं सहायता समूहों की महिलायें प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए

स्वयं सहायता समूह की महिलायें स्वरोजगार के द्वारा
दाल प्रतिशोधन का कार्य करते हुए

स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सामूहिक खेती करती हुई महिलाएं